दृष्टि The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

नवंबर भाग-2

2020

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **7**

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 7
- ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी 8
- फेक न्यूज़ की गंभीर समस्या 9
- मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम 11
- आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र 12
- C.B.I और राज्यों की सहमति 13
- निमोनिया एवं डायरिया प्रगति रिपोर्ट 14
- भारत टीबी रिपोर्ट, 2020 16
- एनपीआर और जनगणना, 2021 18
- स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 20
- 43 मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध 21
- ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास के विरुद्ध प्रदर्शन 23
- कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर हेतु अवसंरचना निर्माण के लिये योजना 24
- एक राष्ट्र, एक चुनाव 25
- राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 27
- सुपर-स्पेशलिटी मेडिकल पाठ्यक्रमों में आरक्षण: सर्वोच्च न्यायालय 28
- संविधान दिवस 29
- राष्ट्रीय अंगदान दिवस 31
- इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल 32
- मिशन COVID सुरक्षा 33

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम 36

- राजस्व बकाए में वृद्धि 36
- WPI विगत 8 माह में उच्चतम स्तर पर 37
- लक्ष्मी विलास बैंक का वित्तीय संकट 38
- एनसीआर के लिये क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली 40
- निजी क्षेत्र के बैंकों की कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा 42
- केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के विरुद्ध जाँच 43
- नेगेटिव यील्ड बॉण्ड 44
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिये सिंगल-विंडो सिस्टम 46
- दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा 47
- NIIF में कैपिटल इन्फ्यूज़न को कैबिनेट की मंज़ूरी 48
- हनी एफपीओ कार्यक्रम: नफेड 50

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 52

- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी 52
- 'गोल्डन वीज़ा' प्रोग्राम का विस्तार 53
- अरुणाचल बॉर्डर के पास चीन की रेलवे 54
- इथियोपिया का नृजातीय संकट 56
- 12वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 58
- भारत-लक्ज़मबर्ग वर्चुअल समिट 59
- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी और श्रीलंका 61
- भारत के खिलाफ चीन की 'जल बम' की रणनीति 63
- जी-20 सम्मेलन, 2020 64
- जापान - मालदीव समझौता 65
- अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी 66

नोट :

- अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी 68
- भूटान में नया चीनी गाँव 69
- चाबहार परियोजना 71
- भारत द्वारा अफगानिस्तान को सहायता 72
- भारत-बहरीन के बीच समझौते 74
- भारत-वियतनाम वार्ता 75
- ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा निर्मित नवीन बाँध 77

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 79

- चैपर वायरस 79
- आपराधिक वित्त और क्रिप्टोकरेंसी पर वैश्विक सम्मेलन 80
- भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली 81
- 'चांग ई-5' मिशन: चीन 82
- ड्राई स्वाब आरटी-पीसीआर परीक्षण COVID-19 टेस्ट 83

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 85

- गिद्ध कार्य योजना 2020-25 85
- डीम्ड वन 86
- विलवणीकरण संयंत्र 87
- दक्षिण भारत में वायु प्रदूषण में वृद्धि 88
- बाघ संरक्षण के लिये पुरस्कार 90

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 93

- चक्रवात निवार 93
- पूर्वोत्तर मानसून 94

नोट :

सामाजिक न्याय **96**

- कोरोना वायरस महामारी और बच्चों पर प्रभाव 96
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग: महत्त्व और चुनौतियाँ 97
- लिंगानुपात और भारत 99
- ऑनलाइन शिक्षा का संकट 100
- राष्ट्रीय पोषण मिशन पर रिपोर्ट: नीति आयोग 101
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये पहल 103

कला एवं संस्कृति **106**

- यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क 106
- गुरु नानक जयंती 107

आंतरिक सुरक्षा **109**

- माओवाद से निपटने के लिये पाँच सूत्री योजना 109
- भारत में कट्टरता 110
- ब्रह्मोस मिसाइल का लैंड-अटैक संस्करण 112
- अमेरिका का सी-गार्जियन ड्रोन 113

चर्चा में **115**

- झारखंड का स्थापना दिवस 115
- क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल 116
- लोनार झील: रामसर साइट घोषित 116
- कोच्चि-मंगलौर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना 117
- स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 117
- पोलावरम बाँध 118
- लीलावती पुरस्कार-2020 119

नोट :

- भारत का पहला कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट 120
- अनाक्कायम लघु जलविद्युत परियोजना 120
- काकापो तोता 121
- एचआईवी रोकथाम के लिये वैश्विक रोकथाम गठबंधन 122
- गिल्लन बर्रे सिंड्रोम 123
- हरिकेन ईओटा 123
- केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट 124
- एआई सुपर कंप्यूटर 'परम सिद्धि' 124
- विलो वार्बलर 125
- छठ पूजा पर 'माई स्टाम्प' 126
- वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 127
- भारत-थाईलैंड समन्वित गश्ती 127
- ई-चालान परियोजना 128
- विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली 129
- राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 129
- होयसल मंदिर 130
- सिम्बेक्स-20 131
- चांग'ई-5 प्रोब 131
- प्लैटिपस 132
- सेंटिनल-6 उपग्रह 134
- मशरूम की नई प्रजाति 134
- कम्युनिटी कॉर्ड ब्लड बैंकिंग 135

विविध **137**

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केरल के एक पत्रकार से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने कहा कि हम अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं को हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं की भरमार है और लोग अपने मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में संबंधित उच्च न्यायालय के पास जाने की बजाय सीधे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर रहे है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को भी ऐसे मामलों में रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
- अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार): यह एक मौलिक अधिकार है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है।
  - हम कह सकते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालय की शरण ले सकता है। इसलिये डॉ. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा था कि इसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है।
  - सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिये निदेश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) रिट, परमादेश (Mandamus) रिट, प्रतिषेध (Prohibition) रिट, उत्प्रेषण (Certiorari) रिट और अधिकार पृच्छा (Qua Warranto) रिट जारी की जा सकती है।
  - संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिये किसी भी न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। इसके अलावा अन्य किसी भी स्थिति में इस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है।
  - मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार तो है किंतु यह न्यायालय का विशेषाधिकार नहीं है।
  - यह सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार इस अर्थ में है कि इसके तहत एक पीड़ित नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। हालाँकि यह सर्वोच्च न्यायालय का विशेषाधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को भी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिये रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में कहा है कि जहाँ अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के माध्यम से राहत प्रदान की जा सकती है, वहाँ पीड़ित पक्ष को सर्वप्रथम उच्च न्यायालय के समक्ष ही जाना चाहिये।
  - वर्ष 1997 में चंद्र कुमार बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि रिट जारी करने को लेकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र संविधान के मूल ढाँचे का एक हिस्सा हैं।
- इस व्यवस्था के विरुद्ध तर्क
  - अतीत में ऐसा कई बार देखा गया है जब सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के मामलों को अपने पास स्थानांतरित कर दिया था।

नोट :

- इसका सबसे ताज़ा उदाहरण हाल ही में तब देखने को मिला जब सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हेतु भूमि उपयोग से जुड़े एक मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय से स्वयं को स्थानांतरित कर दिया, जबकि याचिकाकर्ताओं ने इस तरह के हस्तांतरण की मांग नहीं की थी।
- जब मामलों का इस तरह स्थानांतरण किया जाता है तो याचिकाकर्त्ता अपील का अपना एक माध्यम खो देते हैं जो मामले को स्थानांतरण न किये जाने की स्थिति में उपलब्ध होता।

संविधान का अनुच्छेद 226

- अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा 'किसी अन्य उद्देश्य' के लिये सभी प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है।
  - यहाँ 'किसी अन्य उद्देश्य' का अर्थ किसी सामान्य कानूनी अधिकार के प्रवर्तन से है। इस प्रकार रिट को लेकर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में काफी व्यापक है।
  - जहाँ एक ओर सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय को किसी अन्य उद्देश्य के लिये भी रिट जारी करने का अधिकार है।

ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP) की पाँचवें राउंड की बोली के तहत पेश किये गए 11 तेल और गैस ब्लॉकों के लिये अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु

- ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP) के पाँचवें राउंड की बोली के तहत 465 करोड़ रुपए में कुल 11 ब्लॉकों में 19,789.04 वर्ग किमी. क्षेत्र का आवंटन किया गया।
- इस आवंटन के तहत 7 ब्लॉक ओएनजीसी लिमिटेड (ONGC Limited) को दिये गए हैं, जबकि 4 ब्लॉक ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) को दिये गए हैं।

ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP)

- भारत सरकार द्वारा ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP) की शुरुआत जून 2017 में हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (HELP) के एक हिस्से के रूप में भारत में अन्वेषण और उत्पादन (E&P) संबंधी गतिविधियों में तेज़ी लाने के उद्देश्य से की गई थी।
- एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP) के तहत कंपनियों और निवेशकों को बोली लगाने के लिये अपनी पसंद के मुताबिक तेल और गैस के अन्वेषण के लिये किसी भी ब्लॉक का चयन करने की अनुमति दी जाती है।
- इसके तहत निवेशकों को अपनी इच्छा के अनुसार, सरकार को रुचि-प्रकटन (Expression of Interest-EoI) देना होता है, जो कि एक वर्ष में कभी भी दी जा सकती है। इसके बाद सरकार द्वारा उस ब्लॉक को बोली (Bidding) में शामिल कर लिया जाता है।
- महत्त्व
  - एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP) के सफल कार्यान्वयन के बाद भारत के अन्वेषण क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है और वर्तमान में यह करीब 2,37,000 वर्ग किलोमीटर तक पहुँच गया है।
  - एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP) के कारण लालफीताशाही की समाप्ति हुई है और खोज व उत्पादन के क्षेत्र में भारत की स्थिति काफी मज़बूत हुई है।

नोट :

- चिंताएँ
  - अब तक के अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि अक्सर राज्य के स्वामित्त्व वाली कंपनियों को इस प्रक्रिया में अधिक वरीयता दी जा रही है, जिसके कारण इस क्षेत्र में निजी कंपनियों की पर्याप्त भूमिका नज़र नहीं आ रही है।
    - पाँचवें राउंड में भी सभी ब्लॉक राज्य की स्वामित्व वाली ओएनजीसी लिमिटेड (ONGC Limited) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) को दिये गए हैं।
    - हालिया राउंड में निजी निवेशकों की रुचि की कमी का सबसे मुख्य कारण सरकार की ओर से नीतिगत अस्पष्टता और कराधान तथा नियामक परिस्थिति की अनुपयुक्तता को माना जा रहा है।
  - हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के भारत के प्रयास सफल होते नहीं दिखाई दे रहे हैं।

हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (HELP)

- नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (NELP) के स्थान पर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (HELP) को मार्च 2016 में मंज़ूरी दी गई थी।
- इस नई व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं में राजस्व साझा करने का समझौता, अन्वेषण के लिये एकल लाइसेंस, परंपरागत और गैर-परंपरागत हाइड्रोकार्बन संसाधनों का उत्पादन, मार्केटिंग एवं मूल्य निर्धारित करने की आज़ादी शामिल है।
- इस नीति का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और प्रशासकीय विवेकाधिकार में कमी लाना है।

फेक न्यूज़ की गंभीर समस्या

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने टेलीविज़न न्यूज़ चैनलों पर दिखाए जा रहे कंटेंट के विरुद्ध आ रही शिकायतों और फेक न्यूज़ की गंभीर समस्या से निपटने के लिये तंत्र के बारे में केंद्र सरकार से सूचना मांगी है और साथ ही यह निर्देश भी दिया कि यदि ऐसा कोई तंत्र नहीं है तो जल्द-से-जल्द इसे विकसित किया जाए।

प्रमुख बिंदु

- सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को चेताया कि यदि वह इस प्रकार के किसी भी तंत्र को विकसित करने में विफल रहती है तो न्यायालय को मजबूरन यह कार्य किसी बाहरी संस्था को देना होगा।

  क्या है 'फेक न्यूज़'?
- सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि 'फेक न्यूज़' का अभिप्राय ऐसी खबरों और कहानियों अथवा तथ्यों से है, जिनका उपयोग जान-बूझकर पाठकों को गलत सूचना देने अथवा धोखा देने के लिये किया जाता है।
- 'फेक न्यूज़' एक विशाल वट वृक्ष के सामान है, जिसकी कई शाखाएँ और उपशाखाएँ होती हैं। इसके तहत किसी के पक्ष में प्रचार करना व झूठी खबर फैलाने जैसे कृत्य तो आते ही हैं, साथ ही किसी व्यक्ति या संस्था की छवि को नुकसान पहुँचाना या लोगों को उसके विरुद्ध झूठी खबर के ज़रिये भड़काने की कोशिश करना भी शामिल है।
- आमतौर पर ये खबरें लोगों के विचारों को प्रभावित करने और किसी एक विशिष्ट राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिये प्रसारित की जाती हैं और प्राय: इस प्रकार की झूठी खबरों के कारण उन्हें प्रकाशित करने वाले लोगों को काफी फायदा होता है।
- इतिहास
  - 'फेक न्यूज़' को आधुनिक युग की सोशल मीडिया से संबंधित कोई नई घटना नहीं माना जा सकता है, बल्कि प्राचीन यूनान में भी प्रभावशाली लोगों द्वारा अपने हित में जनमत जुटाने के लिये दुष्प्रचार और गलत सूचनाओं का उपयोग किया जाता था।

भारत में 'फेक न्यूज़'

- भारत में लगातार फैल रही झूठी खबरें और दुष्प्रचार देश के लिये एक गंभीर सामाजिक चुनौती बनती जा रही है। भारत जैसे देश में यह समस्या और भी गंभीर रूप धारण करती जा रही है तथा इसके कारण अक्सर सड़क पर दंगे और मॉब लिंचिंग की घटनाएँ देखने को मिलती हैं।

नोट :

- भारत जहाँ 75 करोड़ से भी अधिक इंटरनेट उपयोगकर्त्ता हैं, में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे- फेसबुक और व्हाट्सएप आदि 'फेक न्यूज़' प्रसारण के प्रमुख स्रोत बन गए हैं।
- भारत में ऐसे कई उदाहरण देखे जा सकते हैं, जहाँ 'फेक न्यूज़' या झूठी खबर के कारण किसी निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई हो।
- भारत में व्हाट्सएप को 'फेक न्यूज़' के लिये सबसे अधिक असुरक्षित माध्यम माना जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग करने वाले लोग अक्सर खबर की सत्यता जाने बिना उसे कई लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसके कारण एक साथ कई सारे लोगों तक गलत सूचना पहुँच जाती है।

भारत में 'फेक न्यूज़' का कारण

- पारंपरिक मीडिया की विश्वसनीयता में कमी: भारत समेत विश्व के तमाम देशों में अब पारंपरिक मीडिया और टेलीविज़न न्यूज़ चैनलों को 'समाचार और समसामयिक' के विश्वसनीय स्रोत के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि मीडिया खासतौर पर टेलीविजन न्यूज़ चैनल राजनीतिक दलों के लिये एक मंच बनकर रह गए हैं।
  - इस प्रकार मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता को पूर्णत: खो दिया है और वह 'फेक न्यूज़' का एक प्रमुख स्रोत बन गया है।
- सोशल मीडिया का उदय: डिजिटल और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के साथ दुनिया भर में फेक न्यूज़ एक बड़ी समस्या बन चुकी है। सोशल मीडिया के आगमन ने 'फेक न्यूज़' के प्रचार- प्रसार का विकेंद्रीकरण कर दिया है।
  - इंटरनेट और सोशल मीडिया की विशालता के कारण यह जानना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है कि किसी खबर की सत्यता क्या है और इस खबर का उद्भव कहाँ से हुआ है।
- समाज का ध्रुवीकरण: वैचारिक आधार पर समाज के ध्रुवीकरण ने 'फेक न्यूज़' के प्रसार को और भी आसान बना दिया है। बीते कुछ वर्षों में ऐसी झूठी खबरों, जो कि हमारे राजनीतिक अथवा वैचारिक प्रतिद्वंद्वियों का अपमान करने अथवा उन्हें बदनाम करने के उद्देश्य से प्रसारित की जाती हैं, के प्रति लोगों का आकर्षण काफी बढ़ा है।
- उपयुक्त कानून का अभाव: ध्यातव्य है कि भारत में फर्ज़ी खबरों से निपटने के लिये कोई विशेष कानून नहीं है, जिसके कारण इसके प्रसार को बढ़ावा मिलता है।
- प्राय: लोग किसी भी खबर के पीछे की सच्चाई जानने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि वे ऐसी खबरों का उपयोग अपने अनुचित एजेंडे को उचित बनाने के लिये करते हैं।

एक मज़बूत कानून की आवश्यकता

- यद्यपि नफरत से भरा कंटेंट बनाने वाले और इसे साझा करने वाले लोगों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की प्रासंगिक धाराओं के तहत सज़ा दी जा सकती है, किंतु इंटरनेट की विशालता के कारण ऐसे लोगों की पहचान करना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- सरकारी विनियमन के तहत आने वाले पारंपरिक मीडिया के विपरीत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अथवा ऑनलाइन मीडिया के क्षेत्र में आवश्यक बाध्यकारी नियमों का अभाव है, जिसके कारण 'फेक न्यूज़' के प्रसार की संभावना काफी अधिक बढ़ जाती है।
- बीते कुछ वर्षों में 'फेक न्यूज़' फैलाने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी अपनी नीति में कुछ परिवर्तन किया है, किंतु इसके बावजूद एक सार्वभौमिक नीति अथवा नियम के अभाव के कारण 'फेक न्यूज़' की समस्या से अब तक पूर्णत: निपटा नहीं जा सका है।
- इसलिये वर्तमान में इस समस्या से निपटने के लिये एक सार्वभौमिक नीति, विनियमन और दिशा-निर्देशों की कमी को तत्काल संबोधित किये जाने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- 'फेक न्यूज़' के प्रसार को रोकने के लिये कानून बनाते समय यह आवश्यक है कि एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए केवल पारंपरिक मीडिया और टेलीविज़न न्यूज़ चैनलों को ही दोष न दिया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में कोई भी व्यक्ति गलत सूचनाओं का निर्माण कर सकता है और उन्हें लाखों लोगों तक पहुँचा सकता है।
- कानून बनाने से ज़्यादा महत्त्वपूर्ण उस कानून को सही ढंग से लागू करना होता है, क्योंकि जब तक कोई कानून सही ढंग से लागू नहीं होगा तब तक उसका कोई महत्त्व नहीं होगा।
- कानून का निर्माण करने के साथ-साथ लोगों को 'फेक न्यूज़' के बारे में जागरूक करना और उन्हें शिक्षित करना भी आवश्यक है।

नोट :

मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ((Ministry of Food Processing Industries), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय , ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PM-FME Scheme) के क्षमता निर्माण घटक के लिये मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- इसके साथ ही केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा एक ज़िला-एक उत्पाद (One District One Product- ODOP) का जीआईएस (GIS) डिज़िटल मैप भी जारी किया गया।
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत मास्टर ट्रेनरों को ऑनलाइन मोड, क्लासरूम लेक्चर और ऑनलाइन पाठ्य सामग्री के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
  - चूँकि सूक्ष्म खाद्य उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये क्षमतावर्द्धन भी बहुत ज़रूरी है। इस उद्देश्य से ही खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के साथ-साथ स्व सहायता समूहों, कृषक उत्पादक संगठनों (FPO) सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों, श्रमिकों एवं अन्य हितधारकों को इस योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- चयनित उद्यमियों और समूहों को प्रशिक्षण एवं शोध सहायता प्रदान करने में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (IIFPT), राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों के समन्वय से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
- मास्टर ट्रेनर्स, ज़िला स्तरीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इसके बाद ज़िला स्तरीय प्रशिक्षक हितग्राहियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। क्षमता निर्माण के तहत दिये जाने वाले प्रशिक्षण का मूल्यांकन और प्रमाणन खाद्य उद्योग क्षमता और कौशल पहल (Food Industry Capacity and Skill Initiative-FICSI) द्वारा किया जाएगा।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PM-FME Scheme):

- PM-FME योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना है और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अतंर्गत प्रारंभ की गई है।
- इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में असंगठित रूप से कार्य कर रहे छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में एक स्वस्थ्य प्रतिस्पर्द्धा का निर्माण करना है।
- इसके साथ की इस क्षेत्र से जुड़े कृषक उत्पादक संगठनों, स्व सहायता समूहों सहकारी उत्पादकों को भी सहायता प्रदान करना है।
- इस योजना के तहत वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 के मध्य 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय, तकनीकी एवं विपणन सहयोग प्रदान करने के लिये 10 हजार करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

उद्देश्य:

- मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण का उद्देश्य इस योजना से जुड़े 8 लाख लोगों को लाभान्वित करना है।
- इसमें किसान उत्पादक संगठन के सदस्यों के साथ ही स्व-सहायता समूह, सहकारिता, अनुसूचित जनजाति समुदाय के हितग्राही शामिल हैं।
- एक ज़िला-एक उत्पाद योजना के डिज़िटल मानचित्र के माध्यम से इस योजना से जुड़े सभी हितधारकों के उत्पादों की समग्र जानकारी एक साथ प्राप्त हो सकेगी।
- इसके अलावा प्रशिक्षण एवं सहयोग से छोटे खाद्य उद्यमियों को स्थापित होने में सहायता मिलेगी और यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त कदम साबित होगा।

आगे की राह:

- भारत को स्थानीय उत्पादन, स्थानीय विपणन और स्थानीय आपूर्ति श्रंखला निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की ज़रुरत है।

नोट :

आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र

चर्चा में क्यों ?

'आयुष्मान भारत' योजना के तहत 50,000 से अधिक 'स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों' (Health and Wellness Centres- HWCs) द्वारा अपनी सेवाएँ शुरू कर दी गई हैं।

प्रमुख बिंदु:

- आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसे 'सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज' के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति'- 2017 के तहत की गई अनुशंसा के आधार पर वर्ष 2018 में पर लॉन्च किया गया था। प्रथम, आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले में झंगला (Jhangla) नामक स्थान पर लॉन्च किया गया था।
- योजना के तहत दो अंतर-संबंधित घटकों से युक्त देखभाल के दृष्टिकोण को अपनाया गया है, जो हैं-
  - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWCs)।
  - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)।

स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWCs):

HWC की टीम:

- HWC टीम में एक प्रशिक्षित 'सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी' (Community Health Officer- CHO), एक या दो स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता और 5 से 8 आशा कार्यकर्त्ता शामिल होते हैं।
- इस टीम के कार्यों को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है, जो स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक समुदाय की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान करते हैं।

उद्देश्य एवं कार्य:

- HWCs मुख्यत: लोगों को 'व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल' (Comprehensive Primary Health Care- CPHC) सेवाएँ प्रदान करने का कार्य करते हैं।
- इसके अलावा ये प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल स्वास्थ्य, किशोर और पोषण (Reproductive, Maternal, Newborn, Child Health, Adolescent+ Nutrition: RMNCHA+N) से जुड़ी सेवाएँ प्रदान करने के साथ ही संचारी रोगों के नियंत्रण संबंधी प्रयास भी करते हैं।
- वे विशेष रूप से क्रोनिक और गैर-संचारी रोगों के नियंत्रण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिये सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से लोगों में स्वास्थ्य, जीवनशैली, उचित पोषण और योग जैसी शारीरिक गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने का कार्य करते हैं।

HWCs की स्थापना में प्रगति:

- आयुष्मान भारत योजना के तहत वर्तमान में 50,000 से अधिक HWCs की स्थापना के साथ योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य का हिस्सा प्राप्त कर लिया गया है।
  - योजना के तहत दिसंबर 2022 तक 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों' की स्थापना की जानी है।
- इन HWCs में 27,890 उप स्वास्थ्य केंद्र (Sub Health Centres), 18,536 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (Primary Health Centres- PHCs) और 3,599 नगरीय 'प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल' हैं।
- इन स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े 30 लाख से अधिक सत्र आयोजित किये गए जिनमें योग, सामुदायिक वॉक, ध्यान आदि गतिविधियाँ शामिल हैं।
- HWCs स्वास्थ्य मंत्रालय के 'ई-संजीवनी' (eSanjeevani) प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाता है।
  - ई-संजीवनी डॉक्टर-टू-डॉक्टर टेली-परामर्श सुविधा है। गौरतलब है कि इसके तहत वर्ष 2022 तक 'हब एंड स्पोक' (Hub and Spoke) मॉडल का उपयोग करते हुए देश भर के सभी 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में टेली-परामर्श प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

नोट :

- 23,103 HWCs ने वर्तमान में नागरिकों को टेली-परामर्श दूर सेवाएँ प्रदान करना शुरू कर दिया है।

आयुष मंत्रालय में वित्तीय प्रबंधन और शासन सुधार:

- आयुष मंत्रालय द्वारा वित्तीय प्रबंधन और शासन सुधार की दिशा में अनेक पहलें प्रारंभ की गई हैं।
- इन पहलों में दो प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् सरकारी योजनाएँ (केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित दोनों) और मंत्रालय के स्वायत्त निकाय।
- 'राष्ट्रीय आयुष मिशन' (National Ayush Mission- NAM) के लिये 'राष्ट्रीय वित्तीय लेखा प्रबंधन प्रणाली' (National Financial Accounting Management System) की तर्ज पर एक पोर्टल विकसित किया जा रहा है।
- धन के प्रवाह की वास्तविक समय में निगरानी के लिये एक डैशबोर्ड विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है।
- इन पहलों का उद्देश्य मंत्रालय के तहत आने वाले स्वायत्त निकायों और योजनाओं के क्रियान्वयन में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली तथा लेखा प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण करना है।

निष्कर्ष:

'आयुष्मान भारत' योजना सहकारी संघवाद का एक बेहतर नमूना है। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना तथा शासन प्रणाली में सुधार की दिशा में केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रगति 'सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज' को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है।

C.B.I और राज्यों की सहमति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार की सहमति उसके अधिकार क्षेत्र में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI) द्वारा जाँच के लिये अनिवार्य है और इसके बिना सीबीआई जाँच नहीं कर सकती है। न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की एक पीठ ने कहा कि यह प्रावधान संविधान के संघीय ढाँचे के अनुरूप है।

प्रमुख बिंदु:

- पृष्ठभूमि:
  - उत्तर प्रदेश सरकार के दो अधिकारियों ने पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कहा था कि राज्य सरकार द्वारा दी गई सामान्य सहमति पर्याप्त नहीं थी और उनकी जाँच किये जाने से पहले अलग सहमति प्राप्त की जानी चाहिये थी।
    - उत्तर प्रदेश राज्य ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों की जाँच के लिये DSPE के सदस्यों की शक्तियों एवं अधिकार क्षेत्र के विस्तार के लिये एक सामान्य सहमति प्रदान की है।
    - हालाँकि राज्य सरकारों के तहत लोक सेवकों के मामले में जाँच के लिये राज्य द्वारा दी गई सामान्य सहमति के बाद भी संबंधित राज्य से पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दो लोक सेवकों के खिलाफ 'पोस्ट फैक्टो' (Post Facto) की सहमति दी थी। गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

उच्चतम न्यायालय का पक्ष:

- यह माना जाता है कि यदि राज्य ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जाँच के लिये सामान्य सहमति दी और न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया तो केस को तब तक अलग नहीं रखा सकता जब तक कि लोक सेवक यह निवेदन नहीं करते कि पक्षपात का कारण पूर्व सहमति न लेना है।
- इसके अलावा न्यायाधीशों ने कहा कि केस को तब तक अलग नहीं रखा जा सकता जब तक कि जाँच में अवैधता को न्याय की विफलता के संदर्भ में न दिखाया जा सके।

राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली 'सहमति' के प्रकार:

- सहमति दो प्रकार की होती है- एक केस-विशिष्ट सहमति और दूसरी, सामान्य सहमति। यद्यपि CBI का अधिकार क्षेत्र केवल केंद्र सरकार के विभागों और कर्मचारियों तक सीमित होता है, किंतु राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद यह एजेंसी राज्य सरकार के कर्मचारियों या हिंसक अपराध से जुड़े मामलों की जाँच भी कर सकती है।

नोट :

- दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम (DSPEA) की धारा 6 के मुताबिक, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का कोई भी सदस्य किसी भी राज्य सरकार की सहमति के बिना उस राज्य में अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं करेगा।
- जब एक सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है, तो सीबीआई को संबंधित राज्य सरकार से जाँच के लिये केस के आधार पर प्रत्येक बार सहमति लेने की आवश्यकता होती है।
- यह सीबीआई द्वारा निर्बाध जाँच में बाधा डालती है। 'सामान्य सहमति' सामान्यत: CBI को संबंधित राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करने में मदद के लिये दी जाती है, ताकि CBI की जाँच सुचारु रूप से चले सके और उसे बार-बार राज्य सरकार के समक्ष आवेदन न करना पड़े। लगभग सभी राज्यों द्वारा ऐसी सहमति दी गई है। यदि राज्यों द्वारा सहमति नहीं दी गई हो तो CBI को प्रत्येक मामले में जाँच करने से पहले राज्य सरकार से सहमति लेना आवश्यक होता है।

राज्यों द्वारा सामान्य सहमति की वापसी का मुद्दा:

- हाल ही में यह देखा गया है कि आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल आदि विभिन्न राज्यों ने केंद्र एवं राज्यों के बीच झगड़े के परिणामस्वरूप अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली है।
- सहमति की वापसी का प्रभाव: किसी भी राज्य सरकार द्वारा सामान्य सहमति को वापस लेने का अर्थ है कि अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा उस राज्य में नियुक्त किसी भी केंद्रीय कर्मचारी अथवा किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध तब तक नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, जब तक कि केंद्रीय एजेंसी को राज्य सरकार से उस मामले के संबंध में केस-विशिष्ट सहमति नहीं मिल जाती।
- इस प्रकार सहमति वापस लेने का सीधा मतलब है कि जब तक राज्य सरकार उन्हें केस-विशिष्ट सहमति नहीं दे देती, तब तक उस राज्य में CBI अधिकारियों के पास कोई शक्ति नहीं है।
- सीबीआई के पास पहले से ही दर्ज मामलों की जाँच पर इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि पुराने मामले तब दर्ज हुए थे जब सामान्य सहमति प्रदान की गई थी।

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (Delhi Special Police Establishment- DSPE Act):

- द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान वर्ष 1941 में ब्रिटिश भारत के युद्ध विभाग (Department of War) में एक विशेष पुलिस स्थापना (Special Police Establishment- SPE) का गठन किया गया था ताकि युद्ध से संबंधित खरीद मामलों में रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच की जा सके।
- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (Delhi Special Police Establishment- DSPE Act), 1946 को लागू करके भारत सरकार के विभिन्न विभागों/संभागों में भ्रष्टाचार के आरोपों के अन्वेषण हेतु एक एजेंसी के रूप में इसकी औपचारिक शुरुआत की गई।
- CBI को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 द्वारा अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त है।

निमोनिया एवं डायरिया प्रगति रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर' (International Vaccine Access Centre) द्वारा जारी 'निमोनिया एवं डायरिया प्रगति रिपोर्ट' के अनुसार, भारत ने निमोनिया और डायरिया के कारण बच्चों की मृत्यु के मामलों की रोकथाम हेतु अपने टीकाकरण कवरेज में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है।

प्रमुख बिंदु:

- रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में COVID-19 के कारण विश्व भर में स्वास्थ्य क्षेत्र पर अतिरिक्त दबाव के बावजूद भारत इस रिपोर्ट में शामिल 5 में से 3 वैक्सीन के वैश्विक लक्ष्य को 90% तक पूरा करने में सफल रहा है।

नोट :

- गौरतलब है कि इस रिपोर्ट में डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस (डीपीटी) वैक्सीन, खसरा-नियंत्रण-वैक्सीन की पहली खुराक, हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा टाइप बी, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (पीसीवी) और रोटावायरस वैक्सीन को शामिल किया जाता है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में रोटावायरस वैक्सीन के कवरेज में 18% की वृद्धि और न्यूमोकोकल निमोनिया के खिलाफ वैक्सीन कवरेज में 9% की वृद्धि देखने को मिली है।
- गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को 'विश्व निमोनिया दिवस' मनाया जाता है।

निमोनिया एवं डायरिया प्रगति रिपोर्ट:

- निमोनिया तथा डायरिया प्रगति रिपोर्ट को 'जॉन हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ़ पब्लिक हेल्थ' (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health) की संस्था इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर (International Vaccine Access Center- IVAC) द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है।

सरकार के प्रयास:

- 100 डे एजेंडा: वर्ष 2019 में भारत ने रोटावायरस वैक्सीन से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर चलाए गये अभियान को पूरा किया। वैक्सीन की पहुँच में विस्तार के चलते प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले 26 मिलियन बच्चों को रोटावायरस डायरिया के खतरे से बचाने में सहायता प्राप्त होगी।
  - गौरतलब है कि अगस्त 2019 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने सरकार के 100 दिन के एजेंडे के तहत देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बच्चों के लिये रोटावायरस वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात कही थी।
- इस रिपोर्ट में 10 संकेतकों पर निमोनिया और डायरिया से होने वाली मौतों को रोकने के लिये सरकारों के प्रयास का मूल्यांकन किया गया, इन संकेतकों में स्तनपान, टीकाकरण, एंटीबायोटिक, ओआरएस (Oral Rehydration Solution-ORS), जिंक सप्लीमेंट आदि शामिल हैं।
- इस रिपोर्ट में शामिल 15 देशों में सिर्फ 4 देश (भारत सहित) ही ऐसे थे, जो अनन्य स्तनपान (58%) के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे।
- हालाँकि इस रिपोर्ट में शामिल लगभग सभी देश निमोनिया और डायरिया का उपचार सुनिश्चित कराने की दिशा में पिछड़ते दिखाई दिये, जबकि भारत उपचार के सभी चार लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा।

कारण:

- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 के दौरान भारत में महत्त्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली थी, परंतु COVID-19 महामारी के कारण स्वास्थ्य क्षेत्र पर बढ़ रहे दबाव के कारण टीकाकरण और चिकित्सीय ऑक्सीजन की पहुँच प्रभावित हुई है।

चुनौतियाँ:

- भारत को किसी भी अन्य देश की तुलना में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में निमोनिया और डायरिया से होने वाली मौतों का अधिक भार सहना पड़ता है।
- एक अनुमान के अनुसार, भारत में निमोनिया और डायरिया के कारण प्रतिवर्ष पाँच वर्ष से कम आयु के लगभग 2,33,240 बच्चों की मृत्यु हो जाती है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में डायरिया के उपचार की कवरेज सबसे कम रही, इसके साथ ही मात्र 51% बच्चों को ओआरएस और 20% बच्चों को ही जिंक सप्लीमेंट उपलब्ध हो पाता है।
  - रिपोर्ट के अनुसार, जिंक और ओआरएस को एक साथ देने पर यह डायरिया से होने वाली मौतों को कम करने में काफी प्रभावी सिद्ध होता है।
- IVAC के एक वरिष्ठ सलाहकार के अनुसार, निमोनिया और डायरिया के कारण प्रतिवर्ष होने वाली मौतों को टीके और सरल सिद्ध उपचारों के माध्यम से रोका जा सकता है जो हमारे पास पहले से ही उपलब्ध हैं, ऐसे में COVID-19 महामारी के उपचार की खोज के बीच इन बीमारियों से निपटने के प्रयासों से ध्यान नहीं हटाया जाना चाहिये।

नोट :

COVID-19 वैक्सीन और भारत:

- हाल में बहुराष्ट्रीय दवा निर्माता कंपनी फाईज़र के साथ अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने COVID-19 के लिये अपनी-अपनी वैक्सीन के 90% से अधिक प्रभावी होने की घोषणा की है, जबकि बहुत से अन्य वैक्सीन के परीक्षण अपने अंतिम चरण में हैं।
- इन परिणामों के बाद विश्व में इस महामारी से लड़ने की एक नई उम्मीद जगी है, हालाँकि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट या भारत बायोटेक द्वारा विकसित वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण अभी व्यापक रूप से नहीं संचालित हुए हैं।
- सरकार द्वारा फाईज़र वैक्सीन की कुछ खुराक प्राप्त करने के संदर्भ में उसके प्रतिनिधियों से भी बातचीत की जा रही है।
- हालाँकि इस वैक्सीन को लगभग -70°C तापमान पर रखा जाना अनिवार्य बताया गया है, ऐसे में इस क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे का अभाव भारत के लिये एक चुनौती बन सकता है।
- इस वैक्सीन की सफलता से वैज्ञानिकों द्वारा कोरोना वायरस के स्पाइक्ड प्रोटीन को लक्षित करने की रणनीति सही सिद्ध हुई है। गौरतलब है कि अधिकांश वैक्सीन निर्माताओं द्वारा इसी पद्धति का उपयोग किया जा रहा है ऐसे में भविष्य में वैक्सीन के विकास में कई अन्य सकारात्मक परिणामों की संभावनाएँ मज़बूत हुई हैं।
- साथ ही यह भी संभव है कि इस प्रकार की तकनीक भविष्य में अन्य बीमारियों के लिये वैक्सीन निर्माण में सहायक हो सकती है।

आगे की राह:

- भारत को ऐसी तकनीकों पर पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय स्तर पर इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करने का प्रयास करना चाहिये।
- साथ ही भारत को अपनी कोल्ड चेन अवसंरचना को मज़बूत करने पर विशेष ध्यान देना होगा, जो वर्तमान में साधारण वैक्सीन के लिये ही उपयुक्त है।

भारत टीबी रिपोर्ट, 2020

चर्चा में क्यों ?

'डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' (Doctors Without Borders) नामक एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) के अनुसार, COVID-19 महामारी ने तपेदिक (Tuberculosis) से निपटने के प्रति अपनाई जाने वाली वैश्विक रणनीति को प्रभावित किया है।

प्रमुख बिंदु:

रिपोर्ट के बारे में:

- रिपोर्ट में भारत सहित 37 उच्च टीबी-बर्डन वाले देशों का डेटा प्रस्तुत किया गया है (वैश्विक अनुमानित टीबी के मामलों के 77% का प्रतिनिधित्व करते हुए)।
- रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि राष्ट्रीय नीतियाँ 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (World Health Organisation- WHO) के दिशा-निर्देशों और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के साथ किस हद तक संरेखित हैं।
- यह इस रिपोर्ट का चौथा संस्करण है, जो देशों की नीतियों और राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रमों के 4 प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित प्रथाओं पर केंद्रित हैं:
  - निदान (Diagnosis),
  - उपचार (Treatment) (देखभाल के मॉडल सहित),
  - रोकथाम (Prevention),
  - दवाओं की खरीद नीतियाँ।

रिपोर्ट संबंधी प्रमुख निष्कर्ष:

- जिन देशों में रिपोर्ट के लिये सर्वेक्षण किया गया है उन देशों में WHO की नीतियों को अपनाने और कार्यान्वयन में अनेक बाधाएँ पाई गई।
- चिकित्सा क्षेत्र में हाल ही में किये महत्त्वपूर्ण चिकित्सा नवाचारों तक बहुत कम लोगों की पहुँच सुनिश्चित हो पा रही है।
- टीबी रोग से ग्रसित तीन में से एक व्यक्ति को अभी भी अधिसूचित नहीं किया गया है और निदान की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है।

नोट :

- सर्वेक्षण में शामिल लगभग तीन में से दो देशों द्वारा अपनी नीतियों में एचआईवी (human immunodeficiency virus) से ग्रसित लोगों में टीबी की जाँच के लिये मूत्र आधारित TB lipoarabinomannan (TB LAM) परीक्षण को शामिल नहीं किया गया है।

भारत के संबंध में:

- विशेषज्ञों के अनुसार, भारत रोग प्रतिरोधक-TB (Disease Resistant-TB) के लिये नई दवाओं के उपयोग के संबंध में अभी भी बहुत ही रूढ़िवादी दृष्टिकोण (Conservative Approach) का पालन कर रहा है।
- गैर-सरकारी संगठन ने टीबी के परीक्षण, उपचार और रोकथाम में तेज़ी लाने तथा नये चिकित्सा उपकरणों तक सभी की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये सरकारों से आह्वान किया है।
- इसके अलावा डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार, COVID-19 महामारी के दौरान TB के निदान कराने वाले लोगों की संख्या में तेज़ी से गिरावट देखी गई है।
- COVID-19 महामारी के दौरान जहाँ DR-TB ड्रग्स बेडाक्विलिन (Bedaquiline) और डेलमनीड (Delamanid) के स्केलिंग नहीं करने पर भारत की आलोचना की गई है।
  - प्रीटोमोनीड (Pretomanid) DR-TB के उपचार के लिये विकसित तीसरी नई दवा है।
- मार्च 2020 तक, भारत के MDR-TB के 10% से भी कम मरीजों को बेडाक्विलिन की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाई। यह एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि दुनिया के कुल DR-TB रोगियों में से एक चौथाई भारत में है।
- भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी रोगी है। वर्ष 2018 में कुल 2.15 मिलियन टीबी मामले रिपोर्ट किये गये, जो वर्ष 2017 की तुलना में 16% अधिक है।

टीबी से लड़ने के लिये भारत की पहल:

राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम:

- टीबी पर नियंत्रण के लिये भारत सरकार ने वर्ष 1962 से राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया। इसके अंतर्गत ज़िला स्तर पर एक सुपरविज़न एवं मॉनिटरिंग इकाई के रूप में ज़िला क्षय निवारण केंद्र की स्थापना की गईं।

वर्ष 2025 तक टीबी को खत्म करना:

- भारत वर्ष 2025 तक देश से क्षय रोग (टीबी) को खत्म करने के लक्ष्य के लिये प्रतिबद्ध है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित समय सीमा (वर्ष 2030) से आगे है।

निक्षय इकोसिस्टम (The Nikshay Ecosystem):

- निक्षय इकोसिस्टम जो एक राष्ट्रीय टीबी सूचना प्रणाली है और रोगियों की जानकारी का प्रबंधन और कार्यक्रम की गतिविधियों की निगरानी के लिये वन स्टॉप सॉल्यूशन है।

निक्षय पोषण योजना (Nikshay Poshan Yojana):

- टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिये अप्रैल 2018 में निक्षय पोषण योजना, एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत टीबी रोगियों को उपचार की पूरी अवधि के लिये प्रतिमाह 500 रुपए मिलते हैं।

टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान:

- वर्ष 2019 में 'टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान' (TB Harega Desh Jeetega Campaign) की शुरुआत की गई है जो देश में टीबी के उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम है।

सक्षम परियोजना (The Saksham Project):

- टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ (Tata Institute of Social Sciences) द्वारा DR-TB रोगियों को मनो-सामाजिक परामर्श प्रदान करने के लिये सक्षम परियोजना शुरू की गई है।

नोट :

- भारत सरकार ने देश भर में एक निजी क्षेत्र के कार्यक्रम JEET (Joint Effort for Elimination of TB) को शुरू करने के लिये ग्लोबल फंड के साथ भागीदारी की है।

वैश्विक प्रयास:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने ग्लोबल फंड और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के साथ एक संयुक्त पहल "शोध. उपचार. सर्व. #EndTB" (Find. Treat. All. #EndTB") शुरू की है, जिसका उद्देश्य टीबी प्रतिक्रिया को तेज करना और देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करना है, जो डब्ल्यूएचओ के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर समग्र ड्राइव के अनुरूप है।

  WHO वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट भी जारी करता है।

आगे का रास्ता

- विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त उल्लेखनीय सफलताओं के बावजूद, शीघ्र और सटीक निदान में सुधार के लिये मज़बूत प्रयासों की आवश्यकता होती है, जिसके बाद एक त्वरित उपयुक्त उपचार होता है जो टीबी को समाप्त करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

  भारत को वैश्विक प्रयासों में सहयोग करना चाहिये जो टीबी को खत्म करने के लिये किये जा रहे हैं।

टीबी/क्षय:

- टीबी या क्षय रोग बैक्टीरिया (माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस) के कारण होता है जो फेफड़ों को सबसे अधिक प्रभावित करता है।
- टीबी एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसी, छींकने या थूकने के दौरान हवा के माध्यम से या फिर संक्रमित सतह को छूने से फैलता है।
- इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में बलगम और खून के साथ खांसी, सीने में दर्द, कमज़ोरी, वजन कम होना, तथा बुखार इत्यादि के लक्षण देखे जाते हैं।

एनपीआर और जनगणना, 2021

चर्चा में क्यों ?

भारत के रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General of India) कार्यालय के अनुसार, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register) की अनुसूची या प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन जनगणना, 2021 के पहले चरण की अपेक्षित तारीख के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

- जनगणना 2021 के पहले चरण और NPR के अपडेट को 25 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के कारण अगले आदेश तक अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दिया गया था।
- 13 से अधिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने NPR को प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens) और हालिया नागरिकता (संशोधन) अधिनियम [Citizenship (Amendment) Act, 2019] के साथ लिंक करने का विरोध किया है।

प्रमुख बिंदु

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर:

- NPR एक डेटाबेस है जिसमें देश के सभी सामान्य निवासियों की सूची होती है। इसका उद्देश्य देश में रहने वाले लोगों का एक व्यापक पहचान डेटाबेस रखना है।
  - गृह मंत्रालय के अनुसार, 'देश का सामान्य निवासी' वह है जो कम-से-कम पिछले छह महीनों से स्थानीय क्षेत्र में रहता है या अगले छह महीनों के लिये किसी विशेष स्थान पर रहने का इरादा रखता है।
- NPR को पहली बार वर्ष 2010 में एकत्र किया गया था और फिर वर्ष 2015 में अपडेट किया गया था।

नोट :

- यह जनगणना के "मकान-सूचीकरण" चरण के दौरान घर-घर की गणना के माध्यम से तैयार किया जाता है, जिसे 10 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है।
  - आखिरी जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी और अगली जनगणना वर्ष 2021 के लिये निर्धारित की गई थी।

NPR बनाम जनगणना:

उद्देश्य:

- जनगणना के दौरान जनगणनाकर्मियों द्वारा लोगों से उनका नाम, लिंग, जन्मतिथि, उम्र, वैवाहिक स्थिति, धर्म, मातृभाषा, साक्षरता आदि जैसे मूलभूत प्रश्न पूछे जाते हैं।
- दूसरी ओर NPR बुनियादी जनसांख्यिकीय डेटा और बॉयोमीट्रिक विवरण एकत्र करता है।

कानूनी आधार:

- जनगणना कानूनी रूप से जनगणना अधिनियम, 1948 द्वारा समर्थित है।
- NPR नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत बनाए गये नियमों के एक समूह में उल्लिखित एक तंत्र है।

NPR और NRC:

- NPR नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र निर्गमन) नियम, 2003 के प्रावधानों के तहत तैयार किया जा रहा है।
  - भारत के प्रत्येक "सामान्य निवासी" के लिये NPR में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
  - भारत का रजिस्ट्रार जनरल "राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण" के रूप में कार्य करेगा।
  - रजिस्ट्रार जनरल देश के जनगणना आयुक्त भी होते हैं।
- निवासियों की एक सूची तैयार होने के बाद उस सूची से नागरिकों के सत्यापन के लिये एक राष्ट्रव्यापी NRC को शुरू किया जा सकता है।
- हाल ही में, असम के लिये NRC तैयार किया गया था।

चिंताएं:

- पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने नये NPR में पूछे जाने वाले अतिरिक्त प्रश्नों पर आपत्ति जताई है, जैसे "पिता और माता के जन्म की तारीख और निवास स्थान और मातृभाषा का अंतिम स्थान"।
- ऐसी आशंकाएँ हैं कि CAA, 2019 जिसके बाद देशव्यापी NRC होगा, प्रस्तावित नागरिकों के रजिस्टर से बाहर किए गये गैर-मुस्लिमों को लाभान्वित करेगा, जबकि बहिष्कृत मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी।
  - CAA, 2019 पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से छह समुदायों को धर्म के आधार पर नागरिकता की अनुमति देता है जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।
  - यह छह समुदाय हैं: हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई।

सरकार का रुख:

- सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि CAA और NRC जुड़े हुए हैं।
- गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने इस वर्ष की शुरुआत में एक संसदीय पैनल को सूचित किया कि NPR को नए जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण अद्यतन करने की आवश्यकता थी और आधार व्यक्तिगत डेटा है जबकि NPR में परिवार के अनुसार डेटा है।
- MHA ने पैनल को सूचित किया कि वह NPR में "माता-पिता की जन्म तिथि और जन्म स्थान" जैसे अतिरिक्त प्रश्नों पर विवरण एकत्र करने का प्रस्ताव करता है।

नोट :

स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें

चर्चा में क्यों ?

15वें वित्त आयोग ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिये सार्वजनिक खर्च को लेकर पुन: प्राथमिकता निर्धारित करने की सिफारिश की है।

- 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-26 के लिये राज्यों के साथ कर राजस्व साझा करने के संबंध में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है।
- वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अलग-अलग क्षेत्रों में राज्यों द्वारा किये गए सुधार के संदर्भ में प्रदर्शन प्रोत्साहन दिये जाने की भी सिफारिश की है।

प्रमुख बिंदु

15वें वित्त आयोग की सिफारिशें

- वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे में सुधार करने और वर्ष 2024 तक स्वास्थ्य क्षेत्र पर सार्वजनिक व्यय को GDP के 2.5 प्रतिशत (वर्तमान में 0.95 प्रतिशत) तक बढ़ाने के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है।
  - सिफारिशों के अनुसार, जहाँ एक ओर सार्वजनिक व्यय के माध्यम से पंचायत और नगरपालिका स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये, वहीं विशेष स्वास्थ्य सेवाओं के लिये निजी क्षेत्र को अवसर दिया जाना चाहिये।
  - ध्यातव्य है कि वर्तमान में सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर कुल GDP का लगभग 0.95 प्रतिशत हिस्सा खर्च किया जाता है, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत निर्धारित लक्ष्य के संबंध में पर्याप्त नहीं है।
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में जन स्वास्थ्य व्यय को समयबद्ध ढंग से GDP के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहित करने के लिये समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे में सुधार करने के लिये सरकार को निजी क्षेत्र के साथ मज़बूत संबंध स्थापित करने चाहिये और केवल आपातकाल की स्थिति में ही निजी क्षेत्र का सहारा नहीं लेना चाहिये, बल्कि उसे अन्य अवसर भी दिये जाने चाहिये।
  - निजी क्षेत्र और सरकार के बीच मौजूद विश्वास की कमी के मुद्दे को जल्द-से-जल्द संबोधित किया जाना चाहिये।
- ज़िला अस्पताल, सहायक-चिकित्साकर्मियों अथवा पैरामेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी को पूरा करने के साथ-साथ रोज़गार में भी बढ़ोतरी की जा सकेगी।
- 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह ने स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रशासन में बड़े बदलाव करने हेतु चिकित्सा अधिकारियों के लिये एक अलग संवर्ग/कैडर बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है, जैसा कि अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 में उल्लेख किया गया है।
  - स्वास्थ्य क्षेत्र के भीतर मौजूद समस्याओं को संबोधित करने के लिये अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा के गठन की मांग लंबे समय से की जा रही है।
- सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के कार्य करने की स्थिति में पर्याप्त सुधार किये जाने की आवश्यकता है, ज्ञात हो कि इनमें से कई डॉक्टर राज्य सरकारों द्वारा किये गए अनुबंध के आधार पर कार्य कर रहे हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित मुद्दे

- वर्ष 2017 में कुल GDP के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र पर भारत का सार्वजनिक व्यय मात्र 1 प्रतिशत था। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के आँकड़ों के अनुसार, स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के मामले में भारत 186 देशों की सूची में 165वें स्थान पर है।
- स्वास्थ्य सेवाओं की विषम उपलब्धता भी भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे अल्प-विकसित एवं गरीब राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाएँ तुलनात्मक रूप से काफी खराब हैं, जबकि अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों के साथ यह स्थिति नहीं है।

नोट :

- स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और गुणवत्ता के संदर्भ में वर्ष 2018 में लैंसेट द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में भारत को 195 देशों की सूची में 145वें स्थान पर रखा गया था। इस मामले में भारत का स्थान चीन (48वाँ स्थान), श्रीलंका (71वाँ स्थान), भूटान (134वाँ स्थान) और बांग्लादेश (132वाँ स्थान) जैसे देशों से भी नीचे है।
- कम वेतन और रोज़गार की असुरक्षा के कारण भारत में प्रशिक्षित महामारीविदों (Epidemiologists) की काफी कमी है, जो कि भारत की भारत की स्वास्थ्य प्रणाली से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।
  - प्रति 0.2 मिलियन जनसंख्या पर एक महामारीविद का होना अनिवार्य है।
    - "महामारीविद वह व्यक्ति होता है जो कांटैक्ट ट्रेसिंग, कंटेनमेंट ज़ोन को चिह्नित करने और संदिग्ध मामलों को आइसोलेट करने की प्रकिया का मार्गदर्शन करने तथा उसकी निगरानी करने से संबंधित कार्य करता है।"
- कुल GDP के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर भारत का कुल व्यय विगत तीन दशकों से 0.7 प्रतिशत पर स्थिर बना हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान और विकास (R&D) के लिये किये जाने वाले कुल व्यय में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 51.8 प्रतिशत है।
  - वहीं अमेरिका द्वारा R&D पर कुल GDP का 2.8 प्रतिशत, चीन द्वारा 2.1 प्रतिशत, कोरिया द्वारा 4.4 प्रतिशत और जर्मनी द्वारा लगभग 3 प्रतिशत खर्च किया जाता है। इन देशों में R&D पर किये जाने वाले व्यय में निजी क्षेत्र का वर्चस्व है।

सरकार द्वारा किये गए प्रयास

- हाल ही में सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और अपशिष्ट उपचार जैसे क्षेत्रों से संबंधित बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहित करने के लिये 'व्यवहार्यता अंतराल अनुदान' (VGF) योजना के विस्तार को मंज़ूरी दी है।
- कई सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं का पहले से कार्यान्वयन किया जा रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने वेंटिलेटर्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये कई वेंटिलेटर विकसित किये हैं।
- ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं जहाँ सार्वजनिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं और IIT जैसे सार्वजनिक संस्थानों ने निजी कंपनियों के साथ मिलकर घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति एवं वैश्विक आपूर्ति शृंखला में आए व्यवधानों से निपटने के लिये परीक्षण किट, मास्क, सैनिटाइज़र, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) किट आदि का उत्पादन किया है।
- सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हेतु कई महत्त्वपूर्ण प्रयास किये हैं, जिनमें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत आदि शामिल हैं।
- भारत में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों के साथ कुल 17 ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा (GHSA) परियोजनाओं की शुरुआत की गई है।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन के इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन (IHR) पर आधारित ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा (GHSA) की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी तथा इसका प्राथमिक उद्देश्य संक्रामक रोगों को रोकना, उनका पता लगाना और उनसे निपटने के लिये सदस्य देशों में क्षमता निर्माण करना है।
  - किसी भी संक्रामक रोग की निगरानी और प्रकोप की जाँच के लिये स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं का क्षमता-निर्माण ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा (GHSA) के एक्शन पैकेज के तहत एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान (NIHFW) भी GHSA के तहत कार्यबल विकास के लिये उत्तरदायी संस्थानों में से एक है, जिसने इस संबंध में एक परियोजना भी लागू की है।

43 मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार ने शॉपिंग वेबसाइट अलीएक्सप्रेस (AliExpress) समेत 43 नए मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें अधिकतर एप्स का संबंध चीन से है।

नोट :

- इसके अलावा सरकार पहले से ही कुल 177 एप्स को प्रतिबंधित कर चुकी है।

प्रमुख बिंदु

- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT अधिनियम), 2000 की धारा 69A के तहत इन मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध लगाया है।
  - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A को वर्ष 2008 में अधिनियम में संशोधन द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
    - अधिनियम की यह धारा केंद्र सरकार को किसी वेबसाइट या मोबाइल एप पर उपलब्ध किसी सूचना को अवरुद्ध करने की शक्ति प्रदान करती है।
    - अधिनियम की धारा 69A के अनुसार, यदि कोई वेबसाइट अथवा एप भारत की रक्षा, उसकी संप्रभुता और अखंडता, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा सार्वजनिक व्यवस्था के प्रति खतरा उत्पन्न करता है तो भारत सरकार नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए उन पर प्रतिबंध लगा सकती है।
  - इस अधिनियम के तहत किसी वेबसाइट और एप को प्रतिबंधित करने की विस्तृत प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना के उपयोग को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय) नियम 2009 में सूचीबद्ध की गई है।

एप प्रतिबंध का कारण

- यह कार्यवाही उस इनपुट के आधार पर की गई है, जिसके मुताबिक ये एप्स ऐसी गतिविधियों में संलग्न थे, जो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिये नुकसानदायक हैं।
- सरकार को विभिन्न स्रोतों से एंड्रॉयड तथा आईओएस (iOS) प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल एप्लिकेशन के दुरुपयोग और उपयोगकर्त्ताओं के डेटा को चोरी करने तथा उसे अनधिकृत तरीके से भारत के बाहर स्थित किसी अन्य सर्वर पर भेजने की शिकायतें मिल रही थीं।
- गृह मंत्रालय के अधिक भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने भी एप्स के दुरुपयोग के विरुद्ध एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

इस प्रतिबंध के निहितार्थ

- भारत और चीन के मध्य सीमा पर जारी तनाव के बीच इन एप्स पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय, भारत की ओर से स्पष्ट संदेश है कि वह अब चीन की 'निबल एंड निगोशिएट पॉलिसी' (Nibble and Negotiate Policy) का शिकार नहीं होगा तथा दोनों देशों के बीच मौजूद तनाव को लेकर चल रही वार्ता की शर्तों को नवीनीकृत करेगा।
- यह प्रतिबंध, 21वीं सदी में डिजिटल महाशक्ति बनने के लिये चीन के सबसे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों में से एक को प्रभावित कर सकता है।
- यह प्रतिबंध भारतीय उद्यमियों को बाज़ार में नए अवसर प्रदान करेगा और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को सफल बनाने की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है।
  - ज्ञात हो कि शुरुआत में एप्स प्रतिबंधित करने के बाद सरकार ने भारतीय एप्लीकेशन डेवलपर्स और इनोवेटर्स को प्रोत्साहित करने के लिये 'डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर एप इनोवेशन चैलेंज' लॉन्च किया था।

आगे की राह

- आज संपूर्ण विश्व यह मानता है कि आर्थिक विकास का अगला स्रोत डिजिटल अर्थव्यवस्था में निहित है और जो भी देश अपने इलेक्ट्रॉनिक आधारभूत ढाँचे का निर्माण करेगा, उसे दीर्घकाल में अन्य देशों की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त होगा।
- अत: यह आवश्यक है कि भारत द्वारा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्वदेशीकरण, अनुसंधान और विकास पर बल दिया जाए और डेटा संप्रभुता की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिये एक नियामक ढाँचा तैयार किया जाए।

नोट :

ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास के विरुद्ध प्रदर्शन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, उत्तरी त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में ब्रू आदिवासियों के लिये प्रस्तावित पुनर्वास को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन देखे गए।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

- ब्रू समुदाय भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक जनजातीय समूह है, जो कि मुख्य तौर पर त्रिपुरा, मिज़ोरम और असम में निवास करते हैं। इस जनजातीय समूह को त्रिपुरा में, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTGs) के रूप में मान्यता दी गई है।
  - ब्रू समुदाय स्वयं को म्याँमार के शान प्रांत का मूल निवासी मानता है, इस समुदाय के लोग सदियों पहले म्याँमार से आकर भारत में बस गए थे।
- यद्यपि मिज़ोरम में इस जनजातीय समूह के लोगों को संख्या काफी अधिक है, किंतु वहाँ एक वर्ग विशेष इस जनजातीय समूह को राज्य के निवासी के रूप में स्वीकार नहीं करता है और अक्सर इस धारणा के कारण ब्रू समुदाय के लोगों को लक्षित किया जाता है।
- वर्ष 1997 में हिंसक जातीय झड़पों के बाद ब्रू समुदाय के लगभग 37,000 लोग मिज़ोरम के मामित कोलासिब और लुंगलेई ज़िलों से भागकर त्रिपुरा आ गए थे और उन्हें त्रिपुरा के राहत शिविरों में रखा गया था।
- तब से आठ चरणों में लगभग 5,000 लोग मिज़ोरम लौट गए हैं, जबकि तकरीबन 32,000 लोग अब भी उत्तरी त्रिपुरा के राहत शिविरों में निवास कर रहे हैं।
- 16 जनवरी, 2020 को केंद्र सरकार, त्रिपुरा तथा मिज़ोरम की राज्य सरकारों व ब्रू समुदाय के प्रतिनिधियों के मध्य ब्रू शरणार्थियों से जुड़ा एक चतुर्पक्षीय समझौता हुआ था।

वर्ष 2020 का चतुर्पक्षीय समझौता

- इस समझौते में लगभग 32 हज़ार ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में ही बसाए जाने की बात की गई थी, साथ ही इस समझौते में ब्रू शरणार्थियों को सीधे सरकारी तंत्र से जोड़कर राशन, यातायात, शिक्षा आदि की सुविधा प्रदान कर उनके पुनर्वास में सहायता करने का प्रावधान भी किया गया था।
- जनवरी 2020 में हुए चतुर्पक्षीय समझौते के बाद त्रिपुरा में 300 परिवारों के साथ छह ज़िलों में 12 पुनर्वास स्थलों की योजना बनाई गई है।
- केंद्र सरकार ने इस कार्य के लिये 600 करोड़ रूपए के वित्तपोषण के साथ एक विशेष विकास परियोजना की भी घोषणा की है।
- समझौते के तहत विस्थापित परिवारों को 0.03 एकड़ का आवासीय प्लॉट दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक विस्थापित परिवार को घर बनाने के लिये 1.5 लाख रुपए की नकद सहायता भी जाएगी। साथ ही ब्रू परिवारों को जीविका के लिये 4 लाख रूपए की एकमुश्त नकद राशि तथा दो वर्षों तक प्रतिमाह 5 हज़ार रुपए और नि:शुल्क राशन भी प्रदान किया जाएगा।

विरोध का कारण

- वर्ष 2020 में हुए चतुर्पक्षीय समझौते के कारण त्रिपुरा के बंगाली और मिज़ो समुदाय के लोगों के बीच असंतोष उत्पन्न हो गया, जिससे राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।
- इस समझौते का विरोध करने वाले समूहों का दावा है कि उत्तरी त्रिपुरा ज़िले में स्थायी रूप से हज़ारों ब्रू शरणार्थियों को बसाने से इस क्षेत्र में जनसांख्यिकीय असंतुलन, स्थानीय संसाधनों पर अत्यधिक दबाव और कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याएँ पैदा हो जाएंगी।
- इस क्षेत्र में रहने वाले बंगाली और मिज़ो समुदाय के लोगों का आरोप है कि उत्तरी त्रिपुरा के कंचनपुर के आसपास के क्षेत्रों में 650 बंगाली परिवार और जम्पुई हिल (Jampui Hill) रेंज के आसपास के क्षेत्रों से लगभग 81 मिज़ो परिवार, ब्रू समुदाय के अत्याचारों के कारण किसी अन्य स्थान पर चले गए थे, उन्हें अभी तक दो दशक बाद भी बसाया नहीं गया है।

ब्रू जनजाति की स्थिति

- ब्रू जनजाति के पुनर्वास की योजना को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के कारण समुदाय के लोगों में एक डर और अनिश्चितता है, क्योंकि इन विरोध प्रदर्शनों के कारण समुदाय के लोगों को सामाजिक-आर्थिक स्तर पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

नोट :

- इस माह ब्रू शरणार्थियों को राहत पैकेज के तहत निर्धारित खाद्यान्न भी प्राप्त नहीं हुआ है और यदि भविष्य में भी ये विरोध प्रदान जारी रहते हैं तो उन लोगों के लिये परिस्थितियाँ और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं।

कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर हेतु अवसंरचना निर्माण के लिये योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की अवसंरचना की निर्माण योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार के लिये एक अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति बैठक में हिस्सा लिया।

प्रमुख बिंदु:

- अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति ने मेघालय, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, राज्यों में 234.68 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ 7 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों को मंज़ूरी दी है, जिसमें 60.87 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता भी शामिल है।
- इन परियोजनाओं के माध्यम से 173.81 करोड़ रुपए के निजी निवेश को आकर्षित किया सकेगा तथा इससे 7750 व्यक्तियों के लिये रोज़गार उत्पन्न होने की संभावना है।
- कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की अवसंरचना की निर्माण योजना:
  - देशभर में कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिये मई 2017 में PMKSY के तहत इस योजना को मंज़ूरी दी गई थी।
  - उद्देश्य: उत्पादकों/किसानों के समूह को प्रसंस्करणकर्त्ताओं और बाज़ार से जोड़कर क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु उद्यमियों के एक समूह को प्रोत्साहित करने के लिये आधुनिक बुनियादी ढाँचा और सामान्य सुविधाओं का विकास करना।
    - ये क्लस्टर अधिशेष उपज के अपव्यय को कम करने और बागवानी/कृषि उपज के मूल्य को जोड़ने में मदद करेंगे जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि होगी तथा स्थानीय स्तर पर रोज़गार का सृजन होगा।
  - इस योजना के तहत, प्रत्येक APC के दो बुनियादी घटक हैं:
    - बुनियादी समर्थकारी अवसंरचना जैसे सड़क, जल की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, जल निकासी, आदि।
    - कोर.प्रमुख अवसंरचना/सामान्य सुविधाएँ जैसे वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, टेट्रा पैक, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग इत्यादि।
  - सेट-अप के लिये आवश्यकताएँ:
    - 25 करोड़ रुपए के न्यूनतम निवेश के साथ कम-से-कम 5 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ तथा न्यूनतम 50 वर्षों के लिये 10 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY)

- वर्ष 2016 में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries- MoFPI) ने कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर (SAMPADA) के विकास के लिये एक व्यापक योजना शुरू की, जिसे 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ वर्ष 2016-20 की अवधि के लिये लागू किया जाना प्रस्तावित था।
- वर्ष 2017 में इसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के रूप में पुन: नामित किया गया।
- यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना (Central Sector Scheme) है।

उद्देश्य

- खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण क्षमताओं का निर्माण
- मूल्य संवर्द्धन
- खाद्यान अपव्यय में कमी के लिये प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाना
- मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण एवं विस्तार करना है।

नोट :

योजना की सात घटक योजनाएँ

- मेगा फूड पार्क
- एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्द्धन अवसंरचना
- कृषि-प्रसंस्करण समूहों (Agro-Processing Clusters) के लिये बुनियादी ढाँचा
- बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण
- खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता का निर्माण / विस्तार
- खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना
- मानव संसाधन और संस्थान

PMKSY के तहत, अनुदान की सहायता के रूप में पूंजीगत सब्सिडी, पात्र परियोजना लागत के 35% से 75% तक अधिकतम निर्दिष्ट सीमा के अधीन है, जो निवेशकों को बुनियादी ढाँचे, लॉजिस्टिक परियोजनाओं और देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिये विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान की जाती है।

एक राष्ट्र, एक चुनाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस (26 नवंबर) के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केवड़िया (गुजरात) में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (All India Presiding Officers Conference) के समापन सत्र को संबोधित किया है।

प्रमुख बिंदु:

- इस अवसर पर उन्होंने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव', सभी चुनावों के लिये एक एकल मतदाता सूची के वक्तव्य को दुहराया और साथ ही पीठासीन अधिकारियों से कहा कि वे कानूनी किताबों की भाषा को सरल बनायें और निरर्थक कानूनों को खत्म करने के लिये एक आसान प्रक्रिया का सुझाव दें।
- उन्होंने सुरक्षा बलों को भी श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद से लड़ने के भारत के प्रयासों की सराहना की। यह दिन (26 नवंबर) 12 वर्ष पहले मुंबई में हुए आतंकी हमले के रूप में चिन्हित किया गया है।

एक राष्ट्र-एक चुनाव:

- 'एक राष्ट्र-एक चुनाव'- यह विचार भारतीय चुनावी चक्र को एक तरीके से संरचित करने को संदर्भित करता है ताकि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ एक ही समय पर कराया जाए जिससे दोनों का चुनाव एक निश्चित समय के भीतर हो सके।

लाभ:

- इससे मतदान में होने वाले खर्च, राजनीतिक पार्टियों के खर्च आदि पर नज़र रखने में मदद मिलेगी और जनता के पैसे को भी बचाया जा सकता है।
- प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर बढ़ते बोझ को भी कम किया जा सकता है।
- सरकारी नीतियों को समय पर लागू करने में मदद मिलेगी और यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रशासनिक मशीनरी चुनावी मोड के बजाय विकास संबंधी गतिविधियों में लगी हुई है।
- शासनकर्त्ताओं की ओर से शासन संबंधी समस्याओं का समाधान समय पर किया जाएगा। आम तौर पर यह देखा जाता है कि किसी विशेष विधानसभा चुनाव में अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिये, सत्तारूढ़ राजनेता कठोर दीर्घकालिक निर्णय लेने से बचते हैं जो अंततः देश को दीर्घकालिक लाभ पहुँचा सकता है।
- पाँच वर्ष में एक बार चुनावी तैयारी के लिये सभी हितधारकों यानी राजनीतिक दलों, भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI), अर्द्धसैनिक बलों, नागरिकों को अधिक समय मिल सकेगा।

नोट :

चुनौतियाँ:

- भारत की संसदीय प्रणाली की प्रथाओं एवं परंपराओं पर विचार करते हुए एक साथ चुनाव कराना एक बड़ी समस्या है। उल्लेखनीय है कि सरकार निचले सदन के प्रति जवाबदेह है और यह संभव है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले गिर जाए और जिस क्षण सरकार गिरती है वहाँ चुनाव होना आवश्यक है।
- सभी राजनीतिक दलों को इस विचार (एक राष्ट्र-एक चुनाव) पर विश्वास दिलाना और उनको एक साथ लाना मुश्किल है।
- एक साथ चुनाव कराने के लिये, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPATs) की आवश्यकताएँ दोगुनी हो जाएगी क्योंकि ECI को दो सेट (एक विधान सभा के लिये और दूसरा लोकसभा के लिये) प्रदान करने होंगे।
- मतदान के लिये और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता भी होगी।

सुझाव:

- भारत में वर्ष 1951-52 से वर्ष 1967 तक विधानसभा के साथ-साथ लोकसभा के लिये भी चुनाव हुए थे। इसलिये इस विचार (एक राष्ट्र-एक चुनाव) की पर्याप्तता एवं प्रभावकारिता पर कोई असहमति नहीं होनी चाहिये। यहाँ तक कि भारत एक साथ स्थानीय निकायों के लिये भी चुनाव कराने के बारे में सोच सकता है।
- राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल के साथ जोड़ने के लिये, राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को घटाया जा सकता है और उसके अनुसार उनमें वृद्धि भी की जा सकती है। हालाँकि ऐसा करने के लिये, अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है।
- अमेरिका जैसे देश में जहाँ की कार्यपालिका सदन के प्रति जवाबदेह नहीं होती जबकि भारत में कार्यपालिका निम्न सदन के प्रति जवाबदेह होती है। यदि भारत के संविधान में संशोधन कर सरकार के संसदीय स्वरूप को बदलकर 'प्रेसीडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट' किया जाता है तो इस समस्या का समाधान मुमकिन हो सकता है।
- ऐसी परिस्थितियों में भारत में केवल लोकसभा और राज्यसभा चुनाव ही एक साथ हो सकते हैं।

एकल मतदाता सूची (One Voter List):

- लोकसभा, विधानसभा और अन्य चुनावों के लिए केवल एक मतदाता सूची का उपयोग किया जाना चाहिये।

लाभ:

- अलग-अलग संस्थाओं द्वारा तैयार की जाने वाली अलग-अलग मतदाता सूचियों के निर्माण में काफी अधिक दोहराव होता है, जिससे मानवीय प्रयास और व्यय भी दोगुने हो जाते हैं, जबकि एक मतदाता सूची के माध्यम से इसे कम किया जा सकता है।

चुनौती:

- राज्य सरकारों को अपने कानूनों को संशोधित करने और नगरपालिका व पंचायत चुनावों के लिये ECI मतदाता सूची को अपनाने के लिये राजी कर पाना कठिन है।
- बड़े पैमाने पर आम सहमति की आवश्यकता होगी।

सुझाव:

- राज्यों को चुनाव आयोग की एकल मतदाता सूची अपनाने का विकल्प दिया जाए।
- चुनाव आयोग की मतदाता सूची में राज्य निर्वाचन आयोग के वार्डों की सूची स्थापित करना एक कठिन कार्य है लेकिन प्रौद्योगिकी के उपयोग से इसे आसानी से किया जा सकता है।

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (All India Presiding Officers Conference):

- इस सम्मेलन की शुरुआत वर्ष 1921 में हुई थी और इस वर्ष इसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है।
- वर्ष 2020 के लिये थीम: 'विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण समन्वय: एक जीवंत लोकतंत्र की कुंजी है'। (Harmonious Coordination between Legislature, Executive and Judiciary: Key to a Vibrant Democracy')

नोट :

- यह राज्य के सभी तीन स्तंभों (विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका) के बीच समन्वय की आवश्यकता पर ज़ोर देता है अर्थात् उन्हें संविधान द्वारा निर्देशित होने का सुझाव देते हैं जो सदाचार के लिये अपनी भूमिका का उल्लेख करता है।

आगे की राह:

- भारत में चुनाव प्रत्येक समय में अलग-अलग स्थानों पर होते रहते हैं और यह विकास कार्यों को बाधित करता है। इसलिये प्रत्येक कुछ महीनों में विकास कार्यों पर आदर्श आचार संहिता के प्रभाव को रोकने के लिये 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' के विचार पर गहन अध्ययन एवं विचार-विमर्श होना आवश्यक है।
- इस बात पर सर्वसम्मति बनाने की ज़रूरत है कि क्या देश को एक राष्ट्र, एक चुनाव की आवश्यकता है या नहीं। सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर बहस करने के लिये कम-से-कम एक साथ आना चाहिये, एक बार बहस शुरू होने के बाद जनता की राय को ध्यान में रखा जा सकता है। भारत एक परिपक्व लोकतंत्र होने के नाते, बहस के परिणाम का पालन कर सकता है।

राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के राष्ट्रपति ने अपने पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को क्षमा करने के लिये संविधान के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है।

प्रमुख बिंदु:

- संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के विपरीत भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करना होता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति:

- संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को संघीय अपराधों से संबंधित अपराधों को क्षमा करने या सजा की प्रकृति को बदलने का संवैधानिक अधिकार है।
  - क्षमादान एक व्यापक कार्यकारी और विवेकाधीन शक्ति है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति के लिये जवाबदेह नहीं है, और अपने आदेश के कारण बताने के लिये बाध्य नहीं है। परंतु इसकी कुछ सीमाएँ हैं।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि ये शक्तियाँ असीमित हैं और इन्हें कॉन्ग्रेस (विधायिका) द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।
- सीमाएँ:
  - महाभियोग के मामलों को छोड़कर, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास अमेरिका के खिलाफ किये गए अपराधों के लिये दंडविराम और क्षमा करने की शक्ति होगी।
  - इसके अलावा, ये शक्तियाँ केवल संघीय अपराधों पर लागू होती है, राज्य के खिलाफ अपराधों पर नहीं।
  - ऐसे लोग जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा माफ कर दिया गया है, वे व्यक्तिगत रूप से राज्यों के कानूनों के तहत भी कोशिश कर सकते हैं।

भारत में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति:

- संविधान के अनुच्छेद-72 के तहत, राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिये दोषी करार दिये गए हों।
  - संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के संदर्भ में दिये गए दंड में,
  - सैन्य न्यायालय द्वारा दिये गए दंड में और,
  - यदि दंड का स्वरुप मृत्युदंड हो।

नोट :

- सीमाएँ:
  - राष्ट्रपति क्षमादान की अपनी शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना नहीं कर सकते।
  - सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने कई मामलों में निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति को दया याचिका का फैसला करते हुए मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्रवाई करनी है। इनमें वर्ष 1980 में मारूराम बनाम भारत संघ, और वर्ष 1994 में धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले शामिल हैं।
- प्रक्रिया:
  - राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका को मंत्रिमंडल की सलाह लेने के लिये गृह मंत्रालय के समक्ष भिजवाया जाता है।
  - मंत्रालय याचिका को संबंधित राज्य सरकार को भेजता है, जिसके उत्तर मिलने के के बाद मंत्रिपरिषद अपनी सलाह देती है।
- पुनर्विचार:
  - यद्यपि राष्ट्रपति पर मंत्रिमंडल की सलाह बाध्यकारी होती है, अनुच्छेद 74 (1) उन्हें मंत्रिमंडल के पुनर्विचार हेतु इसे वापस करने का अधिकार देता है। यदि मंत्रिमंडल किसी भी बदलाव के बिना इसे राष्ट्रपति को भेजता है तो राष्ट्रपति के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है।
- संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों के मध्य अंतर:

- सैन्य मामले: राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकते हैं परंतु राज्यपाल नहीं।
  - मृत्युदंड: राष्ट्रपति मृत्युदंड से संबंधित सभी मामलों में क्षमादान दे सकते हैं परंतु राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति मृत्युदंड के मामलों तक विस्तारित नहीं है।
  - अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक है जो निम्नलिखित दो तरीकों से भिन्न है:

शब्दावली:

- क्षमा (Pardon)- इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सजा दंड, दंडादेशों एवं निर्हर्ताओं से पूर्णत: मुक्त कर दिया जाता है।
- लघुकरण (Commutation)- इसका अर्थ है कि सज़ा की प्रकृति को बदलना जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना।
- परिहार (Remission) - सज़ा की अवधि को बदलना जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना।
- विराम (Respite) - विशेष परिस्थितियों की वजह से सज़ा को कम करना। जैसे- शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण।
- प्रविलंबन (Reprieve) - किसी दंड को कुछ समय के लिये टालने की प्रक्रिया। जैसे- फाँसी को कुछ समय के लिये टालना।

सुपर-स्पेशलिटी मेडिकल पाठ्यक्रमों में आरक्षण: सर्वोच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों द्वारा सरकारी कॉलेजों में वर्ष 2020-21 के लिये सुपर-स्पेशलिटी मेडिकल पाठ्यक्रमों (Doctorate of Medicine/DM and Master of Chirurgiae/M. Ch.) में दिये जा रहे 50% इन-सर्विस आरक्षण पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है।

प्रमुख बिंदु

- अगस्त 2020 में, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को इन-सर्विस डॉक्टरों को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) स्नातकोत्तर (PG) डिग्री पाठ्यक्रमों में सीटों के आरक्षण का लाभ प्रदान करने की अनुमति दी।

नोट :

- निर्णय में कहा गया कि राज्य को सूची-III की प्रविष्टि 25 के तहत स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिये प्रवेश का एक अलग स्रोत प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है।
  - सूची-III की प्रविष्टि संख्या 25: शिक्षा (तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालयों सहित) संबंधी प्रावधान प्रविष्टि संख्या 63, 64, 65 के विषय हैं।
    - संविधान संघ और राज्यों के बीच विधायी विषयों को सातवीं अनुसूची के तहत तीन स्तरों पर विभाजित करता है, जो सूची-I (संघ सूची), सूची-II (राज्य सूची) और सूची-III (समवर्ती सूची) में वर्णित हैं।
- नवंबर 2020 में, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 50% सुपर-स्पेशियलिटी सीटों के लिये राज्य के इन-सर्विस उम्मीदवारों की काउंसलिंग कर इसे भरने की अनुमति दी।
  - ये सीटें उन उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगी जो NEET- सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम (SS) में सफल हुए हों। इसके लिये चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की चयन समिति मेरिट सूची तैयार करेगी और काउंसलिंग आयोजित करेगी।
  - राज्य सरकार ने यह तर्क दिया है कि चिकित्सा शिक्षा और व्यवहार में सुपर-स्पेशलाइज़्ड योग्य डॉक्टरों की अत्यंत आवश्यकता थी।
  - DM/M. Ch. पाठ्यक्रमों में 50% सीटें इन-सर्विस उम्मीदवारों को आवंटित किये जाने के बाद शेष सीटों को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) को सौंप दिया जाएगा।
    - DGHS सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य देख-भाल से संबंधित तकनीकी ज्ञान का भंडार है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न संगठन है।
- डॉक्टरों सहित NEET 2020 में सफल होने वाले PG धारकों ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए कहा कि सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये किसी भी प्रकार के आरक्षण की कोई अवधारणा विद्यमान नहीं है।
  - निर्णय को चुनौती देने वाले डॉक्टरों ने प्रीति श्रीवास्तव (डॉ.) बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1999 मामले में दिये गए फैसले का उल्लेख किया जिसमें यह माना गया था कि "योग्यता और केवल योग्यता ही सुपर-स्पेशियलिटी स्तर पर प्रवेश का आधार है"।
- उनके द्वारा की गई अपील में तर्क तर्क दिया गया कि राज्य का आदेश 2019 के स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमों (Postgraduate Medical Education (Amendment) Regulations of 2019) के विपरीत था, जिसमें यह कहा गया था कि DGHS को प्रवेश प्रक्रिया का प्रभारी होना चाहिये।
  - ये विनियम केंद्र और राज्य सरकारों के सभी चिकित्सा शिक्षण संस्थानों, डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा नगर निकायों एवं न्यासों आदि द्वारा स्थापित चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में सभी सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के लिये काउंसलिंग आयोजित कराने हेतु DGHS को सशक्त बनाते हैं।

संविधान दिवस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 26 नवंबर को देश में 71वाँ संविधान दिवस (Constitution Day) मनाया गया। प्रतिवर्ष इस अवसर पर संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कई प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- संविधान दिवस (Constitution Day) को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी जाना जाता है, यह दिन भारत में संविधान को अपनाने की याद दिलाता है।
- वर्ष 1949 में इसी दिन अर्थात 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया गया जिसे आगे चलकर 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया।
- केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर, 2015 को भारत सरकार द्वारा 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाने के निर्णय को अधिसूचित किया था।

नोट :

भारतीय संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य:

- संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का कार्य 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिनों में पूरा किया गया।
- भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को टाइप या मुद्रित नहीं किया गया था, बल्कि इन प्रतियों को हाथ से लिखकर तैयार किया गया था। वर्तमान में संविधान की मूल प्रतियों को संसद के पुस्तकालय के भीतर हीलियम से भरे बॉक्स/ केस (Case) में रखा गया है।
- प्रसिद्ध सुलेखक (Calligrapher) प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने संविधान की मूल प्रतियों तैयार की थी।
- मूल रूप से भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा गया था।
- भारतीय संविधान के निर्माण के समय इसकी कुछ विशेषताओं को ब्रिटेन, आयरलैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित अन्य कई देशों के संविधानों से उधार लिया गया था।
- भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम, 1935 पर आधारित है।
  - यह विश्व का सबसे लंबा संविधान है।
  - सरकार के संसदीय प्रणाली।

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1934 में एम. एन. रॉय द्वारा पहली बार एक संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया। वर्ष 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत, संविधान सभा के गठन के लिये चुनाव का आयोजन किया गया।

प्रारूप समिति:

- प्रारूप समिति (Drafting Committee) में सात सदस्य शामिल थे: अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी, भीमराव आंबेडकर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर और डी.पी. खेतान।
- 30 अगस्त, 1947 को अपनी पहली बैठक में प्रारूप समिति ने भीमराव आंबेडकर को अपना अध्यक्ष चुना।

महत्त्वपूर्ण संविधान संशोधन:

- प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951:
  - इसके तहत कानून की रक्षा के लिये संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था।
  - भमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को नौंवी अनुसूची में स्थान दिया गया।
  - अनुच्छेद 31 में दो उपखंड 31 (क) और 31 (ख) जोड़े गये।
- सातवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1956:
  - राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 को लागू करने के लिये द्वितीय तथा सातवीं अनुसूची में संशोधन किया गया।
- 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976:
  - 42 वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में प्रमुख संशोधनों में से कुछ निम्नलिखित हैं:
  - प्रस्तावना:
    - इस संशोधन के तहत भारत को परिभाषित करने के लिये 'संप्रभु लोकतांत्रिक गणतांत्रिक' शब्द के स्थान पर 'संप्रभु लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, गणतांत्रिक' शब्द को जोड़ दिया गया।
    - साथ ही प्रस्तावना में ' 'शब्द को राष्ट्र की एकता" शब्द को बदलकर 'शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता" कर दिया गया।

मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत:

- 42 वें संवैधानिक संशोधन के तहत एक सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया कि इसके तहत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 या 31 में निहित मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया।

मौलिक कर्तव्य:

- 42 वें संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में IV-A नामक एक नया भाग बनाने के लिये इसमें अनुच्छेद 51-A शामिल किया गया, संविधान के भाग IV-A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है।

नोट :

44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978:

- इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 74 (1) में एक नया प्रावधान जोड़ा गया जिसके अनुसार, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिये एक बार लौटाने/वापस भेजने की शक्तियाँ दी गई। परंतु इसके तहत राष्ट्रपति को पुनर्विचार के बाद भेजी जाने वाली सलाह को मानने के लिये बाध्य कर दिया गया।
  - इस संशोधन के अनुसार, मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को दी गई लिखित सलाह के आधार पर ही आपातकाल घोषित किया जा सकता है।
- इस संशोधन के तहत 'संपत्ति के अधिकार' को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे एक एक कानूनी अधिकार के रूप में घोषित किया गया है।

संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992

- संविधान में अनुच्छेद 243 A को जोड़कर एक अलग भाग IX जोड़ा गया है और ग्यारहवीं अनुसूची नामक एक नई अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख किया गया है।

संविधान (74वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992

- यह अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। संविधान के भाग VIII के बाद, अनुच्छेद 243 A में जोड़ के साथ संविधान में एक अलग भाग IXA जोड़ा गया है और शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों एवं कार्यों को शामिल करते हुए 12वीं अनुसूची नामक एक नई अनुसूची को शामिल किया गया है।
- यह अधिनियम नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम में SC एवं ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण और महिलाओं के लिये सीटों का एक तिहाई आरक्षण प्रदान करता है।

संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2017

- वस्तु एवं सेवा कर को अपनाया गया।

संविधान (102वाँ संशोधन) अधिनियम, 2018

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

संविधान (103वाँ संशोधन) अधिनियम, 2019

- अनुच्छेद 15 की उपधारा (4) एवं (5) में वर्णित वर्गों के अलावा अन्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWSs) के नागरिकों के लिये अधिकतम 10% आरक्षण (अर्थात सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त)।

राष्ट्रीय अंगदान दिवस

चर्चा में क्यों:

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) द्वारा 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया।

प्रमुख बिंदु:

- राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (National Organ Transplant Programme- NOTP):
  - यह ROTTO, SOTTO की स्थापना के लिये वित्तीय अनुदान प्रदान करता है, नए विकास और मौजूदा पुनर्प्राप्ति और प्रत्यारोपण केंद्रों को अपग्रेड करता है।

नोट :

- अंगदान संस्थागत स्थापना:
  - राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (National Organ & Tissue Transplant Organisation- NOTTO), क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (Regional Organ & Tissue Transplant Organisations- ROTTO) और राज्य स्तर पर राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (State Organ & Tissue Transplant Organisations- SOTTO)
- भारत में अंगदान की स्थिति:
  - डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ऑब्ज़र्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन (GODT) के अनुसार, अंगदान के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है।

मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994

- मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम को वर्ष 1994 में पारित किया गया था तथा इसे वर्ष 2011 में संशोधित किया गया, इस प्रकार मानव प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम 2011 के रूप में लाया गया।
- यह मानव अंगों को हटाने और इसके भंडारण के लिये विभिन्न नियम प्रदान करता है।
- यह चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये मानव अंगों के प्रत्यारोपण को और मानव अंगों के वाणिज्यिक लेनदेन की रोकथाम को विनियमित करता है।
- मुख्य प्रावधान
  - इस अधिनियम में ब्रेन डैड को मृत्यु के रूप में पहचानने के प्रावधान हैं और ब्रेन डैड के मानदंडो को परिभाषित करता है।
  - यह प्रत्यारोपण गतिविधि की निगरानी के लिये नियामक और सलाहकार निकाय प्रदान करता है।
  - यह मानव अंगों और ऊतकों के दाताओं और प्राप्तकर्त्ताओं की एक रजिस्ट्री के रखरखाव के लिये भी प्रदान करता है।

आगे की राह:

- भारतीय अंगदान दिवस जैसी पहलें जागरूकता को बढ़ावा देने और मृतक दाताओं द्वारा स्वास्थ्य सेवा और मानव जाति के लिये किये गए निस्वार्थ योगदान को मानवता में हमारे विश्वास को फिर से स्थापित करने में मदद करती हैं।

इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल

चर्चा में क्यों:

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 'इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल' (India Climate Change Knowledge Portal) शुरू किया है।

प्रमुख बिंदु:

इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल:

- उद्देश्य: यह पोर्टल नागरिकों को जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटने के लिये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उठाए जाने वाले सभी प्रमुख कदमों के बारे में नागरिकों के बीच ज्ञान के प्रसार में मदद करेगा।
- लाभ: यह एक 'एकल बिंदु सूचना संसाधन' (Single Point Information Resource) होगा जो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किये गये विभिन्न जलवायु संबंधी पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा ताकि उपयोगकर्त्ता इन पहलों की अद्यतन स्थिति का लाभ उठा सकें।

घटक: इस पोर्टल में शामिल आठ प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

1. भारत की जलवायु प्रोफाइल:

- देश का उत्तरी भाग ग्रीष्मकाल में गर्म और सर्दियों में ठंड के साथ एक महाद्वीपीय जलवायु के रूप में चित्रित किया गया है। देश के तटीय क्षेत्रों में वर्ष भर थोड़े बदलाव के साथ गर्म तापमान और तीव्र वर्षा का अनुभव किया जाता है।

नोट :

2. राष्ट्रीय नीति ढाँचा:

- उदाहरण के लिये, देश में हानिकारक अपशिष्ट के पर्यावरणीय प्रबंधन के कार्यान्वयन को मज़बूत करने के लिये केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हानिकारक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं निपटान) नियम, 2016 में संशोधन किया है।

भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्य:

- NDC, पेरिस समझौते और इन दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के केंद्र में हैं।
- राष्ट्रीय उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल करने के लिये प्रत्येक देश द्वारा NDC के प्रयास।

4. अनुकूलन संबंधी कार्यवाही:

- ऊर्जा की उच्च मांग को पूरा करने के लिये भारत ने स्वच्छ ऊर्जा विकास के लिये कई पहलें की है। उदाहरण: जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (Jawaharlal Nehru National Solar Mission) जिसका उद्देश्य भारत में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना है।

5. शमन क्रिया

- उदाहरण के लिये, जल संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिये भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल मिशन (National Water Mission) शुरू किया।

6. द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग

- पेरिस जलवायु समझौता बहुपक्षीय सहयोग का एक बड़ा उदाहरण है।

7. अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता

- वर्ष 2015 में पेरिस में पार्टियों के सम्मेलन-21 (COP-21) में, भारत ने वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि के लिये लक्ष्य सीमा के रूप में 1.5 डिग्री सेल्सियस स्वीकार किया और एक महत्वाकांक्षी घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम की घोषणा की।

8. रिपोर्ट एवं प्रकाशन

- उदाहरण के लिये, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा प्रकाशित 'भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन' (Assessment of Climate Change over the Indian Region) जैसी रिपोर्ट।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये अन्य पहल:

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme- NCAP): यह पाँच वर्ष की कार्ययोजना है जिसमें आधार वर्ष के रूप में वर्ष 2017 से वर्ष 2024 तक पीएम 10 व पीएम 2.5 की सांद्रता में 20-30% की कमी का लक्ष्य रखा गया है।
- भारत 1 अप्रैल, 2020 से भारत स्टेज-IV (BS-IV) से भारत स्टेज-VI (BS-VI) उत्सर्जन मानदंडों में भी स्थानांतरित हो गया है, जिसे पहले वर्ष 2024 तक अपनाया जाना था।
- भारत ने उजाला योजना (UJALA Scheme) के तहत 360 मिलियन से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किये हैं जिसके कारण प्रतिवर्ष लगभग 47 बिलियन यूनिट बिजली की बचत हुई है और प्रति वर्ष 38 मिलियन टन CO_2 की कमी हुई है।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन: यह एक भारतीय पहल है जिसकी कल्पना अपनी विशेष ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिये सौर-संसाधन संपन्न देशों (जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पूरी तरह से या आंशिक रूप से अवस्थित हैं) के गठबंधन के रूप में की गई है।
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) वर्ष 2008 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य जन प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग एवं समुदायों के बीच जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इससे निपटने के चरणों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

मिशन COVID सुरक्षा

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने भारतीय COVID-19 वैक्सीन के विकास में तेज़ी लाने के लिये 900 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज के साथ मिशन COVID सुरक्षा (Mission COVID Suraksha) की शुरुआत की है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- मिशन COVID सुरक्षा
  - मिशन COVID सुरक्षा भारत के लिये स्वदेशी, सस्ती और सुलभ वैक्सीन के विकास को सक्षम बनाने हेतु भारत का लक्षित प्रयास है. जो कि भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन की दृष्टि से भी काफी महत्त्वपूर्ण होगा।
  - यह मिशन त्वरित उत्पाद विकास के लिये सभी उपलब्ध और वित्तपोषित संसाधनों को समेकित करेगा, जिससे 5-6 वैक्सीन कैंडिडेट्स के विकास में मदद मिलेगी तथा लाइसेंस प्राप्ति और बाज़ार तक पहुँच सुनिश्चित होगी।
- अनुदान
  - COVID सुरक्षा मिशन के पहले चरण के 12 माह की अवधि के लिये 900 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
  - यह अनुदान, भारतीय COVID-19 वैक्सीन के अनुसंधान और विकास (R&D) के लिये जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) को प्रदान किया जाएगा।
- हितधारक
  - इस मिशन का नेतृत्त्व जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा किया जाएगा और इसका कार्यान्वयन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) की एक समर्पित मिशन कार्यान्वयन इकाई द्वारा किया जाएगा।
  - राष्ट्रीय जैव फार्मा मिशन (NBM) और इंड-सीईपीआई (Ind-CEPI) मिशन के तहत मौजूदा गतिविधियाँ मिशन COVID सुरक्षा को पूरक शक्ति प्रदान करेंगी।
    - जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा समर्थित इंड-सीईपीआई (Ind-CEPI) मिशन को मार्च 2019 में अनुमोदित किया गया था।
- उद्देश्य
  - वैक्सीन के पूर्व नैदानिक और नैदानिक विकास में तेज़ी लाना।
  - ऐसे COVID-19 वैक्सीन कैंडिडेट्स को लाइसेंस प्राप्त करने में मदद करना, जो वर्तमान में नैदानिक चरण में हैं या नैदानिक चरण में प्रवेश करने हेतु तैयार हैं।
  - नैदानिक परीक्षण स्थलों की स्थापना करना।
  - मौजूदा केंद्रीय प्रयोगशालाओं, जानवरों पर अध्ययन के लिये उपयुक्त सुविधाओं, उत्पादन सुविधाओं और अन्य परीक्षण सुविधाओं को मज़बूती प्रदान करना।
  - सामान्य प्रोटोकॉल, प्रशिक्षण, डेटा प्रबंधन प्रणाली, नियामक प्रस्तुतियाँ, आंतरिक और बाह्य गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के विकास का समर्थन करना।
  - लक्ष्य उत्पाद प्रोफाइल (TPP) का विकास करना भी एक प्रमुख कार्य होगा, ताकि इस मिशन के माध्यम से पेश किये जाने वाले वैक्सीन भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप हों।
    - लक्ष्य उत्पाद प्रोफाइल (TPP) किसी एक विशिष्ट रोग के संबंध में एक लक्षित उत्पाद की वांछित विशेषताओं को रेखांकित करती है।
- महत्त्वपूर्ण वैक्सीन कैंडिडेट्स
  - अब तक कुल 10 वैक्सीन कैंडिडेट्स को अकादमिक और उद्योग दोनों स्तरों पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा समर्थन प्रदान किया गया है और अब तक कुल 5 वैक्सीन कैंडिडेट्स मानव परीक्षण के चरण में हैं।
    - कोविशील्ड: सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) द्वारा भारत में ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राज़ेनेका COVID-19 वैक्सीन (कोविशील्ड) के तीसरे चरण का परीक्षण आयोजित किया जा रहा है।
    - कोवाक्सिन: भारत बायोटेक कंपनी द्वारा इस वैक्सीन को 'भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद' (ICMR) तथा 'राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान' (NIV) के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।

नोट :

- ZyCoV-D: ज़ाइडस कैडिला फर्म द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित वैक्सीन ZyCoV-D ने देश में नैदानिक परीक्षण के दूसरे चरण को पूरा कर लिया है।
- स्पुतनिक वी: रूस द्वारा निर्मित वैक्सीन स्पुतनिक वी (Sputnik V) के संयुक्त चरण 2 और चरण 3 के नैदानिक परीक्षण भारत में जल्द ही शुरू किये जाएंगे।
- BNT162b2: भारत सरकार अमेरिकी कंपनी फाइज़र द्वारा विकसित वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों के संचालन हेतु प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

नैदानिक परीक्षण

- नैदानिक परीक्षण का अभिप्राय किसी भी दवा की नैदानिक विशेषताओं की खोज करने अथवा मानवीय स्वास्थ्य पर उस विशिष्ट दवा के प्रभावों को स्पष्ट करने का एक व्यवस्थित अध्ययन है।
- यह किसी भी दवा की सुरक्षा और प्रभावकारिता को स्थापित करने का एकमात्र तरीका है, जिसे मानव उपयोग के लिये बाज़ार में प्रस्तुत करने से पूर्व और पशु परीक्षणों के बाद कार्यान्वित किया जाता है।
  - पशु परीक्षण के दौरान जानवरों पर किसी दवा की प्रभावकारिता और दुष्प्रभावओं का अध्ययन किया जाता है, साथ ही इस प्रक्रिया के दौरान दवा की अनुमानित खुराक भी निर्धारित की जाती है।

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

राजस्व बकाए में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जून 2022 तक राज्यों के कर राजस्व में गिरावट और जीएसटी उपकर (GST Cess) के बीच का अंतर 2.3 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 7 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच सकता है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि 15वें वित्त आयोग ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की है।
- आयोग के अनुसार, यदि अगले 20 महीनों में जीएसटी संग्रह में निरंतर वृद्धि नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में राज्यों के कर राजस्व में गिरावट और जीएसटी उपकर के बीच का अंतर तीव्र वृद्धि के साथ 5-7 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच सकता है।
- वस्तुत: राज्यों को दी जाने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति के बकाए में काफी वृद्धि हो सकती है।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्यों के कर राजस्व में 3 लाख करोड़ रुपए तक की गिरावट का अनुमान है, जबकि इस दौरान जीएसटी उपकर के रूप में प्राप्त कुल राजस्व 65,000 रुपए ही रह सकता है।
- ध्यातव्य है कि COVID-19 महामारी से पहले ही देश की अर्थव्यवस्था में कुछ गिरावट देखी जा रही थी परंतु इस महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था को गंभीर क्षति हुई है।

राज्यों के कर राजस्व में गिरावट का कारण:

- गौरतलब है कि जीएसटी प्रणाली में शामिल होने के बाद राज्यों की स्थानीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाने की शक्ति समाप्त हो गई, जिससे राज्यों की आय में भारी गिरावट देखने को मिली है।
- केंद्र सरकार के पूर्व अनुमान के अनुरूप जीएसटी के तहत पर्याप्त कर संग्रह न होने के कारण राज्य के राजस्व में कमी हुई है।
- इस चुनौती को दूर करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा 'जीएसटी (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017' के तहत कुछ निर्धारित वस्तुओं पर उपकर संग्रहण के माध्यम से राज्यों को अगले पाँच वर्षों (वर्ष 2017-22) तक जीएसटी के कारण उनके राजस्व में हुई कमी की भरपाई का आश्वासन दिया गया।
- जीएसटी उपकर में गिरावट को देखते हुए अक्तूबर 2020 में वित्त आयोग ने जीएसटी उपकर को वर्ष 2022 के बाद भी अनिश्चितकाल (जब तक राज्यों को जून 2022 तक बकाए मुआवज़े का पूरा भुगतान नहीं जाता) के लिये जारी रखने का निर्णय लिया था।

चुनौतियाँ:

- 14वें वित्त आयोग के विपरीत वर्तमान वित्त आयोग ने आगामी पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिये जीडीपी वृद्धि के अलग-अलग अनुमान जारी किये हैं।
- गौरतलब है कि 15वें वित्त आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट जारी करते समय कई आर्थिक बदलावों (जैसे-विमुद्रीकरण और जीएसटी आदि) के कारण देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट के बीच अगले पाँच वर्षों के लिये जीडीपी वृद्धि का विश्वसनीय अनुमान जारी करने को अत्यंत कठिन बताया था।

राज्यों को कर हस्तांतरण:

- 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों की हिस्सेदारी के निर्धारण हेतु वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों को आधार बनाए जाने पर कई राज्यों ने चिंता व्यक्त की थी।

नोट :

- राज्यों के अनुसार, वर्ष 1971 के बाद से जनसंख्या नियंत्रण की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के कारण उनकी हिस्सेदारी जनसंख्या बाहुल्य राज्यों की अपेक्षा कम हो जाएगी।
- इस चुनौती को दूर करने के लिये 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों की हिस्सेदारी के निर्धारण के लिये कुल प्रजनन अनुपात को एक अतिरिक्त मानक के रूप में शामिल किया गया है।
- आयोग ने महत्त्वपूर्ण सुधारों को आगे बढ़ाने हेतु राज्यों के लिये संभावित प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन पर भी ध्यान दिया है।

15वाँ वित्त आयोग:

- 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर, 2017 को किया गया था।
- योजना आयोग के पूर्व सदस्य श्री एन. के सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
  - गौरतलब है कि श्री एन.के. सिंह भारत सरकार के पूर्व सचिव एवं वर्ष 2008-2014 तक बिहार से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं।
- 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2020-25 तक पाँच साल की अवधि में लागू की जाएंगी।

WPI विगत 8 माह में उच्चतम स्तर पर

चर्चा में क्यों ?

भारत में 'थोक मूल्य सूचकांक' (Wholesale Price Index-WPI) आधारित मुद्रास्फीति विगत आठ महीनों में उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है।

प्रमुख बिंदु:

- थोक मूल्य मुद्रास्फीति अक्तूबर 2020 में 1.48% तक पहुँच गई थी, जबकि अक्तूबर 2019 में यह 0% और सितंबर 2020 में 1.32% थी।
- WPI खाद्य सूचकांक मुद्रास्फीति (WPI Food Index inflation) सितंबर 2020 के 6.92% से घटकर अक्तूबर 2020 में 5.78% हो गई है।
- इसके अलावा सब्जियों की मुद्रास्फीति सितंबर के 36.2% से कम होकर 25.23% रह गई है, जबकि आलू (107.7%) और प्याज की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है।
- WPI विनिर्माण मुद्रास्फीति 19 महीने के उच्च स्तर 2.1% तक पहुँच गई है और 'कोर मुद्रास्फीति' 18 महीनों में उच्चतम स्तर 1.7% पर है।
  - कोर मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता है।

मुद्रास्फीति ट्रेंड का महत्त्व:

- मार्च के बाद से अगस्त माह में पहली बार WPI में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। इसे उत्पादकों की 'मूल्य निर्धारण शक्ति' (Pricing Power) के आधार पर औद्योगिक रिकवरी का संकेत माना जा सकता है।
  - मूल्य निर्धारण शक्ति (Pricing power) किसी उत्पाद की मांग की मात्रा के आधार एक उत्पाद की कीमत में होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है।
- कोर मुद्रास्फीति में वृद्धि COVID-19 महामारी के तहत लगाए लॉकडाउन के बाद मांग की स्थिति में सुधार को बताती है।

चुनौतियाँ:

- वर्तमान WPI मुद्रास्फीति सामान्य रिकवरी को नहीं प्रदर्शित करती है, क्योंकि हाल ही में देखी गई मुद्रास्फीति का बड़ा कारण त्योहार से संबंधित मांग है।
- आम जनता थोक मूल्य पर उत्पाद नहीं खरीदती है। 'खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति' में वृद्धि और 'थोक खाद्य मुद्रास्फीति' में गिरावट को नियंत्रित करना निर्माताओं के लिये चुनौतीपूर्ण होगा।

नोट :

मुद्रास्फीति (Inflation):

- मुद्रास्फीति कीमतों के सामान्य स्तर में सतत् वृद्धि है।
- मुद्रास्फीति दर को मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है, जो दो प्रकार के होते हैं-
  - थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index-WPI)
  - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index-CPI)

मुद्रास्फीति का कारण:

- मांग जनित कारण
- लागत जनित कारण

थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index-WPI):

- यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक (Inflation Indicator) है।
- इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) के आर्थिक सलाहकार (Office of Economic Adviser) के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- इसमें घरेलू बाज़ार में थोक बिक्री के लिये प्रथम बिंदु पर किये जाने-वाले (First point of bulk sale) सभी लेन-देन शामिल होते हैं।
- वर्ष 2017 में अखिल भारतीय WPI के लिये आधार वर्ष को 2004-05 से संशोधित कर 2011-12 कर दिया गया है।

लक्ष्मी विलास बैंक का वित्तीय संकट

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने चेन्नई स्थित लक्ष्मी विलास बैंक पर 30 दिवसीय मोरेटोरियम (Moratorium) लागू किया है, जिसका अर्थ है कि केंद्रीय बैंक द्वारा लक्ष्मी विलास बैंक की दैनिक गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंध लगा दिये गए हैं। साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक ने डीबीएस बैंक इंडिया के साथ लक्ष्मी विलास बैंक के विलय की योजना का मसौदा भी तैयार किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45(2) के आधार पर चेन्नई स्थित लक्ष्मी विलास बैंक पर कार्यवाही करते हुए कुछ विशिष्ट प्रतिबंध लागू किये हैं।
- रिज़र्व बैंक द्वारा लागू 30 दिवसीय मोरेटोरियम (Moratorium) के अंतर्गत 25,000 रुपए से अधिक राशि की निकासी को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

कारण

- लक्ष्मी विलास बैंक पर कार्यवाही करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कहा कि यह बैंक विगत तीन वर्षों से लगातार घाटे का सामना कर रहा है, जिससे बैंक का नेट-वर्थ प्रभावित हुआ है।
  - ध्यातव्य है कि लक्ष्मी विकास बैंक को वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 112 करोड़ रुपए और दूसरी तिमाही में 397 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था।
- इस प्रकार लक्ष्मी विलास बैंक अपने वित्तीय संकट से संबंधित मुद्दों को हल करने हेतु पर्याप्त पूंजी जुटाने में असमर्थ रहा है। साथ ही इस बैंक को तरलता की कमी का सामना भी करना पड़ रहा है।
- इसके अलावा बैंक द्वारा दिया गया लगभग एक-चौथाई ऋण, बैड एसेट (Bad Asset) अथवा गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) के रूप में परिवर्तित हो चुका है।

नोट :

- आँकड़ों के अनुसार, जून 2020 में लक्ष्मी विलास बैंक की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPAs) कुल ऋण का 25.4 प्रतिशत हो गई थीं, जो कि जून 2019 में 17.3 प्रतिशत थीं।

- रिज़र्व बैंक की मानें तो बीते कुछ वर्षों में शासन संबंधी गंभीर मुद्दों के कारण लक्ष्मी विलास बैंक के वित्तीय प्रदर्शन में काफी गिरावट आई है।

विलय का प्रस्ताव

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डीबीएस बैंक लिमिटेड (DBS Bank Ltd) की सहायक/अनुषंगी कंपनी डीबीएस बैंक इंडिया (DBS Bank India) के साथ लक्ष्मी विलास बैंक के विलय के प्रस्ताव का मसौदा प्रस्तुत किया है।
- रिज़र्व बैंक के अनुसार, डीबीएस बैंक इंडिया और लक्ष्मी विलास बैंक के विलय के पश्चात् दोनों बैंकों की संयुक्त बैलेंस शीट की स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी।
- विलय के बाद दोनों बैंकों का संयुक्त पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) 12.51 प्रतिशत पर पहुँच जाएगा, जो कि वर्तमान में केवल 0.17 प्रतिशत (लक्ष्मी विलास बैंक) है।
  - पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) किसी बैंक की उपलब्ध पूंजी का एक माप है जिसे बैंक के जोखिम-भारित क्रेडिट एक्सपोज़र के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे पूंजी-से-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (CRAR) के रूप में भी जाना जाता है।
- रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बैंकों के जमाकर्त्ताओं को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और रिज़र्व बैंक उनके हितों की पूर्ण रक्षा करेगा।
  - ज्ञात हो कि किसी भी अनिश्चितता की स्थिति में छोटे जमाकर्त्ताओं के लिये डिपॉज़िट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) भी एक विकल्प हो सकता है, जो कि रिज़र्व बैंक की एक सहायक/अनुषंगी कंपनी है और छोटे जमाकर्त्ताओं को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान करती है।

भारत के वित्तीय सेक्टर का संकट

- वर्ष 2018 में IL&FS के डिफॉल्ट हो जाने के बाद से भारत के वित्तीय सेक्टर में ऐसी कई सारी घटनाएँ देखी गईं जहाँ बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थाएँ अपनी वित्तीय स्थिति कमज़ोर हो जाने अथवा तरलता की कमी के कारण डिफॉल्ट हो गईं।
- बीते वर्ष सितंबर माह में 'पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक' (PMC) में ऋण घोटाले के कारण बैंकिंग संकट देखने को मिला था, जिसमें एचडीआईएल (HDIL) कंपनी के प्रवर्तक भी शामिल थे, इस घोटाले की जाँच अभी भी जारी है और बैंक के पुनरुत्थान को लेकर कई प्रयास किये जा रहे हैं।
- इसी वर्ष मार्च माह में भारत में निज़ी क्षेत्र का चौथा सबसे बड़ा बैंक 'यस बैंक' (Yes Bank) भी संकट का सामना कर रहा था, जिससे निवेशकों के बीच डर का माहौल पैदा हो गया था।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भारत के कई पुरानी पीढ़ी के निजी बैंकों और बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रदर्शन की निगरानी कर रहा है।

कारण

- गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) की बढ़ती मात्रा, खराब वित्तीय स्थिति, ऋण से संबंधित घोटाले और शासन से संबंधित मुद्दों आदि ने भारत के बैंकिंग और वित्तीय सेक्टर में एक गंभीर संकट को जन्म दिया है।
  - इसके अलावा तमाम तरह की ऋण गारंटी योजनाओं के बावजूद, ऋण की दर में काफी कम वृद्धि देखने को मिली है, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आँकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2020 में खुदरा ऋणों की वृद्धि दर केवल 10.6 प्रतिशत रही थी।
  - इसके कारण भारतीय बैंकों की आय में कमी आ रही है और वित्तीय संकट का सामना करने हेतु पर्याप्त पूंजी जुटाना उनके लिये काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है।
  - यही कारण है कि बीते 15 महीनों में भारत के निजी क्षेत्र के कुछ प्रमुख बैंक और कुछ सहकारी बैंक वित्तीय संकट की चपेट में आ गए हैं।

नोट :

महामारी और बैंकिंग सेक्टर

- महामारी के कारण भारत के बैंकिंग सेक्टर की चुनौतियाँ और भी गंभीर हो सकती हैं, क्योंकि इसके प्रभाव से आम लोगों और कंपनियों की वित्तीय स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, जिसके कारण आने वाले समय में बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) में और अधिक वृद्धि देखने को मिल सकती है।
- हालाँकि कई विश्लेषकों का अनुमान है कि सूचना प्रौद्योगिकी (IT), फार्मास्यूटिकल्स, FMCG और रसायन जैसे क्षेत्रों में बैंकों का NPA काफी कम रहेगा, किंतु आतिथ्य, पर्यटन और विमानन क्षेत्र में बैंकों के NPA में वृद्धि देखने को मिलेगी।

आगे की राह

- बैंकिंग सेक्टर के अधिकांश विश्लेषक इस बात पर एकमत हैं कि जब भी भारत की बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थाओं ने वित्तीय संकट का सामना किया है तो रिज़र्व बैंक ने उन्हें इस संकट से उबारने में सक्रिय भूमिका अदा की है।
- भारत के वित्तीय सेक्टर को गंभीर संकट से बचाने के लिये किसी भी प्रकार के अल्पकालिक उपाय के साथ-साथ दीर्घकालिक उपायों की भी आवश्यकता है, नीति निर्माताओं को बैंकिंग संकट के मूल कारणों पर विचार करते हुए उसे दूर करने के प्रयास करना चाहिये।

एनसीआर के लिये क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ के लिये 'क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली' (Regional Rapid Transit System Project-RRTS) हेतु 500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु:

- यह ऋण समझौता 'आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय' (Ministry of Housing and Urban Affairs) , 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम' (National Capital Region Transport Corporation- NCRTC) लिमिटेड और 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' (New Development Bank- NDB) के बीच किया गया है।
- RRTS परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली (National Capital Region-Delhi) को तीव्र, विश्वसनीय, सुरक्षित और आरामदेह 'सार्वजनिक परिवहन प्रणाली' प्रदान करना है।

क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली (RRTS):

- RRTS एक रेल आधारित तीव्र परिवहन प्रणाली होगी जो दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में स्थित अपेक्षाकृत छोटे लेकिन तेज़ी से विकसित हो रहे नगरों को जोड़ेगी।
  - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) एक बहु-राज्य क्षेत्र है जिसके केंद्रीय भाग में राष्ट्रीय राजधानी है। दिल्ली-एनसीआर लगभग 35,000 वर्ग किमी. क्षेत्र में विस्तृत है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल हैं।
- परियोजना के तहत एनसीआर क्षेत्र में स्थित उपनगरों (Suburb) तथा औद्योगिक नगरों जैसे 'विशेष आर्थिक क्षेत्रों' (Special Economic Zones- SEZs) आदि को जोड़ा जाएगा।
  - उपनगर नगर के केंद्रीय भाग से बाहर स्थित निवास क्षेत्र होता है।
- RRTS मेट्रो से अलग है क्योंकि इसमें मेट्रो की तुलना में कम स्टॉप और अधिक गति होती है तथा अपेक्षाकृत लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।
- RRTS परंपरागत रेलवे से भी अलग है क्योंकि यह उसकी तुलना में अधिक विश्वसनीय है तथा उच्च गति के साथ अधिक चक्र पूरे करती है।

नोट :

- परियोजना की कुल अनुमानित लागत 3,749 मिलियन डॉलर है, जिसे 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' (500 मिलियन), 'एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक' (500 मिलियन), 'एशियाई विकास बैंक' (1,049 मिलियन), जापान (3 मिलियन), सरकार और अन्य स्रोतों (1,707 मिलियन) द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

उद्देश्य:

- RRTS का उद्देश्य सड़क परिवहन पर कम्यूटर्स (Commuters) की निर्भरता को कम करने के लिये सड़क-सह रेल (Road-cum Rail) परिवहन प्रणाली का विकास करना है।
  - कम्यूटर्स ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नियमित रूप से कार्य करने के लिये मुख्य नगर के आसपास के क्षेत्रों से मुख्य नगर आने-जाने लिये कुछ किलोमीटर की दूरी तय करते हैं।

चिह्नित 8 RRTS गलियारे:

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) द्वारा वर्ष 2032 तक एनसीआर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किये एक अध्ययन में 8 RRTS गलियारों की पहचान की गई है।
  - दिल्ली - गुड़गांव - रेवाड़ी - अलवर;
  - दिल्ली - गाजियाबाद - मेरठ;
  - दिल्ली - सोनीपत - पानीपत;
  - दिल्ली - फरीदाबाद - बल्लभगढ़ - पलवल;
  - दिल्ली - बहादुरगढ़ - रोहतक;
  - दिल्ली - शाहदरा - बड़ौत;
  - गाज़ियाबाद - खुर्जा;
  - गाजियाबाद - हापुड़;

RRTS परियोजना का महत्त्व:

सतत् विकास (Sustainable Development):

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र में RRTS का क्रियान्वयन 'शहरी विकास लिये सतत् विकास लक्ष्य (SDG- 11) को प्राप्त करने में सहयोग करेगा।
- यह ऐसी प्रक्रियाओं को सक्रिय करेगा जो भविष्य की पीढ़ियों के लिये पर्यावरण संरक्षण के साथ ही स्थायी आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देती हो।

कम प्रदूषक उत्सर्जन और भीड़-भाड़ में कमी:

- RRTS प्रणाली पर्यावरण के अनुकूल है जिसमें प्रदूषकों का बहुत कम उत्सर्जन होता है।
- उच्च गति (औसत 100 किमी. प्रति घंटा) होने के कारण सड़क परिवहन की तुलना में यह कई गुना अधिक यात्रियों को ले जाने सक्षम है। जिससे सड़कों पर लगने वाले जाम में कमी आएगी।
- कुल मिलाकर यह एनसीआर में परिवहन से होने वाले उत्सर्जन को काफी कम कर देगा।

संतुलित आर्थिक विकास:

- निर्बाध उच्च गति कनेक्टिविटी के परिणामस्वरूप क्षेत्र के संतुलित आर्थिक विकास के चलते समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा तथा दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में विकास के कई नोड्स विकसित हो सकेंगे।

चुनौतियाँ:

- परियोजना के प्रथम चरण के तहत दिल्ली - गाजियाबाद - मेरठ कॉरिडोर सहित 2 अन्य गलियारों का चयन किया गया। परियोजना अभी प्रारंभिक चरण में है, अत: परियोजना को दिल्ली-एनसीआर की मांग के अनुसार समय पर पूरा करना एक प्रमुख चुनौती है।

नोट :

- परियोजना की आर्थिक लागत बहुत अधिक है, जिसका अधिकांश हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग पर निर्भर है। इस वजह से भविष्य में परियोजना में वित्त-व्यवस्था संबंधी बाधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

निष्कर्ष:

लगभग 1 मिलियन वाहन (वर्ष 2007 के आँकड़ों के आधार पर) प्रतिदिन दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रों से राष्ट्रीय राजधानी की सीमा में प्रवेश करते हैं उनमें से एक-चौथाई का आवागमन क्षणिक प्रकृति का होता है। यह क्षेत्र के लिये एक वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था जैसे RRTS की आवश्यकता को बताता है।

निजी क्षेत्र के बैंकों की कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्त्व और कॉर्पोरेट ढाँचे पर मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिये गठित 'आंतरिक कार्य समूह' (Internal Working Group- IWG) द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश की गई।

प्रमुख बिंदु:

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस पाँच सदस्यीय आंतरिक कार्य समूह (Internal Working Group -IWG) का गठन सेंट्रल बोर्ड के निदेशक पी. के. मोहंती की अध्यक्षता में किया गया था।
- IWG द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों के लिये स्वामित्त्व और नियंत्रण, प्रवर्तकों की धारिता, कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों के स्वामित्त्व प्रतिशत में कमी, नियंत्रण और मतदान के अधिकार आदि से संबंधित मौजूदा लाइसेंसिंग और विनियामक दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई है।

समूह के लिये के संदर्भ की शर्तें (Terms of Reference- ToR):

- भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्त्व और नियंत्रण से संबंधित मौजूदा लाइसेंसिंग दिशा-निर्देशों और नियमों की समीक्षा करना।
- प्रवर्तकों/प्रमोटर्स की शेयरधारिता से संबंधित नियमों तथा उनकी शेयरधारिता घटाने की समय-सीमा की समीक्षा करना।
- बैंकिंग लाइसेंस के लिये आवेदन करने और इससे संबंधित मुद्दों पर पर व्यक्तियों तथा संस्थाओं को आवश्यक पात्रता मानदंडों की जाँच और समीक्षा करना।
- नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंसियल होल्डिंग कंपनी (Non-operative Financial Holding Company- NOFHC) में शेयरधारिता से संबंधित नियमों का अध्ययन करना और सभी बैंकों के लिये एक समान विनियमन को लागू करने से संबंधित सुझाव देना।
  - NOFHC, एक प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) होती है। इस प्रकार की NBFC में प्रमोटर्स को एक नया बैंक स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है।
- बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े किसी भी अन्य सार्थक मुद्दे की पहचान करना और उससे संबंधित सिफारिशें करना।

समिति की प्रमुख सिफारिशें:

- वर्तमान में प्रवर्तकों/प्रमोटर्स के लिये निजी क्षेत्र के बैंकों में अधिकतम शेयरधारिता की सीमा बैंकों के पेड-अप वोटिंग इक्विटी पूंजी का 15 प्रतिशत है, इसे मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 26 प्रतिशत किया जा सकता है।
- गैर-प्रवर्तक शेयरधारकों के लिये अधिकतम शेयरधारिता की सीमा बैंक के पेड-अप वोटिंग इक्विटी पूंजी के 15 प्रतिशत की एक समान कैप निर्धारित की जा सकती है।
- बैंकों के प्रवर्तकों के रूप में बड़े कॉर्पोरेट/औद्योगिक घरानों के प्रवेश के लिये 'बैंकिंग विनियमन अधिनियम' (Banking Regulation Act)- 1949 में संशोधन किया जाना चाहिये तथा निजी बैंकों के सभी बड़े प्रमोटर्स के समेकित पर्यवेक्षण के लिये मौजूदा तंत्र को मज़बूत किया जाना चाहिये।
- अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाली बड़ी NBFCs जिनकी संपत्ति का आकार 50,000 करोड़ रुपए या इससे अधिक है, उन्हें परिचालन के 10 वर्ष पूरे करने तथा इस संबंध में निर्दिष्ट अतिरिक्त शर्तों का अनुपालन करने पर बैंकों में रूपांतरण के लिये योग्य माना जा सकता है।

नोट :

- भुगतान बैंकों (Payments Banks) को 'लघु वित्त बैंक' (Small Finance Bank) में बदलने के लिये आवश्यक मानदंडों के रूप में 3 वर्ष का अनुभव पर्याप्त है।
- लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक की पूंजी का आकार 6 वर्ष के भीतर 'सार्वभौमिक बैंकों' की शुरुआत के लिये आवश्यक न्यूनतम प्रचलित एंट्री कैपिटल के समतुल्य नेटवर्थ तक पहुँच जाए या परिचालन को 10 वर्ष पूरे हो जाए (जो भी पहले हो), तो उसे सार्वभौमिक बैंक के रूप में मान्यता दी जा सकती है।
  - गौरतलब है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दो प्रकार के लाइसेंस जारी किये जाते हैं: 'सार्वभौमिक बैंक लाइसेंस' (universal Bank Licence) और 'विभेदित बैंक लाइसेंस' (Differentiated Bank Licence)। भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक एक विशेष प्रकार के बैंक हैं, जिन्हें कुछ सीमित बैंकिंग क्रियाकलापों की अनुमति है।
- नए बैंकों को लाइसेंस देने के लिये आवश्यक न्यूनतम प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता को सार्वभौमिक बैंकों के लिये 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए और छोटे वित्त बैंकों के लिये 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए तक किया जाना चाहिये।
- NOFHC को सार्वभौमिक बैंकिंग के लिये लाइसेंस जारी करने में वरीयता दी जा सकती है। वर्तमान में NOFHC संरचना के अंतर्गत आने वाले ऐसे बैंक, जिनके पास अन्य समूह इकाइयाँ नहीं हैं, उन्हें सार्वभौमिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर निकलने की सुविधा देनी चाहिये।

निष्कर्ष:

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित इस कार्य समूह की सिफारिशों को लागू करने से विभिन्न समयावधि में स्थापित बैंकों के लिये बनाए गए नियमों को तर्कसंगत एवं उचित रूप से लागू किया जा सकेगा जिससे बैंकिंग लाइसेंस प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के विरुद्ध जाँच

चर्चा में क्यों ?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) के विरुद्ध विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के मामले में प्रारंभिक जाँच शुरू कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि प्रवर्तन निदेशालय की यह जाँच भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की उस रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें कहा गया था कि केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड ने केंद्र सरकार की अनुमति के बिना मसाला बॉण्ड जारी करके 2,150 करोड़ रुपए जुटाए थे।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2019 में केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) ने मसाला बॉण्ड जारी करके 2150 करोड़ रुपए जुटाए थे, जिसके साथ ही KIIFB अंतर्राष्ट्रीय ऋण बाज़ार में मसाला बॉण्ड के माध्यम से धन एकत्रित करने वाली पहली सरकारी एजेंसी बन गई थी।
- हालाँकि संविधान के अनुच्छेद 293 (1) के मुताबिक, किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति, भारत के क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक ही सीमित है, वहीं अनुच्छेद 293 (3) में कहा गया है कि राज्य, केंद्र सरकार की सहमति के बिना कोई भी ऋण नहीं ले सकते हैं।
- इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) ने मसाला बॉण्ड का प्रयोग करके धन जुटाकर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

क्या होते हैं मसाला बॉण्ड ?

- मसाला बॉण्ड, विदेशी निवेशकों से धन एकत्रित करने के लिये देश के बाहर किसी भारतीय संस्था द्वारा जारी किये जाने वाले बॉण्ड होते हैं।
- इस प्रकार के बॉण्ड की सबसे मुख्य बात यह है कि इन्हें विदेशी मुद्रा में नहीं बल्कि भारतीय मुद्रा में जारी किया जाता है।
- पहला मसाला बॉण्ड, वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) द्वारा भारत की एक आधारभूत ढाँचे से संबंधित परियोजना के लिये जारी किया गया था।
  - इस बॉण्ड का नामकरण भी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा ही किया गया था।

नोट :

केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB)

- 'केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड' का प्रबंधन करने हेतु KIIFB वर्ष 1999 में केरल सरकार के वित्त विभाग के तहत अस्तित्व में आया था।
- इस फंड का मुख्य उद्देश्य केरल राज्य में महत्त्वपूर्ण और बड़े बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं हेतु निवेश प्रदान करना था।
- वर्ष 2016 में केरल सरकार ने KIIFB की भूमिका को एक निगम इकाई (Corporate Entity) के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसका उद्देश्य बजट के दायरे से बाहर की विकासात्मक परियोजनाओं हेतु संसाधन जुटाना था।

प्रभाव

- प्रवर्तन निदेशालय की जाँच के कारण केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) को फंड की कमी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस जाँच के कारण निवेशक बोर्ड के मसाला बॉण्ड नहीं खरीदेंगे।
  - ध्यातव्य है कि यह जाँच ऐसे समय में शुरू हुई है जब अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) ने KIIFB को ऋण देने की इच्छा व्यक्त की थी, इस जाँच के कारण KIIFB को मिलने वाले इस ऋण पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

केरल सरकार का पक्ष

- केरल सरकार का मुख्य तर्क है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी को राज्य सरकार द्वारा लिये गए ऋण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये।
- नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस मत का, कि सरकार द्वारा जिस ऋण की गारंटी दी जाती है वह सरकार का ही ऋण होता है, कई अन्य महत्त्वपूर्ण निकायों जैसे भारतीय खाद्य निगम (FCI) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) आदि पर काफी दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।
  - ध्यातव्य है कि केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम (FCI) को अपनी गारंटी पर बजट से अलग 2 लाख करोड़ रुपए तक उधार लेने की अनुमति देती है।
- केरल सरकार के मुताबिक, केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) को कानूनी रूप से राज्य सरकार से अलग एक निगम इकाई के रूप में देखा जाना चाहिये, जो कि केवल सरकार से जुड़ी हुई है, न कि सरकार का हिस्सा है। KIIFB एक निगम इकाई है और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के मुताबिक, निगम इकाइयाँ विदेश बाज़ार से धन जुटाने के लिये मसाला बॉण्ड जारी कर सकती हैं।

नेगेटिव यील्ड बॉण्ड

चर्चा में क्यों ?

बीते कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में नेगेटिव यील्ड बॉण्ड (Negative Yield Bonds) की मांग काफी तेज़ी से बढ़ गई है।

प्रमुख बिंदु

- क्या है नेगेटिव यील्ड बॉण्ड ?
  - सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि नेगेटिव यील्ड बॉण्ड ऐसे ऋण विलेख होते हैं, जिनकी बॉण्ड यील्ड नकारात्मक होती है यानी इस प्रकार के बॉण्ड खरीदने पर निवेशक को बॉण्ड की परिपक्वता अवधि पर बॉण्ड के कुल मूल्य से कम राशि प्राप्त होती है।
    - बॉण्ड यील्ड का अभिप्राय बॉण्ड पर मिलने वाली रिटर्न की धनराशि से होता है। बॉण्ड की कीमत और बॉण्ड यील्ड के बीच नकारात्मक संबंध होता है। जब बॉण्ड की कीमत बढ़ती है तो बॉण्ड यील्ड घटता है तथा इसके विपरीत जब बॉण्ड की कीमत घटती है तो बॉण्ड यील्ड बढ़ता है।
  - नेगेटिव यील्ड बॉण्ड को एक विचित्र वित्तीय विलेख माना जाता है, क्योंकि इसमें बॉण्ड जारी करने वाली कंपनी अथवा संस्थान को ऋण लेने के लिये भुगतान किया जाता है।

नोट :

क्या होता है बॉण्ड ?

- बॉण्ड एक प्रकार का ऋण विलेख होता है, जिसके द्वारा कंपनियों और अलग-अलग देशों की सरकारों द्वारा धन जुटाने के उद्देश्य से जारी किये जाते हैं। बॉण्ड के माध्यम से जुटाए गए धन को ऋण के रूप में देखा जाता है।
- आमतौर पर निवेशक अंकित मूल्य पर किसी बॉण्ड को खरीदते हैं, जो कि निवेश की गई मूल राशि होती है। बॉण्ड खरीदने के बदलने में निवेशकों को बॉण्ड यील्ड प्राप्त होती है।
- प्रत्येक बॉण्ड की एक परिपक्वता अवधि होती है, और इसी अवधि पर निवेशक को अपनी मूल राशि वापस मिल जाती है।

क्यों खरीदते हैं नेगेटिव यील्ड बॉण्ड ?

- विविध पोर्टफोलियो बनाने के लिये: म्यूच्यूअल फंड का प्रबंधन करने वाले कई निवेशक और कंपनियाँ, अपने निवेश पोर्टफोलियो को विविध बनाकर अपने जोखिम को कम करने के उद्देश्य से नेगेटिव यील्ड बॉण्ड में निवेश करते हैं।
- कोलैटरल के रूप में प्रयोग करने हेतु: बॉण्ड का उपयोग प्राय: वित्तपोषण के लिये कोलैटरल (Collateral) के रूप में भी किया जाता है और इसी वजह से निवेशकों को इन ऋण विलेखों की आवश्यकता पड़ती है, भले ही उनकी बॉण्ड यील्ड नकारात्मक ही क्यों न हो।
- विनिमय दर से लाभ प्राप्त करने के लिये: अक्सर विदेशी निवेशक इस उम्मीद के साथ भी नेगेटिव यील्ड बॉण्ड में निवेश करते हैं कि उन्हें मुद्रा विनिमय दर (Exchange Rate) में परिवर्तन के कारण भविष्य में लाभ प्राप्त होगा।
- घरेलू अपस्फीति जोखिम से बचने के लिये: कई बार निवेशक घरेलू अर्थव्यवस्था में अपस्फीति जोखिम अथवा कीमतों के कम हो जाने के कारण होने वाले जोखिम से बचने के लिये भी नेगेटिव यील्ड बॉण्ड में निवेश करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, हमारे पास कोई एक वर्षीय नेगेटिव यील्ड बॉण्ड है, जिसकी बॉण्ड यील्ड (-) 5 प्रतिशत है, किंतु अनुमान के मुताबिक इसी अवधि में मुद्रास्फीति (-) 10 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।
  - इसका अर्थ है कि बॉण्ड के निवेशक के पास वर्ष के अंत में अधिक क्रय शक्ति होगी, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में आई गिरावट बॉण्ड की कीमतों में होने वाली गिरावट से अधिक है।
- निवेश की सुरक्षा के लिये: निवेशक तब भी नेगेटिव यील्ड बॉण्ड के प्रति आकर्षित हो सकते हैं जब उनमें किये जाने वाले निवेश का नुकसान किसी अन्य वित्तीय प्रपत्र में किये जाने निवेश के नुकसान से कम हो। मौजूदा आर्थिक अनिश्चितता के दौर में कई निवेशक नेगेटिव यील्ड बॉण्ड खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी स्थिति में सुरक्षित निवेश माना जाता है।

मौजूदा स्थिति

- मौजूदा समय में जब संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस महामारी का सामना कर रहा है और यूरोप समेत कई अन्य विकसित बाज़ारों में बॉण्ड और अन्य वित्तीय प्रपत्रों की ब्याज़ दरें काफी नीचे चली गईं हैं तो अधिकांश निवेशक अपने हितों की रक्षा करने के लिये अपेक्षाकृत बेहतर विकल्पों की खोज कर रहे हैं और नेगेटिव यील्ड बॉण्ड इसी विकल्प के तौर पर कार्य कर रहा है।
- हाल ही में चीन ने पहली बार नेगेटिव यील्ड बॉण्ड जारी किये हैं और संपूर्ण यूरोप में निवेशकों के बीच इनकी काफी उच्च मांग देखी गई है।
- कारण:
  - चीन के बॉण्ड की अधिक मांग का सबसे मुख्य कारण है कि यूरोपीय बाज़ारों द्वारा दिया जा रहा बॉण्ड यील्ड चीन के बॉण्ड यील्ड से काफी कम है।
  - चीन द्वारा जारी किये गए 5-वर्षीय बॉण्ड की यील्ड (-) 0.15 प्रतिशत है, जबकि यूरोपीय बाज़ारों में जारी बॉण्ड की यील्ड (-) 0.5 प्रतिशत से (-) 0.75 प्रतिशत के बीच है।
  - ध्यातव्य है कि जहाँ एक ओर महामारी के प्रभावस्वरूप विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्था में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है, वहीं चीन उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जिन्होंने मौजूदा वित्तीय वर्ष में महामारी के बावजूद आर्थिक वृद्धि दर्ज की है। चीन की ये आर्थिक वृद्धि भी निवेशकों के आकर्षण का कारण हो सकती है।
  - यूरोप, अमेरिका और विश्व के अन्य हिस्सों में संक्रमण की दर अभी भी काफी तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि चीन ने महामारी के प्रसार को नियंत्रित कर लिया है और वहाँ कुछ हद तक स्थिरता दिखाई दे रही है।

नोट :

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिये सिंगल-विंडो सिस्टम

चर्चा में क्यों ?

उद्योग और आंतरिक संवर्द्धन विभाग (DPIIT) द्वारा अगले वर्ष मार्च माह के अंत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) से संबंधित प्रस्तावों के लिये एक नया एकीकृत सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम शुरू किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रभावी और एकीकृत सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम में नियामक तथा नीति निर्धारक सभी एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे, जिन्हें डिजिटल माध्यम से आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा।
- इस सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम में केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिससे विदेशी निवेशकों को सभी प्रासंगिक अनुमोदन और मंज़ूरी प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
  - यह नया सिस्टम सभी संभावित निवेशकों को एक ही स्थान पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के उन सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों से अनुमोदन और स्वीकृति प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा, जो कि किसी विदेशी कंपनी के लिये एक राज्य, ज़िले अथवा शहर में निवेश करने या संयंत्र स्थापित करने के लिये आवश्यक होंगे।
- यह न केवल निवेशकों को अपने प्रस्ताव की स्थिति जानने में मदद करेगा, बल्कि इससे विदेशी निवेश के संबंध में जल्द-से-जल्द अनुमोदन प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।

महत्त्व

- पारदर्शिता: इस प्रणाली के माध्यम से निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, जिससे अधिकारियों को बिना किसी बाधा के दस्तावेज़ों और रिकॉर्ड की जाँच करने में मदद मिलेगी।
- शीघ्र अनुमोदन: सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों और विदेशी निवेशकों को अधिक सुविधाजनक तरीके से समय बर्बाद किये बिना अनुमोदन की प्रक्रिया में तेज़ी लाने में मदद करेगा।
- सुरक्षा: सीमापार व्यापार सौदों में सुरक्षा सदैव एक महत्त्वपूर्ण कारक रहता है और यह सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम सुरक्षा बनाए रखने की दृष्टि से भी काफी महत्त्वपूर्ण होगा।

क्या होता है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ?

- जब कोई देश विकासात्मक कार्यों के लिये अपने घरेलू स्रोत से संसाधनों को नहीं जुटा पाता है तो उसे देश के बाहर जाकर शेष विश्व की अर्थव्यवस्था से संसाधनों को जुटाना पड़ता है।
- शेष विश्व से ये संसाधन या तो कर्ज (ऋण) के रूप में जुटाए जाते हैं या फिर निवेश के रूप में। कर्ज के रूप में जुटाए गए संसाधनों पर ब्याज देना पड़ता है, जबकि निवेश की स्थिति में हमें लाभ में भागीदारी प्रदान करनी होती है।
- विदेशी निवेश विकासात्मक कार्यों के लिये एक महत्त्वपूर्ण साधन है। विदेशी निवेश मुख्यत: दो प्रकार के होते हैं- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)
  - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): यदि किसी विदेशी निवेशक को अपने निवेश से कंपनी के 10 प्रतिशत या अधिक शेयर प्राप्त हो जाएँ, जिससे कि वह कंपनी के निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष भागीदारी कर सके तो इस निवेश को 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' कहते हैं। इसके अंतर्गत निवेशक किसी फर्म की उत्पादन, वितरण और अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से निवेश करते हैं।
  - विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI): इसके विपरीत यदि किसी विदेशी निवेशक को अपने निवेश से कंपनी के 10 प्रतिशत या उससे कम शेयर प्राप्त हों, तो इसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) कहा जाता है। इसके अंतर्गत निवेश को व्यवसाय की गतिविधियों में संचालन का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

- 1990 के दशक में आर्थिक सुधारों के बाद से भारत सरकार द्वारा किये गए प्रयासों की बदौलत भारत में विदेशी निवेश में काफी सुधार देखने को मिला है।

नोट :

- आँकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत में FDI अंतर्वाह 45.15 डॉलर था और तब से इसमें लगातार वृद्धि दर्ज की गई है।
- वर्ष 2014-20 में वर्ष 2008-14 की तुलना में FDI अंतर्वाह में कुल 55 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जहाँ एक ओर वर्ष 2008-14 के मध्य भारत ने कुल 231.37 बिलियन डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) प्राप्त किया था, वहीं वर्ष 2014-20 में भारत ने कुल 358.29 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त किया।
- विगत 20 वर्ष (अप्रैल 2000- जून 2020) में देश में कुल FDI प्रवाह 693.3 बिलियन डॉलर रहा है, जबकि गत 5 वर्ष (अप्रैल 2014-सितंबर 2019) में कुल 319 बिलियन डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त किया गया है।
- वर्ष 2019-20 (31.60 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में वर्ष 2020-21 के पहले 5 माह में 13 प्रतिशत अधिक FDI (35.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर) प्राप्त हुआ है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का महत्त्व

- रोज़गार का सृजन और आर्थिक विकास विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) का सबसे बड़ा लाभ है, जिसके कारण प्राय: विश्व के सभी देश, विशेष रूप से विकासशील देश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं।
- FDI में बढ़ोतरी के कारण विनिर्माण और सेवा जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा मिलता है, रोज़गार सृजन में बढ़ोतरी होती है और शिक्षित युवाओं के बीच बेरोज़गारी दर कम करने में मदद मिलती है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
- FDI किसी एक देश के पिछड़े क्षेत्रों को औद्योगिक केंद्रों में बदलने में सहायता करता है, जिससे उस क्षेत्र विशिष्ट की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान सरकार ने राज्य में विकास और रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिये दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे (DMIC) के साथ दो विशेष क्षेत्रों को विकसित करने की योजना बनाई है।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि
  - भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अलग-अलग औद्योगिक गलियारे परियोजनाओं को विकसित किया जा रहा है।
  - सरकार के इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में ऐसे औद्योगिक शहरों का विकास करना है, जो कि भविष्य में विश्व के सबसे अच्छे विनिर्माण और निवेश स्थलों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम होंगे, और ये देश की प्रगति में महत्त्वपूर्ण योगदान देंगे।
    - इन औद्योगिक गलियारों से रोज़गार के अवसरों और आर्थिक विकास में बढ़ोतरी होगी, जिससे अंतत: भारत के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को बल मिलेगा।
  - इस कार्यक्रम के लिये कुल स्वीकृत राशि तकरीबन 20,084 करोड़ रुपए है। कार्यक्रम के तहत 11 औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं को शुरू किया गया है, और इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024-25 तक चार चरणों में कुल 30 परियोजनाओं को विकसित किया जाएगा।
  - विकास और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में मौजूद सभी औद्योगिक गलियारों के समन्वित और एकीकृत विकास के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (NICDIT) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है।
- दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC)
  - दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC) भारत सरकार द्वारा घोषित पहली औद्योगिक गलियारा विकास परियोजना है।
  - इस विकास परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम (DMICDC), को वर्ष 2008 में निगमित किया गया था।

नोट :

- हालाँकि वर्ष 2016 में भारत भर के अन्य औद्योगिक गलियारों को भी DMICDC के दायरे में शामिल कर दिया गया और DMICDC का नाम बदलकर राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (NICDIT) कर दिया गया।

- इस परियोजना का उद्देश्य तीव्र गति और कनेक्टिविटी का लाभ उठाते हुए स्मार्ट और सतत् औद्योगिक शहरों का निर्माण करना है, ताकि लॉजिस्टिक लागत को कम किया जा सके।
  - ये सभी औद्योगिक शहर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों जैसे राज्यों में होंगे।
- यह पहली बार है जब भारत ने प्रमुख आर्थिक चालक के रूप में विनिर्माण के साथ नियोजित शहरीकरण की प्रक्रिया को अपनाया है।
  - दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे (DMIC) का लक्ष्य स्थानीय वाणिज्य और विदेशी निवेश को बढ़ाने तथा सतत् विकास प्राप्त करने के लिये विश्व-स्तरीय प्रतिस्पर्द्धी औद्योगिक वातावरण और अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे के साथ एक मज़बूत आर्थिक आधार तैयार करना है।

क्या होता है औद्योगिक गलियारा ?

- एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं और औद्योगिक गलियारे, इस परस्पर-निर्भरता को पहचानते हुए उद्योग और बुनियादी ढाँचे के बीच प्रभावी एकीकरण प्रदान करते हैं, जिससे समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास होता है।
- औद्योगिक गलियारा मूल रूप से मल्टी-मॉडल परिवहन सेवाओं से युक्त गलियारा होता है, जो कि विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए दो विशिष्ट स्थानों को जोड़ता है।

NIIF में कैपिटल इन्फ्यूज़न को कैबिनेट की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार के 'राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष' (National Investment and Infrastructure Fund- NIIF) द्वारा प्रायोजित NIIF- ऋण प्लेटफॉर्म में 6000 करोड़ रुपए के 'इक्विटी इन्फ्यूज़न' (पूंजी डालने) के प्रस्ताव को अपनी मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु:

पृष्ठभूमि:

- 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline- NIP) के अनुसार, अवसंरचना क्षेत्र में अगले 5 वर्षों में 111 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
- यह विभिन्न उप-क्षेत्रों में ऋण वित्तपोषण की पर्याप्त आवश्यकता को पूरा करेगा। इसके लिये ऋण वित्तपोषण के रूप में कम-से-कम 60 से 70 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।
- वर्तमान परिवेश में अच्छी तरह से पूंजीकृत तथा विशिष्ट बुनियादी ढाँचे पर केंद्रित वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता है, इस दिशा में NIIF-ऋण प्लेटफॉर्म को NIIF द्वारा विकसित किया जा रहा है।
  - यह एक मज़बूत पूंजी आधार और विशेषज्ञता संचालित दृष्टिकोण के साथ आधारित परियोजनाओं को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

वर्तमान इक्विटी इन्फ्यूज़न की स्वीकृति दो शर्तों के अधीन है:

- प्रस्तावित राशि में से केवल 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान किया जाएगा।
- हालाँकि वर्तमान COVID -19 महामारी के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व वित्तीय स्थिति और सीमित वित्तीय उपलब्धता के मद्देनज़र प्रस्तावित राशि को पुन: वितरित किया जा सकता है लेकिन इसके लिये तत्परता और ऋण जुटाने की मांग का होना आवश्यक है।
- NIIF, घरेलू और वैश्विक पेंशन फंड और सॉवरेन वेल्थ फंड से इक्विटी निवेश का उपयोग करने के लिये सभी आवश्यक कदम शीघ्रता से उठाएगा।

नोट :

NIIF- ऋण प्लेटफॉर्म:

इसमें शामिल हैं:

- एसेम (Aseem) इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (AIFL):
  - यह एक अवसंरचना वित्तीयन कंपनी (IFC) है, जो भारतीय बुनियादी ढाँचे के ऋण वित्तपोषण की वृद्धि में परिवर्तनकारी भूमिका निभाने के उद्देश्य से स्थापित है।
- NIIF- 'इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड' (NIIF-IFL):
  - इसे वर्ष 2014 में 'अवसंरचना ऋण कोष' (IDF) के रूप में परिचालित अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये स्थापित किया गया था।

योगदान:

- ऐसी उम्मीद है कि यह अगले 5 वर्षों में अवसंरचना क्षेत्र को 1 लाख करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगा।

प्रभाव:

- यह 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' के तहत अवसंरचना क्षेत्र में परिकल्पित निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगा।
- यह प्रक्रिया आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं के लिये बैंकों पर ऋण दबाव को कम करेगा और हरित क्षेत्र की नवीन परियोजनाओं को शुरू करने में भी मदद करेगी।
- यह आधारभूत अवसंरचना की परिसंपत्तियों की तरलता को बढ़ाएगा और जोखिमों को कम करेगा।
- यह उम्मीद की जाती है कि एक अच्छी तरह से पूंजीकृत, वित्त पोषित और शासित NIIF- ऋण प्लेटफॉर्म भारत के बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण तथा बॉण्ड बाज़ार और आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं एवं कंपनियों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करके भारत में बॉण्ड बाज़ार के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF):

- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) देश में अवसंरचना क्षेत्र की वित्तीय समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाला और वित्तपोषण सुनिश्चित करने वाला भारत सरकार द्वारा निर्मित किया गया एक कोष है।
- NIIF में 49% हिस्सेदारी भारत सरकार की है तथा शेष हिस्सेदारी विदेशी और घरेलू निवेशकों की है।
- केंद्र की अति महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी के साथ NIIF को भारत का 'अर्द्ध-संप्रभु धन कोष' (Quasi-sovereign Wealth Fund) माना जाता है।
- इसे दिसंबर, 2015 में द्वितीय श्रेणी के 'वैकल्पिक निवेश कोष' (Alternate Investment Fund) के रूप में स्थापित किया गया था।
- इसके तीन कोषों मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स और स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड में यह 4.3 बिलियन डॉलर से अधिक की पूंजी का प्रबंधन करता है।
- इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है।

परिभाषाएँ (Terms):

ऋण वित्तपोषण:

- जब कोई कंपनी ब्याज के साथ भविष्य की किसी तारीख पर वापस भुगतान करने के वादे के साथ वित्त उधार लेती है, तो इसे ऋण वित्तपोषण के रूप में जाना जाता है।

इक्विटी:

- इक्विटी कंपनी में शेयरधारकों की हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे कंपनी की बैलेंस शीट पर पहचाना जाता है।

नोट :

सॉवरेन वेल्थ फंड:

- 'सॉवरेन वेल्थ फंड' एक राज्य के स्वामित्व वाली निवेश निधि होती है जो सरकार के धन से बना होता है, जिसे अक्सर देश के अधिशेष भंडार से प्राप्त किया जाता है।

पेंशन निधि:

- पेंशन फंड कोई भी योजना, फंड या स्कीम है जो सेवानिवृत्ति पर निश्चित आय प्रदान करता है।

बॉण्ड:

- यह एक निश्चित आय साधन है जो एक निवेशक द्वारा एक उधारकर्त्ता को दिये गए ऋण का प्रतिनिधित्व करता है। सरल शब्दों में, एक बॉण्ड निवेशक और उधारकर्त्ता के बीच एक अनुबंध के रूप में कार्य करता है। ज्यादातर कंपनियाँ और सरकार बॉण्ड जारी करती हैं और निवेशक उन बॉण्डों को बचत और सुरक्षा विकल्प के रूप में खरीदते हैं।

हनी एफपीओ कार्यक्रम: नफेड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited) के हनी किसान उत्पादक संगठन (FPO-Farmer Producer Organisation) कार्यक्रम का उद्घाटन किया है।

प्रमुख बिंदु

- एक उत्पादक संगठन (PO-Producer Organisation) प्राथमिक उत्पादकों (किसान, दूध उत्पादक, मछुआरे, बुनकर, ग्रामीण कारीगर, शिल्पकार आदि) द्वारा गठित एक क़ानूनी इकाई है।
- FPO, PO का एक प्रकार है, जिसमें किसान सदस्य होते हैं।
- मधुमक्खी पालन (Apiculture) का अभिप्राय मधुमक्खियों को नियंत्रित करने और उन्हें संभालने की मानवीय गतिविधि से होता है।
- यह कार्यक्रम FPO के गठन और संवर्द्धन के तहत शुरू किया गया है।
  - यह 10,000 नए FPO को बनाने के लिये एक नई केंद्रीय योजना है।
  - इसके तहत, राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन सलाहकार और फंड मंज़ूरी समिति (National Level Project Management Advisory and Fund Sanctioning Committee) ने सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को 2020-21 के लिये FPO क्लस्टर आवंटित किये थे।
    - प्रारंभ में लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ (Small Farmers Agri-business Consortium), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD-National Bank for Agriculture and Rural Development) FPO को बनाने और बढ़ावा देने के लिये तीन कार्यान्वयन एजेंसियाँ होंगी।
    - NAFED को चौथी राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।
    - यदि राज्य चाहें तो कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (Department of Agriculture, Cooperation and Farmer's Welfare) के परामर्श से अपनी कार्यान्वयन एजेंसी को भी नामित कर सकते हैं।
  - FPO को समूह आधारित व्यावसायिक संगठनों (Cluster Based Business Organizations) द्वारा विकसित किया जाएगा।
- NAFED पाँच राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मधुमक्खी पालकों के लिये FPO स्थापित करने में मदद करेगा
  - पहला हनी FPO मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन (National Beekeeping and Honey Mission) के तहत पंजीकृत किया गया है।

नोट :

लाभ:

- वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन में कौशल उन्नयन।
- शहद और संबद्ध मधुमक्खी पालन उत्पादों जैसे मधुमक्खी के मोम, प्रोपोलिस, शाही जेली, मधुमक्खी जहर आदि के प्रसंस्करण हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास।
- गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं द्वारा गुणवत्ता उन्नयन।
- संग्रह, भंडारण, बॉटलिंग और विपणन केंद्रों में सुधार करके बेहतर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन।
- FPO का प्रचार और गठन कृषि को आत्मनिर्भर कृषि में बदलने के लिये पहला कदम है।

मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा अन्य प्रयास:

- सरकार किसानों की आय को दोगुना करने और आदिवासी उत्थान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है।
- सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत मधुमक्खी पालन क्षेत्र में 500 करोड़ रु. का आवंटन किया।
- चलती-फिरती मधुवाटिका (Apiary on Wheels):
  - यह मधुमक्खियों को पालने एवं उनके बक्सों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिये खादी और ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission- KVIC) की एक अनूठी पहल है।
- राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (National Bee Board) ने NBHM के हिस्से के रूप में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये चार मॉड्यूल बनाए हैं।
  - इसके तहत 30 लाख किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया गया है साथ में उन्हें सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।
  - मिनी मिशन-1 और मिनी मिशन-2 इस मिशन के तहत योजनाएँ हैं।
- सरकार ने मीठी क्रांति (Sweet Revolution) के भाग के रूप में NBHM का शुभारंभ किया।
  - मधुमक्खी पालन और इससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2016 में 'मीठी क्रांति' को शुरू किया गया था।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission):

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग 'खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम-1956' के तहत एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है।
- यह भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises) के अंतर्गत आने वाली एक मुख्य संस्था है।
- इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी आवश्यक हो अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर खादी एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना तथा विकास के लिये योजनाएँ बनाना, उनका प्रचार-प्रसार करना तथा सुविधाएँ एवं सहायता प्रदान करना है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी

चर्चा में क्यों ?

लगभग एक दशक की लंबी वार्ता के पश्चात् इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की 15 अर्थव्यवस्थाओं ने 37वें आसियान शिखर सम्मेलन के मौके पर अंतत: क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) के रूप में विश्व के सबसे बड़े मुक्त व्यापार ब्लॉक का गठन किया।

प्रमुख बिंदु

- इसी के साथ ही क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) में भारत के शामिल होने की चर्चा पुन: शुरू हो गई है, जबकि कुछ समय पूर्व भारत ने इस मुक्त व्यापार ब्लॉक में शामिल होने से इनकार कर दिया था।

क्या है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी ?

- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है, जिसमें आसियान (ASEAN) के दस सदस्य देश तथा पाँच अन्य देश (ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूज़ीलैंड) शामिल हैं।
  - ध्यातव्य है कि यह समझौता इस लिहाज़ से काफी महत्त्वपूर्ण है कि इसमें विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल नहीं है। अमेरिका वर्ष 2017 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) से भी बाहर हो गया था।
- आसियान के दस सदस्य देशों के अलावा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) में मुख्यत: वे देश शामिल हैं जिन्होंने आसियान देशों के साथ पहले से ही मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किये हैं।
- पृष्ठभूमि: क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) के रूप में एक व्यापक मुक्त व्यापार ब्लॉक बनाने को लेकर वार्ता की शुरुआत वर्ष 2012 में कंबोडिया में आयोजित 21वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी और अब लगभग 8 वर्ष बाद इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया है।
  - भारत शुरुआत से ही क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) के लिये होने वाली वार्ताओं का हिस्सा रहा है किंतु वर्ष 2019 में भारत ने कुछ अनसुलझे मुद्दों और चीन से संबंधित चिंताओं का हवाला देते हुए इसमें शामिल न होने का निर्णय लिया था।

क्यों महत्त्वपूर्ण है RCEP ?

- कई विश्लेषण मानते हैं कि व्यापारिक दृष्टिकोण से क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) का विशाल आकार इसे वैश्विक स्तर पर काफी महत्त्वपूर्ण बनाता है।
- ध्यातव्य है कि अपने वर्तमान स्वरूप में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) के अंतर्गत विश्व की कुल आबादी का लगभग एक-तिहाई हिस्सा कवर किया गया है। वहीं यह मुक्त व्यापार ब्लॉक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 29% हिस्सा कवर करता है।
- एक अनुमान के मुताबिक, चीन द्वारा समर्थित यह समूह अमेरिका-मैक्सिको-कनाडा समझौते और यूरोपीय संघ (EU) दोनों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते के रूप में उभर सकता है।
- उम्मीद के अनुसार, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) आगामी 20 वर्ष के भीतर आयात पर लगने वाले शुल्क को पूर्णत: समाप्त कर देगा। इस समझौते में बौद्धिक संपदा, दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं, ई-कॉमर्स और पेशेवर सेवाओं से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं।
- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) के तहत, सभी सदस्य राष्ट्रों के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा।
- इस समझौते के कारण वर्ष 2030 तक वैश्विक आय में 186 बिलियन डॉलर तक की बढ़ोतरी हो सकती है, साथ ही यह समझौता अपने सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था में 0.2% की बढ़ोतरी कर सकता है।

नोट :

- हालाँकि, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस सौदे से चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को अन्य सदस्य देशों की तुलना में अधिक लाभ होने की संभावना है।

चीन के लिये इस समझौते के निहितार्थ

- COVID-19 महामारी के पश्चात् चीनी अर्थव्यवस्था को गति देने में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- यह समझौता चीन को व्यापक पैमाने पर जापान तथा दक्षिण कोरिया के बाज़ारों तक पहुँच प्रदान करने में मदद करेगा। उल्लेखनीय है कि तीनों देशों ने अभी तक आपस में कोई भी मुक्त व्यापार समझौता नहीं किया है।
- यद्यपि चीन ने पहले से ही कई द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं किंतु यह पहली बार है जब उसने किसी क्षेत्रीय बहुपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

भारत का पक्ष

- गौरतलब है कि भारत वर्ष 2019 में ही कुछ असहमतियों के कारण इस समझौते से बाहर हो गया था, हालाँकि मौजूदा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) पर सहमति व्यक्त करते हुए सभी सदस्य देशों ने सामूहिक रूप से कहा है कि भारत भविष्य में कभी भी इस समझौते में शामिल होने के लिये आवेदन कर सकता है।
  - इस समझौते को लेकर भारत की प्रमुख चिंताओं में से एक आयात में वृद्धि के विरुद्ध अपर्याप्त संरक्षण भी था, क्योंकि भारतीय उद्योगों को भय था कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से भारतीय बाज़ारों में चीन के सस्ते उत्पादों बाढ़ आ जाएगी।
- हाल ही में आयोजित हुए 17वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला किंतु इस दौरान RCEP को लेकर भारत ने कोई चर्चा नहीं की, सभवत: इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि भारत चीन के साथ अपनी सीमा पर तनाव के कारण चीन समर्थित किसी समूह में शामिल नहीं होना चाह रहा है।

आगे की राह

- एक व्यापक मुक्त व्यापार ब्लॉक के रूप में यह एक ऐतिहासिक व्यापारिक पहल है, जिसके कारण इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के देशों के बीच वाणिज्य को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण सहायता मिलेगी।
- यह देखते हुए कि इस समझौते में शामिल होने के लिये भारत के पास अभी भी कई अवसर हैं, भारत को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) को लेकर अपने हितों को सभी सदस्य देशों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये, क्योंकि भारत ने पहले ही 12 देशों के साथ व्यापार और निवेश संबंधी समझौते किये हुए हैं।

'गोल्डन वीज़ा' प्रोग्राम का विस्तार

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अपने 'गोल्डन वीज़ा' प्रोग्राम का विस्तार करते हुए इसके तहत कुछ पेशेवरों और विशिष्ट डिग्री धारकों को शामिल करने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- संयुक्त अरब अमीरात की सरकार द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक, डॉक्टरेट (Doctorate) और मेडिकल डॉक्टर डिग्री धारक तथा कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिकल, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग डिग्री धारक इस प्रोग्राम का लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
- इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), बिग डेटा और एपिडेमियोलॉजी अथवा महामारी विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट डिग्री धारक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के ऐसे छात्र भी इस प्रोग्राम का लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जिन्होंने 3.8 या उससे अधिक GPA प्राप्त किया है।
  - ये परिवर्तन 1 दिसंबर, 2020 से लागू होंगे।

नोट :

निहितार्थ

- मुख्यत: एक तेल और गैस उत्पादक देश होने के कारण कोरोना वायरस महामारी और तेल की कम कीमत ने संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, इसके कारण कई प्रवासी अपने देश जाने को भी मजबूर हो गए हैं। ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के इस निर्णय को अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के एक प्रयास के रूप में भी देखा जा सकता है।

लाभ

- संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की सरकार द्वारा लिये गए इस निर्णय का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों और वैज्ञानिक विषयों के विशेषज्ञों तथा प्रतिभाशाली पेशेवरों को आकर्षित करना एवं उन्हें संयुक्त अरब अमीरात के विकास से जोड़ना है।
- 'गोल्डन वीज़ा' प्रोग्राम के विस्तार से विश्व भर के प्रतिभाशाली लोग संयुक्त अरब अमीरात में अपना कॅरियर शुरू करने के प्रति आकर्षित होंगे, जिससे वहाँ नवाचार, रचनात्मकता और प्रायोगिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सकेगा, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के विकास की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है।

भारत की दृष्टि से

- संयुक्त अरब अमीरात का यह निर्णय भारत के युवाओं खासतौर पर तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत युवाओं के लिये काफी महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है और इससे युवाओं को रोज़गार के नए अवसर तलाशने में भी मदद मिलेगी।
- ऐतिहासिक रूप से भारत में इंजीनियरिंग डिग्री धारकों की संख्या सबसे अधिक रही है। एक अनुमान के मुताबिक, भारत में प्रत्येक वर्ष कम-से-कम 15 लाख इंजीनियरिंग छात्र विभिन्न शाखाओं जैसे IT, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल आदि से स्नातक की डिग्री प्राप्त करते हैं।
  - इसे भारत का 'इंजीनियरिंग संकट' (Engineering Crisis) ही कहा जाएगा कि इतनी बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग स्नातक होने के बावजूद केवल 2.5 लाख स्नातकों को ही तकनीकी क्षेत्र में रोज़गार मिल पाता है।

'गोल्डन वीज़ा' प्रोग्राम

- 'गोल्डन वीज़ा' प्रोग्राम की शुरुआत वर्ष 2019 में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद द्वारा की गई थी, जो कि एक दीर्घकालिक निवास कार्यक्रम है।
- इस कार्यक्रम का संपूर्ण उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात में एक आकर्षक निवेश वातावरण का निर्माण करना है, जो देश में व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करेगा और नई प्रतिभाओं को आकर्षित करेगा।
- आमतौर पर संयुक्त अरब अमीरात प्रवासियों को स्थायी निवास वीज़ा नहीं प्रदान करता है, किंतु गोल्डन वीज़ा एक नवीकरणीय 10-वर्षीय वीज़ा है, जिससे प्रवासियों को वहाँ दीर्घकाल के लिये रहने का अवसर मिलता है।
- अभी तक वीज़ा केवल निवेशकों, उद्यमियों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वैज्ञानिकों आदि को जारी किया जाता था, किंतु अब हालिया घोषणा के साथ ही तकनीक, मेडिकल और कला क्षेत्र के प्रतिभाशाली युवाओं को भी इसका लाभ मिल सकेगा।

अरुणाचल बॉर्डर के पास चीन की रेलवे

चर्चा में क्यों ?

चीन ने रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण रेलवे लाइन जो चीन के सिचुआन प्रांत (Sichuan Province) को तिब्बत में निंगची (Nyingchi) से जोड़ेगी पर कार्य करना शुरू कर दिया है। यह रेलवे लाइन भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है।

प्रमुख बिंदु:

- यह तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (Tibet Autonomous Region-TAR) को चीन की मुख्य भूमि के साथ जोड़ने वाला दूसरा ऐसा मार्ग होगा। इससे पहले किंघाई-तिब्बत रेलवे लाइन (Qinghai-Tibet Railway Line) द्वारा ल्हासा को हिंटरलैंड क्षेत्र से जोड़ा जा चुका है।

नोट :

भारत पर प्रभाव:

सुरक्षा से संबंधित चिंताएँ:

- यह रेलवे लाइन काफी हद तक सीमा क्षेत्र में चीनी सैन्यकर्मियों और सामग्री के परिवहन एवं रसद आपूर्ति की दक्षता व सुविधा में सुधार करेगी।
- अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास प्रत्यक्ष गतिरोध की स्थितियों में जैसा कि डोकलाम या हाल ही में लद्दाख गतिरोध के दौरान देखा गया था, चीन एक लाभप्रद स्थिति में हो सकता है।

पारिस्थितिकी से संबंधित चिंताएँ:

- परियोजना लाइन से संबद्ध संवेदनशील पारिस्थितिक वातावरण, भारत के लिये पारिस्थितिकी से संबंधित चिंताएँ उत्पन्न कर सकता है।

भारत द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम:

- भारत, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Border Area Development Programme- BADP) का केवल 10% धन चीन सीमा से लगे बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिये खर्च करेगा।
- सीमा सड़क संगठन (BRO) ने अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी के ऊपर सिर्फ 27 दिनों के रिकॉर्ड समय में दापोरीजो पुल (Daporijo Bridge) का निर्माण किया। यह भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) तक जाने वाली सड़कों को जोड़ता है।
- हाल ही में रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग ज़िले में नेचिफु (Nechiphu) में एक सुरंग की नींव रखी। यह तवांग के माध्यम से LAC तक सैनिकों की यात्रा में लगने वाले समय को कम कर देगा, जिसे चीन अपने क्षेत्र में होने का दावा करता है।
- BRO पहले से ही अरुणाचल प्रदेश में से ला दर्रे (Se La pass) के तहत एक 'ऑल वेदर टनल' का निर्माण कर रहा है जो तवांग को अरुणाचल व गुवाहाटी के बाकी हिस्सों से जोड़ता है।
- अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर जनसंख्या के पलायन (विशेष रूप से चीन सीमा के साथ लगे क्षेत्रों से) को रोकने के लिये केंद्र सरकार से पायलट विकास परियोजनाओं की मांग की है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भारत-चीन सीमा पर बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये पायलट परियोजनाओं के रूप में 10 जनगणना शहरों (Census Towns) के चयन की सिफारिश की है।
- हाल ही में रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में निचली दिबांग घाटी में स्थित सिसेरी नदी पुल (Sisseri River Bridge) का उद्घाटन किया, जो दिबांग घाटी को सियांग से जोड़ता है।
- वर्ष 2019 में भारतीय वायु सेना ने अरुणाचल प्रदेश में भारत के सबसे पूर्वी गाँव-विजयनगर (चांगलांग ज़िले) में पुनर्निर्मित हवाई पट्टी का उद्घाटन किया।
- वर्ष 2019 में भारतीय सेना ने अपने नए 'इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स' (Integrated Battle Groups- IBG) के साथ अरुणाचल प्रदेश और असम में 'हिमविजय' (HimVijay) अभ्यास किया।
- बोगीबील पुल (Bogibeel Bridge) जो भारत का सबसे लंबा सड़क-रेल पुल है, असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट से जोड़ता है। इसका उद्घाटन वर्ष 2018 में किया गया था।
  - यह भारत-चीन सीमा के पास के क्षेत्रों में सैनिकों और उपकरणों की त्वरित आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा।

भारत-चीन सीमा क्षेत्र:

- भारत और चीन सीमा साझा करते हैं जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 3488 किलोमीटर तक फैली हुई है।
- दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद अभी भी अनसुलझा है।
- इसे तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:
- पश्चिमी क्षेत्र: यह लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश (UT) के अंतर्गत आता है और 1597 किमी. लंबा है।
  - यह दोनों देशों के बीच सबसे अधिक विवादित क्षेत्र है।

नोट :

- मध्य क्षेत्र: यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और 545 किलोमीटर लंबा है।
  - यह दोनों देशों के बीच सबसे कम विवादित क्षेत्र है।
- पूर्वी क्षेत्र: यह सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पड़ता है और 1346 किलोमीटर लंबा है।
  - चीन, अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है जिसे भारत खारिज करता है।

आगे की राह:

- भारत को अपने हितों की रक्षा के लिये अपनी सीमा के पास चीन में किसी भी नए ढाँचागत विकास के मामले में पर्याप्त रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा इसे अपने क्षेत्र में दुर्गम सीमा क्षेत्रों में मज़बूत बुनियादी ढाँचे के निर्माण की आवश्यकता है ताकि कुशल तरीके से सैन्यकर्मियों एवं रसद की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके।

इथियोपिया का नृजातीय संकट

चर्चा में क्यों ?

इथियोपिया की सरकार ने बीते दिनों अपने ही देश के उत्तरी टाइग्रे क्षेत्र (Tigray region) के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष की घोषणा की थी, जिसके कारण अब तक सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है और यह क्षेत्र अभी भी हिंसा की आग में जल रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इथियोपिया के उत्तरी टाइग्रे क्षेत्र में शुरू हुए विद्रोह को समाप्त करने के लिये की जा रही कार्यवाही के चलते अब तक हज़ारों लोगों को इस क्षेत्र से विस्थापित किया जा चुका है।
- इथियोपिया के प्रधानमंत्री और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अबी अहमद के मुताबिक, यह सैन्य अभियान मुख्य तौर पर इस क्षेत्र में शासन करने वाले संगठन टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF) पर केंद्रित है।
- यदि इथियोपिया में चल रहे इस संघर्ष को जल्द-से-जल्द समाप्त नहीं किया जाता है तो यह गृह युद्ध का रूप ले सकता है, जिससे इथियोपिया और इसके आस-पास के क्षेत्रों को अस्थिरता और सैन्य संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के बारे में

- टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF) की स्थापना वर्ष 1975 में इथियोपिया की सैन्य तानाशाही सरकार के विरुद्ध टाइग्रे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा करने के लिये एक सैन्य संगठन के रूप में की गई थी।
- इस संगठन ने इथियोपिया की तत्कालीन सैन्य सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया और अंततः वर्ष 1991 में यह सैन्य तानाशाही सरकार को सत्ता से हटाने में कामयाब हो गया, जिसके बाद से इस संगठन को इथियोपिया में एक नायक के रूप में देखा जाने लगा।
- वर्ष 1991 में ही TPLF के नेता मेल्स ज़ेनावी (Meles Zenawi) ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला और वर्ष 1995 में वे पहली बार प्रधानमंत्री चुने गए।
- मेल्स ज़ेनावी वर्ष 2012 तक सत्ता में रहे और उन्हें इथियोपिया की नृजातीय-संघीय व्यवस्था (Ethno-Federal System) के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है।

पृष्ठभूमि

- सैन्य तानाशाही समाप्त होने के बाद इथियोपिया में सरकार चलाने के लिये मेल्स ज़ेनावी द्वारा इथियोपिया पीपुल्स रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (EPRDF) नाम से एक गठबंधन बनाया गया था, हालाँकि समय के साथ मेल्स ज़ेनावी और उनकी सरकार पर सत्तावादी होने के आरोप भी लगे और कई क्षेत्रों में सरकार विरोधी प्रदर्शन भी हुए। मेल्स ज़ेनावी के बाद भी ये प्रदर्शन जारी रहे।
  - यद्यपि इथियोपिया पीपुल्स रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (EPRDF) के गठबंधन में कई सारे नृजातीय समूह शामिल थे, किंतु इसके बावजूद टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF) इस गठबंधन में एक बड़ा राजनीतिक समूह बना हुआ था।
- वर्ष 2018 में बढ़ते विरोध और राजनीतिक गतिरोध के बीच इथियोपिया पीपुल्स रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (EPRDF) ने सरकार का नेतृत्त्व करने के लिये पूर्व सैन्य खुफिया अधिकारी अबी अहमद का चयन किया।

नोट :

- वैसे तो इथियोपिया पीपुल्स रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (EPRDF) ने कई वर्षों तक स्थायी सरकार प्रदान की और इथियोपिया के आर्थिक विकास में भी काफी वृद्धि हुई, किंतु इस दौरान इथियोपिया की नृजातीय-संघीय व्यवस्था की आलोचना काफी तेज़ हो गई।

इथियोपिया की नृजातीय-संघीय व्यवस्था

- आँकड़ों की मानें तो टाइग्रे लोग इथियोपिया की कुल आबादी का 6 प्रतिशत हैं, जबकि ओरोमो और अम्हार नृजातीय लोगों की संख्या कुल आबादी की क्रमश: 34 प्रतिशत और 27 प्रतिशत है। इस तरह इथियोपिया में ओरोमो और अम्हार नृजातीय (Ethnicity) लोगों की संख्या सबसे अधिक है।
- हालाँकि वर्ष 2018 से पूर्व इथियोपिया की शीर्ष सत्ता की बात करें तो टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF) के कारण उसमें टाइग्रे लोगों की संख्या सबसे अधिक थी। यही कारण है कि प्राय: ओरोमो लोगों द्वारा सरकार पर उन्हें हाशिये पर धकेलने का आरोप लगाया जाता था और बेहतर प्रतिनिधित्त्व की मांग की जाती थी।

संघर्ष की शुरुआत

- वर्ष 2018 में जब अबी अहमद को इथियोपिया का प्रधानमंत्री बनाया गया तो उन्होंने इथियोपिया के शीर्ष प्रशासन से टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF) के प्रभाव को समाप्त करने के लिये कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए।
- अबी अहमद जो कि इथियोपिया के पहले ओरोमो नेता हैं, ने टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF) के सदस्यों को प्रमुख सरकारी पदों से हटा दिया और ऐसे सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया उन्हें टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF) द्वारा कैद किया गया था।
  - साथ ही उन्होंने मीडिया को स्वतंत्रता प्रदान करने का भी वादा किया।
- इसके अलावा उन्होंने एरीट्रिया के साथ भी शांति स्थापित की, जिसके संबंध टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF) के साथ कुछ अच्छे नहीं थे। ज्ञात हो कि एरीट्रिया, इथियोपिया के टाइग्रे क्षेत्र के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है।
- अबी अहमद के मुताबिक, उनके द्वारा उठाए गए कदमों का उद्देश्य किसी एक समूह को नुकसान पहुँचाना नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य इथियोपिया में शक्ति संतुलन स्थापित करना है और पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना है।
  - हालाँकि कई टाइग्रे लोग और स्वयं टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF) अबी अहमद के इन कदमों को शत्रुतापूर्ण दृष्टि से देखते हैं और इसी कारण नृजातीय संघर्ष देखने को मिल रहा है, जिसके कारण यह क्षेत्र काफी अशांत हो गया है।

इस संघर्ष का प्रभाव

- यदि इथियोपिया की सरकार और टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF) के बीच चल रहा सैन्य संघर्ष लंबे समय तक जारी रहता है तो इससे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथियोपिया के पड़ोसी देशों पर भी काफी प्रभाव देखने को मिल सकता है।
- टाइग्रे क्षेत्र से अपनी निकटता के कारण इस संघर्ष का सबसे अधिक प्रभाव इथियोपिया के पड़ोसी देश पर हो सकता है।
- टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के कई वरिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने वर्ष 1998 और वर्ष 2000 के बीच एरीट्रियाई-इथियोपियाई युद्ध में भाग लिया था, अब एरीट्रिया के साथ समझौते से खुश नहीं हैं।
- चूँकि इथियोपिया का मिस्र और सूडान जैसे कई देशों के साथ तनाव चल रहा है, इसलिये यदि यह संघर्ष आगे बढ़ता है और इन देशों द्वारा टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF) के विद्रोहियों को पनाह दी जाती है तो इसके कारण इस क्षेत्र में खासतौर पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अस्थिरता आ सकती है।

इथियोपिया के बारे में

- अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक देश है, जो कि चारों ओर से भू-सीमा से घिरा हुआ है।
- इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के सभी देशों जैसे- एरीट्रिया, जिबूती और सोमालिया तथा केन्या और सूडान के साथ अपनी सीमा साझा करता है।
  - पूर्वोत्तर अफ्रीका के प्रायद्वीप को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है या कभी-कभी सोमालिया प्रायद्वीप कहा जाता है। यह दक्षिणी अरब प्रायद्वीप के सामने स्थित है।

नोट :

- इसमें मुख्य रूप से एरीट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया शामिल हैं तथा कभी-कभी सूडान और केन्या के कुछ हिस्से भी शामिल किये जाते हैं।

- इथियोपिया, अफ्रीका का सबसे पुराना स्वतंत्र देश है और जनसंख्या के मामले में यह अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है।

आगे की राह

- संभव है कि इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद इस सैन्य कार्यवाही के माध्यम से टाइग्रे क्षेत्र के विद्रोही नेताओं को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे है, लेकिन अधिकांश विश्लेषक मानते हैं कि सैन्य अभियान के माध्यम से नृजातीय और क्षेत्रीय संघर्ष को दबाया ज़रूर जा सकता है, किंतु उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है।
- अपने ही देश के लोगों के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही के बजाय इथियोपिया की सरकार को वहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों खासतौर पर टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF) के साथ बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिये और देश में शक्ति संतुलन स्थापित करते हुए शांति बहाल करने का प्रयास करना चाहिये।

12वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

12वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (12th BRICS Summit) आभासी रूप से 17 नवंबर, 2020 को रूस की मेज़बानी में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने भी भागीदारी की।

प्रमुख बिंदु ?

- इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय था- "वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचारी वृद्धि" (Global Stability, Shared Security and Innovative Growth)।
- यह शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगाँठ की पृष्ठभूमि में और COVID-19 महामारी के बीच आयोजित किया गया।

12वाँ ब्रिक्स सम्मेलन और भारत:

- सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई।

आतंकवाद:

- आतंकवाद दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या है। राज्य-प्रायोजित आतंकवाद (State-sponsored Terrorism) तथा आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों का मिलकर सामना करने की आवश्यकता है। आतंकवादियों के साथ-साथ उन देशों को भी दोषी ठहराया जाए जो आतंकवादियों को सहायता प्रदान करते हैं।
  - यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि शिखर सम्मेलन के दौरान 'ब्रिक्स आतंकवाद-रोधी रणनीति' (BRICS Counter-terrorism Strategy) को भी हस्ताक्षर के लिये रखा गया है।

अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार:

- भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित विश्व व्यापार संगठन (WTO), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) आदि में तत्काल सुधारों का समर्थन करता है। भारत इसमें ब्रिक्स सहयोगियों से समर्थन की उम्मीद करता है । ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान तथा संगठन समकालीन वास्तविकता के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं।

पोस्ट COVID-19 अर्थव्यवस्था:

- पोस्ट COVID-19 परिदृश्य में ब्रिक्स देश महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दुनिया की 42 फीसदी आबादी ब्रिक्स देशों में रहती है, अत: यह संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रमुख इंजन हैं। ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है, जो देशों को वैश्विक स्लोडाउन से उबरने में मदद कर सकता है।

नोट :

आत्मनिर्भर भारत:

- भारत द्वारा प्रस्तावित 'आत्मनिर्भर अभियान' की संकल्पना को ब्रिक्स देशों के साथ साझा किया गया।
- यह अभियान अर्थव्यवस्था में एक 'सुधार प्रक्रिया' के रूप में अपनाया गया जिसका उद्देश्य पोस्ट COVID-19 विश्व व्यवस्था में आत्मनिर्भर और लोचपूर्ण (Self-reliant and Resilient) भारत का निर्माण करना है ताकि वह 'वैश्विक मूल्य शृंखला' में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

COVID-19 वैक्सीन:

- प्रधानमंत्री द्वारा COVID-19 के लिये वैक्सीन के उत्पादन में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया। भारत स्पुतनिक वी (Sputnik V) वैक्सीन के परीक्षण के लिये रूस के साथ बातचीत कर रहा है और इसके जल्द ही उत्तर प्रदेश में शुरू होने की उम्मीद है। भारत ने दक्षिण एशियाई देशों में टीके की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु नेतृत्त्व करने का आश्वासन दिया गया।

ब्रिक्स आतंकवाद-रोधी रणनीति (BRICS Counter-terrorism Strategy):

- शिखर सम्मेलन के दौरान 'ब्रिक्स आतंकवाद-रोधी रणनीति' हस्ताक्षर के लिये रखी गई।
- ब्रिक्स समूह के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों द्वारा इस रणनीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी, जबकि इसके कार्यान्वयन का दायित्व ब्रिक्स 'आतंकवाद-निरोधी कार्य समूह' (Counter-terrorism Working Group- CTWG) को सौंपा जाएगा।

दृष्टिकोण:

- आतंकवाद-रोधी रणनीति का यह मसौदा ब्रिक्स देशों के बुनियादी पहलुओं जैसे- आंतरिक मामलों में संप्रभुता और गैर-हस्तक्षेप का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन तथा सुरक्षा मामलों में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका की मान्यता आदि को प्रतिबिंबित करता है।

उद्देश्य:

- सभी देशों द्वारा आतंकवादी ठिकानों या आतंकी गतिविधियों के प्रसार में अपने क्षेत्रों के उपयोग को रोकने के लिये उचित कदम उठाया जाए।
- सदस्य देशों की सुरक्षा और कानून-प्रवर्तन अधिकारियों के बीच व्यावहारिक सहयोग (विशेषकर सूचनाओं के साझाकरण पर) को बेहतर बनाना ताकि आतंकवाद को रोकने और मुकाबला करने में मदद मिल सके।
- आतंकवाद को रोकने के लिये इससे संबंधित समूहों, संस्थाओं और संबद्ध व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने वाले वित्तीय और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता को रोका जाए।
- 'आतंकवाद के भौगोलिक विस्तार' को रोकने के लिये प्रयास शुरू किये जाएंगे तथा दो देशों के बीच संघर्षरत क्षेत्रों से आतंकवादियों द्वारा किसी तीसरे देश में की जाने वाली यात्रा से उत्पन्न खतरों को भी संबोधित किया जाएगा।
- सदस्य देशों के घरेलू कानूनों और नियमों के अनुरूप आपसी कानूनी सहायता और प्रत्यर्पण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाएगा।
- आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली 'चरमपंथी सूचनाओं' (Extremist Narratives) की उपलब्धता को संबोधित किया जाएगा ताकि इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग आतंकी समूहों द्वारा भर्ती और कट्टरपंथ के प्रचार के लिये नहीं किया जा सके।

निष्कर्ष:

यद्यपि सम्मेलन में भारत-चीन सीमा गतिरोध पर कोई चर्चा नहीं की गई, किंतु ब्रिक्स दोनों देशों के लिये कूटनीतिक दृष्टिकोण से एक महत्त्वपूर्ण मंच हो सकता है। आतंकवाद भारत के लिये एक बड़ा खतरा है और सम्मेलन के दौरान अपनाई जाने वाली 'ब्रिक्स आतंकवाद-विरोधी रणनीति' आतंकवाद से मुकाबला करने में काफी मददगार साबित हो सकती है।

भारत-लक्ज़मबर्ग वर्चुअल समिट

चर्चा में क्यों ?

19 नवंबर, 2020 को भारत-लक्ज़मबर्ग वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस वर्चुअल सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने भारत और लक्ज़मबर्ग के बीच साझा सिद्धांतों और लोकतंत्र, कानून के शासन तथा मानवाधिकारों के मूल्यों के आधार पर उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने पर ज़ोर दिया।
  - ध्यातव्य है कि भारत और लक्ज़मबर्ग के बीच वर्ष 1948 में कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे और बीते सात दशक से भी अधिक समय में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में काफी विस्तार देखने को मिला है।
  - हालाँकि दोनों देशों ने व्यापार, वित्त, इस्पात, अंतरिक्ष, आईसीटी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर द्विपक्षीय समझौतों को और मज़बूत करने पर ज़ोर दिया।

भारत-लक्ज़मबर्ग वर्चुअल समिट

- आर्थिक संबंध
  - दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने भारत और लक्ज़मबर्ग के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों का स्वागत किया और संतोष व्यक्त किया कि दोनों देशों की कंपनियाँ एक-दूसरे के देशों में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हैं।
  - जल्द ही आर्थिक-व्यापारिक संबंधों की समीक्षा के लिये भारत तथा बेल्ज़ियम-लक्ज़मबर्ग आर्थिक संघ के बीच 17वीं संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक आयोजित की जाएगी, ज्ञात हो कि संयुक्त आर्थिक आयोग की 16वीं बैठक सितंबर 2019 में आयोजित की गई थी।
  - सम्मेलन के दौरान वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को अधिक लचीला, विविध और सतत् बनाने को लेकर विचारों का आदान-प्रदान भी किया गया।
- वित्त
  - इस सम्मेलन के दौरान कुल 3 समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किये गए-
    - इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज (India INX) और लक्ज़मबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच समझौता ज्ञापन।
    - भारतीय स्टेट बैंक और लक्ज़मबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच समझौता ज्ञापन।
    - इन्वेस्ट इंडिया और लक्सिनोवेशन (Luxinnovation) के बीच समझौता ज्ञापन।
  - पहले दो समझौता ज्ञापनों (MoUs) का उद्देश्य वित्तीय सेवा उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देना, देशों में प्रतिभूति बाज़ारों का रखरखाव करना और स्थानीय बाज़ार में ESG (पर्यावरण, सामाजिक, शासन) तथा ग्रीन फाइनेंस में सहयोग को बढ़ावा देना है।
  - जबकि तीसरे और अंतिम समझौते का उद्देश्य भारत और लक्ज़मबर्ग की कंपनियों के बीच आपसी व्यापार सहयोग का समर्थन करना है।
  - इसके अलावा लक्ज़मबर्ग की वित्तीय नियामक संस्था तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के बीच भी एक समझौता ज्ञापन प्रस्तावित है, जिससे दोनों देशों के बीच वित्तीय क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंध और अधिक मज़बूत होगा।
  - गौरतलब है कि लक्ज़मबर्ग, यूरोप का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र होने के नाते, भारत के वित्तीय उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से जोड़ने तथा यूरोपीय एवं वैश्विक निवेशकों तक पहुँचने में मदद हेतु एक सेतु के रूप में कार्य कर सकता है।
- अंतरिक्ष और डिजिटल तकनीक
  - ज्ञात हो कि दोनों देशों के बीच उपग्रह प्रसारण (Satellite Broadcasting) और संचार (Communications) जैसे क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण सहयोग रहा है।
  - लक्ज़मबर्ग आधारित कई कंपनियों ने अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिये भारत की सेवाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिये नवंबर 2020 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने PSLV-C49 मिशन लॉन्च किया था, जिसमें लक्ज़मबर्ग के 4 उपग्रह शामिल थे।
  - शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग को लेकर भी दोनों देशों की सरकारों के बीच एक सहयोग समझौते पर वार्ता की जा रही है।
  - भारत और लक्ज़मबर्ग दोनों ही देशों में क्रमश: 'डिजिटल इंडिया तथा 'डिजिटल लक्ज़मबर्ग' पहलों के माध्यम से डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, हालिया सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने इन पहलों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है।

नोट :

- उच्च शिक्षा और अनुसंधान
  - इंडियन नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर और लक्ज़मबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ तथा लक्ज़मबर्ग सेंटर फॉर सिस्टम बायोमेडिसिन द्वारा न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों (Neurodegenerative Diseases) के क्षेत्र में एक साथ कार्य किया जा रहा है।
  - भारतीय उच्च शिक्षण संस्थाओं जैसे- IIT-बॉम्बे, IIT-मद्रास, IIT-कानपुर और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया तथा लक्ज़मबर्ग विश्वविद्यालय के बीच मौजूदा संबंधों को और अधिक विस्तारित करने पर भी सहमति व्यक्त की गई है।
- संस्कृति
  - भारत और लक्ज़मबर्ग दोनों ही देश अहिंसा के विचारों का समर्थन करते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019 में लक्ज़मबर्ग ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया था।
  - सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिये वीज़ा में छूट प्रदान करने और दोनों देशों के बीच गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिये समझौते को अंतिम रूप देने की भी इच्छा ज़ाहिर की।
- यूरोपीय संघ-भारत
  - जुलाई 2020 में भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसमें भारत ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देकर व्यापक कनेक्टिविटी के माध्यम से भारत तथा यूरोपीय संघ (EU) के संबंधों को और मज़बूत करने की बात कही थी।
  - यूरोपीय संघ (EU) का संस्थापक सदस्य होने के नाते लक्ज़मबर्ग भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों को मज़बूती प्रदान करने में रचनात्मक भूमिका अदा कर सकता है, जो कि कोरोना वायरस महामारी के बाद और भी महत्त्वपूर्ण हो गया है।
- बहुपक्षीय समर्थन
  - सम्मेलन के दौरान लक्ज़मबर्ग ने वर्ष 2021-2022 के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में गैर-स्थायी सीट के लिये भारत के चयन का स्वागत किया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधारों के लिये अपने समर्थन को दोहराया।
  - लक्ज़मबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की स्थायी सदस्यता के लिये भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया।
  - इसके अलावा लक्ज़मबर्ग ने मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) और परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG) में भारत की भागीदारी का भी समर्थन किया।
  - भारत ने वर्ष 2022-2024 के लिये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNSC) में लक्ज़मबर्ग की उम्मीदवारी का भी समर्थन किया।

लक्ज़मबर्ग के बारे में

- लक्ज़मबर्ग, पश्चिमी यूरोप का एक देश है, जो चारों ओर से भू-सीमा से घिरा हुआ है। यह पश्चिम और उत्तर में बेल्जियम, पूर्व में जर्मनी और दक्षिण में फ्राँस के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है।

आगे की राह

- पिछले दो दशकों में भारत और लक्ज़मबर्ग के बीच आयोजित यह पहला शिखर सम्मेलन दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के एक नए चरण का प्रतीक है, जहाँ दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक विस्तारित करने तथा आपसी और वैश्विक हित के मामलों में क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों में परामर्श एवं समन्वय को बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी और श्रीलंका

चर्चा में क्यों ?

उभरते एशियाई बाज़ार के दोहन की श्रीलंका की महत्त्वाकांक्षा के मद्देनज़र चीन के नेतृत्त्व वाला क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) समझौता श्रीलंका के लिये एक आदर्श मंच सिद्ध हो सकता है।

- हालाँकि श्रीलंका की मौजूदा आर्थिक चुनौतियों और इस समूह में शामिल न होने के भारत के निर्णय को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि श्रीलंका के लिये इस मुक्त व्यापार समझौते में शामिल होना आसान नहीं होगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

श्रीलंका के लिये एक अवसर

- विश्लेषकों का मानना है कि विश्व के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों में से एक हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण श्रीलंका, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) में शामिल देशों के लिये व्यापार की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण हो सकता है।
- श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से वहाँ हवाई अड्डों के साथ-साथ हंबनटोटा और कोलंबो बंदरगाहों को विकसित किया जा रहा है।
- ध्यातव्य है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री महिंदा राजपक्षे ने सरकार के पहले बजट की घोषणा करते हुए कोलंबो पोर्ट सिटी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश हब के रूप में विकसित करने के संबंध में सरकार की प्राथमिकता को भी रेखांकित किया था।
- इससे स्पष्ट है कि भविष्य में श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है और इस लिहाज़ से यह RCEP के लिये भी काफी महत्त्वपूर्ण हो सकता है।

श्रीलंका के लिये RCEP का महत्त्व

- वर्तमान समय में कोरोना वायरस महामारी, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और ब्रेक्ज़िट (Brexit) के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हुई अनिश्चितता के बीच यह समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुन: गति प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- यदि श्रीलंका इस व्यापक मुक्त व्यापार समझौते में शामिल होता है तो यह श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने, समावेशी विकास, रोज़गार के अवसरों का विकास और आपूर्ति शृंखला को मज़बूत बनाने में भी सहायक हो सकता है।
- समग्र तौर पर क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) के महत्त्व को इस बात से समझा जा सकता है कि यह अपने मौजूदा स्वरूप में विश्व की एक-तिहाई आबादी और वैश्विक जीडीपी के तकरीबन 29 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

श्रीलंका के लिये बाधाएँ

- अस्पष्ट व्यापार नीति

श्रीलंका की वर्तमान व्यापार नीति फिलहाल काफी अस्पष्ट बनी हुई है। उदाहरण के लिये इस वर्ष की शुरुआत में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद श्रीलंका की सरकार ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने के लिये कई आयात प्रतिबंध लागू किये थे।

- मुक्त व्यापार समझौते को लेकर असंगत नीति

मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) को लेकर श्रीलंका की सरकार की स्थिति सुसंगत नहीं रही है। उदाहरण के लिये जहाँ एक ओर भारत के साथ प्रस्तावित आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता (ETCA) अभी तक पूरा नहीं सका है, वहीं श्रीलंका की सरकार चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लेकर वार्ता को पुनर्जीवित करने के प्रति रुचि व्यक्त कर रही है। श्रीलंका की सरकार सिंगापुर के साथ भी अपने मुक्त व्यापार समझौते की पुन: समीक्षा कर रही है।

- जटिल व्यापार क्षेत्र

आँकड़ों के मुताबिक, अमेरिका और यूरोपीय संघ श्रीलंका के दो सबसे बड़े निर्यात बाज़ार हैं, जबकि भारत और चीन श्रीलंका के लिये आयात के दो सबसे बड़े स्रोत हैं। एशियाई देश सदैव श्रीलंका के लिये आयात का महत्त्वपूर्ण स्रोत रहे हैं, ऐसे में श्रीलंका के लिये इस जटिल व्यापार समीकरण में अपना स्थान खोजना काफी चुनौतीपूर्ण होगा।

RCEP के बारे में

- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है, जिसमें आसियान (ASEAN) के दस सदस्य देश तथा पाँच अन्य देश (ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूज़ीलैंड) शामिल हैं।
- RCEP के रूप में एक मुक्त व्यापार ब्लॉक बनाने को लेकर वार्ता की शुरुआत वर्ष 2012 में कंबोडिया में आयोजित 21वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी और अब लगभग 8 वर्ष बाद इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया है।
- भारत शुरुआत से ही क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) के लिये होने वाली वार्ताओं का हिस्सा रहा है किंतु वर्ष 2019 में भारत ने कुछ अनसुलझे मुद्दों और चीन से संबंधित चिंताओं का हवाला देते हुए इसमें शामिल न होने का निर्णय लिया था।

नोट :

आगे की राह

- महामारी के बीच मौजूदा स्थिति में कोई भी देश अलगाववादी नीति के साथ आगे बढ़ते हुए वर्तमान चुनौतियों से नहीं उबर सकता है। ऐसे में सभी देशों को अपने राजनीतिक मतभेदों को अलग रखकर एक साथ काम करना होगा।
- श्रीलंका एक व्यापार समर्थक देश है और इसलिये श्रीलंका को अपनी आर्थिक एवं व्यापारिक कूटनीति को आगे बढ़ाते हुए RCEP समेत सभी बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में नई संभावनाओं की तलाश करनी चाहिये।
- यद्यपि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि श्रीलंका की सरकार क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) की सदस्यता लेने पर विचार कर रही है अथवा नहीं, किंतु यह ज़रूर कहा जा सकता है कि मुक्त व्यापार ब्लॉक श्रीलंका के लिये एक आदर्श मंच साबित हो सकता है।

भारत के खिलाफ चीन की 'जल बम' की रणनीति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत-चीन संबंधों में वर्ष 1962 के युद्ध के बाद से सबसे अधिक टकराव देखने को मिला है, जिसने दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत अवसंरचना के निर्माण के रणनीतिक महत्त्व को फिर से उजागर किया है। यारलुंग (ब्रह्मपुत्र) नदी पर चीन द्वारा निर्मित बड़े बाँधों ने भारतीय अधिकारियों और स्थानीय लोगों की चिंता को और अधिक बढ़ा दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- चीन द्वारा जल-ऊर्जा के दोहन के लिये चलाए जा रहे इन त्वरित कार्यक्रमों ने न केवल हिमालयन क्षेत्र में गंभीर पारिस्थितिक समस्याओं को बढ़ा दिया है, अपितु स्थानीय लोगों के समक्ष आजीविका संबंधी अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं।
- चीन द्वारा 'जल बम' की रणनीति न केवल भारत के खिलाफ अपनाई जा रही है अपितु मेकांग नदी पर अनेक जलविद्युत योजनाओं का निर्माण करके पूर्व में थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया के खिलाफ भी इस रणनीति को अपनाया गया था। मेकांग नदी को इन देशों की जीवन रेखा माना जाता है।

'जल बम' की अवधारणा:

- 'जल बम' (Water Bomb) की अवधारण के तहत किसी देश द्वारा अपने पड़ोसी देश पर हमला करने या प्रहार करने के उद्देश्य से अत्यधिक मात्रा में जल को बाँधों में संग्रहीत किया जाता है तथा युद्ध के समय इसे छोड़ दिया या रोक दिया जाता है ताकि नदी के बहाव द्वारा निचले क्षेत्रों में व्यापक आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय नुकसान किया जा सके।
- तिब्बत से उद्गमित आठ प्रमुख नदियों पर चीन ने पिछले दो दशकों में 20 से अधिक बाँधों का निर्माण किया है और उनमें से कुछ को वास्तव में 'मेगा बाँध' कहा जा सकता है।
- इसके अलावा चीन की तेरहवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार, तिब्बत से उद्गमित नदियों पर चीन और अधिक पनविद्युत परियोजनाओं के निर्माण की योजना बना रहा है। चीनी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, (अधिकारिक आँकड़े उपलब्ध नहीं) चीन इन नदियों पर विभिन्न आकार के 40 और बाँधों का निर्माण करेगा।

भारत के लिये चिंतनीय क्यों ?

कृषि उत्पादकता पर प्रभाव:

- बड़े बाँधों के निर्माण से संपूर्ण नदी बेसिन क्षेत्र प्रभावित होगा, जो ब्रह्मपुत्र बेसिन के व्यापक अवनयन का कारण बन सकता है। नदी द्वारा प्रवाहित अवसादों को बाँधों द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाएगा, जिससे मृदा की गुणवत्ता और कृषि उत्पादकता में गिरावट आएगी।

पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता:

- दूसरा, ब्रह्मपुत्र बेसिन दुनिया के सबसे अधिक पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। यह विश्व के 34 जैविक हॉटस्पॉटों में से एक है। इस क्षेत्र में फ्लोरा और फौना की अनेक प्रजातियों सहित अनेक स्थानिक प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। उदाहरण के लिये काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 35 स्तनधारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 15 को IUCN की रेड सूची में संकटापन्न प्रजातियों के रूप सूचीबद्ध किया गया है।'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' गंगा नदी डॉल्फिन भी ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है।

नोट :

बाँधों की भूकंप के प्रति सुभेद्यता:

- भूकंप-विज्ञान के अनुसार, हिमालय को भूकंपीय गतिविधियों के लिये सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है। भूकंप-जनित भूस्खलन क्षेत्र के लिये प्रमुख खतरा है। उदाहरण के लिये वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप के कारण कई बाँध और अन्य अवसंरचनाएँ नष्ट हो गई थीं।

डाउन-स्ट्रीम में रहने वाले लोगों की आजीविका:

- चीन द्वारा निर्मित व्यापक अवसंरचना परियोजनाओं (विशेषकर बाँधों से) का आकार बहुत बड़ा है। यह नदी के डाउन-स्ट्रीम में रहने वाली आबादी के लिये एक प्रमुख खतरा है। भारत क्षेत्र के ब्रह्मपुत्र के बेसिन में लगभग दस लाख के करीब लोग रहते हैं। हिमालय पर चलाई जा रही इन मेगा बाँध परियोजनाओं के कारण सैकड़ों लोगों के अस्तित्त्व को खतरा उत्पन्न हो गया है।
- अगर चीन बिना किसी चेतावनी के इन नदियों का जल छोड़ता है, तो इससे क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ आएगी। संपूर्ण उत्तर भारत (सतलज के भाखड़ा-नांगल बाँध पर निर्भर), पूर्वी भारत (कोसी नदी प्रणाली पर बिहार और पश्चिम बंगाल की निर्भरता) और संपूर्ण उत्तर-पूर्व (ब्रह्मपुत्र नदी) अब गंभीर खतरे में है।

आगे की राह:

- जल संकट के समाधान के लिये भारत-चीन को वैकल्पिक उपाय अपनाने को आवश्यकता है। दोनों पक्षों को नदी पर नवीन निर्माण रोकने की दिशा में तत्काल कदम उठाने चाहिये। विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर आधारित अपेक्षाकृत लघु चेकडैम, वर्षा-जल संग्राहक झीलों के निर्माण और परंपरागत जल संग्रहण पद्धतियों को अपनाए जाने की आवश्यकता है।
- भारत को हिमालय से निकलने वाली नदियों में अपने हिस्से के जलग्रहण क्षेत्र में इष्टतम जल के उपयोग की आवश्यकता है। इसके लिये भारत को अपनी नदी जोड़ो परियोजना पर तीव्र गति से कार्य करना होगा। भारत इन नदियों से संबंधित अपने स्वयं के हिस्से का भी पूरा उपयोग नहीं कर रहा है (उदाहरण के लिये पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty)।
- नदी के डाउन-स्ट्रीम क्षेत्रों में भारत को अपनी आपदा प्रबंधन प्रणाली को भी मज़बूत करना चाहिये, ताकि भविष्य में किसी संभावित खतरे पर शीघ्र तथा ठोस प्रतिक्रिया दी जा सके।

जी-20 सम्मेलन, 2020

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, G-20 (Group of Twenty) वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत ने कोरोना के बाद वाली दुनिया के लिये "नया वैश्विक सूचकांक" बनाने का सुझाव दिया।

प्रमुख बिंदु

- नया वैश्विक सूचकांक 4 स्तंभों पर आधारित होगा
  - प्रतिभा,
  - प्रौद्योगिकी,
  - पारदर्शिता और
  - पृथ्वी के संरक्षण का भाव।
- इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी सऊदी अरब ने की थी।
- प्रतिभा:
  - मानव प्रतिभाओं का बड़ा पूल (Pool) तैयार करने के लिये बहु-कौशल (Multi-Skilling) तथा पुन: कौशल (Reskilling) पर ध्यान दिया जाए।
  - भारतीय पहल जैसे कि राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (National Skill Development Mission) जिसका उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के संदर्भ में क्षेत्रों और राज्यों में पहुँच बनाना है।

नोट :

- भारत की नई शिक्षा नीति (New Education policy) और प्रधान मंत्री नवीन शिक्षण कार्यक्रम (Pradhan Mantri Innovative Learning Program) जैसे कार्यक्रम इसके साथ अच्छी तरह से मेल खाते हैं।

- प्रौद्योगिकी:
  - नई प्रौद्योगिकी का कोई भी आकलन जीवन की सुगमता और जीवन की गुणवत्ता पर उसके प्रभाव के आधार पर होना चाहिये।
  - भारत ने एक अनुवर्ती और प्रलेखन भंडार के रूप में एक G-20 "आभासी सचिवालय" के निर्माण का सुझाव दिया।
  - भारत के डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस अभियानों ने लोगों की तकनीक और अन्य सरकारी सेवाओं तक पहुँच बढ़ा दी है।
- पारदर्शिता:
  - सूचना का अधिकार और 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' में सुधार जैसे सुधार भारत में शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं।
- न्यासिता:
  - पर्यावरण के साथ "मालिकों के बजाय न्यासी" के रूप में व्यवहार करने से समग्र और स्वस्थ जीवन शैली का जन्म होगा।
  - जलवायु परिवर्तन को साइलो (Silo) में नहीं बल्कि एकीकृत, व्यापक और समग्र तरीके से लड़ा जाना चाहिये।
  - कार्बन फुटप्रिंट ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा है जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को एक विशेष मानवीय गतिविधि द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है।
- भविष्य की बैठकें: वर्ष 2021 में इटली, वर्ष 2022 में इंडोनेशिया, वर्ष 2023 में भारत और वर्ष 2024 में ब्राज़ील।

उत्सर्जन को कम करने के लिये भारत की पहल

- ढाँचागत क्षेत्र: भारत का अगली पीढ़ी का बुनियादी ढाँचा न केवल सुविधाजनक और कुशल होगा, बल्कि यह एक स्वच्छ वातावरण में भी योगदान देगा। उदाहरण: वर्ष 2017 में हैम्बर्ग जी-20 बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आपदा रोधी अवसंरचना के लिये गठबंधन। यह एक संयोजक निकाय के रूप में कार्य करेगा जो निर्माण, परिवहन, ऊर्जा, दूरसंचार और पानी के पुनर्निर्माण के लिये दुनिया भर से सर्वोत्तम प्रथाओं और संसाधनों को पूल (Pool) करेगा ताकि प्राकृतिक आपदाओं में इन बुनियादी ढाँचागत क्षेत्रों के कारकों का निर्माण हो।
- स्वच्छ ऊर्जा का निर्माण: भारत-फ्राँस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance) की संयुक्त पहल।
  - ISA कार्बन फुट-प्रिंट को कम करने में योगदान देगा।
  - भारत वर्ष 2022 के लक्ष्य से पहले पेरिस जलवायु समझौते के तहत किये गए अपने जलवायु प्रतिबद्धताओं के एक हिस्से के रूप में 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के अपने लक्ष्य को पूरा करेगा।
  - उजाला (Unnat Jeevan by Affordable LED and Appliances for All -UJALA) और LED राष्ट्रीय सड़क प्रकाश कार्यक्रम (LED Street Lighting National Programme) योजना ने LED लाइट्स को लोकप्रिय बना दिया है, जिससे प्रति वर्ष लगभग 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की बचत होती है।
  - उज्जवला योजना: इसके तहत धुआं-रहित रसोई 80 मिलियन से अधिक घरों में उपलब्ध कराई गई है।
- मरुस्थलीकरण: संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन (United Nations Convention to Combat Desertification) विकास और पर्यावरण को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ता है और इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण और सूखे के बुरे प्रभावों का मुकाबला करना है।
- स्वच्छ वायु और जल: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme) का उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना है और नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा नदी का कायाकल्प करना तथा शासन में ट्रस्टीशिप की भावना को प्रदर्शित करता है।

जापान - मालदीव समझौता

चर्चा में क्यों ?

भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत के रणनीतिक साझेदार जापान ने हाल ही में मालदीव के सुरक्षा ढाँचे को मज़बूत करने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं जो दक्षिणी हिंद महासागर में स्थिरता प्रदान करने में योगदान देगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- मालदीव और जापान ने हाल ही में जापान सरकार के आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम (Economic and Social Development Programme) के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
  - इसके तहत, मालदीव कोस्ट गार्ड और 'मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोआर्डिनेशन सेंटर' (Maldives Coast Guard and the Maritime Rescue and Coordination Center) को 800 मिलियन जापानी येन की अनुदान सहायता दी जानी है।
- अनुदान सहायता का उपयोग मालदीव द्वारा तटरक्षक बल, समुद्री बचाव और समन्वय केंद्र, उप-क्षेत्रीय केंद्रों और पोत (Vessels) की क्षमताओं को और मज़बूत करने के लिये किया जाएगा।
  - इसमें संचार उपकरण, पेशेवर खोजी और बचाव करने वाले गोताखोरों के उपकरणों को खरीदने का प्रावधान शामिल है, जिसका उपयोग खोज और बचाव कार्यों के दौरान मालदीव कोस्ट गार्ड द्वारा किया जाता है।
- इससे पहले अक्तूबर, 2019 में, जापान ने मालदीव के स्वास्थ्य क्षेत्र में 21 पैरामेडिक एंबुलेंस (Paramedic Ambulances) का अनुदान दिया था।

लाभ:

- समुद्री डकैती से संबंधित घटनाओं का मुकाबला करना।
- हिंसक अतिवाद और मादक तस्करी का मुकाबला करना।
- एक स्वतंत्र और खुला हिंद महासागर सुनिश्चित करना जो इस क्षेत्र में शांति और समृद्धि लाएगा।
  - हिंद महासागर द्वीप समूह जो लगभग 4 लाख लोगों का घर है, रणनीतिक स्थिति के कारण भू-राजनीतिक महत्व रखता है।

भारत के लिये महत्व:

मालदीव, हिंद महासागर में एक टोल गेट:

- इस द्वीप श्रृंखला के दक्षिणी और उत्तरी भाग में संचार के दो महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग (Sea Lanes of Communication) स्थित हैं।
- ये SLOC पश्चिम एशिया में अदन की खाड़ी और होर्मुज़ की खाड़ी तथा दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का जलडमरूमध्य के बीच समुद्री व्यापार प्रवाह के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- भारत के बाहरी व्यापार का लगभग 50% और उसके ऊर्जा आयात का 80% हिस्सा अरब सागर में स्थित है, इसलिये SLOCs भारत के लिये महत्वपूर्ण हैं।
- क्वाड सदस्य के साथ समझौता: यह "अनुदान सहायता" संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के अनौपचारिक रणनीतिक समूह 'क्वाड' के किसी सदस्य के साथ मालदीव का दूसरा प्रमुख समझौता है।
  - पहले, यूएसए के साथ रक्षा और सुरक्षा से संबंधित एक रूपरेखा पर हस्ताक्षर किये गए थे।
  - क्वाड सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने पिछले महीने टोक्यो में बैठक की और क्षेत्र में चीनी उपस्थिति तथा प्रभाव का मुकाबला करने के तरीकों पर चर्चा की।

अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी

चर्चा में क्यों ?

अफगानिस्तान से अधिक सैनिकों की वापसी की गति बढ़ाने के लिये अमेरिका की नवीनतम योजना अफगानिस्तान में चल रही शांति प्रक्रिया को खतरे में डाल सकती है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

भारत का रुख:

- भारत इस बात से चिंतित है कि नाटो/अमेरिकी गठबंधन सेना की अफगान शांति प्रक्रिया और समयपूर्व वापसी आतंकवादी नेटवर्क को लाभ पहुँचा सकती है जो अफगानिस्तान और भारत दोनों को निशाना बना सकते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए सबूत दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका से तालिबान के आश्वासन के बावजूद, अलकायदा अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद है और सक्रिय है, जिसे तालिबान द्वारा शरण दी जा रही है।
- भारत में, अल कायदा एक प्रचार (Propaganda) अभियान चलाता है जो हिंदू बहुसंख्यक और मुस्लिम अल्पसंख्यक के बीच मतभेदों को भुनाने का प्रयास करता है।
- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) की बैठक, Arria फॉर्मूला (Arria Formula- UNSC सदस्य के अनुरोध पर अनौपचारिक रूप से) के तहत बुलाई गई, जिसमें भारत ने अफगानिस्तान में "तत्काल व्यापक युद्धविराम" का आह्वान किया और देश में शांति लाने के सभी अवसरों का स्वागत किया।
- भारत ने पिछले लगभग दो दशकों में अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास सहायता का भी वर्णन किया।
- भारत के अनुसार, अफगानिस्तान में टिकाऊ शांति के लिये, डूरंड रेखा (पाकिस्तान के संदर्भ में) में सक्रिय आतंकवादी ठिकानों को समाप्त करने की आवश्यकता है।
  - डूरंड रेखा दक्षिण-मध्य एशिया में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2,670 किलोमीटर भूमि की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है।
- भारत ने अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिये चार आवश्यकताओं को रेखांकित किया:
- इस प्रक्रिया को अफगान के नेतृत्व तथा स्वामित्व में होना चाहिये।
- आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता होनी चहिये।
- पिछले दो दशकों के लाभ को खो नहीं सकते।
  - विशेष रूप से, भारत आश्वस्त है कि महिलाओं के अधिकारों की दृढ़ता से रक्षा करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, अल्पसंख्यकों और कमज़ोर लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है।
  - भारत ने यहाँ विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में भारी निवेश किया है, उदाहरण के लिये - जरंज डेलाराम राजमार्ग, अफगान संसद आदि।
- अफगानिस्तान के पारगमन अधिकारों का उपयोग देशों द्वारा "अफगानिस्तान से राजनीतिक कीमत निकालने के लिये" नहीं किया जाना चहिये।
- अफगानिस्तान से बाहर के व्यक्तियों और सामग्रियों के प्रवाह में बाधा डालने के लिये पाकिस्तान का संदर्भ, उदाहरण के लिये भारत-अफगानिस्तान व्यापार।
- भारत ने अफगानिस्तान को भारत की UNSC अवधि के दौरान शांति की तलाश में अपने समर्थन का आश्वासन दिया।
- गैर-स्थायी सीट पर भारत का दो वर्ष का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा।

चीन का रुख:

- चीन ने विदेशी सैनिकों से एक व्यवस्थित और ज़िम्मेदार तरीके से अफ़ग़ानिस्तान छोड़ने का आह्वान किया ताकि आतंकवादी ताकतों को बढ़ने तथा अफगानिस्तान की शांति और सुलह प्रक्रिया में बाधा पहुँचाने का अवसर न मिलने पाए।
- चीन चिंतित है कि युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान जो चीन के अस्थिर झिंजियांग प्रांत के साथ सीमा साझा करता है, उइगर मुस्लिम आतंकवादियों के लिये एक अनुकूल क्षेत्र बन सकता है।
  - उइगर मुख्यत: तुर्क-भाषी जातीय समूह है। वे मुख्य रूप से चीन के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में सीमित हैं और उस क्षेत्र के सबसे बड़े मुस्लिम समूह में से एक हैं।
  - चीन ज़ोर देकर कहता है कि उइगर आतंकवादी बमबारी, तोड़फोड़ और नागरिक अशांति की साजिश रचकर एक स्वतंत्र राज्य के लिये हिंसक अभियान चला रहे हैं।

नोट :

- झिंजियांग में धार्मिक अतिवाद पर लगाम लगाने के लिये चीन ने आरोपों पर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना किया है कि उसने एक लाख से अधिक जातीय उइगरों को झिंजियांग में नज़रबंद कर रखा है।

- पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट (East Turkestan Islamic Movement)- उइगर आतंकवादी समूह पर प्रतिबंध हटाने के लिये USA की वापसी भी अपने कदम के साथ मेल खाती है।
  - झिंजियांग में हमलों को अंजाम देने के लिये चीन, ETIM का विरोधी है। यह एक अलकायदा समर्थित आतंकवादी समूह है जो अफगानिस्तान में फिर से संगठित है।
  - ETIM को 2002 में अलकायदा, ओसामा बिन लादेन और तालिबान के साथ कथित संबंध के लिये संयुक्त राष्ट्र की 1267 आतंकवाद-रोधी समिति द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया था।

अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी

चर्चा में क्यों ?

अफगानिस्तान से अधिक सैनिकों की वापसी की गति बढ़ाने के लिये अमेरिका की नवीनतम योजना अफगानिस्तान में चल रही शांति प्रक्रिया को खतरे में डाल सकती है।

प्रमुख बिंदु

भारत का रुख:

- भारत इस बात से चिंतित है कि नाटो/अमेरिकी गठबंधन सेना की अफगान शांति प्रक्रिया और समयपूर्व वापसी आतंकवादी नेटवर्क को लाभ पहुँचा सकती है जो अफगानिस्तान और भारत दोनों को निशाना बना सकते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए सबूत दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका से तालिबान के आश्वासन के बावजूद, अलकायदा अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद है और सक्रिय है, जिसे तालिबान द्वारा शरण दी जा रही है।
- भारत में, अल कायदा एक प्रचार (Propaganda) अभियान चलाता है जो हिंदू बहुसंख्यक और मुस्लिम अल्पसंख्यक के बीच मतभेदों को भुनाने का प्रयास करता है।
- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) की बैठक, Arria फॉर्मूला (Arria Formula- UNSC सदस्य के अनुरोध पर अनौपचारिक रूप से) के तहत बुलाई गई, जिसमें भारत ने अफगानिस्तान में "तत्काल व्यापक युद्धविराम" का आह्वान किया और देश में शांति लाने के सभी अवसरों का स्वागत किया।
- भारत ने पिछले लगभग दो दशकों में अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास सहायता का भी वर्णन किया।
- भारत के अनुसार, अफगानिस्तान में टिकाऊ शांति के लिये, डूरंड रेखा (पाकिस्तान के संदर्भ में) में सक्रिय आतंकवादी ठिकानों को समाप्त करने की आवश्यकता है।
  - डूरंड रेखा दक्षिण-मध्य एशिया में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2,670 किलोमीटर भूमि की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है।
- भारत ने अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिये चार आवश्यकताओं को रेखांकित किया:
- इस प्रक्रिया को अफगान के नेतृत्व तथा स्वामित्व में होना चाहिये।
- आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता होनी चहिये।
- पिछले दो दशकों के लाभ को खो नहीं सकते।
  - विशेष रूप से, भारत आश्वस्त है कि महिलाओं के अधिकारों की दृढ़ता से रक्षा करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, अल्पसंख्यकों और कमज़ोर लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है।
  - भारत ने यहाँ विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में भारी निवेश किया है, उदाहरण के लिये - जरंज डेलाराम राजमार्ग, अफगान संसद आदि।

नोट :

- अफगानिस्तान के पारगमन अधिकारों का उपयोग देशों द्वारा "अफगानिस्तान से राजनीतिक कीमत निकालने के लिये" नहीं किया जाना चहिये।
- अफगानिस्तान से बाहर के व्यक्तियों और सामग्रियों के प्रवाह में बाधा डालने के लिये पाकिस्तान का संदर्भ, उदाहरण के लिये भारत-अफगानिस्तान व्यापार।
- भारत ने अफगानिस्तान को भारत की UNSC अवधि के दौरान शांति की तलाश में अपने समर्थन का आश्वासन दिया।
- गैर-स्थायी सीट पर भारत का दो वर्ष का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा।

चीन का रुख:

- चीन ने विदेशी सैनिकों से एक व्यवस्थित और ज़िम्मेदार तरीके से अफ़ग़ानिस्तान छोड़ने का आह्वान किया ताकि आतंकवादी ताकतों को बढ़ने तथा अफगानिस्तान की शांति और सुलह प्रक्रिया में बाधा पहुँचाने का अवसर न मिलने पाए।
- चीन चिंतित है कि युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान जो चीन के अस्थिर झिंजियांग प्रांत के साथ सीमा साझा करता है, उइगर मुस्लिम आतंकवादियों के लिये एक अनुकूल क्षेत्र बन सकता है।
  - उइगर मुख्यत: तुर्क-भाषी जातीय समूह है। वे मुख्य रूप से चीन के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में सीमित हैं और उस क्षेत्र के सबसे बड़े मुस्लिम समूह में से एक हैं।
  - चीन ज़ोर देकर कहता है कि उइगर आतंकवादी बमबारी, तोड़फोड़ और नागरिक अशांति की साजिश रचकर एक स्वतंत्र राज्य के लिये हिंसक अभियान चला रहे हैं।
  - झिंजियांग में धार्मिक अतिवाद पर लगाम लगाने के लिये चीन ने आरोपों पर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना किया है कि उसने एक लाख से अधिक जातीय उइगरों को झिंजियांग में नज़रबंद कर रखा है।
- पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट (East Turkestan Islamic Movement)- उइगर आतंकवादी समूह पर प्रतिबंध हटाने के लिये USA की वापसी भी अपने कदम के साथ मेल खाती है।
  - झिंजियांग में हमलों को अंजाम देने के लिये चीन, ETIM का विरोधी है। यह एक अलकायदा समर्थित आतंकवादी समूह है जो अफगानिस्तान में फिर से संगठित है।
  - ETIM को 2002 में अलकायदा, ओसामा बिन लादेन और तालिबान के साथ कथित संबंध के लिये संयुक्त राष्ट्र की 1267 आतंकवाद-रोधी समिति द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया था।

भूटान में नया चीनी गाँव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चीनी मीडिया ने दावा किया है कि भूटान के पास चीन द्वारा बनाया गया एक नया सीमावर्ती गाँव चीनी क्षेत्र पर स्थित था। हालाँकि गाँव की जारी की गई छवियाँ दर्शाती हैं कि यह गाँव दोनों देशों के मध्य विवादित क्षेत्र पर अवस्थित है।

प्रमुख बिंदु:

- चीन द्वारा यह नवनिर्मित गाँव पांग्डा (Pangda) है और दक्षिण-पश्चिम चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के 'याडोंग काउंटी' (Yadong County) जो एक प्रशासनिक क्षेत्र है, में अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सितंबर 2020 में 124 लोगों के साथ 27 घर स्वैच्छिक रूप से शांगडुई (Shangdui) गाँव से पांग्डा गाँव में बसने के लिये जा चुके हैं।
- वर्ष 2017 के बाद यह पहली बार है कि डोकलाम क्षेत्र के पास एक चीनी आवासीय क्षेत्र देखा गया है जो भारत के लिये सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण है।
  - पांग्डा, डोकलाम पठार पर 'भारत-भूटान-चीन ट्राइजंक्शन' (India-Bhutan-China Trijunction) से पूर्व में स्थित है जहाँ वर्ष 2017 में चीन द्वारा सड़क निर्माण कार्य किये जाने के कारण भारत और चीन के मध्य 72 दिनों तक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी।

नोट :

- भूटान का पक्ष: भूटान ने आधिकारिक तौर पर अपने क्षेत्र में किसी भी चीनी गाँव की उपस्थिति से इनकार किया है।
- भारत का पक्ष: भारत इसे चीन द्वारा एकतरफा रूप से ट्राइजंक्शन से आगे बढ़ने के प्रयास के रूप में देखता है।
  - अतीत में भी चीन ने असैन्य बस्तियों का निर्माण कर पड़ोसी देशों के साथ विवादित क्षेत्रों में अपने क्षेत्रीय दावों को मज़बूत करने की कोशिश की है। उदाहरण- दक्षिण चीन सागर के विवादित द्वीपों पर और भूटान के त्रासीगंग (Trashigang) ज़िले पर।
- चीनी पक्ष: चीनी मानचित्र के अनुसार, पांग्डा गाँव चीन के क्षेत्र में है।
  - यह भारत को अस्थिर चीन-भूटान सीमा के के लिये भी ज़िम्मेदार ठहराता है और इस बात के लिये भी भारत को ज़िम्मेदार ठहराता है कि यह भ्रम उत्पन्न करता है कि चीन, भूटानी क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है।

भारत-भूटान संबंध:

- भारत और भूटान के मध्य 'शांति एवं मैत्री संधि-1949' (Treaty of Peace and Friendship, 1949):
  - यह संधि शांति एवं मित्रता, मुक्त व्यापार एवं वाणिज्य और एक-दूसरे के नागरिकों के लिये समान न्याय का अवसर प्रदान करती है।
  - वर्ष 2007 में इस संधि पर पुन: बातचीत हुई और भूटान की संप्रभुता को प्रोत्साहित करने के लिये इस संधि से उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया जिसमें भारत द्वारा भूटान को अपनी विदेश नीति पर मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था।
- बहुपक्षीय साझेदारी (Multilateral Partnership):
  - दोनों देश बहुपक्षीय मंचों को साझा करते हैं जैसे कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC), 'बांग्लादेश-भूटान-भारत और नेपाल पहल' (BBIN), बिम्सटेक (BIMSTEC) आदि।
- जलविद्युत ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग:
  - वर्ष 2006 का जलविद्युत सहयोग समझौता: इस समझौते के एक प्रोटोकॉल के तहत, भारत ने वर्ष 2020 तक भूटान को न्यूनतम 10,000 मेगावाट जलविद्युत के विकास एवं उसी से अधिशेष बिजली आयात करने पर सहमति व्यक्त की है।
- व्यापार:
  - दोनों देशों के बीच व्यापार, भारत-भूटान व्यापार एवं पारगमन समझौते 1972 (India Bhutan Trade and Transit Agreement 1972) द्वारा शासित होता है जिसे अंतिम बार नवंबर, 2016 में नवीनीकृत किया गया था।
  - यह समझौता दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार व्यवस्था स्थापित करता है और तीसरे अन्य देशों को भूटानी निर्यात के शुल्क मुक्त पारगमन के लिये भी अवसर प्रदान करता है।
- आर्थिक सहायता:
  - भारत, भूटान के विकास में प्रमुख भागीदार देश है। वर्ष 1961 में भूटान की पहली पंचवर्षीय योजना (FYP) के शुभारंभ के बाद से भारत, भूटान के FYPs के लिये वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।
  - भारत ने भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2018-23) के लिये 4500 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं।
- शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग:
  - बड़ी संख्या में कॉलेज जाने वाले भूटानी छात्र भारत में पढ़ रहे हैं। भारत सरकार भूटानी छात्रों को कई तरह की छात्रवृत्ति प्रदान करती है।
- पर्यावरण:
  - जून 2020 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिये भूटान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंज़ूरी दी।
- COVID-19 महामारी के दौरान सहायता:
  - COVID-19 महामारी के दौरान भारत ने भूटान के साथ घनिष्ठ समन्वय बना रखा है और भूटान को COVID-19 महामारी नियंत्रण योजना में शामिल किया है।
  - इसके तहत भूटान में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये भूटान में रुपे कार्ड का दूसरा चरण शुरू किया।
    - सिंगापुर के बाद रुपे कार्ड स्वीकार करने वाला भूटान दूसरा देश है।

नोट :

चाबहार परियोजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन (Port and Maritime Organisation) ने चाबहार-ज़ाहेदान रेलवे लाइन हेतु लोकोमोटिव और सिग्नलिंग उपकरण उपलब्ध कराने हेतु भारत से अनुरोध किया है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण ईरान को इन उपकरणों की प्रत्यक्ष खरीद में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
- ईरान ने भारत से 150 मिलियन अमरीकी डालर क्रेडिट लाइन को भी सक्रिय करने के लिये कहा है जो वर्ष 2018 में ईरानी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान भारत द्वारा इसे प्रदान की गई थी।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- मई 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसके तहत ईरान में चाबहार बंदरगाह का उपयोग करते हुए समुद्री परिवहन के लिये क्षेत्रीय हब के रूप में पारगमन और परिवहन गलियारा स्थापित करने की परिकल्पना की गई।
- अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिये एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग के रूप में चाबहार बंदरगाह से ज़ाहेदान (अफगानिस्तान सीमा) तक एक रेल लाइन का निर्माण भी इस परिवहन गलियारे का एक हिस्सा था।
- राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय रेलवे निर्माण लिमिटेड (Indian Railways Construction Ltd.) ने सभी प्रकार की सेवाएँ, अधिरचना कार्य और वित्तपोषण (लगभग 1.6 बिलियन अमरीकी डॉलर) प्रदान करने के लिये ईरानी रेल मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding) पर हस्ताक्षर किये।

इस परियोजना से भारत के अलग होने के कारण:

- ईरान का रुख:
  - जुलाई 2020 में, ईरान ने परियोजना की शुरुआत और वित्त पोषण में देरी का हवाला देते हुए, स्वयं रेल लाइन निर्माण करने का फैसला किया।
- भारत का रुख:
  - IRCON ने निर्माण-स्थान निरीक्षण एवं व्यवहार्यता रिपोर्ट को पूरा किया और ईरानी पक्ष द्वारा नोडल प्राधिकरण नियुक्त करने की प्रतीक्षा कर रहा था।
  - यद्यपि इस परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका से एक विशेष छूट प्राप्त है फिर भी भारत निर्माण कंपनी से समझौता करने में संकोच कर रहा है क्योंकि यह कंपनी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (Islamic Revolutionary Guard Corps) के साथ संबंध रखती है जो प्रतिबंधों के दायरे में आती है।
    - IRGC एक हार्ड-लाइन बल है जो ईरान के नियमित सशस्त्र बलों के समानांतर अपनी सैन्य अवसंरचना को संचालित करता है। अप्रैल 2020 में, ईरान का पहला सैन्य उपग्रह नूर इसने ही लॉन्च किया था।
    - संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के भय ने ईरान के फरज़ाद-बी गैस क्षेत्र परियोजना में भारतीय हित को भी प्रभावित किया है।

भारत के लिये चाबहार पोर्ट का महत्व:

- व्यापार: इसे तीन भागीदार देशों के साथ-साथ अन्य मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के लिये सुनहरे अवसरों का प्रवेश द्वार माना जा रहा है।
- सुरक्षा: चीन वन बेल्ट वन रोड (One Belt One Road) परियोजना के तहत अपने स्वयं के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative) को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान में चीनी निवेश के साथ विकसित किये जा रहे ग्वादर बंदरगाह के प्रत्युत्तर के रूप में भी काम कर सकता है।

नोट :

- कनेक्टिविटी: भविष्य में, चाबहार परियोजना और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा (International North South Transport Corridor) रूस तथा यूरेशिया के साथ भारतीय संपर्क/कनेक्टिविटी का अनुकूलन कर एक दूसरे के पूरक होंगे।

परिदृश्यों का विकास:

- भारत और ईरान दोनों का ध्यान इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनावी परिणामों पर है ताकि नए परिणाम आने के बाद शायद प्रतिबंधों में कुछ छूट दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से विकसित करने का अवसर दे सके।
- भारत, चीन और ईरान के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते (400 बिलियन अमरीकी डॉलर) पर भी नज़र बनाए हुए है जिसमें चाबहार के अन्य हिस्सों (जिसमें मकरान तट के साथ एक मुक्त व्यापार क्षेत्र और तेल संरचना शामिल हैं) के विकास हेतु वित्तपोषण किया जा सकता है।

आगे की राह

- ऐसे विश्व में जहाँ कनेक्टिविटी को नई मुद्रा के रूप में देखा जाता है, भारत इस परियोजना को खो सकता है तथा यह परियोजना किसी दूसरे देश, विशेष रूप से चीन को मिल सकती है। इसलिये, भारत को इस क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा करने के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच एक संतुलित नीति पर काम करने की आवश्यकता है।
- एक उभरती हुई शक्ति के रूप में, भारत केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रह सकता है और एक शांतिपूर्ण तरीके से विकसित पड़ोस (ईरान-अफगानिस्तान) न केवल व्यापार तथा ऊर्जा सुरक्षा के लिये बेहतर है, बल्कि एक महाशक्ति बनने की भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत द्वारा अफगानिस्तान को सहायता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'अफगानिस्तान-2020 सम्मेलन' के अवसर पर भारत ने अफगानिस्तान में विकास कार्यों के लिये 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लगभग 150 परियोजनाओं की घोषणा की है।

- इस सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के अधिकारियों के साथ विश्व के अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
- गौरतलब है कि अमेरिका ने 20 जनवरी, 2021 तक अफगानिस्तान में तैनात अपने सैनिकों की संख्या को 2500 तक सीमित करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु:

भारत की वर्तमान सहायता:

- भारत द्वारा उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसमें 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लगभग 150 परियोजनाएँ शामिल हैं।
- भारत ने अफगानिस्तान के साथ शहतूत बांध (Shahtoot Dam) के निर्माण के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, गौरतलब है कि इस बांध के माध्यम से काबुल शहर के 20 लाख लोगों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

पूर्व में दी गई सहायता:

- अफगानिस्तान में भारत की विकास परियोजनाएँ पाँच स्तंभों पर आधारित रही हैं:
  - बड़ी अवसंरचना परियोजनाएँ।
  - मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण।
  - मानवीय सहायता।
  - उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएँ।

नोट :

- हवाई और भू-संपर्क के माध्यम से व्यापार और निवेश में वृद्धि।

- वर्ष 2002 से लेकर अब तक भारत ने अफगानिस्तान के विकास और पुनर्निर्माण की दिशा में 3 बिलियन डॉलर (लगभग 2,200 करोड़ रुपए) खर्च किये हैं।
- अफगानिस्तान की स्थलरुद्ध भगौलिक स्थिति इसके विकास में सबसे बड़ी बाधा रही है, साथ ही पाकिस्तान द्वारा परागमन को बाधित किये जाने से यह स्थिति और भी बदतर हो गई है।
- भारत द्वारा ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान को संपर्क का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान किया गया है।
- महामारी सहयोग: COVID-19 महामारी की चुनौती से निपटने के लिये भारत द्वारा अफगानिस्तान को 20 टन दवाइयों और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ 75,000 टन गेहूँ की आपूर्ति की गई है।

भारत के दृष्टिकोण में बदलाव:

- ध्यातव्य है कि भारत द्वारा अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के दौरान (वर्ष 1996 से वर्ष 2001) कोई निवेश नहीं किया गया।
- परंतु वर्तमान में जब यह स्पष्ट हो गया है कि भविष्य में तालिबान-अफगानिस्तान प्रमुख शक्ति बनकर उभर सकता है तो ऐसे समय में भारत द्वारा अफगानिस्तान में निवेश के निर्णय को इसके दृष्टिकोण में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
- भारत ने सितंबर 2020 में कतर की राजधानी दोहा में आयोजित अंतर-अफगान वार्ता के प्रारंभ समारोह में भी भाग लिया था, जहाँ तालिबान की 21 सदस्यीय टीम भी उपस्थित थी। यह अफगानिस्तान की राजनीतिक शक्ति संरचना और ज़मीनी वास्तविकता में हो रहे बदलाव को लेकर भारत की स्वीकार्यता को दर्शाता है।

अमेरिकी सैनिकों की संख्या में कटौती:

- ध्यातव्य है कि फरवरी 2020 में दोहा में अमेरिका और तालिबान ने एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।
  - इस समझौते के तहत अमेरिका ने अगले 14 महीनों के अंदर अफगानिस्तान में तैनात अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने और अफगान सरकार द्वारा गिरफ्तार किये गए तालिबानी लड़ाकों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की थी।
  - इसके बदले में तालिबान ने आश्वासन दिया कि वह अफगानिस्तान को अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय ज़िहादी संगठनों द्वारा अपने बेस के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। इसकें साथ ही तालिबान ने अफगान सरकार के साथ सीधी बातचीत शुरू करने के लिये भी अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।
  - ऐसे महत्त्वपूर्ण समय में अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान को छोड़कर जाना न सिर्फ अफगान सैनिकों को आवश्यक सहयोग (विशेषकर वायुशक्ति) से वंचित करेगा बल्कि यह उनके मनोबल को भी प्रभावित करेगा।
  - उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) ने अफगान सैनिकों को अगले चार वर्षों के लिये वित्त पोषण प्रदान करने के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
  - हालाँकि यह निर्णय अफगानिस्तान को एक अनिश्चित भविष्य की और अग्रसर करेगा क्योंकि इस बात की संभावनाएँ बहुत अधिक हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान देश की सत्ता को अपने हाथों में लेने का प्रयास करेगा।
    - वर्ष 2001 में अफगानिस्तान में अमेरिकी हमले के बाद सत्ता से हटाए जाने के बाद से विदेशी लड़ाकों और अफगान सरकार दोनों के बीच संघर्ष जारी है।
    - वर्तमान में देश के आधे से अधिक हिस्से पर तालिबान का अधिकार है और वह इसके पूरे हिस्से को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिये संघर्ष कर रहा है।
    - इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से तालिबान ने देशभर में 13000 से अधिक हमले किये हैं।
    - अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (UN Assistance Mission in Afghanistan-UMAMA) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 के शुरुआती 9 महीनों में लगभग 6,000 अफगान नागरिकों की हत्या हुई है और इसमें से 45% हत्याएँ तालिबान के द्वारा की गई थी।

नोट :

आगे की राह:

- अफगानिस्तान में हिंसा का बढ़ता स्तर एक बड़ी चिंता का विषय है। हालाँकि अनेक, चुनौतियों के बावजूद, दोनों पक्ष (सरकार के प्रतिनिधि तथा तालिबान) बातचीत की राह पर अग्रसर हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों पक्ष एक प्रारंभिक सफलता तक पहुँच भी गए हैं।
- भारत ने अफगानिस्तान में तत्काल एवं व्यापक युद्ध विराम का आह्वान किया है और भारत हमेशा से इस बात का समर्थक रहा है कि यह शांति प्रक्रिया अफगान के नेतृत्त्व, अफगान के स्वामित्त्व और अफगान के नियंत्रण में होनी चाहिये।
- भारत एक शांतिपूर्ण, समृद्ध, संप्रभु, लोकतांत्रिक और एकजुट अफगानिस्तान की दिशा में काम करने हेतु अफगानिस्तान के लोगों तथा विश्व समुदाय के साथ हाथ-से-हाथ मिलाकर चलने के लिये तत्पर है।

भारत-बहरीन के बीच समझौते

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, भारत और बहरीन रक्षा तथा समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों सहित अपने ऐतिहासिक संबंधों को और मज़बूत करने पर सहमत हुए हैं।

- बहरीन, खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council) का एक सदस्य है और USA की मध्यस्थता में इज़राइल तथा UAE के साथ अब्राहम समझौते (Abraham Accord) पर हस्ताक्षर भी किये हुए है।

प्रमुख बिंदु

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों में, रक्षा तथा समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश, बुनियादी ढाँचा, IT, FinTech, स्वास्थ्य, हाइड्रोकार्बन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र शामिल थे।
- दोनों पक्षों ने कोविड-19 से संबंधित सहयोग को और मज़बूत करने की पुष्टि की।
  - बहरीन ने भारत द्वारा महामारी के दौरान दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और चिकित्सा पेशेवरों की आपूर्ति के माध्यम से दी गई सहायता की सराहना की।
  - उन्होंने दोनों देशों के बीच एयर बबल (Air Bubble) व्यवस्था के संचालन पर संतोष व्यक्त किया।
    - एयर बबल दो देशों के बीच हवाई यात्रा की व्यवस्था है। जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करना है (COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है)।
- भारत में होने वाले तीसरे भारत-बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की बैठक के लिये भारत ने बहरीन को पुन: निमंत्रण दिया है।
- वर्ष 2019 में, भारत ने बहरीन की राजधानी मनामा में श्री कृष्ण मंदिर के पुनर्विकास के लिये 4.2 मिलियन डॉलर की परियोजना शुरू की थी।
  - 200 वर्ष पुराना यह मंदिर भारत-बहरीन मित्रता के एक स्थायी प्रमाण के रूप में है।
- भारत ने दिवंगत प्रधान मंत्री प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के निधन पर भी संवेदना व्यक्त की, जिन्होंने भारत-बहरीन संबंधों को मज़बूत करने तथा बहरीन में भारतीय समुदाय के कल्याण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था।

भारत-बहरीन संबंध

ऐतिहासिक संबंध:

- दोनों देशों का इतिहास लगभग 5,000 वर्ष पुराना है, जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता तथा बहरीन में दिलमन सभ्यता (Dilmun Civilization) थी।
- माना जाता है कि प्राचीन बहरीन के व्यापारियों ने भारतीय मसालों के साथ मोती का व्यापार किया था।

द्विपक्षीय समझौते:

- प्रत्यर्पण संधि (जनवरी 2004)
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (मई 2012)

नोट :

- संयुक्त उच्चायोग की स्थापना (फरवरी 2014)
- जल संसाधन विकास और प्रबंधन (फरवरी 2015)
- अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अवैध संगठित अपराध, अवैध ड्रग्स, नशीले पदार्थों और नशीले पदार्थों की तस्करी पर सहयोग (दिसंबर 2015)
- नवीकरणीय ऊर्जा, हेल्थकेयर, राजनयिक और विशेष/सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिये लघु स्टे (Stay) वीज़ा से छूट पर समझौता (July 2018)
- शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये बाह्य अंतरिक्ष का अन्वेषण और उपयोग (मार्च 2019)

व्यापार और आर्थिक संबंध:

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 1282.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर था तथा वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) में 753.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- बहरीन में भारतीय निर्यात: खनिज ईंधन और तेल, अकार्बनिक रसायन, कीमती धातुओं के कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक, अनाज, नट, फल, परिधान तथा कपड़ों के सामान आदि।
- बहरीन से भारतीय आयात: कच्चा तेल, खनिज ईंधन और बिटुमिनस पदार्थ, एल्यूमीनियम, उर्वरक, अयस्कों/एल्यूमीनियम की राख, लोहा, तांबा आदि।
- बहरीन में भारतीय निवेश:
  - जनवरी 2003 से मार्च 2018 के बीच बहरीन में भारत का कुल पूंजी निवेश लगभग 1.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
  - वित्तीय सेवाओं में उच्चतम निवेश का मूल्य कुल परियोजनाओं का 40% है, जिसके बाद अचल संपत्ति और आतिथ्य (Hospitality) क्षेत्र हैं।

भारतीय प्रवासी समुदाय:

- वर्तमान में लगभग 3,50,000 भारतीय बहरीन में रह रहे हैं, जिनमें से लगभग 70% अकुशल श्रमिक हैं।
- ब्लू-कॉलर श्रम बल के अलावा भी बहरीन में अन्य पेशेवरों की एक बड़ी संख्या है जो यहाँ के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- नवंबर 2015 में, बहरीन ने बहरीन के इतिहास और प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान को स्वीकार तथा चिह्नित करने के लिये बहरीन में 'लिटिल इंडिया' परियोजना शुरू की।

भारत-वियतनाम वार्ता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और वियतनाम के रक्षा मंत्रियों के बीच रक्षा उद्योग के क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और संयुक्त राष्ट्र (UN) के शांति अभियानों में सहयोग जैसे विषयों पर द्विपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- रक्षा सहयोग: दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने भारत और वियतनाम के बीच मज़बूत रक्षा संबंधों की पुष्टि की, जो कि दोनों देशों की 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' (2016) का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है।
  - रक्षा उद्योगों समेत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने हेतु 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को रेखांकित करते हुए भारत ने निकट भविष्य में एक संस्थागत समझौते का समापन करके दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच और अधिक सहयोग स्थापित करने का आग्रह किया।
  - वियतनाम ने विशेष रूप से मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में वियतनामी रक्षा बलों के क्षमता निर्माण में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा की गई सहायता के लिये भारत को धन्यवाद दिया।

नोट :

- द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत ने भारतीय रक्षा संस्थानों में वियतनाम रक्षा बलों की तीनों सेनाओं के लिये प्रशिक्षण का दायरा और अधिक बढ़ाने हेतु इच्छा व्यक्त की।
- गौरतलब है कि दोनों देशों ने हथियार और सैन्य उपकरणों की खरीद, क्षमता निर्माण और युद्धपोत निर्माण तथा मरम्मत के क्षेत्र में सहयोग हेतु संबंध स्थापित किये हैं।

- संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान: दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सहयोग करने पर चर्चा, जो कि अलग-अलग देशों को संघर्ष से शांति तक के कठिन मार्ग में सहायता करता है।
- हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग: दोनों देशों ने हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की, जो कि दोनों देशों को हाइड्रोग्राफिक डेटा साझा करने में सक्षम बनाएगा।
  - हाइड्रोग्राफी (Hydrography) का अभिप्राय विज्ञान की उस शाखा से है, जिसमें पृथ्वी की सतह के नौगम्य भाग और उससे सटे तटीय क्षेत्रों की भौतिक विशेषताओं को मापा जाता है एवं उसका वर्णन किया जाता है।
- ADMM प्लस मीटिंग: वियतनाम के प्रतिनिधि ने दिसंबर 2020 में वियतनाम द्वारा आयोजित आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग- प्लस (ADMM-Plus) के लिये भारत को आमंत्रित किया।
  - ADMM-प्लस दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (ASEAN) और इसके आठ संवाद साझेदारों यथा- ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूज़ीलैंड, कोरिया, रूस और अमेरिका का एक मंच है, जिन्हें सामूहिक रूप से 'प्लस-देशों' के रूप में जाना जाता है। ADMM-प्लस का उद्देश्य इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिये सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग को मज़बूत करना है।
  - ज्ञात हो कि वियतनाम आसियान (ASEAN) का सदस्य देश है।
    - आसियान (ASEAN) एक क्षेत्रीय समूह है जो अपने दस सदस्यों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है।

भारत-वियतनाम संबंध

- भारत और वियतनाम ने भारत के इंडो-पैसिफिक ओसियन इनिशिएटिव (IPOI) और आसियान की 'आउटलुक ऑन इंडो-पैसिफिक' पहल के अनुरूप अपना द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है।
  - यह निर्णय इस दृष्टि से भी काफी महत्त्वपूर्ण है कि यह दक्षिण चीन सागर सहित संपूर्ण इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता और चीन तथा भारत के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर हो रहे संघर्ष की पृष्ठभूमि में लिया गया है।
- विभिन्न मंचों पर सहयोग:
  - वर्ष 2021 से दो वर्ष की अवधि के लिये भारत और वियतनाम दोनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में गैर-स्थायी सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।
  - भारत और वियतनाम दोनों पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS), मेकांग गंगा सहयोग (MGC), एशिया-यूरोप मीटिंग (ASEM) जैसे विभिन्न क्षेत्रीय मंचों पर निकटता से सहयोग करते हैं।
- आर्थिक संबंध
  - भारत ने कई अवसरों पर यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह वियतनाम के साथ अपने तेल और गैस के अन्वेषण के संबंधों को बरकरार रखेगा।
  - आसियान देशों में सिंगापुर के बाद वियतनाम भारत के लिये दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है।
  - अप्रैल-नवंबर 2019 की अवधि में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार तकरीबन 9.01 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया था।
- भारतीय सहायता
  - भारत ने त्वरित प्रभाव परियोजनाओं (QIP), भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (ITEC) और e-ITEC पहलों, पीएचडी फेलोशिप और वियतनाम के मेकांग डेल्टा क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन में परियोजनाओं आदि के माध्यम से भारत ने वियतनाम के विकास और क्षमता निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

नोट :

- पर्यटन और पीपल-टू-पीपल संपर्क
  - वर्ष 2019 को आसियान-भारत पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया था। दोनों देशों ने द्विपक्षीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये सरलीकृत वीज़ा व्यवस्था को बढ़ावा दिया है।
  - भारत के दूतावास ने वर्ष 2018-19 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया था।

आगे की राह

- ध्यातव्य है कि भारत और वियतनाम दोनों भौगोलिक रूप से उभरते हुए इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के केंद्र में हैं, और संभव है कि दोनों देश भविष्य में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाए, ऐसे में दोनों देशों के मज़बूत संबंध काफी आवश्यक हैं।
- भारत-वियतनाम सहयोग ढाँचे के तहत रणनीतिक साझेदारी भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' के तहत निर्धारित किये गए दृष्टिकोण के निर्माण हेतु काफी महत्त्वपूर्ण होगी।

ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा निर्मित नवीन बाँध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चीनी अधिकारियों ने एक चीनी पनविद्युत कंपनी को ब्रह्मपुत्र नदी (जो तिब्बत में यारलुंग ज़ान्गबो के नाम से जानी जाती है) के निम्न-प्रवाह में प्रथम 'अनुप्रवाह पनविद्युत परियोजना' (Downstream Hydropower Project) के निर्माण की अनुमति दे दी है।

प्रमुख बिंदु:

- ब्रह्मपुत्र:
  - इसे उत्पत्ति स्थल पर सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के चेमायुंगडुंग (Chemayungdung) ग्लेशियर से है। यह अरुणाचल प्रदेश के सदिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है।
  - सहायक नदियाँ:
  - इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग, लोहित, सियांग, बुढ़ी दिहिंग, तीस्ता और धनसरी हैं।
  - यह एक बारहमासी नदी है, जो अपने भूगोल और विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों के कारण अनेक विलक्षण विशेषताओं से युक्त है।
  - इसमें वर्ष में दो बार बाढ़ की स्थिति रहती है। पहली, गर्मियों में हिमालयी हिम के पिघलने के कारण और दूसरी मानसून के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है।
    - हाल ही में इन बाढ़ों की आवृत्ति बढ़ गई है। जलवायु परिवर्तन तथा उच्च एवं निम्न प्रवाह के प्रभाव के कारण इन बाढ़ों की विनाशकता बढ़ गई है।
    - यह भारत और बांग्लादेश के निचले राज्यों में जनसंख्या और खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिंता का विषय है।
  - नदी की गतिशील भूस्खलन और भूगर्भीय गतिविधियों के कारण प्राय: नदी मार्ग में परिवर्तन देखने को मिलता है।

परियोजना के बारे में:

- चीनी राज्य के स्वामित्व वाली पनविद्युत कंपनी 'पॉवरचाइना' (POWERCHINA) द्वारा नवीन 'पंचवर्षीय योजना' (अवधि 2021-2025) के हिस्से के रूप में यारलुंग ज़ान्गबो नदी के अनुप्रवाह में पनविद्युत के दोहन के लिये 'तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र' (Tibet Autonomous Region- TAR) सरकार के साथ एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
  - यह पहली बार होगा जब नदी के अनुप्रवाह क्षेत्र का दोहन किया जाएगा। हालाँकि नियोजित परियोजना के स्थान का कहीं भी उल्लेख नहीं है।
- ब्रह्मपुत्र नदी का 'महान अक्षसंघीय वलन' (ग्रेट बेंड) और मेडोग काउंटी में यारलुंग ज़ान्गबो नदी पर स्थित 'ग्रैंड कैनियन' क्षेत्र- जहाँ नदी का बहाव बहुत तेज़ है तथा यह अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है, इस परियोजना के लिये संभावित स्थान हो सकता है।
  - इस 50 किमी. लंबाई के अकेले खंड में 70 'मिलियन किलोवाट घंटे' (Kwh) की पनविद्युत विकसित करने की क्षमता है।

नोट :

चीन की पूर्ववर्ती परियोजनाएँ:

- वर्ष 2015 में चीन द्वारा तिब्बत के ज़ान्मु (Zangmu) में अपनी पहली पनविद्युत परियोजना का संचालन किया गया था, जबकि डागू (Dagu), जिएक्सु (Jiexu) और जियाचा (Jiacha) में तीन अन्य बाँध निर्मित किये जा रहे हैं, जो नदी के ऊपरी और मध्य प्रवाह में हैं।

चीन के लिये परियोजना का महत्त्व:

- 60 मिलियन kWh पनविद्युत के दोहन से प्रतिवर्ष 300 बिलियन kWh स्वच्छ, नवीकरणीय और शून्य-कार्बन उत्सर्जन युक्त विद्युत प्रदान की जा सकती है।
- परियोजना वर्ष 2030 से पहले 'कार्बन उत्सर्जन' के शिखर पर पहुँचने और वर्ष 2060 तक कार्बन तटस्थता (शुद्ध कार्बन उत्सर्जन शून्य) की स्थिति प्राप्त करने के चीन के लक्ष्य को पूरा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

भारत के लिये चिंता का विषय:

- भारत वर्ष 2015 से- जब चीन ने ज़ान्मु पर अपनी परियोजना का संचालन शुरू किया था, पर चिंता व्यक्त कर रहा है।
- अगर ग्रेट बेंड में एक बाँध के निर्माण को मंज़ूरी दे दी जाती है, तो इसके स्थान को लेकर (जो नदी के अनुप्रवाह और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित होगा) भारत द्वारा नई चिंताओं को उठाया जाएगा।
  - इस परियोजना में भारत के लिये जल की मात्रा एक मुद्दा नहीं है क्योंकि ये बाँध 'रन-ऑफ-द-रिवर' प्रकार के हैं और ब्रह्मपुत्र के प्रवाह को प्रभावित नहीं करेंगे।
  - इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मपुत्र पूरी तरह से ऊपरी-प्रवाह (Upstream) पर निर्भर नहीं है। इसके बेसिन का अनुमानित 35% हिस्सा भारत में है।
- हालाँकि भारत, चीनी गतिविधियों के कारण प्रभावित होने वाली जल की गुणवत्ता, पारिस्थितिक संतुलन और बाढ़ प्रबंधन को लेकर चिंतित है।
- भारत और चीन के बीच कोई जल साझाकरण समझौता नहीं हैं, दोनों देश हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करते हैं। इसलिये वास्तविक डेटा साझा करना और सूखे, बाढ़ तथा भारी मात्रा में जल के निर्वहन की चेतावनी जैसे मुद्दों पर निरंतर संवाद करना महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

आगे की राह:

- भारत को हाइड्रोलॉजिकल डेटा के आदान-प्रदान से आगे बढ़कर चीन से पूरे बेसिन की स्थलाकृतिक स्थिति के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान की मांग करनी चाहिये।
- ब्रह्मपुत्र बेसिन में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले किसी भी कदम के लिये दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक समझ की आवश्यकता होगी। भारत के लिये चीन को निरंतर वार्ता में शामिल करना एवं जल-साझाकरण संधि को अपनाना दोनों देशों के हितों की रक्षा के दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

चैपर वायरस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं निवारण केंद्र (CDC) के शोधकर्त्ताओं ने इबोला जैसी एक दुर्लभ बीमारी का पता लगाया है।

प्रमुख बिंदु

- शोधकर्त्ताओं का मानना है कि चैपर (Chapare) नाम के इस वायरस का उद्गम सर्वप्रथम वर्ष 2004 में बोलीविया के ग्रामीण इलाकों में हुआ था।
  - ध्यातव्य है कि चैपर, मध्य बोलीविया के उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक ग्रामीण प्रांत है और इस वायरस का नाम इसी प्रांत के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इस वायरस की खोज सर्वप्रथम इसी स्थान पर हुई थी।

चैपर वायरस के बारे में

- जिस प्रकार कोरोना वायरस, कोरोनवीरिडे (Coronaviridae) वायरस परिवार से संबंधित है, उसी प्रकार चैपर वायरस, एरेनावीरिडे (Arenaviridae) वायरस परिवार से संबंधित है।
  - एरेनावीरिडे वायरस का एक ऐसा परिवार है, जिसमें शामिल वायरस आमतौर पर मनुष्यों में कृंतक-संचारित (Rodent-Transmitted) बीमारियों से संबंधित होते हैं।
  - इस वायरस के कारण मनुष्यों में चैपर हेमोरेजिक फीवर (CHHF) बीमारी होती है।
- कोरोना वायरस की तुलना में चैपर वायरस का पता लगाना काफी कठिन है, क्योंकि इसका संचरण श्वसन मार्ग से नहीं होता है। इसके बजाय, चैपर वायरस शारीरिक संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है।
- शोधकर्त्ताओं का मत है कि इस वायरस का सबसे अधिक प्रसार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में होता है।
- रोगवाहक
  - शोधकर्त्ताओं के मुताबिक, चूहे इस वायरस के प्रमुख रोगवाहक हैं और यह संक्रमित कृंतक (Rodent) या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से किसी अन्य व्यक्ति में प्रेषित हो सकता है।
  - रोगवाहक वह एजेंट होता है, जो किसी संक्रामक रोगजनक को दूसरे जीवित जीव में स्थानांतरित करता है।
- चैपर हेमोरेजिक फीवर (CHHF) के लक्षण
  - शोधकर्त्ताओं के मुताबिक, हेमोरेजिक फीवर इस वायरस का सबसे प्रमुख लक्षण है। ध्यातव्य है कि हेमोरेजिक फीवर एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है, यह शरीर के अंगों को प्रभावित करती है, रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुँचाती है और शरीर की स्वयं को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित करती है।
  - इसके अलावा पेट दर्द, उल्टी, मसूड़ों से खून बहना, त्वचा पर चकत्ते और आँखों में दर्द आदि इसके कुछ अन्य लक्षण हैं।
- उपचार
  - चूँकि इस बीमारी का इलाज करने के लिये अभी कोई विशिष्ट दवा मौजूद नहीं हैं, इसलिये रोगियों की देखभाल आमतौर पर इंट्रावेनस थेरेपी (Intravenous Therapy) के माध्यम से ही की जाती है।
  - इंट्रावेनस थेरेपी (Intravenous Therapy) एक चिकित्सा पद्धति है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की नस में सीधे तरल पदार्थ पहुँचाया जाता है।

नोट :

- मृत्यु-दर
  - चूँकि अभी तक इस वायरस के कुछ ही मामले दर्ज किये गए हैं, इसलिये इससे संबंधित मृत्यु दर और जोखिम कारकों की अभी तक सही ढंग से खोज नहीं की जा सकी है।
  - इस वायरस के पहले ज्ञात प्रकोप में केवल एक ही घातक मामला शामिल था, जबकि वर्ष 2019 के दूसरे प्रकोप में दर्ज किये गए पाँच मामलों में से 3 मामले घातक थे।

इबोला वायरस

- इबोला वायरस की खोज सबसे पहले वर्ष 1976 में इबोला नदी के पास हुई थी, जो कि अब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। अफ्रीका में फ्रूट बैट चमगादड़ इबोला वायरस के वाहक हैं जिनसे पशु (चिंपांजी, गोरिल्ला, बंदर, वन्य मृग) संक्रमित होते हैं।
- वहीं मनुष्यों में यह संक्रमण या तो संक्रमित पशुओं से या संक्रमित मनुष्यों से होता है, जब वे संक्रमित शारीरिक द्रव्यों या शारीरिक स्रावों के निकट संपर्क में आते हैं।
- इसमें वायुजनित संक्रमण नहीं होता है।

आपराधिक वित्त और क्रिप्टोकरेंसी पर वैश्विक सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

'आपराधिक वित्त और क्रिप्टोकरेंसी पर वैश्विक सम्मेलन' आभासी रूप से 18-19 नवंबर को आयोजित किया गया जिसमें 132 देशों के 2,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

प्रमुख बिंदु:

- सम्मेलन क्रिप्टोकरेंसी और मनी लॉन्ड्रिंग पर यूरोपोल (EUROPOL), इंटरपोल (INTERPOL) और 'बेसल इंस्टीट्यूट ऑन गवर्नेंस' (Basel Institute on Governance) द्वारा स्थापित वर्किंग ग्रुप की एक पहल है।
- चौथे वैश्विक सम्मेलन का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति पर वैश्विक समुदाय की जागरूकता को बढ़ाना है।
- वर्ष 2016 में वैश्विक सम्मेलन की शुरुआत करने का उद्देश्य वर्तमान समय में 'आभासी परिसंपत्तियों' (Virtual Assets) की बढ़ती लोकप्रियता और उनसे जुड़ी आपराधिक गतिविधियों के संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त करने हेतु एक साझा मंच प्रदान करना था।

क्रिप्टोकरेंसी और अपराध:

- बिटकॉइन वर्ष 2009 में आई प्रथम क्रिप्टोकरेंसी थी। तब से अब तक कई अन्य मुद्राएँ बाज़ार में प्रवेश कर चुकी हैं।
- वर्तमान समय में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग साइबर अपराध, ब्लैक मनी और रैनसमवेयर तथा सेक्सटॉर्शन (Sextortion), मनी लॉन्ड्रिंग, एवं 'ड्रग से प्राप्त आय' के हस्तांतरण आदि में किया जा रहा है।

सम्मेलन का महत्त्व:

कानून प्रवर्तन एजेंसियों की समझ बढ़ाना:

- हाल ही में क्रिप्टोकरेंसी का आपराधिक गतिविधियों तथा मनी लॉन्ड्रिंग में उपयोग बढ़ा है। इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य सार्वजनिक इकाइयों के लिये इस अपराध क्षेत्र में अपने ज्ञान और विशेषज्ञता के स्तर को बढ़ाना ज़रूरी हो गया है। अत: सम्मेलन इस दिशा में सामरिक जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान बढ़ाने में मदद करेगा।
- निजी क्षेत्र, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी विशेषज्ञता और डेटा उपलब्ध कराकर आपराधिक वित्त के खिलाफ सरकार के प्रयासों में मदद कर सकते हैं।

आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं का विनियमन:

- सम्मेलन आभासी संपत्तियों की जाँच करने और धन शोधन को रोकने के लिये आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं (Virtual Asset Service Providers) को विनियमित करने के तरीकों पर क्षमताओं का विस्तार करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

नोट :

विशेषज्ञों का नेटवर्क तैयार करना:

- यह आपराधिक गतिविधियों में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग की जाँच तथा इस दिशा में वैश्विक समझ को विकसित करने का कार्य करता है।
- इसके अलावा विशेष आर्थिक सहायता से इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञों का एक नेटवर्क तैयार करना है, जो सामूहिक रूप से सर्वोत्तम प्रथाओं को स्थापित कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

- आभासी परिसंपत्तियों के आपराधिक गतिविधियों में दुरुपयोग से निपटने लिये निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के बहु-एजेंसी और बहु-विषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। 'आपराधिक वित्त और क्रिप्टोकरेंसी पर वैश्विक सम्मेलन' इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

यूरोपोल (EUROPOL):

- यूरोपोल, यूरोपीय यूनियन की कानून प्रवर्तन एजेंसी है।

इंटरपोल (INTERPOL):

- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (International Criminal Police Organization- INTERPOL) एक अंतर-सरकारी संगठन है जो 194 सदस्य देशों के पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित में मदद करता है।

बेसल इंस्टीट्यूट ऑन गवर्नेंस (Basel Institute on Governance):

- यह एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी सक्षमता केंद्र है जो शासन को मज़बूत करने और भ्रष्टाचार और अन्य वित्तीय अपराधों से निपटने के लिये दुनिया भर में कार्य कर रहा है।

भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली

चर्चा में क्यों ?

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) की समुद्री सुरक्षा समिति (MSC) ने अपने 102वें सत्र के दौरान 'भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली' (IRNSS) को 'विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली' (WWRNS) के एक घटक के रूप में मान्यता दे दी है।

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेष संस्था है, जो कि मुख्यत: अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा में सुधार करने एवं जहाज़ों द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु उत्तरदायी है।

प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही भारत विश्व का चौथा ऐसा देश बन गया है, जिसके पास 'विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली' (WWRNS) के घटक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) से मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है।
- IMO द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन प्रणाली वाले अन्य तीन देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं चीन हैं।

महत्त्व

- IMO ने 'भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली' (IRNSS) को भारतीय जलक्षेत्र में वैकल्पिक नेविगेशन मॉड्यूल के रूप में स्वीकार कर लिया है। इससे पूर्व इस प्रणाली का उपयोग केवल प्रायोगिक आधार पर किया जा रहा था, किंतु अब भारतीय जलक्षेत्र में सभी व्यापारिक जहाज़ और मछली पकड़ने वाले छोटे जहाज़ इस प्रणाली का उपयोग कर सकेंगे।
- भारतीय का यह क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम अब हिंद महासागर में भारतीय तट सीमा से 1500 किलोमीटर तक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (GPS) का स्थान ले सकता है। ज्ञात हो कि 'भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली' (IRNSS) एक क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है न कि वैश्विक नेविगेशन प्रणाली।
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा मान्यता प्राप्त करने के बाद भारत का यह नेविगेशन सिस्टम भी अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) और रूस के 'रूसी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम' (GLONASS) जैसी अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणालियों की सूची में शामिल हो गया है। ध्यातव्य है कि अमेरिका का GPS विश्व में सबसे अधिक उपयोग होने वाला नेविगेशन सिस्टम है।

नोट :

- इसे 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
- भारतीय जलक्षेत्र में एक स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली के रूप में उपयोग होने के अलावा भारत की यह क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली रणनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अन्य वैश्विक नेविगेशन प्रणालियों पर भारत की निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी।

अन्य महत्त्वपूर्ण नेविगेशन प्रणालियाँ

- अमेरिका का GPS: अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) एक उपग्रह-आधारित नेविगेशन प्रणाली है, जिसमें 24 कक्षीय उपग्रह शामिल हैं। इसका संचालन अमेरिका की वायु सेना द्वारा किया जाता है।
- रूस का ग्लोनास (GLONASS): ग्लोनास (GLONASS) रूस का नेविगेशन सिस्टम है, जिसे अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) के समक्ष माना जाता है।
- चीन का बाइडू (BeiDou): बाइडू चीन का नेविगेशन सिस्टम है, जिसमें तीन अलग-अलग कक्षाओं (Orbits) में कुल 30 उपग्रह शामिल हैं।
- गैलीलियो (Galileo) यूरोपीय संघ (EU) का ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है।

'भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली' (IRNSS)

- IRNSS, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है।
- इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भारत और उसके आस-पास के क्षेत्रों में विश्वसनीय पोज़ीशन, नेविगेशन और समय संबंधी सेवाएँ प्रदान करना है।
- IRNSS के कांस्टेलेशन को नाविक (NavIC) के नाम से जाना जाता है, यानी नाविक (NavIC) IRNSS के आठ उपग्रहों से मिलकर बना है।
- नाविक (NavIC) मुख्यत: दो प्रकार की सेवाएँ प्रदान करता है:
  - मानक स्थिति निर्धारण सेवा (Standard Positioning Service-SPS) सभी आम उपयोगकर्त्ताओं को उपलब्ध होगी।
  - प्रतिबंधित सेवा (RS) एक एन्क्रिप्टेड/कूटबद्ध सेवा है, जो केवल अधिकृत उपयोगकर्त्ताओं और संस्थाओं के लिये उपलब्ध है।
- अमेरिका के GPS, जिसमें 24 उपग्रह शामिल हैं, के विपरीत नाविक (NavIC) में 8 उपग्रह शामिल हैं और इसका क्षेत्राधिकार भारत तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में देश की सीमा से 1,500 किमी तक फैला हुआ है।
  - ध्यातव्य है कि अधिक उपग्रहों वाली नेविगेशन प्रणाली अधिक सटीक जानकारी प्रदान करती है। हालाँकि GPS की तुलना में, जो कि 20-30 मीटर की स्थिति सटीकता प्रदान करता है, नाविक (NavIC) 20 मीटर तक स्थिति सटीकता प्रदान कर सकता है, क्योंकि अमेरिका का GPS एक वैश्विक नेविगेशन सिस्टम है और भारत का नाविक (NavIC) एक क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है।

'चांग ई-5' मिशन: चीन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, चीन ने चंद्रमा की सतह से चट्टानों और मलबों के नमूने लाने के लिये रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट 'चांग ई-5'(Chang'e-5) को लॉन्च किया है। यह चीनी अंतरिक्ष यान करीब 4 दशक के बाद पहली बार चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर वापस पृथ्वी पर आएगा।

प्रमुख बिंदु

- ऐसा आखिरी मिशन वर्ष 1976 में सोवियत संघ का लूना-24 था।

चांग ई-5

- चीन ने दक्षिणी हैनान प्रांत (Hainan province) स्थित वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल (Wenchang Space Launch Center) से स्पेसक्राफ्ट 'चांग ई-5' (Chang'e-5) को 'लांग मार्च-5 रॉकेट' (Long March- 5 rocket) की सहायता से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है।

नोट :

- 'चांग ई-5' मिशन सफल होने पर चीन चंद्रमा से नमूने लाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका और सोवियत संघ चंद्रमा से नमूने लाने के लिये अंतरिक्ष यात्री भेज चुके हैं।
- 'चांग ई-5' मिशन के माध्यम से चंद्रमा की उत्पत्ति एवं निर्माण के बारे में समझने में और अधिक मदद मिलेगी।

चीन के चंद्र मिशन:

- वर्ष 2013 में, चीन ने पहली बार अपना मिशन चंद्रमा की धरती पर उतारा।
- जनवरी 2019 में, 'चांग ई-4' मिशन चंद्रमा की दूसरी ओर की सतह (डार्क साइड) पर लैंड कराने के लिये भेजा गया ताकि चंद्रमा के अज्ञात क्षेत्रों का भी पता लगाया जा सके ।
- 'चांग-ई' चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा शुरू की गई चंद्र जाँच की एक श्रृंखला है।

चीन के अन्य अंतरिक्ष योजनाएँ:

- वर्ष 2022 तक चीन स्थायी मानवयुक्त अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करने वाला है।
- आगामी दशक में चीन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में मानव रहित अन्वेषण करने के लिए एक रोबोट बेस स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है।
  - इसे चांग ई-6, 7 और 8 मिशनों के माध्यम से विकसित किया जाना है।

चंद्रमा के लिये अन्य महत्त्वपूर्ण मिशन:

- इसरो का चंद्रयान-3 मिशन।
- नासा (Artemis Mission by National Aeronautics and Space Administration) का आर्टेमिस मिशन (Artemis Mission)।

ड्राई स्वाब आरटी-पीसीआर परीक्षण COVID-19 टेस्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद' (ICMR) द्वारा'वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केंद्र' (CSIR-CCMB) को COVID-19 महामारी के परीक्षण के लिये 'ड्राई स्वाब आरएनए-एक्सट्रेशन फ्री टेस्टिंग' (Dry Swab RNA-extraction Free Testing) विधि के व्यावसायिक उपयोग को अनुमति दी गई।

प्रमुख बिंदु:

- ड्राई स्वाब विधि के परिणामों में 96.9% तक सटीकता है।
- परंपरागत (स्वाब-वीटीएम-आरएनए एक्सट्रैक्शन-आरटी-पीसीआर) और सरलीकृत (ड्राई स्वैब-आरटी-क्यूआरपीसीआर डायरेक्ट एलक्टेड) प्रोटोकॉल विधियों का तुलनात्मक अध्ययन बताता है कि एक साधारण बफर विलयन आधारित (Eluted) डायरेक्ट 'ड्राई स्वैब एंडपॉइंट आरटी-पीसीआर' के माध्यम से सटीकता के साथ SARS-CoV-2 वायरस की कोशिकीय पहचान आसानी से की जा सकती है।

पारंपरिक तरीका:

- पारंपरिक परीक्षण विधि में नमूना संग्रह केंद्रों द्वारा संदिग्ध कोरोना वायरस रोगियों के नमूने नासिका (Nasopharyngeal) या गले (Oropharyngeal) से एकत्र किये जाते हैं। फिर उन्हें परीक्षण केंद्रों (जो कभी-कभी सैकड़ों किलोमीटर दूर भी होते हैं) पर ले जाया जाता है।
  - नैसोफैरिंक्स (Nasopharynx) नासिका के पीछे ग्रसनी (गले) का ऊपरी हिस्सा होता है।
  - ओरोफैरिंक्स (Oropharynx) ग्रसनी का मध्य भाग होता है जो मुंह से परे होता है और इसमें जीभ का पिछला हिस्सा (जीभ का आधार), टॉन्सिल, मुलायम तालू (मुंह पटल का पिछला हिस्सा) और गले के किनारे और दीवारें शामिल होती हैं।

नोट :

- स्वाब नमूनों को आमतौर पर 'वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम' (VTM) नामक तरल में रखा जाता है और रिसाव से बचने के लिये नमूनों को अच्छी तरह से पैक किया जाता है जिससे नमूना संग्रह और परीक्षण केंद्र पर अधिक समय लग जाता है।
- RNA निष्कर्षण में, यहाँ तक कि स्वचालन विधि में भी लगभग 500 नमूनों के एकत्रीकरण में लगभग चार घंटे लगते हैं। वीटीएम और आरएनए निष्कर्षण दोनों विधियाँ व्यापक पैमाने पर परीक्षण में आर्थिक और समय के दृष्टिकोण से बहुत अधिक बोझिल है।

नई तथा सरलीकृत विधि:

- ड्राई स्वाब तकनीक में वीटीएम और आरएनए निष्कर्षण प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है और इसका उपयोग सीधे आरटी-पीसीआर परीक्षण में किया जा सकता है।
- इसमें परीक्षण की लागत और समय की 40-50% तक की बचत होती है, जबकि सुरक्षा से समझौता किये बिना एक ही समय में स्क्रीनिंग को तत्काल प्रभाव से कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है।
- नई किट की आवश्यकता के बिना इसे लागू करना आसान है और मौजूदा जनशक्ति को बिना कोई अतिरिक्त प्रशिक्षण दिये इसे प्रयुक्त किया जा सकता है।

महत्त्व:

- कोरोना वायरस का व्यापक पैमाने पर परीक्षण किया जा सकेगा।
- पारंपरिक आरटी-पीसीआर परीक्षणों की तुलना में अधिक किफायती है।
- जल्दी परिणाम देना संभव होगा।

दृष्टि The Vision

नोट :

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

गिद्ध कार्य योजना 2020-25

चर्चा में क्यों ?

16 नवंबर, 2020 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने देश में गिद्धों के संरक्षण के लिये एक 'गिद्ध कार्य योजना 2020-25' (Vulture Action Plan 2020-25) शुरू की।

प्रमुख बिंदु:

- पिछले कुछ वर्षों में गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है, कुछ प्रजातियों में यह गिरावट 90% तक है।
- भारत, 1990 के दशक के बाद से दुनिया में पक्षियों की आबादी में सबसे अधिक गिरावट वाले देशों में से एक है।
- हालाँकि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वर्ष 2006 से गिद्धों के लिये एक संरक्षण परियोजना चला रहा है, किंतु अब इस परियोजना को वर्ष 2025 तक बढ़ाकर न केवल उनकी संख्या में गिरावट को रोकना है बल्कि भारत में गिद्धों की संख्या को सक्रिय रूप से बढ़ाना है।
- भारत में गिद्धों की नौ अभिलिखित प्रजातियाँ हैं-

ओरिएंटल व्हाइट-बैक्ड (Oriental White-Backed)	हिमालयन (Himalayan)	बियर्डड (Bearded)
लॉन्ग-बिल्ड (Long-Billed)	रेड-हेडेड (Red-Headed)	सिनेरियस (Cinereous)
स्लेंडर-बिल्ड (Slender-Billed)	इजिप्टियन (Egyptian)	यूरेशियन ग्रिफन (Eurasian Griffon)

- वर्ष 1990 से वर्ष 2007 के बीच गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically-Endangered) तीन प्रजातियों (ओरिएंटल व्हाइट-बैक, लॉन्ग-बिल्ड, स्लेंडर-बिल्ड) की संख्या में 99% तक गिरावट देखी गई है।
- रेड-हेडेड गिद्ध भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically-Endangered) श्रेणी के अंतर्गत आ गए हैं, इनकी संख्या में 91% की गिरावट आई है, जबकि इजिप्टियन गिद्धों की संख्या में 80% तक गिरावट आई है।
- इजिप्टियन गिद्ध को 'संकटग्रस्त' (Endangered) श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि हिमालयन, बियर्ड और सिनेरियस गिद्धों को 'निकट संकटग्रस्त' (Near Threatened) श्रेणी में रखा गया है।

भारत में गिद्धों की आबादी में कमी का कारण:

- गिद्धों की आबादी में कमी के बारे में जानकारी 90 के दशक के मध्य में सुर्खियों में आई और वर्ष 2004 में इस गिरावट का कारण डिक्लोफिनेक (Diclofenac) को बताया गया जो पशुओं के शवों को खाते समय गिद्धों के शरीर में पहुँच जाती है।
- पशुचिकित्सा में प्रयोग की जाने वाली दवा डिक्लोफिनेक को वर्ष 2006 में प्रतिबंधित कर दिया गया। इसका प्रयोग मुख्यत: पशुओं में बुखार/सूजन/उत्तेजन की समस्या से निपटने में किया जाता था।
- डिक्लोफिनेक दवा के जैव संचयन (शरीर में कीटनाशकों, रसायनों तथा हानिकारक पदार्थों का क्रमिक संचयन) से गिद्धों के गुर्दे (Kidney) काम करना बंद कर देते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है।
- डिक्लोफिनेक दवा गिद्धों के लिये प्राणघातक साबित हुई। गौरतलब है कि डिक्लोफिनेक से प्रभावित जानवरों के शवों का सिर्फ 0.4-0.7% हिस्सा ही गिद्धों की आबादी के 99% को नष्ट करने के लिये पर्याप्त है।

गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम (Vulture Conservation Breeding Programme):

- गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी का एक संयुक्त कार्यक्रम है।

नोट :

- गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र को वर्ष 2001 में स्थापित गिद्ध देखभाल केंद्र के नाम से जाना जाता था।
- यह कार्यक्रम सफल रहा है और गंभीर रूप से संकटग्रस्त तीन प्रजातियों को पहली बार संरक्षण हेतु यहाँ रखा गया था।
- इसके तहत आठ केंद्र स्थापित किये गए हैं और अब तक तीन प्रजातियों के 396 गिद्धों को इसमें शामिल किया जा चुका है।

रेड-हेडेड एवं इजिप्टियन गिद्धों के लिये संरक्षण कार्यक्रम:

- MoEFCC ने अब दोनों (रेड-हेडेड एवं इजिप्टियन गिद्धों) के लिये प्रजनन कार्यक्रमों के साथ-साथ संरक्षण योजनाएँ भी शुरू की हैं।

गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम (Vulture Safe Zone Programme):

- 'गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम' को देश के उन आठ अलग-अलग स्थानों पर लागू किया जा रहा है जहाँ गिद्धों की आबादी विद्यमान है। इनमें से दो स्थान उत्तर प्रदेश में हैं।
- 'गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र' में डिक्लोफिनेक का न्यूनतम उपयोग सुनिश्चित करके गिद्धों की आबादी को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाता है।किसी क्षेत्र को गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र तब घोषित किया जाता है जब लगातार दो वर्षों तक 'अंडरकवर फार्मेसी एवं मवेशी शव सर्वेक्षण' (Undercover Pharmacy and Cattle Carcass Surveys) में कोई ज़हरीली दवा नहीं मिलती है और गिद्धों की आबादी स्थिर हो तथा घट नहीं रही हो।

'गिद्ध कार्य योजना 2020-25' का उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य पशु चिकित्सा संबंधी NSAIDs (Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug) की बिक्री का विनियमन करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि पशुधन का इलाज केवल योग्य पशु चिकित्सकों द्वारा किया जाए।

प्रयास:

- MoEFCC ने गिद्धों में मौजूद NSAIDs का परीक्षण करने और नए NSAIDs को विकसित करने की योजना बनाई है ताकि इसका प्रभाव गिद्धों पर न पड़े।
- उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से प्राप्त नमूनों एवं सूचनाओं के आधार पर मौजूद गिद्ध संरक्षण केंद्रों के साथ-साथ देश भर में अतिरिक्त संरक्षण प्रजनन केंद्रों की स्थापना की भी योजना बनाई जा रही है।
- उत्तर भारत में पिंजौर (हरियाणा), मध्य भारत में भोपाल, पूर्वोत्तर में गुवाहाटी और दक्षिण भारत में हैदराबाद जैसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिये चार बचाव केंद्र प्रस्तावित हैं।

डीम्ड वन

चर्चा में क्यों ?

कर्नाटक राज्य सरकार जल्द ही राज्य में 9.94 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले डीम्ड वनों के 6.64 लाख हेक्टेयर हिस्से को विवर्गीकृत (De-classified) कर राजस्व अधिकारियों को सौंप देगी।

प्रमुख बिंदु

- यह कदम प्रत्येक ज़िले के राजस्व, वन और भूमि रिकॉर्ड विभागों के अधिकारियों की अध्यक्षता में स्थानीय समितियों द्वारा डीम्ड वन क्षेत्रों की वास्तविक सीमा के अध्ययन के बाद उठाया गया है।
- कर्नाटक में डीम्ड वनों का मुद्दा विवादास्पद रहा है जिसमें विभिन्न दलों के विधायक प्राय: यह आरोप लगाते रहे हैं कि बड़ी मात्रा में कृषि और गैर-वन भूमि क्षेत्रों को 'अवैज्ञानिक' रूप से डीम्ड वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

डीम्ड वन क्या हैं ?

- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 सहित किसी भी कानून में डीम्ड वनों की अवधारणा को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।
- हालांकि टी एन गोडवर्मन थिरुमलपाद (1996) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम के तहत वनों की एक विस्तृत परिभाषा को स्वीकार किया।

नोट :

- यह परिभाषा वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त सभी जंगलों को शामिल करती है, चाहे वे वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (1) के उद्देश्य के लिये आरक्षित, संरक्षित या अन्यथा नामित हों।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, धारा 2 में शामिल 'वन भूमि' शब्द के तहत न केवल जंगल शामिल होगा जैसा कि शब्दकोष में समझा जाता है, बल्कि स्वामित्व के बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में जंगल के रूप में दर्ज क्षेत्र भी इस परिभाषा में शामिल होंगे।

पुनर्वर्गीकरण की मांग

- स्वामित्व की परवाह किये बगैर एक डीम्ड वन 'शब्दकोशीय वन' के अर्थ के दायरे में शामिल है।
- किसानों को होने वाली परेशानी और खनन में आने वाली रूकावट के दावों के बीच राज्य सरकार का यह भी तर्क है कि पूर्व में किये गए इस वर्गीकरण में लोगों की ज़रुरतों को ध्यान में नहीं रखा गया था।

पुनर्वर्गीकरण क्यों? (Why Declassified?)

- वर्ष 2014 में तत्कालीन सरकार ने वनों के वर्गीकरण पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया था।
- वनों की शब्दकोशीय परिभाषा का उपयोग कर घने जंगल वाले क्षेत्रों की पहचान डीम्ड वन के रूप में की गई थी जिसमें परिभाषित वैज्ञानिक, सत्यापन योग्य मानदंडों का उपयोग नहीं किया गया था।
- इस व्यक्तिनिष्ठ वर्गीकरण के परिणामस्वरूप एक विवाद पैदा हो गया। राज्य सरकार का यह भी तर्क है कि भूमि को अधिकारियों द्वारा यादृच्छिक रूप से डीम्ड वन के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिससे कुछ क्षेत्रों में किसानों को कठिनाई हुई।
- गौरतलब है कि डीम्ड वनों के रूप में निर्दिष्ट कुछ क्षेत्रों में खनन की व्यावसायिक मांग भी है।

विलवणीकरण संयंत्र

चर्चा में क्यों

हाल ही में महाराष्ट्र ने मुंबई में एक विलवणीकरण संयंत्र (Desalination Plants) स्थापित करने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- विलवणीकरण संयंत्र प्रतिदिन 200 मिलियन लीटर पानी (MLD) को संसाधित करेगा और मई और जून के महीनों में मुंबई में होने वाली पानी की कमी को दूर करने में मदद करेगा।
- विलवणीकरण संयंत्र के साथ प्रयोग करने वाला महाराष्ट्र चौथा राज्य होगा।

विलवणीकरण संयंत्र:

- विलवणीकरण संयंत्र खारे पानी को पीने योग्य पानी में परिवर्तित कर देता है।
  - पानी को लवणमुक्त करने की प्रक्रिया विलवणीकरण कहलाती है जो विभिन्न मानव उपयोगों की गुणवत्ता (लवणता) की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले पानी का उत्पादन करता है।
- इस प्रक्रिया में सबसे अधिक उपयोग रिवर्स ऑस्मोसिस (Reverse Osmosis-RO) तकनीक का किया जाता है।
  - अर्द्ध-पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च-विलेय सांद्रता के क्षेत्र से कम-विलेय सांद्रता वाले क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिये बाह्य दाब लगाया जाता है।
  - झिल्ली में मौजूद सूक्ष्म छिद्र जल के अणुओं को अंदर जाने की अनुमति देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से साफ जल छोड़ते हुए नमक और अधिकांश अन्य अशुद्धियों को पीछे छोड़ देते हैं।
- ये संयंत्र अधिकतर उन क्षेत्रों में स्थापित किये जाते हैं जिनकी पहुँच समुद्र के पानी तक है।

विलवणीकरण संयंत्रों का लाभ:

- यह जलविद्युत चक्र से उपलब्ध जल आपूर्ति का विस्तार कर सकता है, जो 'असीमित' जलवायु-स्वतंत्र और उच्च गुणवत्ता वाले पानी की स्थिर आपूर्ति प्रदान करता है।

नोट :

- यह उन क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध करा सकता है जहाँ पीने योग्य पानी की कोई प्राकृतिक आपूर्ति नहीं है।
- चूँकि यह आमतौर पर जल गुणवत्ता के सभी मानकों को पूरा करता है या इसकी गुणवत्ता निर्धारित मानकों से अधिक होती है इसलिये विलवणीकरण संयंत्र अतिशोषित जल संसाधन वाले क्षेत्रों से प्राप्त किये जाने वाले मृदु जल की आपूर्ति पर पड़ने वाले दबाव को कम भी कर सकते हैं, जिनका संरक्षण आवश्यक है।

विलवणीकरण संयंत्रों का नुकसान:

- विलवणीकरण संयंत्रों के निर्माण और संचालन पर काफी अधिक खर्च आता है क्योंकि संयंत्रों से समुद्री पानी को स्वच्छ बनाने की प्रक्रिया में ऊर्जा की अधिक खपत होती है।
  - विलवणीकरण में पानी के उत्पादन की कुल लागत का एक-तिहाई ऊर्जा खर्च होती है।
  - क्योंकि ऊर्जा कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा है इसलिये ऊर्जा की कीमत में बदलाव से लागत भी बहुत प्रभावित होती है।
- पर्यावरणीय प्रभाव जल विलवणीकरण संयंत्रों के लिये एक और नुकसान है। पानी से हटाए गए नमक का निपटान एक प्रमुख मुद्दा है।
  - खारे पानी के रूप में जाना जाने वाला यह निर्वहन लवणता में परिवर्तन कर सकता है और निपटान स्थल पर पानी में ऑक्सीजन (हाइपोक्सिया) की मात्रा को कम कर सकता है।
  - इसके अलावा अलवणीकरण प्रक्रिया क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंटी-स्केलेंट्स सहित कई रसायनों का उपयोग या उत्पादन करती है जो उच्च सांद्रता में हानिकारक हो सकते हैं।
- अवसर: पर्यावरणीय समस्या को आर्थिक अवसर में परिवर्तित किया जा सकता है:
  - खारे पानी में यूरेनियम, स्ट्रोंटियम के साथ-साथ सोडियम और मैग्नीशियम जैसे बहुमूल्य तत्त्व भी हो सकते हैं जिनका खनन किया जा सकता है।
  - मछली के बायोमास में 300% वृद्धि के साथ खारे पानी का उपयोग मत्स्य पालन (Aquaculture) के लिये किया गया है। इसका उपयोग आहार अनुपूरक स्पिरुलिना की खेती करने, झाड़ियों और फसलों की सिंचाई के लिये सफलतापूर्वक किया गया है।

भारत में विलवणीकरण संयंत्रों का उपयोग:

- यह काफी हद तक मध्य पूर्व के देशों तक सीमित है और हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में इसका उपयोग किया जाने लगा है।
- भारत में तमिलनाडु इस तकनीक का उपयोग करने में अग्रणी रहा है, वर्ष 2010 में चेन्नई के मिंजूर और वर्ष 2013 में दक्षिण चेन्नई के निम्मेली में समुद्र किनारे दो विलवणीकरण संयंत्र लगाए गए।
- गुजरात और आंध्र प्रदेश राज्य ने इन संयंत्रों का प्रस्ताव दिया है।

आगे की राह

- विलवणीकरण तकनीकों को और अधिक किफायती बनाने की आवश्यकता है, अर्थात् सतत् विकास लक्ष्य-6 (सभी के लिये स्वच्छता और पानी के सतत् प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना) को संबोधित करने के लिये विलवणीकरण की व्यवहार्यता में वृद्धि करना।
- विलवणीकरण योजनाओं की स्थिरता का समर्थन करने के लिये नवीन वित्तीय तंत्रों के साथ कम पर्यावरणीय प्रभावों और आर्थिक लागतों के लिये तकनीकी शोधन की आवश्यकता होगी।

दक्षिण भारत में वायु प्रदूषण में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, दक्षिणी और पूर्वी भारत में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि की दर सिंधु-गंगा के मैदान (IGP) से कहीं अधिक है।

- इस अध्ययन में पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रदूषण स्तर में शहरी क्षेत्रों के समान वृद्धि देखने को मिली है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

अध्ययन के संदर्भ में:

- इस अध्ययन को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और आईआईटी-दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया था तथा इसके तहत वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2011 तक के आँकड़ों की समीक्षा की गई।
  - विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों में प्रदूषण में गिरावट की संभावना की जा रही है, हालाँकि वर्तमान में वर्ष 2020 के आँकड़ों को एकत्र करने और उनकी समीक्षा की प्रक्रिया अभी भी जारी है।
- उपग्रह डेटा के आधार पर किया गया यह अध्ययन, वायु प्रदूषण की स्थानिक रूप से समीक्षा के लिये किया गया अपनी तरह का पहला प्रयास है।
  - विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार के लिये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत भविष्य की नीतियों के निर्माण हेतु प्रदूषण की स्थानिक मैपिंग महत्त्वपूर्ण होगी।

अध्ययन के परिणाम:

- इस अध्ययन के अनुसार, पूर्वी और दक्षिणी भारत में PM2.5 की वृद्धि की दर प्रति वर्ष इस अवधि के दौरान 1.6% से अधिक रही, जबकि IGP में यह प्रतिवर्ष 1.2% से कम ही रही।
  - PM 2.5 ऐसे प्रदूषक कण होते हैं जिनका आकार आमतौर पर 2.5 माइक्रोमीटर या इससे छोटा होता है, ये सूक्ष्म कण श्वास के साथ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं।
  - यह पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और जलवायु को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख प्रदूषक है।
- गौरतलब है कि वर्ष 2019 में 1 लाख से अधिक की आबादी वाले देश के 436 शहर/कस्बों के 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (µg / m3) के 'राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक' (NAAQS) को पार कर लिया था।
- देश में जनसंख्या-भारित 20-वर्ष का औसत PM2.5, 57.3 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पाया गया है, जिसमें वर्ष 2000-09 की तुलना में वर्ष 2010-19 के बीच अधिक वृद्धि देखी गई है।
  - वर्ष 2019 तक, भारत में 99.5% ज़िले विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों (10 µg/m3) को पूरा नहीं कर सके थे।

राज्यवार आँकड़े:

- जम्मू और कश्मीर (J & K), लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नगालैंड को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों में परिवेशी PM2.5 राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक के राष्ट्रीय औसत 40 µg/m3 को पार कर जाता है।
- IGP, जिसकी आबादी 70 करोड़ से अधिक है और पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में PM2.5 का स्तर वार्षिक NAAQS से दोगुना पाया गया।
- पूर्वी भारत में वायु प्रदूषण में सबसे अधिक वृद्धि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है, इसके प्रमुख कारणों में इस क्षेत्र में हो रही खनन गतिविधियाँ और तापीय कोयला बिजली संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण आदि शामिल हैं।
- दक्षिण भारत में, बेंगलुरु या हैदराबाद जैसे शहरों के आसपास उच्च शहरीकरण के कारण इस क्षेत्र में उत्सर्जन वृद्धि हुई है।
- पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत में प्रतिकूल मौसम, उत्सर्जन में वृद्धि के कारण पीएम 2.5 में भी वृद्धि हुई है।

निहितार्थ:

- हालाँकि IGP क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर निरपेक्ष रूप से सबसे अधिक है, परंतु दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों में वायु प्रदूषण में वृद्धि की दर IGP की तुलना में अधिक है।
- यदि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर केवल IGP पर ही ध्यान केंद्रित रहता है और दक्षिणी तथा पूर्वी भारत में बढ़ते प्रदूषण स्तर पर समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती है, तो अगले 10 वर्षों में इन क्षेत्रों में भी वही समस्या देखने को मिलेगी जो वर्तमान में उत्तरी भारत में है।

शहरी-ग्रामीण विभाजन:

- इस अध्ययन के अनुसार, ग्रामीण शहरी विभाजन से परे PM 2.5 के स्तर में समान रूप से वृद्धि देखी गई है।

नोट :

- उदाहरण के लिये वर्ष 2001 से वर्ष 2015 के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में PM 2.5 के स्तर में 10.9% की वृद्धि देखी गई, परंतु इसी अवधि के दौरान ग्रामीण भारत में भी PM 2.5 के स्तर में 11.9% की वृद्धि देखी गई।

- ग्रामीण भारत में वायु प्रदूषण में हो रही स्थिर वृद्धि का एक कारण घरेलू उपयोग के लिये ठोस ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता है, जो कि भारत में परिवेशी PM 2.5 की वृद्धि के लिये सबसे अधिक उत्तरदायी है।
  - इससे स्पष्ट होता है कि खराब वायु गुणवत्ता अब भारत में एक शहरी केंद्रित समस्या नहीं रह गई है।
- देश में वायु प्रदूषण नीतियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या की चर्चा कम ही की जाती है और वर्तमान में भी ये नीतियाँ शहरों पर ही केंद्रित रहती हैं।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रदूषण के स्तर में काफी गिरावट आने का अनुमान है, परंतु इसकी प्रगति की निगरानी हेतु एक विश्वसनीय तंत्र का अभाव एक बड़ी चुनौती है।
- चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू स्रोत परिवेशी PM2.5 की वृद्धि में 50% से अधिक का योगदान देते हैं, ऐसे में PMUY के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से इस वृद्धि को रोकने के साथ इसकी दिशा को भी बदला जा सकता है।

बाघ संरक्षण के लिये पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिज़र्व (PTR) ने चार वर्ष (2014-18) में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिये TX2 अवार्ड (TX2 Award) जीता है।

प्रमुख बिंदु:

- पीलीभीत टाइगर रिज़र्व (PTR) के साथ-साथ भारत और भूटान की सीमा पर स्थित ट्रांसबाउंडरी मानस संरक्षण क्षेत्र (TraMCA) ने भी इस दिशा में अपने प्रयासों के लिये कंज़र्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड जीता है।
- ध्यातव्य है कि इससे पूर्व वर्ष 2018 के अखिल भारतीय बाघ आकलन ने विश्व का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था।

पुरस्कारों के बारे में

- वर्ष 2010 में शुरू हुए ये दोनों पुरस्कार टाइगर रेंज कंट्रीज़ (TRC) में किसी भी ऐसी साइट को दिया जाता है, जिसने वर्ष 2010 के बाद बाघ संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है।
  - यहाँ साइट से अभिप्राय बाघ आबादी वाले ऐसे क्षेत्र से है, जिसे कानूनी रूप से देश की सरकार द्वारा नामित किया गया हो।
  - टाइगर रेंज कंट्रीज़ (TRC) में ऐसे देश शामिल हैं, जहाँ बाघ अभी भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं।
- इन पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा 23 नवंबर, 2020 को वैश्विक TX2 लक्ष्यों (TX2 Goal) की 10वीं वर्षगाँठ के अवसर पर की गई है।
- पुरस्कार के विजेताओं को छोटा वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिसका उपयोग भविष्य में बाघ संरक्षण की दिशा में की जाने वाली पहलों के लिये किया जाएगा।
- TX2 अवार्ड (TX2 Award): यह पुरस्कार ऐसी 'साइट' को दिया जाता है, जिसने वर्ष 2010 से अब तक बाघों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।
- कंज़र्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड: यह पुरस्कार किसी ऐसी 'साइट' को प्रदान किया जाता है, जिसने निम्नलिखित पाँच विषयों में से दो या उससे अधिक में उत्कृष्टता हासिल की हो:
  - बाघ और उसके द्वारा शिकार किये जाने वाले जानवरों की आबादी की निगरानी करने और इस संबंध में अनुसंधान करने;
  - 'साइट' का प्रभावी प्रबंधन;

नोट :

- उन्नत कानून प्रवर्तन तथा संरक्षण और वनपालकों के कल्याण में सुधार;
- समुदाय आधारित संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष में कमी
- पर्यावास और बाघों द्वारा द्वारा शिकार किये जाने वाले जानवरों का प्रबंधन

TX2 लक्ष्यों (TX2 Goal)

- TX2 लक्ष्य वर्ष 2022 तक विश्व में जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करने की वैश्विक प्रतिबद्धता को प्रकट करते है।
- इन लक्ष्यों का निर्धारण विश्व वन्यजीव कोष (WWF) द्वारा ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ग्लोबल टाइगर फोरम और ऐसे ही अन्य महत्त्वपूर्ण प्लेटफार्मों के माध्यम से किया था।
- इन लक्ष्यों के निर्धारण के लिये वर्ष 2010 में टाइगर रेंज कंट्रीज़ (TRC) में शामिल सभी 13 देशों की सरकारें पहली बार सेंट पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन (रूस) में एक साथ आई थीं, जहाँ उन्होंने वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।
  - टाइगर रेंज कंट्रीज़ (TRC) में शामिल हैं- भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम।
  - बाघ को IUCN रेड लिस्ट में 'संकटग्रस्त' (Endangered) की सूची में रखा गया है और इसे CITES के परिशिष्ट-I के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
  - बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिये प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है।
  - भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1973 में की गई थी। बाघ को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की 'अनुसूची-I' के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

पीलीभीत टाइगर रिज़र्व (PTR)

- अवस्थिति: यह टाइगर रिज़र्व उत्तर प्रदेश के तीन ज़िलों यथा- पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच, में अवस्थित है।
  - पीलीभीत टाइगर रिज़र्व (PTR) का उत्तरी छोर भारत-नेपाल सीमा के पास अवस्थित है, जबकि इसका दक्षिणी हिस्सा शारदा और खकरा नदी के पास मौजूद है।
- इतिहास: इसे वर्ष 2014-15 में विशाल खुले स्थानों के साथ अपने विशेष प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर एक टाइगर रिज़र्व के रूप में मान्यता दी गई थी।
  - पीलीभीत टाइगर रिज़र्व (PTR) अत्यधिक विविध तराई पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बेहतर उदाहरण है।
- विशेषता:
  - भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा किये गए अध्ययन से पता चलता है कि दुधवा-पीलीभीत एक 'हाई कंज़र्वेशन वैल्यू' वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ तराई पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल हो चुकी बाघ की विशिष्ट आबादी का प्रतिनिधित्त्व करता है।
  - यहाँ 127 से अधिक जंगली जानवर, 326 पक्षी प्रजातियाँ और 2,100 फूल और पौधों की अलग-अलग प्रजतियाँ पाई जाती हैं।
    - जंगली जानवरों में बाघ, हिरण और तेंदुआ आदि शामिल हैं।
    - इसमें कई जल निकायों के साथ जंगल और घास के मैदान भी शामिल हैं।
- TX2 अवार्ड का कारण: पीलीभीत टाइगर रिज़र्व (PTR) में बाघों की संख्या सिर्फ चार वर्ष (2014-18) की अवधि में 25 से 65 हो गई है।
- उत्तर प्रदेश के अन्य संरक्षित क्षेत्र
  - दुधवा नेशनल पार्क
  - कतरनियाघाट वन्यजीव अभयारण्य
  - चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य
  - सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य

नोट :

ट्रांसबाउंडरी मानस संरक्षण क्षेत्र (TraMCA)

- इतिहास: मनुष्यों और वन्यजीवों के महत्त्व के लिये भूटान और भारत के बीच एक ट्रांसबाउंडरी संरक्षण क्षेत्र को संयुक्त रूप से विकसित और प्रबंधित करने की अवधारणा सर्वप्रथम वर्ष 2011 में सामने आई थी।
- विशेषता
  - 6500 वर्ग किलोमीटर में फैला ट्रांसबाउंडरी मानस संरक्षण क्षेत्र (TraMCA) भारत में संपूर्ण मानस टाइगर रिज़र्व, भूटान के चार संरक्षित क्षेत्रों और दो बायोलॉजिकल गलियारों को भी कवर करता है।
  - भारत में मानस टाइगर रिज़र्व और भूटान में रॉयल मानस नेशनल पार्क, ट्रांसबाउंडरी मानस संरक्षण क्षेत्र (TraMCA) का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं, और इनमें बाघों, हाथियों, गैंडों जैसे जानवरों, पक्षियों और पौधों की 1500 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
  - ट्रांसबाउंडरी मानस संरक्षण क्षेत्र (TraMCA) और इसके आसपास का इलाका भारत तथा भूटान में तकरीबन 10 मिलियन से अधिक लोगों की प्रत्यक्ष सहायता करता है।
  - कंज़र्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड का कारण: ट्रांसबाउंडरी मानस संरक्षण क्षेत्र (TraMCA) को भी बाघ की आबादी बढ़ाने के प्रयासों के कारण इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मानस टाइगर रिज़र्व (भारत) में बाघों की संख्या वर्ष 2010 के 9 से बढ़कर वर्ष 2018 में 25 हो गई है, जबकि भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क में बाघों की संख्या वर्ष 2010 के 12 से बढ़कर वर्ष 2018 में 26 हो गई है।

नोट :

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

चक्रवात निवार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात निवार (Nivar) ने तमिलनाडु-पुडुचेरी तट के साथ 'लैंडफॉल' (LandFall) बनाया है।

- 'लैंडफॉल' (LandFall) से तात्पर्य एक चक्रवात की बाहरी दीवार के तटरेखा एवं उससे आगे बढ़ने की घटना से है।

प्रमुख बिंदु:

उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclone):

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है और कम वायुमंडलीय दबाव, तेज़ हवाएँ और भारी बारिश की इसकी विशेषताएँ है।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की एक विशेषता चक्रवात की आँख (Eye), स्पष्ट स्कीइस (Skies), गर्म तापमान और कम वायुमंडलीय दबाव का एक केंद्रीय क्षेत्र है।
  - स्कीइस (Skies) पृथ्वी से देखा गया वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष का क्षेत्र होता है।
- इस प्रकार के तूफान को उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में हरिकेन और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में टाइफून कहा जाता है। इन्हें दक्षिण-पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उत्तर-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली-विली कहा जाता है।
- ये तूफान उत्तरी गोलार्द्ध में वामावर्त (Anticlockwise) और दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिणावर्त (Clockwise) चक्कर लगाते हैं।

चक्रवात निवार:

- यह उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला इस वर्ष का चौथा चक्रवात है। इससे पहले आए तीन चक्रवात थे:
  - चक्रवात गति (Gati) (नवंबर में सोमालिया में),
  - चक्रवात अम्फान (पूर्वी भारत ने मई, 2020 में)
  - चक्रवात निसर्ग (महाराष्ट्र में)।
- वर्ष 2018 में आए चक्रवात गाजा (Gaja) के बाद दो वर्ष में तमिलनाडु के तट से टकराने वाला 'निवार' दूसरा चक्रवात होगा।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organisation- WMO) के दिशा-निर्देशों के आधार पर इस तूफान को 'चक्रवात निवार' नाम दिया गया है। यह 'निवार' नाम, ईरान द्वारा दिये गए नामों की सूची में से चुना गया है।
  - WMO के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक क्षेत्र के देशों को चक्रवातों का नाम देने के लिये अधिकृत किया गया है।
  - उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर बने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कवर करता है।
  - इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 13 सदस्य बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्याँमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन हैं।
  - इन देशों द्वारा इस वर्ष के लिये चक्रवात के कुल 169 नाम सुझाए गए थे, जिसमें प्रत्येक देश द्वारा सुझाए गए 13 नाम शामिल थे।
- 100-110 किमी. प्रति घंटे की हवा की गति के साथ यह तूफान एक 'अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान' (Very Severe Cyclonic Storm) से गंभीर चक्रवाती तूफान (Severe Cyclonic Storm) में परिवर्तित हो गया है।

सरकारी प्रयास:

- तमिलनाडु सरकार ने चक्रवात निवार के प्रभाव को देखते हुए चेन्नई सहित 16 ज़िलों में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) के तहत सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है।

नोट :

- मछली पकड़ने की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है और चक्रवात की चपेट में आने वाले तटीय इलाकों के निवासियों को बाहर निकाला गया है। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (National Disaster Response Force- NDRF) ने प्रभावित क्षेत्रों में अपनी टीमों को तैनात किया है।

पूर्वोत्तर मानसून

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में उत्तर-पूर्वी मानसूनी वर्षा में गिरावट देखी गई।

मुख्य बिंदु:

- भारत में वर्षा का पैटर्न: भारत एक वर्ष में दो मौसमी वर्षा प्राप्त करता है।
  - देश की वार्षिक वर्षा का लगभग 75 प्रतिशत दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून-सितंबर) से प्राप्त होता है।
  - दूसरी ओर, पूर्वोत्तर मानसून (अक्तूबर-दिसंबर) तुलनात्मक रूप से छोटे पैमाने का मानसून होता है जो दक्षिणी प्रायद्वीप तक ही सीमित है।
- उत्तर-पूर्व मानसून से जुड़े क्षेत्र:
  - इसे शीतकालीन मानसून भी कहा जाता है, पूर्वोत्तर मानसून से जुड़ी बारिश तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराइकल, यनम, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, माहे और लक्षद्वीप के लिये महत्वपूर्ण है।
  - कुछ दक्षिण एशियाई देश जैसे मालदीव, श्रीलंका और म्यांमार में भी अक्तूबर से दिसंबर के दौरान रिकॉर्ड वर्षा दर्ज करते हैं।
  - तमिलनाडु इस दौरान अपनी वार्षिक वर्षा का लगभग 48 प्रतिशत (447.4 mm) प्राप्त करता है, यह वर्षा राज्य में कृषि गतिविधियों और जलाशय प्रबंधन के लिये महत्वपूर्ण कारक है।
- देश से दक्षिण-पश्चिम मानसून के पूरी तरह से लौट जाने के बाद मध्यअक्तूबर तक हवा का पैटर्न तेज़ी से दक्षिण-पश्चिम से उत्तरी-पूर्वी दिशा में बदल जाता है।
  - दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के बाद की अवधि (अक्तूबर-दिसंबर) उत्तरी हिंद महासागरीय क्षेत्र (अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी) में चक्रवाती गतिविधि के लिये चरम समय है।
  - कम दबाव प्रणाली या चक्रवात के गठन से जुड़ी हवाएँ इस मानसून को प्रभावित करती हैं।
  - इसलिये चक्रवातों की समय पर जानकारी आकस्मिक योजना बनाने हेतु सरकार तथा आपदा प्रबंधन टीम के लिये महत्वपूर्ण हो जाता है।

इस पूर्वोत्तर मानसून में कमी के कारण:

प्रशांत महासागर में ला नीना की स्थितियाँ:

- ला नीना (La Niña) की स्थिति दक्षिण पश्चिम मानसून से जुड़ी वर्षा को बढ़ाती है लेकिन पूर्वोत्तर मानसून से जुड़ी वर्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।
- ला नीना मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान के बड़े पैमाने पर शीतलन को संदर्भित करता है जो उष्णकटिबंधीय वायुमंडलीय परिसंचरण, जैसे-हवाओं, दबाव और वर्षा में परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है।
- इसका आमतौर पर मौसम और जलवायु पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जैसे कि एल नीनो जो तथाकथित अल नीनो दक्षिणी दोलन (El Niño Southern Oscillation) का गर्म चरण है।
  - प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को अल-नीनो कहा जाता है।
  - अल-नीनो एवं ला-नीना पृथ्वी की सर्वाधिक शक्तिशाली घटनाएँ हैं जो पूरे ग्रह के आधे से अधिक भाग के मौसम को परिवर्तित करती हैं।

नोट :

- अल–नीनो एक वैश्विक प्रभाव वाली घटना है और इसका प्रभाव क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। स्थानीय तौर पर प्रशांत क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन से लेकर दुनिया भर के अधिकांश मध्य अक्षांशीय हिस्सों में बाढ़, सूखा, वनाग्नि, तूफान या वर्षा आदि के रूप में इसका असर सामने आता है।

अंत: उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (Inter Tropical Convective Zone):

- ITCZ पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के पास वृत्ताकार क्षेत्र है। यह पृथ्वी पर वह क्षेत्र है, जहाँ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्द्धों की व्यापारिक हवाएँ, यानी पूर्वोत्तर व्यापारिक हवाएँ तथा दक्षिण-पूर्व व्यापारिक हवाएँ एक जगह मिलती हैं।
- भूमध्य रेखा पर सूर्य का तीव्र तापमान और गर्म जल ITCZ में हवा को गर्म करते हुए इसकी आर्द्रता को बढ़ा देते हैं जिससे यह उत्प्लावक बन जाता है।
- व्यापारिक हवाओं के अभिसरण (Convergence) के कारण यह ऊपर की तरफ उठने लगता है। ऊपर की तरफ उठने वाली यह हवा फैलती है और ठंडी हो जाती है, जिससे भयावह आँधी तथा भारी वर्षा शुरू हो जाती है।

अन्य महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परिसंचरण:

- मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (Madden-Julian Oscillation): मैडेन-जूलियन ऑसीलेशन को भूमध्य रेखा के पास पूर्व की ओर सक्रिय बादलों और वर्षा के प्रमुख घटक या निर्धारक (जैसे मानव शरीर में नाड़ी (Pulse) एक प्रमुख निर्धारक होती है) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आमतौर पर हर 30 से 60 दिनों में स्वयं की पुनरावृत्ति करती है।

नोट :

सामाजिक न्याय

कोरोना वायरस महामारी और बच्चों पर प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

'विश्व बाल दिवस' के अवसर पर यूनिसेफ (UNICEF) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना वायरस के 9 में 1 मामला 20 वर्ष से कम आयु के बच्चों और किशोरों से संबंधित है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 नवंबर, 2020 तक 87 देशों में आए 25.7 मिलियन संक्रमण के मामलों में से 11% मामले बच्चों और किशोरों से संबंधित हैं।
- रिपोर्ट संबंधी प्रमुख निष्कर्ष
  - कोरोना वायरस महामारी के कारण बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं में आए व्यवधान के कारण बच्चों पर एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।
  - रिपोर्ट में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण विश्व के लगभग एक-तिहाई देशों में नियमित टीकाकरण जैसी स्वास्थ्य सेवाओं के कवरेज़ में तकरीबन 10 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
  - विश्व के 135 देशों में महिलाओं और बच्चों के लिये पोषण सेवाओं के कवरेज़ में 40 प्रतिशत की गिरावट है, जिसका दीर्घकाल में खतरनाक परिणाम हो सकता है।
  - रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के कारण वर्ष 2020 में 5 वर्ष से कम आयु के 6 से 7 मिलियन से अधिक बच्चे वेस्टिंग (Wasting) और कुपोषण से पीड़ित हो सकते हैं, इसका सबसे अधिक प्रभाव सब-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में देखने को मिल सकता है।

महामारी का सामाजिक व आर्थिक प्रभाव

- शिक्षा के क्षेत्र में
  - अप्रैल माह के अंत में जब विश्व के अधिकांश देशों में लॉकडाउन लागू किया गया तो विद्यालयों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, जिसके कारण विश्व के लगभग 90 प्रतिशत छात्रों की शिक्षा बाधित हुई थी और विश्व के लगभग 1.5 बिलियन से अधिक स्कूली छात्र प्रभावित हुए थे।
  - कोरोना वायरस के कारण शिक्षा में आई इस बाधा का सबसे अधिक प्रभाव गरीब छात्रों पर देखने को मिला है और अधिकांश छात्र ऑनलाइन शिक्षा के माध्यमों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसके कारण कई छात्रों विशेषत: छात्राओं के वापस स्कूल न जाने की संभावना बढ़ गई है।
  - नवंबर 2020 तक 30 देशों के 572 मिलियन छात्र इस महामारी के कारण प्रभावित हुए हैं, जो कि दुनिया भर में नामांकित छात्रों का 33% है।
- लैंगिक हिंसा में वृद्धि
  - लॉकडाउन और स्कूल बंद होने से बच्चों के विरुद्ध लैंगिक हिंसा की स्थिति भी काफी खराब हुई है। कई देशों ने घरेलू हिंसा और लैंगिक हिंसा के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है।
  - जहाँ एक ओर बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामलों में वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर अधिकांश देशों में बच्चों एवं महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा की रोकथाम से संबंधित सेवाएँ भी बाधित हुई हैं।

नोट :

- आर्थिक प्रभाव
  - वैश्विक स्तर महामारी के कारण वर्ष 2020 में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले बच्चों की संख्या में 15% तक बढ़ोतरी हुई है और इसमें अतिरिक्त 150 मिलियन बच्चे शामिल हो गए हैं।
  - बहुआयामी गरीबी के निर्धारण में लोगों द्वारा दैनिक जीवन में अनुभव किये जाने वाले सभी अभावों/कमी जैसे- खराब स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी, निम्न जीवन स्तर, कार्य की खराब गुणवत्ता, हिंसा का खतरा आदि को समाहित किया जाता है।

उपाय:

- सभी देशों की सरकारों को डिजिटल डिवाइड को कम करके यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिये कि सभी बच्चों को सीखने के समान अवसर प्राप्त हों और किसी भी छात्र के सीखने की क्षमता प्रभावित न हो।
- सभी की पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिये और जिन देशों में टीकाकरण अभियान प्रभावित हुए हैं उन्हें फिर से शुरू किया जाना चाहिये।
- बच्चों और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिये और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और लैंगिक हिंसा जैसे मुद्दों को संबोधित किया जाना चाहिये।
- सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता आदि तक बच्चों की पहुँच को बढ़ाने का प्रयास किया जाए और पर्यावरणीय अवमूल्यन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को संबोधित किया जाए।
- बाल गरीबी की दर में कमी करने का प्रयास किया जाए और बच्चों की स्थिति में समावेशी सुधार सुनिश्चित किया जाए।

विश्व बाल दिवस

- बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस (World Children's Day) मनाया जाता है।
- इसे सबसे पहले वर्ष 1954 में मनाया गया था।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग: महत्त्व और चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों ?

इसी वर्ष अक्तूबर माह में मनजीत सिंह राय के सेवानिवृत्त होने के बाद सात सदस्यीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) मात्र एक सदस्य के साथ कार्य कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) में पाँच सदस्यों के पद मई माह से ही रिक्त थे, जबकि अक्तूबर माह में मनजीत सिंह राय के सेवानिवृत्त होने के बाद कुल छह पद रिक्त हो गए थे।
- वर्तमान में आतिफ रशीद, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) के उपाध्यक्ष और आयोग के एकमात्र सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं।

नई नहीं है समस्या

- यह पहली बार नहीं है जब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) कम सदस्यों के साथ कार्य कर रहा है, वर्ष 2017 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) के सभी सात पद दो महीनों के लिये रिक्त थे और आयोग बिना सदस्यों के कार्य कर रहा था।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अन्य अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) में नियुक्तियाँ न करने को लेकर अकसर सरकार की आलोचना की जाती रहती है।
- वर्ष 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) में नियुक्तियों को मंज़ूरी देने में केंद्र सरकार की 'निष्क्रियता' के विरुद्ध दायर याचिका पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया मांगी थी।

नोट :

प्रभाव

- एक महत्त्वपूर्ण निकाय के रूप में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) भारत के अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्त्व प्रदान करता है, जिससे उन्हें लोकतंत्र में अपने आप को प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है और जब आयोग में नियुक्तियाँ नहीं की जाती हैं तो यह प्रतीत होता है कि लोकतंत्र और नीति निर्माण में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्त्व का मौका नहीं दिया जा रहा है।
- आयोग ने अतीत में कई महत्त्वपूर्ण सांप्रदायिक दंगों और संघर्षों की जाँच की है, उदाहरण के लिये वर्ष 2011 के भरतपुर सांप्रदायिक दंगों की जाँच आयोग ने की थी और वर्ष 2012 में बोडो-मुस्लिम संघर्ष की जाँच के लिये भी आयोग ने एक दल असम भेजा था।
  - इसलिये यह आयोग सांप्रदायिक संघर्षों की जाँच करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, किंतु आयोग की 'निष्क्रियता' के कारण इस प्रकार की घटनाओं की जाँच पर प्रभाव पड़ता है, जिससे लोगों के बीच अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है।
  - वर्ष 2004 में सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण पर स्थायी समिति ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) को मज़बूत करने के लिये कुछ विशिष्ट सिफारिशें की थीं, जिसमें आयोग को जाँच के लिये अधिक शक्तियाँ प्रदान करना भी शामिल था, हालाँकि सरकार ने समिति की इन सिफारिशों को लागू नहीं किया था।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM)

- अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत की गई थी।
- यह निकाय भारत के अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा हेतु अपील के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- संरचना: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के मुताबिक, आयोग में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष समेत कुल सात सदस्य का होना अनिवार्य है, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदायों के सदस्य शामिल हैं।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का कार्य:
  - संघ और राज्यों के तहत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;
  - संविधान और संघ तथा राज्य के कानूनों में अल्पसंख्यकों को प्रदान किये गए सुरक्षा उपायों की निगरानी करना;
  - अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की सुरक्षा के लिये नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक सिफारिशें करना;
  - अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने से संबंधित विनिर्दिष्ट शिकायतों की जाँच पड़ताल करना;
  - अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के विभेद के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करना/करवाना और इन समस्याओं को दूर करने के लिये सिफारिश करना;
  - अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित विषयों का अध्ययन अनुसंधान और विश्लेषण करना;
  - केंद्र अथवा राज्य सरकारों को किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित उपायों को अपनाने का सुझाव देना;
  - केंद्र और राज्य सरकारों को अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी विषय पर विशिष्टतया कठिनाइयों पर नियतकालिक अथवा विशिष्ट रिपोर्ट प्रदान करना;
  - कोई अन्य विषय जो केंद्र सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाए।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की चुनौतियाँ

- प्रशासनिक चुनौतियाँ: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 13 के मुताबिक, आयोग को प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी, ज्ञात हो कि यह रिपोर्ट वर्ष 2010 के बाद से अब तक प्रस्तुत नहीं की गई है।
- राजनीतिक नियुक्तियाँ: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) में नियुक्त होने वाले सदस्यों को लेकर भी कई बार सरकार की आलोचना की जाती रही है, प्राय: पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, सिविल सेवकों और शिक्षाविदों आदि को सदस्य के तौर पर नियुक्त किया जाता था, किंतु अब अधिकतर नियुक्तियाँ किसी एक दल विशिष्ट से जुड़े सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की होती हैं।
- मानव संसाधन की कमी: अल्पसंख्यक आयोग वर्षों से मानव संसाधन के अभाव में कार्य कर रहा है, जिसके कारण आयोग का कार्य प्रभावित होता है और आयोग के समक्ष लंबित मामलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है।
- प्रौद्योगिकी का अल्प उपयोग: अल्पसंख्यक आयोग में आज भी मामलों की जाँच करने के लिये आधुनिक प्रौद्योगिकी के स्थान पर पारंपरिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण न केवल समय और पैसों की बर्बादी होती है, बल्कि इससे मामलों के निपटान में भी काफी समय लगता है।

नोट :

संवैधानिक दर्जे की मांग

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये बनाए गए राष्ट्रीय आयोग के विपरीत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि इसे वर्ष 1992 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था।
  - प्राय: किसी संवैधानिक निकाय में निहित शक्ति और अधिकार किसी सांविधिक निकाय में निहित शक्तियों और अधिकारों से बहुत अलग होते हैं।
  - संवैधानिक निकायों के पास अधिक स्वायत्तता है और वे कई मामलों में स्वत: संज्ञान लेते हुए उसकी जाँच कर सकते हैं।
  - हालाँकि सभी सांविधिक निकाय भी एक जैसे नहीं होते हैं, उदाहरण के लिये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के पास राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NMC) से अधिक शक्तियाँ हैं।
- यही कारण है कि समय-समय पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NMC) को और अधिक शक्तियाँ प्रदान करने तथा इसे संवैधानिक दर्जा देने की बात की जाती रही है।

लिंगानुपात और भारत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में "नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर भारत के जन्म-मृत्यु संबंधी आँकड़ों" पर वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, देश में अरुणाचल प्रदेश में जन्म के समय सबसे अच्छा लिंगानुपात दर्ज किया गया है, जबकि मणिपुर में जन्म के समय सबसे खराब लिंगानुपात दर्ज किया।

प्रमुख बिंदु:

- इस रिपोर्ट को भारत के रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General of India) द्वारा प्रकाशित किया गया था।
- जन्म के समय लिंगानुपात प्रति हज़ार पुरुषों पर पैदा होने वाली महिलाओं की संख्या है। यह किसी जनसंख्या के लिंगानुपात को मापने का एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है।
- अरुणाचल प्रदेश में प्रति हज़ार पुरुषों पर पैदा होने वाली महिलाओं की संख्या 1,084 है। उसके बाद क्रमश: नगालैंड (965), मिज़ोरम (964), केरल (963) हैं।
- सबसे खराब लिंगानुपात मणिपुर (757), लक्षद्वीप (839), दमन और दीव (877), पंजाब (896) तथा गुजरात (896) में दर्ज किया गया।
- दिल्ली में 929, जबकि हरियाणा में 914 लिंगानुपात दर्ज किया गया।
  - यह अनुपात 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किये गए डेटा के आधार पर निर्धारित किया गया था, क्योंकि छह राज्यों बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई।
  - वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, प्रमुख राज्य 10 मिलियन और उससे अधिक आबादी वाले राज्य हैं।
- सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) रिपोर्ट, 2018 से पता चलता है कि भारत में जन्म के समय लिंगानुपात वर्ष 2011 में 906 से घटकर वर्ष 2018 में 899 हो गया है।
  - इंडियास्पेंड (IndiaSpend) द्वारा किये गए सरकारी आँकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, भारत में जन्म के समय लिंगानुपात में गिरावट आई है, जबकि पिछले 65 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय लगभग 10 गुना बढ़ गई है।
  - इसका कारण लोगों की बढ़ती आय हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप साक्षरता बढ़ रही है और इससे परिवारों की सेक्स-सेलेक्टिव प्रक्रियाओं तक पहुँच आसान हो जाती है।

भारत के रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General of India):

- भारत सरकार ने वर्ष 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन भारत के रजिस्ट्रार जनरल की स्थापना की थी।
- यह भारत की जनगणना सर्वेक्षण और भारत के भाषाई सर्वेक्षण सहित भारत के जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण के परिणामों की व्यवस्था, संचालन तथा विश्लेषण करता है।

नोट :

- रजिस्ट्रार का पद पर आमतौर पर एक सिविल सेवक होता है जो संयुक्त सचिव होता है।
- भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) महत्त्वपूर्ण घटनाओं (जन्म, मृत्यु, स्टिलबर्थ) और उसके बाद की विशेषताओं की निरंतर, स्थायी, अनिवार्य और सार्वभौमिक रिकॉर्डिंग की एकीकृत प्रक्रिया है। एक पूर्ण और अद्यतित CRS के माध्यम से प्राप्त डेटा सामाजिक-आर्थिक नियोजन के लिये आवश्यक है।

जन्म के समय निम्न लिंगानुपात से संबंधित मुद्दे:

लिंग-असंतुलन-

- प्रो अमर्त्य कुमार सेन ने अपने विश्व प्रसिद्ध लेख "मिसिंग वूमेन" में सांख्यिकीय रूप से यह साबित किया है कि पिछली शताब्दी के दौरान दक्षिण एशिया में 100 मिलियन महिलाएँ गायब हुई हैं।
- यह उनके संपूर्ण जीवन चक्र में जन्म से मृत्यु तक अनुभव किये गए भेदभाव के कारण है।
- एक प्रतिकूल बाल लिंगानुपात भी पूरी आबादी के विकृत लिंग ढाँचे में परिलक्षित होता है।

विवाह प्रणाली में विकृति-

- प्रतिकूल लिंगानुपात के परिणामस्वरूप पुरुषों और महिलाओं की संख्या में व्यापक अंतर आ जाता है और विवाह प्रणालियों पर इसके अपरिहार्य प्रभाव के साथ-साथ महिलाओं को अन्य परेशानियां होती हैं।
- भारत में, हरियाणा और पंजाब के कुछ गाँवों में ऐसे लिंगानुपात हैं, जिसमें जो पुरुष, महिलाओं को दुल्हन के तौर पर दूसरे राज्यों से खरीद कर लाते हैं। ऐसी स्थितियों में अक्सर इन दुल्हनों का शोषण होता है।

आगे की राह:

व्यवहारिक परिवर्तन लाना-

- महिला शिक्षा और आर्थिक समृद्धि बढ़ाने से लिंगानुपात में सुधार करने में मदद मिलती है। उदहारण के लिये, सरकार के बेटी-बचाओ बेटी पढाओ अभियान ने समाज में व्यवहार परिवर्तन लाने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

युवाओं को संवेदनशील बनाना-

- प्रजनन, स्वास्थ्य शिक्षा और सेवाओं के साथ-साथ लिंग इक्विटी मानदंडों के विकास के लिये युवाओं तक पहुँचने की तत्काल आवश्यकता है।
- इसके लिये, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (आशा) की सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

कानून का सख्त प्रवर्तन-

- भारत को पूर्व-गर्भाधान और पूर्व-नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, 1994 को और अधिक सख्ती से लागू करना चाहिये और लड़कों की प्राथमिकता वाले मुद्दों से निपटने के लिये और अधिक संसाधन समर्पित करने चाहिये।
- इस संदर्भ में ड्रग्स तकनीकी सलाहकार बोर्ड का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 में अल्ट्रासाउंड मशीनों को शामिल करने का निर्णय सही दिशा में उठाया गया एक कदम है।

ऑनलाइन शिक्षा का संकट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (Azim Premji University) द्वारा ई-लर्निंग की प्रभावकारिता और पहुँच पर किये गए अध्ययन ने देश में ऑनलाइन शिक्षा में शामिल विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला है।

प्रमुख बिंदु:

- छात्र विशिष्ट निष्कर्ष:
  - छात्रों की ऑनलाइन कक्षाओं तक पहुँच की कमी के कारण:

नोट :

- उपयोग या साझा करने के लिये स्मार्टफोन की गैर-उपलब्धता या अपर्याप्त संख्या।
- ऑनलाइन सीखने के लिये एप्लिकेशन का उपयोग करने में कठिनाई।
- दिव्यांग बच्चों को ऑनलाइन सत्र में भाग लेना अधिक कठिन लगा।

- माता-पिता विशिष्ट निष्कर्ष:
  - सर्वे के अनुसार, सरकारी स्कूल के छात्रों के 90% अभिभावक इस स्थिति में अपने बच्चों को वापस स्कूल भेजने के लिये तैयार थे यदि उनके बच्चों की सेहत का ख्याल रखा जाएगा।
  - सर्वेक्षण में शामिल 70% माता-पिताओं का मानना था कि ऑनलाइन कक्षाएँ प्रभावी नहीं रहीं और उनके बच्चों के सीखने में भी सहायक नहीं रहीं।
- शिक्षक विशिष्ट निष्कर्ष:
  - ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान शिक्षकों की मुख्य समस्या एकतरफा संचार का होना थी, जिसमें उनके लिये यह आकलन करना मुश्किल हो गया था कि छात्र समझ भी पा रहे हैं या नहीं कि उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है।
  - सर्वेक्षण में शामिल 80% से अधिक शिक्षकों ने कहा कि वे ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान छात्रों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने में असमर्थ थे, जबकि 90% शिक्षकों ने महसूस किया कि बच्चों के सीखने का कोई सार्थक आकलन संभव नहीं था।
  - सर्वे में 50% शिक्षकों ने बताया कि बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान साझा किये गए असाइनमेंट को पूरा करने में असमर्थ थे, जिसके कारण सीखने में गंभीर कमी आई है।
  - सर्वेक्षण में यह भी पता चला कि लगभग 75% शिक्षकों ने औसतन, किसी भी ग्रेड के लिये ऑनलाइन कक्षाओं में एक घंटे से भी कम का समय दिया है।
  - कुछ शिक्षकों ने यह भी बताया कि वे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफार्मों के माध्यम से पढ़ाने में समर्थ नहीं थे।
  - सर्वेक्षण में आधे से अधिक शिक्षकों ने साझा किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और शिक्षण के तरीकों पर उनका ज्ञान और उपयोगकर्ता-अनुभव अपर्याप्त था।

राष्ट्रीय पोषण मिशन पर रिपोर्ट: नीति आयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नीति आयोग ने "भारत में पोषण पर त्वरित प्रगति: राष्ट्रीयता मिशन या पोषण अभियान" पर तीसरी प्रगति रिपोर्ट जारी की है।

प्रमुख बिंदु

राष्ट्रीय पोषण मिशन:

- वर्ष 2018 में शुरू किया गया यह मिशन बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिये पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने के हेतु भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है।
  - राष्ट्रीय पोषण मिशन (National Nutrition Mission) नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पोषण रणनीति (National Nutrition Strategy) द्वारा समर्थित है। इस रणनीति का उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना है।

लक्ष्य

- इसका उद्देश्य स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया (छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों के बीच) और जन्म के समय कम वजन को क्रमश: 2%, 2%, 3% और 2% प्रतिवर्ष कम करना है।
- मिशन-मोड में कुपोषण की समस्या का समाधान करना है।
- कुल लागत का 50% विश्व बैंक या अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा दिया जा रहा है जबकि शेष 50% केंद्रीय बजटीय समर्थन के माध्यम से दिया जा रहा है।

नोट :

- बजटीय समर्थन को निम्न भागों में विभाजित किया गया है:
  - पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिये 90:10 जिसमें 90 प्रतिशत केंद्र द्वारा दिया जाएगा 10 प्रतिशत राज्यों द्वारा।
  - बिना विधायिका के केंद्रशासित प्रदेशों की स्थिति में 100 प्रतिशत केंद्र द्वारा दिया जाएगा।
  - अन्य राज्यों की स्थिति में 60:40 जिसमें 60 प्रतिशत केंद्र द्वारा दिया जाएगा और 40 प्रतिशत राज्यों द्वारा।

प्रसार

- 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के एक तिहाई से अधिक बच्चे स्टंटिंग और वेस्टिंग की समस्या का सामना कर रहें हैं तथा 1 से 4 वर्ष के आयु वर्ग के 40% बच्चे एनीमिक हैं।
- वर्ष 2016 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के अनुसार, 50% से अधिक गर्भवती और गैर-गर्भवती महिलाओं में एनीमिया पाया गया है।

रिपोर्ट के संबंध में:

- तीसरी प्रगति रिपोर्ट (अक्तूबर 2019-अप्रैल 2020) बड़े पैमाने पर डेटासेट के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर ज़मीनी कार्यान्वयन की चुनौतियों पर रोल-आउट की स्थिति का जायजा लेती है।
  - ये डेटासेट NFHS-4 और व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण (CNNS) हैं।
- मार्च 2020 में समीक्षा रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया गया था तब गरीबी और भुखमरी के स्तरीय कारक मौजूद नहीं थे जितना कोविड-19 के कारण और नीचे जाने की उम्मीद है।

चिंताएँ:

- स्टंटिंग पर विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) द्वारा परिभाषित वैश्विक लक्ष्य की तुलना में भारत के लक्ष्य रूढ़िवादी हैं, जो कि स्टंटिंग के स्तर को वर्ष 2022 तक घटाकर 13.3% करने के भारत के लक्ष्य के विपरीत 5% स्टंटिंग की व्यापकता दर है।
- गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के प्रसार स्तर को कम करने का लक्ष्य वर्ष 2016 में 50.3% और वर्ष 2022 में 34.4% तथा किशोर लड़कियों में वर्ष 2016 में 52.9% से 39.66% तक कम करने का लक्ष्य है, क्योंकि प्रचलन के स्तर को कम करने के WHA के लक्ष्य की तुलना में यह रूढ़िवादी भी माना जाता है।
- महामारी के मद्देनज़र विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि गरीबी और भूखमरी को प्रगाढ़ करना मिशन के तहत परिभाषित लक्ष्यों को प्राप्त करने में देरी हो सकती है।

सुझाव

- स्टंटिंग पर:
  - एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) में व्यवहार परिवर्तन और पूरक भोजन की खुराक दोनों का उपयोग करके पूरक आहार में सुधार करना।
  - अन्य सामाजिक निर्धारकों के साथ लड़कियों और महिलाओं में निवेश की दिशा में काम करना (बचपन में शिक्षा, जल्दी शादी और गर्भावस्था को कम करना, गर्भावस्था के दौरान और बाद में देखभाल में सुधार करना)।
  - जल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिये स्वच्छता, साबुन से हाथ धोना और अन्य प्रभावी हस्तक्षेप के साथ बच्चों के मल का स्वच्छ निपटान करना।
- वेस्टिंग पर:
  - गंभीर और तीव्र कुपोषण (Severe Acute Malnutrition- SAM) के उपचार से परे होने वाले ऐसे हस्तक्षेपों को शामिल करना और मध्यम वेस्टिंग को भी संबोधित करना जो वेस्टिंग में बड़ी गिरावट को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं।
  - उन सभी को रोगी की देखभाल में SAM की सुविधा आधारित उपचार तक पहुँच को बढ़ाना।
  - राष्ट्रीय स्तर पर वेस्टिंग की रोकथाम और एकीकृत प्रबंधन के लिये तत्काल एक पूरी रणनीति जारी करना।

नोट :

- एनीमिया पर:
  - ऐसा परिदृश्य जो केवल स्वास्थ्य क्षेत्र के हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करता है जो प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया में मामूली सुधार प्राप्त करेगा।

आगे की राह

- चूँकि राष्ट्रीय पोषण मिशन भारत में कुपोषण के खिलाफ एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिये भारत को अब कई मोर्चों पर कार्रवाई में तेज़ी लाने की आवश्यकता है। अनुमान आशावादी हैं और स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के लिये कोविड-19 अवरोधों के लिये फिर से समायोजित करने की आवश्यकता होगी।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये पहल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये गरिमा गृह (ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये आश्रय गृह) का उद्घाटन भी किया।

प्रमुख बिंदु

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय पोर्टल:
  - इसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 के तहत बनाया गया है।
  - यह पोर्टल देश में कहीं से भी एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिये डिजिटल रूप से आवेदन करने में मदद करेगा।
  - यह पोर्टल उन्हें आवेदन, अस्वीकृति, शिकायत निवारण आदि की स्थिति को ट्रैक करने में मदद करेगा, जो प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
  - जारी करने वाले अधिकारी भी आवेदनों को संसाधित करने और बिना किसी आवश्यक देरी के प्रमाण पत्र तथा पहचान पत्र जारी करने के लिये सख्त समय-सीमा के तहत आते हैं।
- गरिमा गृह:
  - गुजरात के वडोदरा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये एक आश्रय स्थल गरिमा गृह का उद्घाटन किया गया है।
  - यह लक्ष्या ट्रस्ट के सहयोग से चलाया जाएगा जो पूरी तरह से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित एक समुदाय आधारित संगठन है।
  - आश्रय स्थल का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करना है, जिसमें आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन जैसी बुनियादी सुविधाएँ हैं। इसके अलावा, यह समुदाय में व्यक्तियों के क्षमता-निर्माण/कौशल विकास के लिये सहायता प्रदान करेगा जो उन्हें सम्मान का जीवन जीने में सक्षम बनाएगा।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020:
  - ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019) को संसद द्वारा वर्ष 2019 में पारित किया गया था।
  - केंद्र सरकार के इस अधिनियम में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिये सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण की दिशा में एक मज़बूत कार्य प्रणाली उपलब्ध कराने के प्रावधान शामिल किये गए हैं।
  - ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम,2019, ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता है।

नोट :

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2014 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और उनकी लैंगिक पहचान के बारे में निर्णय लेने के उनके अधिकार को मान्यता दी।।
- इस निर्णय ने नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ट्रांसजेंडरों के लिये आरक्षण की सिफारिश की तथा सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी (Sex Reassignment Surgery) के बिना स्वयं के कथित लिंग की पहचान का अधिकार प्रदान किया।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित कानून की मुख्य विशेषताएँ:

- परिभाषा:
  - ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसका लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता। इसमें ट्रांस-मेन (परा-पुरुष) और ट्रांस-वूमेन (परा-स्त्री), इंटरसेक्स भिन्नताओं और जेंडर क्वीर (Queer) आते हैं। इसमें सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति, जैसे किन्नर-हिजड़ा भी शामिल हैं।
- गैर भेदभाव:
  - इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ होने वाले भेदभाव को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित के संबंध में सेवा प्रदान करने से इनकार करना या अनुचित व्यवहार करना शामिल है: (1) शिक्षा (2) रोज़गार (3) स्वास्थ्य सेवा (4) सार्वजनिक स्तर पर उपलब्ध उत्पादों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुँच एवं उनका उपभोग (5) कहीं आने-जाने (Movement) का अधिकार (6) किसी मकान में निवास करने, उसे किराये पर लेने और स्वामित्व हासिल करने का अधिकार (7) सार्वजनिक या निजी पद ग्रहण करने का अवसर।
- पहचान का प्रमाण पत्र:
  - एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति ज़िला मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है कि ट्रांसजेंडर के रूप में उसकी पहचान से जुड़ा सर्टिफिकेट जारी किया जाए।
  - यदि ट्रांसजेंडर व्यक्ति लिंग परिवर्तन के लिये एक पुरुष या महिला के रूप में चिकित्सा हस्तक्षेप (सर्जरी) से गुजरता है तब एक संशोधित पहचान प्रमाण पत्र के लिये उसे संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ ज़िला मजिस्ट्रेट को आवेदन करना होगा।
- समान अवसर नीति:
  - प्रत्येक प्रतिष्ठान को कानून के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये समान अवसर नीति तैयार करने के लिये बाध्य किया गया है।
  - इससे समावेशी प्रतिष्ठान बनाने में मदद मिलेगी, जैसे कि समावेशी शिक्षा।
  - समावेश की प्रक्रिया के लिये अस्पतालों और वॉशरूम (यूनिसेक्स शौचालय) में अलग-अलग वार्डों जैसी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण की भी आवश्यकता होती है।
- शिकायत अधिकारी:
  - प्रत्येक प्रतिष्ठान को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों को सुनाने के लिये एक व्यक्ति को शिकायत अधिकारी के रूप में नामित करने के लिये बाध्य किया गया है।
- ट्रांसजेंडर संरक्षण सेल:
  - प्रत्येक राज्य सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराध की निगरानी के लिये ज़िला पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिदेशक के तहत एक ट्रांसजेंडर संरक्षण सेल का गठन करना होगा।
- कल्याणकारी योजनाएँ:
  - सरकार समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पूर्ण समावेश और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाएगी।
  - वह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बचाव एवं पुनर्वास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार के लिये कदम उठाएगी, ट्रांसजेंडर संवेदी योजनाओं का सृजन करेगी और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देगी।

नोट :

- चिकित्सा देखभाल सुविधाएं:
  - सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिये कदम उठाएगी जिसमें अलग एचआईवी सर्विलांस सेंटर, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी इत्यादि शामिल है।
  - सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को संबोधित करने के लिये चिकित्सा पाठ्यक्रम की समीक्षा करेगी और उन्हें समग्र चिकित्सा बीमा योजनाएँ प्रदान करेगी।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय परिषद:
  - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियाँ, विधान और योजनाएँ बनाने एवं उनका निरीक्षण करने के लिये राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद (National Transgender Council) केंद्र सरकार को सलाह प्रदान करेगी।
  - यह ट्रांसजेंडर लोगों की शिकायतों का निवारण भी करेगी।
- अपराध और जुर्माना:
  - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से भीख मंगवाना, बलपूर्वक या बंधुआ मज़दूरी करवाना (इसमें सार्वजनिक उद्देश्य के लिये अनिवार्य सरकारी सेवा शामिल नहीं है), सार्वजनिक स्थान का प्रयोग करने से रोकना, परिवार, गाँव इत्यादि में निवास करने से रोकना, और उनका शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक तथा आर्थिक उत्पीड़न करने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
  - इन अपराधों के लिये छह महीने और दो वर्ष की सजा का प्रावधान है साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

नोट :

कला एवं संस्कृति

यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क

चर्चा में क्यों ?

'भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर न्यास' (Indian National Trust For Art And Cultural Heritage-INTACH), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) के 'एर्रा मट्टी डिब्बालू' (Erra Matti Dibbalu) (लाल रेत के टीले), प्राकृतिक चट्टानीय संरचनाओं, बोर्रा गुफाओं (Borra Caves) और ज्वालामुखीय ऐश निक्षेपण आदि भू-वैज्ञानिक स्थलों के लिये 'यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क' (UNESCO Global Geopark) के रूप में मान्यता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- हालाँकि 44 देशों में 161 'यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क' हैं, लेकिन अभी तक भारत का एक भी भू-वैज्ञानिक स्थल इस नेटवर्क के तहत शामिल नहीं किया गया है।
- प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में यूनेस्को की 'ग्लोबल जियो पार्क' पहल के अलावा दो अन्य प्रमुख पहल 'बायोस्फीयर रिज़र्व' और 'विश्व विरासत स्थल' हैं।

ग्लोबल जियो पार्क:

- ग्लोबल जियो पार्क एकीकृत भू-वैज्ञानिक क्षेत्र होते हैं जहाँ अंतर्राष्ट्रीय भू-गर्भीय महत्त्व के स्थलों व परिदृश्यों का सुरक्षा, शिक्षा और टिकाऊ विकास की समग्र अवधारणा के साथ प्रबंधन किया जाता है।
- 'यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क' की स्थापना की प्रक्रिया निचले स्तर से शुरू की जाती है जिसमें सभी प्रासंगिक स्थानीय दावेदारों जैसे कि भू-मालिकों, सामुदायिक समूहों, पर्यटन सेवा प्रदाताओं आदि को शामिल किया जाता है।
- यह पहल स्थानीय समुदायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर पृथ्वी की भू-विविधता की सुरक्षा को बढ़ावा देती है।

विशाखापत्तनम के जियो स्थल:

'एर्रा मट्टी डिब्बालू' (Erra Matti Dibbalu):

- यह तटीय लाल तलछट के टीले हैं जो विशाखापत्तनम और भीमुनिपत्तनम (Bheemunipatnam) के बीच स्थित हैं।
- इन टीलों की चौड़ाई 200 मीटर से 2 किलोमीटर तक है, जो तट के किनारे पाँच किलोमीटर तक विस्तृत हैं।
  - इस क्षेत्र के अलावा इस प्रकार के टीलों का जमाव दक्षिण एशिया में केवल दो अन्य स्थलों- तमिलनाडु की 'तेरी सैंड्स' (Teri Sands) और श्रीलंका के 'रेड कोस्टल सैंड्स' (Red Coastal Sands) में है।
- यह 'भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण' (GSI) द्वारा अधिसूचित 34 'राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक विरासत स्मारक स्थलों' (National Geological Heritage Monument Sites) में से एक है।
  - भू-वैज्ञानिक विरासत शब्द का उपयोग भू-आकृति विज्ञान की उन विशेषताओं या संरचनाओं के लिये किया जाता है जिनका सौंदर्यात्मक, वैज्ञानिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्त्व होता है तथा जो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी भू-वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।

मंगामरिपेटा में प्राकृतिक चट्टानीय संरचनाएँ(Natural Rock Formations of Mangamaripeta):

- यह पूर्वी घाट में थोटलाकोंडा (Thotlakonda) बौद्ध स्थल के सामने मंगामरिपेटा तट पर स्थित एक प्राकृतिक चट्टानीय मेहराब/रॉक आर्क है।

नोट :

- यह अंतिम हिमयुग के बाद की अवधि (लगभग 10,000 वर्ष पूर्व) की संरचना हो सकती है, जो तिरुमाला पहाड़ियों में स्थित सिलथोरनम (Silathoranam) के प्राकृतिक रॉक आर्क के समान है।

बोर्रा गुफाएँ (Borra Caves):

- इसे 'भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण' संस्थान के भू-वैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा खोजा गया था। ये लगभग 1 मिलियन वर्ष पुरानी गुफाएँ हैं जो समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊँचाई पर स्थित हैं।
- इन गुफाओं में स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट संरचनाएँ पाई जाती है।

ज्वालामुखी ऐश/राख निक्षेपण:

- ऐसा माना जाता है कि यह अराकू (आंध्र प्रदेश) के पास 73,000 वर्ष पूर्व इंडोनेशिया में टोबा के ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न राख का निक्षेपण है।

निष्कर्ष:

- निर्माण गतिविधि, खुदाई, अपशिष्ट निपटान तथा मानव हस्तक्षेप के कारण इन भू-स्थलों की स्थिरता प्रभावित हो रही है। यद्यपि INTACH वर्तमान में इस क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण भू-वैज्ञानिक और सांस्कृतिक स्थलों की सुरक्षा के प्रति सार्वजनिक जागरूकता अभियान चला रहा है।

गुरु नानक जयंती

चर्चा में क्यों ?

30 नवंबर, 2020 को भारत के राष्ट्रपति ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएँ दीं।

- सिखों के प्रथम गुरु व सिख समुदाय के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्मदिन गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती कार्तिक महीने में पूर्णिमा (Poornima) के दिन होती है, इस कारण इसे कार्तिक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है।

प्रमुख बिंदु

गुरु नानक देव:

- जन्म: वर्ष 1469 में लाहौर के पास तलवंडी राय भोई (Talwandi Rai Bhoe) गाँव में हुआ था जिसे बाद में ननकाना साहिब नाम दिया गया।
- वह सिख धर्म के 10 गुरुओं में से पहले और सिख धर्म के संस्थापक थे।
- योगदान:
  - गुरु नानक देव जी एक दार्शनिक, समाज सुधारक, चिंतक एवं कवि थे।
  - इन्होंने समानता और भाईचारे पर आधारित समाज तथा महिलाओं के सम्मान की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
  - गुरु नानक देव जी ने विश्व को 'नाम जपो, किरत करो, वंड छको' का संदेश दिया जिसका अर्थ है- ईश्वर के नाम का जप करो, ईमानदारी व मेहनत के साथ अपनी ज़िम्मेदारी निभाओ तथा जो कुछ भी कमाते हो उसे ज़रूरतमंदों के साथ बाँटो।
  - उन्होंने यज्ञ, धार्मिक स्नान, मूर्ति पूजा, कठोर तपस्या को नकार दिया।
  - वे एक आदर्श व्यक्ति थे, जो एक संत की तरह रहे और पूरे विश्व को 'कर्म' का संदेश दिया।
  - उन्होंने भक्ति के 'निर्गुण' रूप की शिक्षा दी।
  - इसके अलावा उन्होंने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया और सामूहिक पूजा (संगत) के लिये कुछ नियम बनाए।
    - उन्होंने अपने अनुयायियों को 'एक ओंकार' (Ek Onkar) का मूल मंत्र दिया और जाति, पंथ एवं लिंग के आधार पर भेदभाव किये बिना सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करने पर ज़ोर दिया।
- मृत्यु: वर्ष 1539 में करतारपुर, पंजाब में।

आधुनिक भारत के लिये गुरु नानक देव की प्रासंगिकता:

नोट :

- एक समतावादी समाज का निर्माण: समानता का उनका विचार निम्नलिखित नवीन सामाजिक संस्थानों में देखा जा सकता है, जो उनके द्वारा शुरू किया गया था:
  - लंगर: सामूहिक खाना बनाना और भोजन को वितरित करना।
  - पंगत: उच्च एवं निम्न जाति के भेद के बिना भोजन करना।
  - संगत: सामूहिक निर्णय लेना।
- सामाजिक सद्भाव:
  - उनके अनुसार, पूरी दुनिया ईश्वर की रचना है और सभी एक समान हैं, केवल एक सार्वभौमिक रचनाकार है अर्थात् "एक ओंकार सतनाम" (Ek Onkar Satnam)।
  - इसके अलावा क्षमा, धैर्य, संयम और दया उनके उपदेशों के मूल केंद्र हैं।
- एक समाज का निर्माण:
  - उन्होंने अपने शिष्यों के सम्मुख 'कीरत करो, नाम जपो और वंड छको' (काम, पूजा और साझा) का आदर्श रखा।
  - उनके धर्म का आधार कर्म के सिद्धांत पर आधारित था और उन्होंने अध्यात्मवाद के विचार को सामाजिक ज़िम्मेदारी एवं सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा में परिणत कर दिया।
  - उन्होंने 'दशवंध' (Dasvandh) की अवधारणा या ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अपनी कमाई का दसवाँ हिस्सा दान करने की वकालत की।
- लैंगिक समानता:
  - उनके अनुसार, 'महिलाओं के साथ-साथ पुरुष भी ईश्वर की कृपा को साझा करते हैं और अपने कार्यों के लिये समान रूप से ज़िम्मेदार होते हैं।
  - महिलाओं के लिये सम्मान और लैंगिक समानता शायद उनके जीवन से सीखने वाला सबसे महत्त्वपूर्ण सबक है।
- शांति स्थापना:
  - भारतीय दर्शन के अनुसार, एक गुरु वह है जो रोशनी (अर्थात् ज्ञान) प्रदान करता है, संदेह को दूर करता है और सही रास्ता दिखाता है। इस संदर्भ में गुरु नानक देव के विचार दुनिया भर में शांति, समानता और समृद्धि को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।
  - वर्ष 2019 में गुरु नानक देव की 550वीं जयंती मनाई गई और करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

माओवाद से निपटने के लिये पाँच सूत्री योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर बस्तर क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों में नक्सलवाद के प्रभाव को समाप्त करने के लिये एक 'पाँच सूत्री योजना' के क्रियान्वयन में सहयोग की मांग की गई।

प्रमुख बिंदु:

- राज्य द्वारा योजना को क्रियान्वित करने में केंद्र सरकार से विशेष अनुदान की मांग की गई है।
- इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा सितंबर में गृहमंत्री को पत्र लिखकर क्षेत्र में अतिरिक्त सीआरपीएफ बटालियन तैनात करने का अनुरोध किया गया था।

पाँच सूत्री योजना:

रोज़गार सृजन:

- बस्तर क्षेत्र के दूरस्थ वन क्षेत्र में रोज़गार सृजन के लिये क्षेत्र के सभी सात आकांक्षी ज़िलों के ज़िला कलेक्टर के नियंत्रण में 50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाए।

कनेक्टिविटी:

- दुर्गम क्षेत्रों में मौजूद सड़क तथा रेल पटरियों को अपग्रेड किया जाए और दूरदराज़ तथा आंतरिक क्षेत्रों में रणनीतिक स्थानों पर सुरक्षित बेस और हेलीपैड की सुविधा प्रदान की जाए।

स्टील प्लांट की स्थापना:

- यदि बस्तर के लौह अयस्क से समृद्ध क्षेत्र में स्टील प्लांट स्थापित किया जाता है तो उन्हें 30% छूट के साथ लौह अयस्क उपलब्ध कराया जाए।

कोल्ड चेन अवसंरचना:

- क्षेत्र में वन उत्पादों के संग्रहण तथा भंडारण के लिये केंद्र के अनुदान से कोल्ड चेन और अन्य सुविधाएँ स्थापित की जाएँ तथा जिन क्षेत्रों में विद्युत ग्रिड की पहुँच नहीं है उन क्षेत्रों के लिये सौर ऊर्जा जनरेटर स्थापित करने में मदद की जाए।

सिंचाई परियोजना:

- बस्तर क्षेत्र में भविष्य की सिंचाई परियोजनाओं यथा- 'बोधघाट सिंचाई परियोजना' (Bodhghat Irrigation Project) आदि पर शीघ्र कार्य शुरू किया जाए।
  - यह बस्तर क्षेत्र के लिये 22,653 करोड़ रुपए की लागत वाली एक बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना है।

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद (Naxalism in Chhattisgarh):

- छत्तीसगढ़ को भारत में नक्सलवाद का गढ़ माना जाता है। माओवादी आंदोलन की शुरुआत में राज्य के कुल 27 में से 18 ज़िलों में नक्सलवाद का प्रभाव था। 1980 के दशक की शुरुआत में 40,000 वर्ग किलोमीटर का बस्तर क्षेत्र (जिसमें दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर और कांकेर जिले शामिल थे) भारत में माओवादी आंदोलन का गढ़ बन गया।
- इसी क्षेत्र में वर्ष 2010 में नक्सलियों के हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे और भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के शीर्ष नेताओं की हत्या की गई थी।

नोट :

राज्य सरकार की रणनीति:

- राज्य सरकार ने पूर्व के नक्सलवादियों और स्थानीय युवाओं को शामिल करते हुए 'विशेष पुलिस अधिकारी' (Special Police Officers- SPOs) नामक एक स्थानीय मिलिशिया/नागरिक सेना बनाकर 'सलवा जुडूम' (Salwa Judum) नामक आंदोलन का समर्थन किया।
- व्यापक स्तर पर आदिवासियों की हत्या और विस्थापन के बाद वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पहल को गैर-कानूनी करार दिया गया तथा राज्य सरकार को इसे भंग करने का आदेश दिया गया।
- इसके बाद राज्य द्वारा अपने पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर विशेष बल देते हुए एक नई बटालियन (जिसे आंध्र प्रदेश के ग्रेहाउंड्स (Greyhounds) की तर्ज पर बनाया गया था) 'कोबरा' (CoBRA) का गठन किया गया।
- वर्तमान समय में माओवादियों को राज्य के दक्षिणी ज़िलों तक सीमित रखने में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है।

आलोचना:

- विपक्षी दलों के अनुसार, राज्य सरकार योजना बनाने तथा उस पर काम करने के बजाय केंद्र से केवल मौद्रिक मदद चाहती है।
- राज्य द्वारा पेश योजना में स्पष्टता का अभाव है। योजना माओवाद के प्रसार को रोकने में किस प्रकार मदद करेगी, इसमें यह उल्लिखित नहीं है।

निष्कर्ष:

- केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच नक्सलवाद के मुद्दे पर सहकारी संघवाद (संस्थागत समन्वय और संयुक्त तंत्र के कार्यान्वयन में स्पष्टता का अभाव) का अभाव देखा गया है। अत: नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति में केंद्र-राज्य सहयोग प्रथम आवश्यकता है।

भारत में कट्टरता

चर्चा में क्यों ?

गृह मंत्रालय ने हाल ही में 'भारत में कट्टरता की स्थिति' पर अपनी तरह के पहले शोध अध्ययन को मंज़ूरी दे दी है, जिसके माध्यम से कानूनी रूप से 'कट्टरता' को परिभाषित करने का प्रयास किया जाएगा और उसी आधार पर गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में संशोधन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- यह अध्ययन पूर्णत: धर्मनिरपेक्ष होगा और इसमें किसी भी प्रकार के निष्कर्ष तक पहुँचने के लिये तथ्यों और रिपोर्ट को आधार के रूप में प्रयोग किया जाएगा।
- आवश्यकता
  - भारत में अभी भी 'कट्टरता' को कानूनी रूप से परिभाषित किया जाना शेष है, जिसके कारण प्राय: पुलिस और प्रशासन द्वारा इस स्थिति का दुरुपयोग किया जाता है।
  - इसलिये भारतीय कानूनों में 'कट्टरता' को परिभाषित किया जाना और उस परिभाषा के आधार पर गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) जैसे कानूनों में संशोधन किया जाना आवश्यक है।
  - 'कट्टरता' के किसी भी रूप से प्रभावित लोगों खासतौर पर युवाओं को कठिन-से-कठिन सज़ा देकर ही इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता है, इस समस्या को हल करने के लिये समाज में सकारात्मक माहौल तैयार करने तथा लोगों को लामबंद करने की आवश्यकता है। इस कार्य के लिये सर्वप्रथम 'कट्टरता' को परिभाषित करना होगा।

क्या होती है 'कट्टरता' ?

- दुनिया भर के चिंतकों के लिये कट्टरता सदैव एक महत्त्वपूर्ण विषय रहा है, और इस पर काफी विमर्श किया गया है, हालाँकि वैश्विक स्तर पर 'कट्टरता' की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा मौजूद नहीं है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इसे अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग ढंग से परिभाषित किया जाता है।

नोट :

- संक्षेप में हम कट्टरता को 'समाज में अतिवादी ढंग से कट्टरपंथी परिवर्तन लाने के विचार को आगे बढ़ाने और/अथवा उसका समर्थन करने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसके लिये आवश्यकता पड़ने पर अलोकतांत्रिक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है और जो किसी देश की लोकतांत्रिक कानून व्यवस्था के लिये खतरा पैदा कर सकता है।
- भारतीय संदर्भ में 'कट्टरता' के प्रकार
  - राइट विंग अतिवाद: यह 'कट्टरता' का वह रूप है, जिसे प्राय: हिंसक माध्यमों से नस्लीय, जातीय या छद्म राष्ट्रीय पहचान की रक्षा करने की विशेषता के रूप में परिभाषित किया जाता है और यह राज्य के अल्पसंख्यकों, प्रवासियों और वामपंथी राजनीतिक समूहों के प्रति कट्टर शत्रुता से भी जुड़ा है।
  - राजनीतिक-धार्मिक अतिवाद: 'कट्टरता' का यह स्वरूप धर्म की राजनीतिक व्याख्या और हिंसक माध्यमों से धार्मिक पहचान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इससे प्रभावित लोग यह मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, विदेश नीति और सामाजिक बहस आदि के कारण उनकी धार्मिक पहचान खतरे में है।
  - लेफ्ट विंग अतिवाद: 'कट्टरता' का यह स्वरूप मुख्य रूप से पूंजीवादी विरोधी मांगों पर ध्यान केंद्रित करता है और सामाजिक विषमताओं के लिये उत्तरदायी राजनीतिक प्रणाली में परिवर्तन की बात करता है, और यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये हिंसक साधनों का भी समर्थन करता है। इसमें अराजकतावादी, माओवादी और मार्क्सवादी-लेनिनवादी समूह शामिल हैं जो अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये हिंसा का उपयोग करते हैं।

भारत में कट्टरता

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट में केरल और कर्नाटक में इस्लामिक स्टेट (IS) और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के सदस्यों की उपस्थिति को लेकर चिंता ज़ाहिर की गई थी।
  - रिपोर्ट में कहा गया था कि इस्लामिक स्टेट (IS) के भारतीय सहयोगी (हिंद विलायाह) में 180 से 200 के बीच सदस्य हैं। हालाँकि सितंबर माह में गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने संसद को सूचित किया था कि संयुक्त राष्ट्र जारी आँकड़े तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।
  - जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा को सूचित किया था कि राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) ने तेलंगाना, केरल, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में इस्लामिक स्टेट (IS) की उपस्थिति से संबंधित 17 मामले दर्ज किये गए हैं और इन मामलों से संबंधित 122 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।
- साथ ही सरकार के निरंतर हस्तक्षेप के बावजूद भारत के कई राज्यों में लेफ्ट विंग अतिवाद की समस्या को अब तक समाप्त नहीं किया जा सका है। वामपंथी अतिवाद से प्रभावित ज़िलों में लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तारियाँ की जा रही है, इसके बावजूद भारत में नक्सलवाद की समस्या प्रशासन के लिये बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- वहीं दूसरी ओर लगातार बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाएँ, लोगों के मन में धर्म विशेष के प्रति पैदा होती घृणा और नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे और गौरी लंकेश जैसे मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं की हत्या के मामले राइट विंग अतिवाद की ओर इशारा करते हैं।

कट्टरता से निपटने के उपाय

- भारत में 'कट्टरता' के अलग-अलग स्वरूपों की मौजूदगी सदैव ही एक ऐसा विषय रहा है, जिस पर नीति निर्माताओं ने अधिक ध्यान नहीं दिया और न ही इस विषय पर सही ढंग से कोई अध्ययन किया गया है।
- कट्टरता और उससे निपटने को लेकर किसी भी प्रकार की आधिकारिक नीति की अनुपस्थिति में यह समस्या और भी गंभीर हो गई है।
  - यद्यपि भारत के कई राज्यों द्वारा अलग-अलग पहलों के माध्यम से कट्टरपंथ की समस्या से निपटने का प्रयास किया गया है, किंतु ये पहलें सफल होती नहीं दिख रही हैं।
- ऐसे में इन चुनौतियों से निपटने के लिये भारत को एक व्यापक नीति की आवश्यकता है, जिससे न केवल उन लोगों को बचाया जा सके जो कट्टरता के किसी रूप से प्रभावित हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी इस रास्ते पर जाने से रोका जा सके।
- इस नीति के तहत व्यक्ति, परिवार, धर्म और मनोविज्ञान जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये और इसके माध्यम से कट्टरता से प्रभावित किसी व्यक्ति के विश्वास में स्थायी परिवर्तन लाने का प्रयास होना चाहिये।

नोट :

आगे की राह

- गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया अध्ययन, भारत में कट्टरता को समाप्त करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जिसके माध्यम से भविष्य में 'कट्टरता' को रोकने के लिये बनाने वाली सभी नीतियों को एक तथ्यात्मक आधार मिल सकेगा और साथ ही भारत में कट्टरता को कानूनी रूप से परिभाषित भी किया जा सकेगा।

ब्रह्मोस मिसाइल का लैंड-अटैक संस्करण

क्यों समाचार में

हाल ही में, भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल के लैंड-अटैक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

- अक्तूबर 2020 में भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसने 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य पर प्रहार करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था।\

प्रमुख बिंदु

नई लैंड-अटैक संस्करण की विशेषताएँ:

- मिसाइल की रेंज को 290 किमी. से 400 किमी. तक बढ़ाया गया है और इसकी गति को 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना अधिक रखा गया है।
- परीक्षण "ऊपर से हमला" (Top-Attack) के रूप में किया गया था।
  - ब्रह्मोस सहित अधिकांश आधुनिक मिसाइलों को टॉप-अटैक और डायरेक्ट अटैक मोड दोनों में फायर किया जा सकता है।
  - टॉप-अटैक मोड में मिसाइल को लॉन्च के बाद तेज़ी से ऊपर जाने, एक निश्चित ऊँचाई पर पहुँचने और फिर लक्ष्य के ऊपर गिरने की आवश्यकता होती है।
  - डायरेक्ट अटैक मोड में मिसाइल सीधे ऊँचाई पर पहुँचती है औउर फिर सीधे लक्ष्य पर प्रहार करती है।

परीक्षण का महत्त्व:

- यह परीक्षण भारत की भूमि, समुद्र और वायु तीनों मार्गों से हमला करने की क्षमता का सामरिक प्रदर्शन है।
  - भारत ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ लगे वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control) के कई रणनीतिक स्थानों पर बड़ी संख्या में ब्रह्मोस मिसाइलों तथा अन्य प्रमुख सैन्य उपकरणों की तैनाती की है।
- यह परीक्षण दुश्मन के महत्त्वपूर्ण ठिकानों को लक्षित करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है।
- पिछले कुछ महीनों में, भारत ने रुद्रम-1 नामक एक विकिरण-रोधी मिसाइल सहित कई अन्य मिसाइलों का भी परीक्षण किया है, जिन्हें वर्ष 2022 तक सेवा में शामिल करने की योजना है।

ब्रह्मोस मिसाइल:

- इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइलों को ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा डिज़ाइन, विकसित और निर्मित किया गया है।
  - ब्रह्मोस एयरोस्पेस एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसकी स्थापना रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (The Defence Research and Development Organisation) और रूस की मशिनोस्ट्रोयेनिया (Mashinostroyenia) ने की है।
- यह मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है जिसे पनडुब्बियों, जहाज़ों, विमानों या ज़मीन से लॉन्च किया जा सकता है।
  - क्रूज़ मिसाइल पृथ्वी की सतह के समानांतर चलते हैं और उनका निशाना बिल्कुल सटीक होता है।
  - गति के आधार पर ऐसी मिसाइलों को उपध्वनिक/सबसोनिक (लगभग 0.8 मैक), पराध्वनिक/सुपरसोनिक (2-3 मैक) और अतिध्वनिक/हाइपरसोनिक (5 मैक से अधिक) क्रूज मिसाइलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

नोट :

- यह विश्व की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, साथ ही सबसे तेज़ क्रियाशील एंटी-शिप क्रूज़ मिसाइल भी है।
- यह मिसाइल 'दागो और भूल जाओ' (Fire and Forget) के सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात् इसे लॉन्च करने के बाद आगे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है।
- इसकी वास्तविक रेंज 290 किलोमीटर है परंतु लड़ाकू विमान से दागे जाने पर यह लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तक पहुँच जाती है। भविष्य में इसे 600 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है।
- ब्रह्मोस के विभिन्न संस्करण, जिनमें भूमि, युद्धपोत, पनडुब्बी और सुखोई -30 लड़ाकू जेट शामिल हैं, जिनको को पहले ही विकसित किया जा चुका है तथा अतीत में इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है।
- 5 मैक की गति तक पहुँचने में सक्षम मिसाइल का हाइपरसोनिक संस्करण विकासशील है।

अमेरिका का सी-गार्जियन ड्रोन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय नौसेना ने दो अमेरिकी MQ-9B सी-गार्जियन अनमैंड ड्रोन्स को अपने बेड़े में शामिल किया है। इन दोनों ड्रोन्स को भारतीय नौसेना द्वारा एक वर्ष के लिये लीज़ पर लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

MQ-9B सी-गार्जियन

- यह अमेरिका के प्रिडेटर MQ9 अनमैंड एरियल व्हीकल (UAV) का समुद्री संस्करण है।
- यह लगभग 40 घंटे से अधिक समय तक 40000 फीट की अधिकतम ऊँचाई पर उड़ान भर सकता है।
- इसमें 3600 मरीनटाइम सर्विलांस रडार और एक वैकल्पिक मल्टीमोड मरीनटाइम सरफेस सर्च रडार शामिल है, जिससे भारतीय नौसेना की सर्विलांस क्षमता में काफी वृद्धि होगी।
- इसका उपयोग एंटी-सरफेस वारफेयर, एंटी-सबमरीन वारफेयर, आपदा राहत, खोज तथा बचाव और कानून प्रवर्तन (ड्रग तस्करी, अवैध आप्रवासन और समुद्री चोरी को रोकने) जैसे ऑपरेशन में किया जा सकता है।

अधिग्रहण

- यह पहली बार है जब चीन के साथ सीमा पर चल रहे गतिरोध के बीच भारतीय नौसेना ने केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों को दी गई आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए अमेरिका की एक कंपनी के साथ लीज़ अनुबंध के माध्यम से दो निगरानी ड्रोनों को अपने बेड़े में शामिल किया है।
  - आपातकालीन शक्तियों के तहत केंद्र सरकार ने चीन के साथ बढ़ते सीमा गतिरोध के मद्देनज़र युद्धोपकरण (Ammunition) और हथियारों की खरीद के लिये तीनों सशस्त्र बलों को प्रति परियोजना 500 करोड़ रुपए के आपातकालीन कोष की अनुमति दी है।
- भारतीय नौसेना ने इन ड्रोन्स को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 में रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण के लिये लीज़ के नए विकल्प का उपयोग करते हुए प्राप्त किया है।
  - रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 में सस्ती दरों पर रक्षा उपकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से 'लीज़' (Lease) को एक श्रेणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
  - यह श्रेणी उन सैन्य उपकरणों के लिये उपयोगी साबित होगी, जो वास्तविक युद्ध में उपयोग नहीं किये जाते हैं जैसे- परिवहन बेड़े, ट्रेनर, सिम्युलेटर आदि।

महत्त्व

- यद्यपि भारतीय नौसेना द्वारा इन ड्रोन्स का उपयोग मुख्यत: हिंद महासागर में निगरानी के लिये किया जाएगा, किंतु आवश्यकता पड़ने पर इन्हें चीन की सीमा पर निगरानी के लिये भी तैनात की जा सकता है।

नोट :

- भारतीय नौसेना ने पहले से ही पी-8I पोसाइडन (P8I Poseidon) विमान को लद्दाख में तैनात कर दिया है।
- पी-8I पोसाइडन विमान, अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा विकसित P-8A पोसाइडन (P-8A Poseidon) विमान का ही एक प्रकार है।
- बोइंग के P-8A पोसाइडन विमान को लंबी दूरी के एंटी-सबमरीन वारफेयर (ASW), एंटी-सरफेस वारफेयर (ASuW), और खुफिया तथा निगरानी मिशनों के लिये विकसित किया गया है।

- बल के पुनर्गठन के हिस्से के रूप अब नौसेना अधिक-से -अधिक अनमैंड उपकरणों को तैनात करने पर विचार कर रही है, जिसकी वजह से MQ-9B सी-गार्जियन अनमैंड ड्रोन्स नौसेना के लिये काफी महत्त्वपूर्ण हो सकता है।
- जब तक कि नौसेना को अमेरिका से ड्रोन खरीदने की मंज़ूरी नहीं मिल जाती, जिसके लिये रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की मंज़ूरी की आवश्यकता होगी, तब तक 'लीज़' को एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा सकता है।
  - रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) तीनों सेनाओं (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) तथा भारतीय तटरक्षक बल के लिये नई नीतियों और पूंजीगत अधिग्रहण पर निर्णय लेने हेतु रक्षा मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च संस्था है।

दृष्टि The Vision

नोट :

चर्चा में

झारखंड का स्थापना दिवस Jharkhand Foundation Day

15 नवंबर, 2020 को झारखंड राज्य का 20वाँ स्थापना दिवस तथा बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई।

प्रमुख बिंदु:

- भारतीय संसद द्वारा बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (Bihar Reorganization Act, 2000) पारित होने के बाद वर्ष 2000 में बिहार से अलग झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी।
- इस दिन को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा (Birsa Munda) की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिसे भगवान बिरसा (Bhagwan Birsa) के नाम से भी जाना जाता है।

झारखंड के बारे में:

- 15 नवंबर, 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर झारखंड की स्थापना भारत संघ के 28वें राज्य के रूप में हुई थी।
- इसमें छोटानागपुर का पठार तथा संथाल परगना के वन क्षेत्र आते हैं।
- इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार तथा दक्षिण में ओडिशा राज्य स्थित हैं।

बिरसा मुंडा (Birsa Munda):

- बिरसा मुंडा का जन्म वर्ष 1875 में हुआ था। वे मुंडा जनजाति के थे। बिरसा का मानना था कि उन्हें भगवान ने लोगों की भलाई और उनके दुःख दूर करने के लिये भेजा है, इसलिये वे स्वयं को भगवान मानते थे। उन्हें अक्सर 'धरती अब्बा' (Dharti Abba) या 'जगत पिता' के रूप में जाना जाता है।
- वर्ष 1899-1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर (झारखंड) के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। इसे 'मुंडा उलगुलान' (विद्रोह) भी कहा जाता है।
  - इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था खूंटकटी की ज़मींदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुई।
  - इस विद्रोह में महिलाओं की भूमिका भी उल्लेखनीय रही।
- उन्होंने जनता को जागृत किया और ज़मींदारों एवं अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया।
  - उन्होंने अंग्रेज़ों को करों और साहूकारों को ऋण/ब्याज का भुगतान न करने के लिये जनता को संगठित किया। इस प्रकार उन्होंने ब्रिटिश शासन के अंत और झारखंड में मुंडा शासन (तत्कालीन बंगाल प्रेसीडेंसी क्षेत्र) की स्थापना के लिये विद्रोह का नेतृत्त्व किया।
- उन्होंने दो सैन्य इकाइयों का गठन किया-
  - एक सैन्य प्रशिक्षण एवं सशस्त्र संघर्ष के लिये।
  - दूसरी प्रचार के लिये।
- उन्होंने धर्म को राजनीति से जोड़ दिया और एक राजनीतिक-सैन्य संगठन बनाने के उद्देश्य से प्रचार करते हुए गाँवों की यात्रा की।
- फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंहभूम में गिरफ्तार कर राँची जेल में डाल दिया गया जहाँ जून 1900 में उनकी मृत्यु हो गई।
- आदिवासियों के खिलाफ शोषण एवं भेदभाव के विरुद्ध उनके संघर्ष के कारण ही वर्ष 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (Chotanagpur Tenancy Act) पारित किया गया, जिसने आदिवासी लोगों से गैर-आदिवासियों में भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर दिया।

नोट :

क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल
Quick Reaction Surface-to-Air Missile

हाल ही में 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन' (Defence Research and Development Organisation- DRDO) ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर स्थित 'इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज' से 'क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम' (Quick Reaction Surface-to-Air Missile- QRSAM) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

प्रमुख बिंदु:

- यह प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी है। इस हथियार प्रणाली के तहत उपकरणों का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और निजी कंपनी एलएंडटी के माध्यम से किया गया है।
- कई आधुनिक मिसाइलों की तरह QRSAM एक कनस्तर-आधारित प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि यह विशेष रूप से डिज़ाइन किये गए डिब्बों के रूप में संग्रहीत एवं संचालित होती है।
  - कनस्तर में अंदर के वातावरण को नियंत्रित किया जाता है, इस प्रकार इसके परिवहन एवं भंडारण को आसान बनाने के साथ-साथ हथियारों की शेल्फ लाइफ (Shelf Life) में भी काफी सुधार होता है।
- QRSAM एक छोटी दूरी की सतह-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) प्रणाली है। इसे मुख्य रूप से DRDO द्वारा डिज़ाइन एवं विकसित किया गया है ताकि दुश्मन के हवाई हमलों से सेना के बख्तरबंद कतार को सुरक्षा कवच प्रदान किया जा सके।
- संपूर्ण शस्त्र प्रणाली एक मोबाइल एवं गतिशील प्लेटफॉर्म से संबंधित है जो वायु सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है।
- इसे सेना में शामिल करने के लिये डिज़ाइन किया गया है और इसकी रेंज 25 से 30 किमी. है।
- इस प्रणाली में एक पूरी तरह से स्वचालित कमांड एवं नियंत्रण प्रणाली, दो रडार [एक्टिव एरे बैटरी सर्विलांस रडार (Active Array Battery Surveillance Radar), एक्टिव एरे बैटरी मल्टीफंक्शन रडार (Active Array Battery Multifunction Radar)] और एक लॉन्चर शामिल हैं।
  - दोनों रडारों में 'सर्च ऑन मूव' और 'ट्रैक ऑन मूव' क्षमताओं के साथ 360 डिग्री कवरेज क्षमता है।

लोनार झील: रामसर साइट घोषित Lonar's meteor lake declared Ramsar site

हाल ही में महाराष्ट्र के बुलढाणा ज़िले की लोनार झील (Lonar lake) को रामसर स्थल (Ramsar Site) घोषित किया गया है, अर्थात् 'इंटरनेशनल रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स' (International Ramsar Convention on Wetlands) द्वारा 'कंज़र्वेशन स्टेटस' (Conservation Status) प्रदान किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- यह झील लोनार वन्यजीव अभयारण्य (Lonar Wildlife Sanctuary) का हिस्सा है।
- यह नासिक ज़िले में नंदुर मद्मेश्वर पक्षी अभयारण्य (Nandur Madhmeshwar Bird Sanctuary) जिसे जनवरी 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, के बाद राज्य का दूसरा रामसर स्थल है।
  - 'नंदुर मद्मेश्वर पक्षी अभयारण्य' गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है।
- लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा ज़िले के लोनार में स्थित एक क्रेटर झील (Crater-Lake) है और इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल (Pleistocene Epoch) में उल्कापिंड के गिरने से हुआ था जो 1.85 किमी. के व्यास एवं 500 फीट की गहराई के साथ बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है।
- यह एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू-विरासत स्मारक (National Geo-heritage Monument) भी है। इस झील का पानी खारा एवं क्षारीय है।

नोट :

- इस झील में गैर-सहजीवी नाइट्रोजन-फिक्सिंग रोगाणुओं (Non-Symbiotic Nitrogen-Fixing Microbes) जैसे- स्लैकिया एसपी (Slackia SP), एक्टिनोपॉलीस्पोरा एसपी (Actinopolyspora SP) और प्रवासी पक्षी जैसे- शेल्डक, ग्रेब, रूडी शेल्डक के रूप में समृद्ध जैविक विविधता पाई जाती है।
- इस स्थल पर 160 पक्षी, 46 सरीसृप और 12 स्तनपायी प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं।

कोच्चि-मंगलौर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना
Kochi-Mangalore Natural Gas Pipeline Project

गेल इंडिया (GAIL India) द्वारा क्रियान्वित की जा रही 444 किलोमीटर लंबी कोच्चि-मंगलौर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना (Kochi-Mangalore Natural Gas Pipeline Project) के तहत उत्तरी केरल में चंद्रगिरि नदी (Chandragiri River) पर 540 मीटर लंबे पाइपलाइन परियोजना कार्य को पूरा कर लिया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- 2915 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 444 किलोमीटर लंबी इस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना को वर्ष 2009 में लॉन्च किया गया था और इसे वर्ष 2014 में चालू किया जाना था।
  - सुरक्षा एवं वाणिज्यिक आधारों पर विरोध (जिसमें ज़मीन की कीमत मुख्य बाधा थी) के कारण इस परियोजना की लागत दो गुनी अर्थात् लगभग 5750 करोड़ से अधिक हो गई है।
- नवंबर 2020 के अंत तक प्राकृतिक गैस 444 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से मंगलौर पहुँच जाएगी।

कुट्टनाड (Koottanad): पाइपलाइन परियोजना का मुख्य जंक्शन

- जून 2019 में कोच्चि से 90 किलोमीटर उत्तर में पलक्कड़ ज़िले में कुट्टनाड तक पाइपलाइन बिछाई गई। कुट्टनाड इस परियोजना का मुख्य जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से पाइपलाइन मंगलौर एवं बंगलूरू तक जाती है।
- इस परियोजना के पहले चरण की शुरुआत अगस्त 2013 में हुई थी, जबकि अडानी गैस द्वारा फरवरी 2016 से कोच्चि महानगरीय क्षेत्र में औद्योगिक एवं घरेलू आपूर्ति शुरू की गई थी।

लाभ:

- पाइपलाइन के शुरू होने से राज्य में गैस की मांग वर्तमान के 60 मिलियन घनमीटर से बढ़कर 80-90 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष हो जाएगी।
- केरल से गुज़रने वाली पाइपलाइन सात ज़िलों (एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझीकोड, कन्नूर और कासरगोड) के साथ पहाड़ी वायनाड ज़िले में गैस की आपूर्ति करेगी।

चंद्रगिरि नदी (Chandragiri River):

- पयस्विनी (Payaswini), जिसे चंद्रगिरि के नाम से भी जाना जाता है, भारत के केरल राज्य में कासरगोड ज़िले की सबसे बड़ी नदी है।
- इस नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कूर्ग ज़िले के एक आरक्षित वन में पट्टी घाट पहाड़ियों से होता है।
- यह केरल के कई शहरों से होती हुई अंत में कासरगोड शहर तक पहुँचती है जहाँ यह अरब सागर में मिलती है।

स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट SpaceX's Crew Dragon Spacecraft

नासा के इतिहास में पहली वाणिज्यिक मानव अंतरिक्षयान प्रणाली के हिस्से के रूप में स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट (Crew Dragon Spacecraft) जिसे रेसिलिएंस (Resilience) कहा जाता है, के माध्यम से चार अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल 'कैनेडी स्पेस सेंटर' (Kennedy Space Center) से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिये रवाना हुआ।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- इस चालक दल में तीन अमेरिकी नागरिक व एक जापानी नागरिक शामिल है। चारों अंतरिक्ष यात्री अनुसंधान के लिये अंतरिक्ष स्टेशन पर छह महीने बिताएंगे।
- क्रू-1 (Crew-1) ISS के लिये एक फाल्कन 9 रॉकेट पर स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्षयान की पहली परिचालन उड़ान है और वर्ष 2020-21 के दौरान निर्धारित तीन ऐसी उड़ानों में से पहली उड़ान है।

क्रू-1 मिशन (Crew-1 Mission):

- यह 6 क्रू मिशनों में से पहला है जिसमें नासा और स्पेसएक्स वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम (Commercial Crew Program) के हिस्से के रूप में कार्य करेंगे। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष तक पहुँच को आसान बनाने के लिये लागत में कमी लाना तथा शोधकार्यों को बढ़ावा देना है ताकि कार्गो एवं चालक दल को ISS तक और अधिक आसानी से ले जाया जा सके।
- यह कार्यक्रम नासा जैसी एजेंसियों के लिये अंतरिक्ष में जाने की लागत को कम करने का एक तरीका है और किसी भी व्यक्ति के लिये वाणिज्यिक रॉकेट का टिकट खरीदना भी संभव बनाता है।
  - इसलिये क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च को अंतरिक्ष यात्रा में एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।
- सितंबर 2014 में बोइंग (Boeing) और स्पेसएक्स (SpaceX) का चयन नासा द्वारा किया गया था ताकि यूएस से ISS में चालक दल को स्थानांतरित करने के लिये परिवहन प्रणालियों को विकसित किया जा सके।
- गौरतलब है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) और स्पेसएक्स कंपनी (SpaceX) ने COVID-19 जैसी स्थिति के बावजूद मई, 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने हेतु डेमो-2 मिशन (Demo-2 Mission) लॉन्च किया था।

पोलावरम बाँध Polavaram Dam

16 नवंबर, 2020 को आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि पोलावरम बाँध (Polavaram Dam) की ऊँचाई कम नहीं होगी और यह बहुउद्देशीय परियोजना अगले वर्ष पूरी हो जाएगी।

प्रमुख बिंदु:

- पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी ज़िले और पश्चिम गोदावरी ज़िले में गोदावरी नदी पर बहुउद्देश्यीय सिंचाई हेतु निर्माणाधीन राष्ट्रीय परियोजना है।
  - इसका जलाशय डुम्मुगुडेम एनीकट (Dummugudem Anicut) अर्थात् (मुख्य नदी के किनारे पोलावरम बाँध से लगभग 150 किमी. पीछे) और साबरी नदी के किनारे लगभग 115 किमी. तक फैला हुआ है।
- इस बाँध की अधिकतम ऊँचाई 48 मीटर निर्धारित है।
- इस बहुउद्देशीय परियोजना के तहत गोदावरी नदी पर मिट्टी एवं पत्थर से युक्त बाँध का निर्माण किया जा रहा है।
- इस परियोजना से लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी, साथ ही 960 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ पनबिजली उत्पन्न की जाएगी।
- इस परियोजना के आसपास के 540 गाँवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिससे विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी एवं पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा ज़िलों में रहने वाले लगभग 25 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

गोदावरी नदी:

- गोदावरी प्रायद्वीपीय भाग का सबसे बड़ा नदी तंत्र है।
- यह महाराष्ट्र में नासिक ज़िले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
- इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुज़रती हैं। यह 1465 किलोमीटर लंबी नदी है।
- इसके जलग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में 20% भाग मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में और शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है।

नोट :

- पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं।
- गोदावरी बेसिन में स्थित कलसुबाई (Kalsubai), महाराष्ट्र की सबसे ऊँची चोटी है।
- कृष्णा-गोदावरी बेसिन संकटग्रस्त ओलिव रिडले समुद्री कछुओं (Olive Ridley Sea Turtle) के प्रमुख निवास स्थलों में से एक है।
- गोदावरी संकटग्रस्त फ्रिंज्ड-लिप्पड कार्प (Fringed-Lipped Carp) अर्थात् लाबियो फिम्ब्रिएटस (Labeo fimbriatus) का निवास स्थल भी है। यह मछली की एक प्रजाति है।
- गोदावरी डेल्टा में अवस्थित कोरिंगा मैंग्रोव वन क्षेत्र (Coringa Mangrove Forests) के एक हिस्से को कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य (Coringa Wildlife Sanctuary) घोषित किया गया है।
- गोदावरी बेसिन में अवस्थित प्रमुख अभयारण्य/राष्ट्रीय पार्क/टाइगर रिज़र्व:
- इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान (Indravati National Park)
- कवाल वन्यजीव अभयारण्य (Kawal Wildlife Sanctuary)
- कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान (Kanger Ghati National Park)
- किन्नेरसानी वन्यजीव अभयारण्य (Kinnerasani Wildlife Sanctuary)
- बोर वन्यजीव अभयारण्य (Bor Wildlife Sanctuary) कोल्लेरू वन्यजीव अभयारण्य (Kolleru Wildlife Sanctuary)
- मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य (Manjira Wildlife Sanctuary)
- पापिकोंडा वन्यजीव अभयारण्य (Papikonda Wildlife Sanctuary)
- पेंच नेशनल पार्क (Pench National Park)
- ताडोबा अंधारी टाइगर रिज़र्व (Tadoba Andhari Tiger Project)

लीलावती पुरस्कार-2020 Lilavati Award-2020

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद' (All India Council for Technical Education-AICTE) के अभिनव शिक्षा कार्यक्रम 'लीलावती अवार्ड-2020' (Lilavati Award-2020) की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु:

- इस पहल के माध्यम से जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के साथ 'समानता एवं निष्पक्षता' का व्यवहार करने के लिये जन जागरूकता फैलाना है।
- इस पहल से AICTE द्वारा अनुमोदित संस्थानों में सभी हितधारकों (विशेषकर छात्राओं) को एक अनूठा अवसर मिलेगा।
  - इन अवसरों में लैंगिक भेदभाव के प्रचलित मुद्दों का समाधान प्रस्तुत करना है, जिसमें अशिक्षा, बेरोज़गारी, आर्थिक एवं पोषण संबंधी असमानताएँ, मातृ मृत्यु दर, मानव अधिकार आदि शामिल हैं।
- इसके अलावा यदि किसी ने महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु बड़े पैमाने पर समाज में एक आदर्श स्थापित करने की दिशा में सफल प्रयास किया है तो वह अपने प्रयासों/योगदानों का प्रदर्शन कर सकता है।

लीलावती अवार्ड-2020 (Lilavati Award-2020):

- इस पुरस्कार की थीम 'महिला सशक्तीकरण' (Women Empowerment) है।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य सफाई, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, साक्षरता, रोज़गार, प्रौद्योगिकी, ऋण, विपणन, नवाचार, कौशल विकास, प्राकृतिक संसाधनों और महिलाओं के अधिकारों जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

नोट :

- इस पुरस्कार के अंतर्गत बहु-विषयक क्षेत्रों को कवर किया जाएगा जिनमें महिलाओं का स्वास्थ्य, आत्म-रक्षा, स्वच्छता, साक्षरता, उद्यमशीलता और कानूनी जागरूकता संबंधी विषय शामिल हैं।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी और साथ ही शैक्षिक संस्थानों में उच्च पदों पर महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी।

भारत का पहला कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट India's first Convergence Project

ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (Energy Efficiency Services Limited- EESL) और गोवा सरकार ने राज्य में भारत के पहले कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट (India's first Convergence Project) को शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु:

- ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL), विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग (Department of New & Renewable Energy- DNRE) के तहत सार्वजनिक उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है।
- इस समझौता ज्ञापन के तहत EESL एवं DNRE व्यवहार्यता अध्ययन और उसके बाद विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को अंजाम देंगे।
  - EESL सौर ऊर्जा परियोजनाओं को क्रियान्वित करेगा।
  - कृषि पंपिंग के लिये इस्तेमाल की जाने वाली सरकारी ज़मीनों पर 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करेगा।
  - यह लगभग 6300 कृषि पंपों को BEE स्टार रेटेड ऊर्जा कुशल पंपों से बदल देगा और ग्रामीण इलाकों में लगभग 16 लाख एलईडी बल्ब वितरित करेगा।
- गोवा इस कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है। इस प्रोजेक्ट से बिजली कंपनियों (डिस्कॉम) में सुधार किये जाने से स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति होगी और आगामी 25 वर्षों की अवधि में गोवा को लगभग 2574 करोड़ रुपए की बचत होगी।
  - यह कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट किसानों को स्वच्छ ऊर्जा के साथ-साथ ऊर्जा कुशल पंप सेट भी उपलब्ध कराएगा, जो बिजली की खपत को कम करने के अलावा कृषि एवं ग्रामीण फीडर नेटवर्क को बिजली पहुँचाने से जुड़े पारेषण एवं वितरण घाटे को भी कम करेगा।
- गोवा में सस्ती दरों पर स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से EESL अपने पहले कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाएँ स्थापित करेगा। इसके लिये ग्राम पंचायतों और बिजली बोर्ड द्वारा प्रदान की गई खाली या अप्रयुक्त भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा।
- सौर ऊर्जा संयंत्र को सब-स्टेशन के पास ही स्थापित किया जाएगा, जिसकी क्षमता 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक होगी, हालाँकि इसका निर्धारण भूमि के आकार के आधार पर किया जाएगा।
  - इससे वितरण कंपनियों को दिन में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा पारेषण के नुकसान को कम करने में सहायता प्राप्त होगी।

लाभ:

- ये परियोजनाएँ विशेष रूप से गोवा में कृषि एवं ग्रामीण बिजली की खपत के लिये अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने में तेज़ी लाएंगी।
- ये परियोजनाएँ ऊर्जा कुशल पंपिंग तथा उचित प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से ऊर्जा की उच्च मांग को कम करने में भी सक्रिय योगदान देंगी।

अनाक्कायम लघु जलविद्युत परियोजना
Anakkayam Small Hydro Electric Project

केरल में पर्यावरणविद एवं आदिवासी समुदाय वज़हाचल (Vazhachal) वन प्रभाग में केरल राज्य विद्युत बोर्ड (Kerala State Electricity Board- KSEB) द्वारा संचालित अनाक्कायम लघु जलविद्युत परियोजना (Anakkayam Small Hydro Electric Project) का विरोध कर रहे हैं।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- इस विरोध का कारण वन भूमि पर आदिवासी अधिकारों का उल्लंघन और पर्यावरणीय विनाश बताया गया है।
- KSEB ने हाल ही में वज़हाचल डिवीज़न में आवंटित वन क्षेत्र में ठोस लकड़ी और शीशम के पेड़ों को हटाने का आदेश जारी किया ताकि इस जलविद्युत परियोजना के निर्माण कार्य को गति दी जा सके।
- अनाक्कायम लघु जलविद्युत परियोजना के तहत शोलायर बाँध (Sholayar Dam) के जल का उपयोग करके बिजली पैदा की जाएगी।
- KSEB के अनुसार, इस परियोजना से उत्पादित बिजली का उच्च मूल्य होगा क्योंकि शोलायर जलाशय में 12.3 टीएमसी जल के निस्तारण के कारण उत्पादन मुख्य रूप से गर्मियों के मौसम में होता है।
- 7.5 मेगावाट की यह परियोजना लगभग आठ हेक्टेयर वन भूमि पर परम्बिकुलम टाइगर रिज़र्व (Parambikulam Tiger Reserve- PTR) के बफर ज़ोन में स्थापित की जाएगी।
  - यह परियोजना सबसे पहले 1990 के दशक में चर्चा में आई थी और 139.62 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को हाल ही में प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी।

लोअर शोलायर बाँध (Lower Sholayar Dam):

- यह बाँध चालाकुडी नदी बेसिन में अवस्थित है।
- लोअर शोलयार बाँध, चालाकुडी शहर (Chalakudy Town) से लगभग 60 किमी. की दूरी पर अवस्थित है। अपर और लोअर के साथ अंतर इसलिये है क्योंकि इस बाँध में दो जलाशय हैं।
- अपर शोलायार बाँध तमिलनाडु में अवस्थित है, जबकि लोअर शोलायार बाँध केरल में अवस्थित है।
- पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होने के कारण यह बाँध स्थानीय लोगों की जीवन रेखा है और यह बाँध शोलायर वनों से घिरा हुआ है।

परम्बिकुलम टाइगर रिज़र्व (Parambikulam Tiger Reserve- PTR):

- परम्बिकुलम टाइगर रिज़र्व दक्षिण भारत के केरल राज्य के पलक्कड़ ज़िले में 391 वर्ग किलोमीटर का संरक्षित क्षेत्र है।
- यहाँ वन्यजीव अभयारण्य, जिसका क्षेत्रफल 285 वर्ग किलोमीटर है, वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था। परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य को 19 फरवरी, 2010 को परम्बिकुलम टाइगर रिज़र्व के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था।
- यह अन्नामलाई हिल्स और नेल्लीयाम्पथी (Nelliyampathy) पहाड़ियों के बीच पहाड़ियों की सुंगम (Sungam) श्रेणी में अवस्थित है।

चालाकुडी नदी (Chalakudy River):

- चालाकुडी नदी केरल की चौथी सबसे लंबी नदी है।
- इस नदी का कुल बेसिन क्षेत्र तकरीबन 1704 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 1404 किलोमीटर का हिस्सा केरल में पड़ता है और शेष 300 किलोमीटर का हिस्सा तमिलनाडु में पड़ता है।
- यह नदी केरल के पलक्कड़, त्रिशूर और एर्नाकुलम ज़िलों से होकर बहती है।

काकापो तोता Kakapo Parrot

गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered) काकापो तोता (Kakapo Parrot) ने अभूतपूर्व रूप से दूसरी बार न्यूज़ीलैंड बर्ड ऑफ द ईयर 2020 (New Zealand Bird of the Year 2020) प्रतियोगिता जीती है।

प्रमुख बिंदु:

- 'बर्ड ऑफ द ईयर' प्रतियोगिता न्यूज़ीलैंड के पक्षियों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिये न्यूज़ीलैंड के स्वतंत्र संरक्षण संगठन 'फॉरेस्ट एंड बर्ड' द्वारा आयोजित एक वार्षिक प्रतियोगिता है।

नोट :

- न्यूज़ीलैंड के संरक्षण विभाग के अनुसार, यह तोते की सबसे भारी प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2019 काकापो का सबसे सफल प्रजनन काल रहा।
  - शोधकर्त्ताओं का मानना है कि इस तोते का प्रजनन पैटर्न बदलने का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन हो सकता है।
- काकापो तोता (जिसका माओरी भाषा में अर्थ 'नाइट पैरेट' है), जिसे 'उल्लू तोता' (Owl Parrot) के रूप में भी जाना जाता है, न्यूज़ीलैंड का रात्रिचर एवं न उड़ पाने वाला तोता है।
- वर्तमान में इनकी कुल संख्या 147 है।
- इसे IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered) श्रेणी में तथा CITES में परिशिष्ट 1 (Appendix 1) में सूचीबद्ध किया गया है।

एचआईवी रोकथाम के लिये वैश्विक रोकथाम गठबंधन
Global Prevention Coalition for HIV Prevention

18 नवंबर, 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने एचआईवी रोकथाम के लिये वैश्विक निवारण गठबंधन (Global Prevention Coalition- GPC) की मंत्रिस्तरीय बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया।

प्रमुख बिंदु:

- यह बैठक 'वैश्विक HIV रोकथाम गठबंधन' (Global HIV Prevention Coalition) की ओर से यूएनएड्स (UNAIDS) और 'संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष' (United Nations Population Fund- UNFPA) द्वारा आयोजित की गई।

यूएनएड्स (UNAIDS):

- यूएनएड्स एक समस्या-समाधानकर्त्ता की भूमिका निभाता है।
- यूएनएड्स की स्थापना संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (United Nations Economic and Social Council- ECOSOC) द्वारा की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र संयुक्त कार्यक्रम है।
- UNAIDS वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) के हिस्से के रूप में एड्स को (सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरे को) समाप्त करने के वैश्विक प्रयास का नेतृत्त्व कर रहा है।
- अपनी 37वीं बैठक में 'यूएनएड्स प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड' ने वर्ष 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरे के रूप में एड्स महामारी को समाप्त करने के लिये एक नई रणनीति अपनाई।
- यूएनएड्स (UNAIDS) वर्ष 2016-2021 की रणनीति संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में पहली है जो सतत् विकास लक्ष्यों से संबद्ध है, जिसने अगले 15 वर्षों में वैश्विक विकास नीति के लिये रूपरेखा तैयार की, इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक एड्स महामारी को समाप्त करना है।
- इस वर्ष का यह सम्मेलन वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिये वर्ष 2016 की 'UNGA प्रतिबद्धता' (UNGA Commitment) के लक्ष्य को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- GPC के सदस्य देशों ने वर्ष 2010 की तुलना में वयस्कों में HIV संक्रमण को वर्ष 2020 के अंत तक 75% तक कम करने पर सहमति व्यक्त की थी।
  - GPC ने विश्व को एक ऐसा मॉडल उपलब्ध कराया है जहाँ कई सारे हितधारक एक साथ आ सकते हैं और एक समान लक्ष्य प्राप्त करने के लिये एकजुट होकर कार्य कर सकते हैं।
- दुनिया भर में भारत के जेनेरिक एंटी-रेट्रोवायरल ड्रग्स (Anti-Retroviral Drugs) के प्रावधानों का एचआईवी महामारी को नियंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
- इस अवसर पर भारत के अद्वितीय एचआईवी निवारण मॉडल की सराहना की गई जो 'सामाजिक अनुबंध' (Social Contracting) की अवधारणा पर केंद्रित है जिसके माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप (Targeted Interventions) कार्यक्रम को लागू किया जाता है।

नोट :

- जिसके तहत गैर-सरकारी संगठनों के समर्थन से अनेक कार्यक्रम संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य एचआईवी देखभाल के लिये आउटरीच, सेवा वितरण, परामर्श एवं परीक्षण तथा लिंकेज सुनिश्चित करना है।

गिल्लन बर्रे सिंड्रोम Guillain Barre Syndrome

भारत में अगस्त 2020 से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें COVID-19 से संक्रमित कुछ रोगियों को गिल्लन बर्रे सिंड्रोम (Guillain Barre Syndrome- GBS) से पीड़ित पाया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- मुंबई में न्यूरोलॉजिस्ट का एक समूह अब इन मामलों एवं उनके लक्षणों की मैपिंग कर रहा है।

गिल्लन बर्रे सिंड्रोम (GBS):

- यह एक बहुत ही दुर्लभ ऑटोइम्यून विकार (Autoimmune Disorder) है।
- GBS बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण के कारण होता है।
- इस विकार से ग्रसित रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली कोरोनोवायरस को मारने के प्रयास में गलती से परिधीय तंत्रिका तंत्र (Peripheral Nervous System) पर हमला करना शुरू कर देती है, जिससे शरीर के अंगों की कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है।
  - परिधीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिकाओं का एक नेटवर्क है जो मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों से संबद्ध होता है।
- अतीत में 'मिडिल-ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम' (Middle East Respiratory Syndrome) के मरीज़ों में GBS के लक्षण दिखाई दिये थे जैसा कि ज़ीका, एचआईवी, हर्पीस वायरस (Herpes Virus) और कैंपिलोबैक्टर जेजुनी (Campylobacter Jejuni) से संक्रमित लोगों में देखा गया था।

लक्षण:

- इसके प्रमुख लक्षण- त्वचा में खुजली, मांसपेशियों में कमज़ोरी, दर्द एवं सुन्न हो जाना हैं।
- ये लक्षण सबसे पहले पैरों एवं हाथों में उभर सकते हैं। इसमें व्यक्ति को पैरालिसिस का अनुभव होने लगता है जो अस्थायी हो सकता है, किंतु 6-12 महीने या उससे अधिक समय तक रह सकता है।

हरिकेन ईओटा Hurricane Iota

16 नवंबर, 2020 को हरिकेन ईओटा (Hurricane Iota) मध्य अमेरिका के निकारागुआ (Nicaragua) के तट से टकराया और श्रेणी 5 (Category 5) के हरिकेन के रूप में विकसित हो गया।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि हरिकेन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical cyclone) को सैफिर-सिंपसन विंड स्केल (Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale) के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसमें हवा की गति के आधार पर 1 से 5 तक की रेटिंग दी जाती है।
- 'सैफिर-सिंपसन विंड स्केल' के आधार पर श्रेणी 5 (Category 5) के अंतर्गत आने वाले हरिकेन ईओटा (Hurricane Iota) को गंभीर (Severe) श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है जिसमें वायु की गति 252 किलोमीटर/घंटा या अधिक होती है।
  - श्रेणी 5 के हरिकेन से स्थल क्षेत्र में 'प्रलयकारी नुकसान' होता है।

हरिकेन कब आते हैं ?

- अटलांटिक हरिकेन मौसम की अवधि 1 जून से 30 नवंबर के मध्य होती है जो अटलांटिक महासागर, कैरेबियन सागर और मेक्सिको की खाड़ी को कवर करता है।
  - जबकि पूर्वी प्रशांत तट पर हरिकेन मौसम की अवधि 15 मई से 30 नवंबर के मध्य होती है।

नोट :

- 'नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फियरिक एडमिनिस्ट्रेशन' (National Oceanic and Atmospheric Administration-NOAA) के अनुसार, एक औसत हरिकेन मौसम में लगभग 12 हरिकेन आते हैं जिनमें से तीन प्रमुख हरिकेन के साथ छह सामान्य हरिकेन बन जाते हैं।

केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट Kerala Fibre Optic Network Project

केरल सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट (Kerala Fibre Optic Network Project-KFON) द्वारा दिसंबर 2020 तक गरीब परिवारों, सार्वजनिक कार्यालयों के लिये मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

प्रमुख बिंदु:

- इस परियोजना का उद्देश्य, केरल सरकार द्वारा 'इंटरनेट एक्सेस को नागरिक अधिकार' बनाने संबंधी अवधारणा को पूरा करना है।
- इस परियोजना का लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line- BPL) जीवन जीने वाले 20 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त उच्च गति के इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना है।
- यह केरल राज्य बिजली बोर्ड (Kerala State Electricity Board) और केरल राज्य आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Kerala State IT Infrastructure Ltd) की एक संयुक्त पहल है।
  - 1548 करोड़ रुपए की KFON परियोजना में 50% हिस्सेदारी KSEB के पास बाकी हिस्सेदारी केरल राज्य आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पास है।
  - इंटरनेट सेवा प्रदाता और केबल टेलीविज़न ऑपरेटर भी अपनी सेवाएँ प्रदान करने के लिये इस परियोजना में शामिल हो सकते हैं।
- यह परियोजना भारतीय राज्यों के बीच अपनी तरह की पहली किंतु भारत सरकार की भारतनेट परियोजना (BharatNet Project) के समान है।
- यह परियोजना 20 लाख से अधिक गरीब परिवारों एवं कार्यालयों, स्कूलों, आईटी पार्कों, हवाई अड्डों तथा बंदरगाहों सहित 30,000 से अधिक सरकारी संस्थानों के लिये मुफ्त इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करेगी।

महत्त्व:

- जब यह परियोजना लॉन्च की जाएगी तो यह केरल के लिये एक और मील का पत्थर साबित होगी जिसने कई मानव विकास संकेतकों (HDI) में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसे- स्वास्थ्य के क्षेत्र में।

एआई सुपर कंप्यूटर 'परम सिद्धि' AI supercomputer 'Param Siddhi'

16 नवंबर, 2020 को जारी विश्व के शीर्ष 500 सबसे शक्तिशाली नॉन-डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर प्रणालियों (Non-distributed Computer Systems) में 'परम सिद्धि' (Param Siddhi) ने 63वाँ स्थान हासिल किया।

प्रमुख बिंदु:

- 'परम सिद्धि' उच्च प्रदर्शन वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपरकंप्यूटर प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (National Supercomputing Mission-NSM) के तहत सी-डैक (C-DAC) में स्थापित किया गया है।

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (Centre for Development of Advanced Computing: C-DAC):

- सी-डैक (C-DAC) सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) के अंतर्गत एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसायटी है।
- वर्ष 2003 में नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ER&DCI इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (तिरुवनंतपुरम) तथा भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी केंद्र (Centre for Electronics Design and Technology of India- CEDTI) का विलय सी-डैक (C-DAC) में कर दिया गया था।

नोट :

- भारत का पहला स्वदेशी सुपरकंप्यूटर, परम-8000 वर्ष 1991 में C-DAC द्वारा ही बनाया गया था।
- 5.267 पेटाफ्लॉप्स के आर-पीक (R-peak) तथा 4.6 पेटाफ्लॉप्स के आर-मैक्स (R-max) के साथ इस सुपरकंप्यूटर की परिकल्पना सी-डैक द्वारा की गई और इसे राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समर्थन से संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
  - परम सिद्धि सुपरकंप्यूटर सी-डैक द्वारा स्वदेश में विकसित एचपीसी-एआई इंजन, सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क तथा क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ 'एनवीआईडीआईए डीजीएक्स सुपर-पीओडी रेफरेंस आर्किटेक्चर नेटवर्किंग' (NVIDIA DGX Super-POD Reference Architecture Networking) पर आधारित है।

महत्त्व:

- यह डीप लर्निंग, विज़ुअल कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियल्टी एक्सेलेरेटेड कंप्यूटिंग और ग्राफिक्स वर्चुअलाइज़ेशन में मददगार साबित होगा।
- यह एआई प्रणाली एडवांस मैटेरियल, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री तथा एस्ट्रोफिजिक्स जैसे क्षेत्रों में एप्लीकेशन डेवलपमेंट पैकेज को मज़बूत बनाएगी।
- राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ड्रग डिज़ाइन, निवारक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जैसे अनेक पैकेज विकसित किये जा रहे हैं।
- मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, पटना तथा गुवाहाटी जैसे बाढ़ की संभावना वाले शहरों के लिये बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की जा रही है।
- इससे COVID-19 से निपटने के लिये अनुसंधान एवं विकास में तेज़ी आएगी।
- यह सुपरकंप्यूटिंग प्रणाली भारतीय जनता एवं स्टार्टअप विशेष रूप से MSME के लिये वरदान साबित हो रही है।

विलो वार्बलर Willow Warbler

हाल ही में विलो वार्बलर (Willow Warbler) को देश में पहली बार केरल के तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) के बाहरी इलाके 'पुण्चक्करी' (Punchakkari) में देखा गया।

प्रमुख बिंदु:

- इसका वैज्ञानिक नाम 'फाइलोस्कोपस ट्रोकिलस' (Phylloscopus Trochilus) है।
- यह सबसे लंबे समय तक प्रवास करने वाले छोटे पक्षियों में से एक है जो पूरे उत्तरी एवं समशीतोष्ण यूरोप और पैलेआर्कटिक (Palearctic) क्षेत्र में प्रजनन करते हैं।

पैलेआर्कटिक (Palearctic) क्षेत्र:

- पैलेआर्कटिक इकोज़ोन पृथ्वी की सतह को विभाजित करने वाले आठ भागों में से एक है।
  - एक इकोज़ोन या बायोजियोग्राफिक क्षेत्र (Biogeographic Realm) पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़े पैमाने का बायोजियोग्राफिकल विभाजन (Biogeographic Division) है।

इकोज़ोन या बायोजियोग्राफिक क्षेत्र (Biogeographic Realm):

1. पैलेआर्कटिक (Palearctic) 2. निआर्कटिक (Nearctic) 3. एफ्रोट्रॉपिक (Afrotropic) 4. नेओट्रॉपिक (Neotropic) 5. ऑस्ट्रालेशिया (Australasia) 6. इंडोमलाया (Indomalaya) 7. ओशिनिया (Oceania) 8. अंटार्कटिक (Antarctic)

- पैलेआर्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत पृथ्वी पर ऐसे कई इको क्षेत्र हैं: यूरो-साइबेरियाई क्षेत्र (Euro-Siberian Region), भूमध्यसागरीय बेसिन (Mediterranean Basin), सहारा (Sahara) और अरेबियन डेज़र्ट (Arabian Deserts), पश्चिमी, मध्य व पूर्वी एशिया।
- पैलेआर्कटिक अब तक का सबसे बड़ा इकोज़ोन है। इसमें यूरोप, एशिया में हिमालय की तलहटी का उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के उत्तरी तथा मध्य भागों के स्थलीय इको क्षेत्र शामिल हैं।

नोट :

- पैलेआर्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत कई नदियाँ एवं झीलें भी आती हैं, जिनमें कई मीठे पानी के जलीय क्षेत्रों का निर्माण करती हैं।
- लगभग 10 ग्राम वज़नी यह पक्षी अपने लंबे पंखों के इस्तेमाल से लंबी दूरी तय करने के लिये जाना जाता है जो इसे विशिष्ट बनाता है।
- ये आमतौर पर यूरोपीय एवं पैलेआर्कटिक क्षेत्रों में देखे जाते हैं और शुरुआती सर्दियों के दौरान उप-सहारा अफ्रीका में चले जाते हैं।
- इसे आमतौर पर छोटे आकार और वर्ष में दो बार पंखों के बदलने के कारण पहचानना मुश्किल होता है।
- जैव विविधता विशेषज्ञों का कहना है कि अब तक केरल से वार्बलर की 17 प्रजातियाँ मिलने की पुष्टि की गई है और विलो वार्बलर केरल में दर्ज की जाने वाली 18वीं प्रजाति है।

वेल्लायनी-पुण्चक्करी पैडी फील्ड्स (Vellayani-Punchakkari Paddy Fields):

- यह केरल के तिरुवनंतपुरम के बाहरी इलाके में एक बर्डिंग हॉटस्पॉट (Birding Hotspot) क्षेत्र है।
- यह पक्षियों की 213 से अधिक प्रजातियों के आश्रयगृह के लिये जाना जाता है जिसमें देशज एवं प्रवासी पक्षी दोनों शामिल हैं।
- यहाँ वार्बलर्स की सात प्रजातियाँ दर्ज की गईं हैं जिनमें ब्लिथ्स रीड वार्बलर (Blyth's Reed Warbler) और क्लामोरस रीड वार्बलर (Clamorous Reed Warbler) आम हैं।

छठ पूजा पर 'माई स्टाम्प' 'My Stamp' on Chhath Puja

19 नवंबर, 2020 को केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने छठ पूजा पर 'माई स्टाम्प' (My Stamp on Chhath Puja) जारी किया।

प्रमुख बिंदु:

- 'माई स्टाम्प' भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा शुरू की गई एक अभिनव अवधारणा है। इस डाक टिकट को कोई भी सामान्य व्यक्ति या कॉर्पोरेट संगठन खरीद सकता है।
- 'माई स्टाम्प' भारतीय डाक विभाग द्वारा पेश किये जा रहे अनूठे उत्पादों में से एक है, जिसने विशेष उपहार की श्रेणी में लोकप्रियता हासिल की है।
- यह डाक टिकट देश भर के सभी डाक टिकट संग्रहालयों एवं प्रमुख डाकघरों में उपलब्ध है।

छठ- सादगी और स्वच्छता का प्रतीक:

- इस अवसर पर 'छठ- सादगी और स्वच्छता का प्रतीक' (Chhath- A symbol of Simplicity and Cleanliness) विषय पर एक विशेष कवर भी जारी किया गया।

छठ पर्व:

- छठ एक प्राचीन हिंदू वैदिक त्योहार है जो ऐतिहासिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तथा नेपाल के मधेश क्षेत्र में मनाया जाता है।
- छठ पूजा सूर्य देवता और षष्ठी देवी (छठी मैया) को समर्पित है। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें न केवल उगते सूर्य की पूजा की जाती है बल्कि सूर्यास्त यानी उषा एवं प्रत्यूषा की भी पूजा की जाती है।
- सामान्यत: इस त्योहार में मूर्तिपूजा शामिल नहीं होती है। छठ पूजा, जिसे सूर्य षष्ठी (Sun Shashthi) के रूप में भी जाना जाता है, कार्तिक शुक्ल षष्ठी (Kartik Shukla Shashthi) को मनाई जाती है। यह पर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है।
- छठ पूजा एक लोक त्योहार है जो चार दिनों तक चलता है। यह कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी से शुरू हो कर सप्तमी को समाप्त होता है।

नोट :

दिन	विशेष
1.	नहाय खाय (Nahaye Khaye): इसका अर्थ यह है कि स्नान के बाद घर को साफ किया जाता है और भगवान के सामने भोजन रखने के बाद इसे ग्रहण किया जाता है ताकि मन को तामसिक प्रवृत्ति से बचाया जा सके।
2.	खरना (Kharna): खरना का मतलब है 'पूरे दिन का उपवास'। इस दिन भक्तों को एक बूँद भी पानी पीने की अनुमति नहीं होती है। शाम को वे घी में बनी गुड़ की खीर, फल व चपाती खा सकते हैं।
3.	संध्या अर्घ्य (Sandhya Arghya): इस दिन सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, अर्घ्य के समय सूर्यदेव को जल एवं दूध चढ़ाया जाता है और छठी मैया की पूजा की जाती है।
4.	उषा अर्घ्य (Usha Arghya): छठ पूजा के अंतिम दिन सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। पूजा के बाद भक्त शरबत एवं कच्चा दूध पीते हैं और व्रत तोड़ने के लिये थोड़ा सा प्रसाद खाते हैं जिसे पारन (Paran) या पराना (Parana) कहा जाता है।

वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
Vatayan Lifetime Achievement Award

21 नवंबर, 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' को वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में 'वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड' (Vatayan Lifetime Achievement Award) से सम्मानित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, लंदन के 'वातायन-यूके संगठन' (Vatayan-UK Organization) द्वारा प्रदान किया जाता है।
- कवियों, लेखकों एवं कलाकारों को उनके क्षेत्र में किये गए उल्लेखनीय कार्यों के लिये यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
- इससे पहले यह पुरस्कार प्रसून जोशी और जावेद अख्तर को उनके साहित्यिक योगदान के लिये प्रदान किया जा चुका है।
- इससे पहले रमेश पोखरियाल 'निशंक' को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 'साहित्य भारती पुरस्कार' तथा पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए. पी.जे अब्दुल कलाम द्वारा 'साहित्य गौरव सम्मान' प्रदान किया गया था।
    - इसके अतिरिक्त रमेश पोखरियाल 'निशंक' को मिले पुरस्कारों में 'गुड गवर्नेंस' के लिये दुबई सरकार द्वारा दिया गया सम्मान, मॉरीशस द्वारा भारतीय मूल के व्यक्ति को उत्कृष्ट उपलब्धि सम्मान और पर्यावरण के क्षेत्र में यूक्रेन द्वारा दिया गया सम्मान तथा नेपाल द्वारा दिया गया 'हिमल गौरव सम्मान' (Himal Gaurav Samman) शामिल हैं।

भारत-थाईलैंड समन्वित गश्ती
India-Thailand Coordinated Patrol

18-20 नवंबर, 2020 तक भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच 'भारत-थाईलैंड समन्वित गश्ती' (India-Thailand Coordinated Patrol) अर्थात् 'इंडो-थाई कॉर्पेट' (Indo-Thai CORPAT) के 30वें संस्करण का संचालन किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- इस 'इंडो-थाई कॉर्पेट' में भारत की तरफ से आईएनएस करमुक (Karmuk) जो स्वदेशी रूप से निर्मित मिसाइल कार्वेट (Corvette) है और थाईलैंड की तरफ से रॉयल थाई नौसेना के एचटीएमएस कराबुरी (Kraburi) ने भाग लिया।
- भारत-थाईलैंड के मध्य यह 'इंडो-थाई कॉर्पेट' संचालन भारत सरकार के रणनीतिक विज़न 'सागर' (Security and Growth for All in the Region -SAGAR) पर आधारित है। जिसके तहत हिंद महासागरीय क्षेत्र में EEZ निगरानी, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (Humanitarian Assistance and Disaster Relief- HADR) एवं अन्य क्षमता निर्माण गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

नोट :

- दोनों देशों की नौसेनाएँ वर्ष 2005 के बाद से समुद्री लिंक को मज़बूत बनाने के लिये वर्ष में दो बार अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ-साथ हिंद महासागर के रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण हिस्से को सुरक्षित रखने और वाणिज्यिक शिपिंग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 'इंडो-थाई कॉर्पेट' का आयोजन कर रही हैं।
- 'इंडो-थाई कॉर्पेट' दोनों नौसेनाओं के बीच समझ एवं पारस्परिकता को बढ़ाता है और अवैध तरीके से मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद, समुद्री लूटपाट को रोकने के लिये सुविधा प्रदान करता है।

ई-चालान परियोजना e-Challan Project

हाल ही में असम के मुख्यमंत्री द्वारा 'ई-चालान परियोजना' (e-Challan Project) के लिये आभासी न्यायालय (Virtual Court) की शुरुआत की गई।

प्रमुख बिंदु:

- इस परियोजना की शुरुआत भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के तत्त्वावधान में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology) समिति के सहयोग से असम सरकार द्वारा की गई है।

आभासी न्यायालय:

- आभासी न्यायालय भारत सरकार के कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय की ई-समिति की एक पहल है।
- आभासी न्यायालय एक ऑनलाइन न्यायालय है, जिसे आभासी न्यायाधीश (जो एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक एल्गोरिथम है) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- इसके अधिकार क्षेत्र को पूरे राज्य में बढ़ाया जा सकता है और यह 24X7 घंटे कार्य करता है।
- आभासी न्यायालय द्वारा किसी मुकदमे की सुनवाई में न तो वादी न्यायालय में आएगा और न ही न्यायाधीश को किसी मामले में निर्णय देने के लिये न्यायालय में शारीरिक रूप से बैठना होगा।
- इस आभासी न्यायालय में संवाद केवल इलेक्ट्रॉनिक तरीके संभव होगा और सजा एवं आगे जुर्माने या मुआवजे का भुगतान भी ऑनलाइन होगा।
- इसमें केवल एकल प्रक्रिया की अनुमति है और कोई तर्क नहीं हो सकता है।
- इससे आरोपी द्वारा अपराध को शीघ्र कबूलना या इलेक्ट्रॉनिक रूप में सम्मन प्राप्त होने पर प्रतिवादी द्वारा हितों का शीघ्र अनुपालन संभव होता है।
- जुर्माने का भुगतान हो जाने पर ऐसे मामलों को समाप्त माना जा सकता है।

न्यायकौशल (NyayKaushal):

- यह महाराष्ट्र का दूसरा आभासी न्यायालय है जिसका उद्घाटन 31 अक्तूबर, 2020 को भारत के मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबडे और उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति डी. वाई.चंद्रचूड़ द्वारा नागपुर में न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान (Judicial Officers Training Institute) में किया गया।
- वर्तमान में भारत में 9 आभासी न्यायालय कार्यरत हैं- दिल्ली (2 न्यायालय), हरियाणा (फरीदाबाद), महाराष्ट्र (पुणे और नागपुर), मद्रास, कर्नाटक (बंगलुरु), केरल (कोच्चि) और असम (गुवाहाटी)। ये सभी न्यायालय केवल ट्रैफिक चालान मामलों को निपटा रहे हैं।

'ई-चालान परियोजना' (e-Challan Project):

- ई-चालान समाधान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है, जबकि इसके सॉफ्टवेयर को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre- NIC) द्वारा विकसित किया गया है।
- यह मैनुअल चालान की वर्तमान अवधारणा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्मित डिजिटल चालान से बदल देगा।

नोट :

लाभ:

- आभासी न्यायालय के कारण नागरिकों को अदालतों में लंबी लाइनों में इंतजार करना नहीं पड़ेगा।
  - यह नागरिकों के साथ-साथ न्यायिक अधिकारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाएगा।
  - आभासी न्यायालय के कारण असम में 10 न्यायाधीशों का कार्य केवल एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा और इस प्रकार 9 न्यायाधीशों को न्यायिक कार्य करने में लगाया जाएगा।
- 'ई-चालान परियोजना' के शुरू होने से राज्य में ट्रैफिक पुलिस और नागरिकों के मध्य होने वाले विवादों में कमी आएगी।
  - यह यातायात पुलिस विभाग को अधिक जवाबदेह बनाएगा और भ्रष्टाचार में कमी लाएगा।

विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली World Wide Radio Navigation System

भारत, 'विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली' (World Wide Radio Navigation System- WWRNS) के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा मान्यता प्राप्त अपने स्वतंत्र भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (IRNSS) के साथ दुनिया का चौथा देश बन गया है।

प्रमुख बिंदु:

- 4 से 11 नवंबर, 2020 तक आयोजित अपनी हालिया बैठक के दौरान IMO की समुद्री सुरक्षा समिति ने IRNSS को विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक घटक के रूप में मान्यता प्रदान की है।
  - अन्य तीन देश जिनके पास IMO द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन प्रणाली हैं, वे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं चीन हैं।
- IMO ने विभिन्न देशों को अपने स्वयं के उपग्रह नेविगेशन सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिये प्रोत्साहित किया है। IMO ने अब IRNSS को एक वैकल्पिक नेविगेशन मॉड्यूल के रूप में स्वीकार कर लिया है।
  - पहले यह केवल पायलट आधार पर उपयोग में था किंतु अब सभी व्यापारिक जहाज़ इसका उपयोग करने के लिये अधिकृत हैं, यहाँ तक कि मछली पकड़ने के छोटे जहाज़ भी।
  - अब अमेरिका के जीपीएस (GPS) और रूस के ग्लोनास (GLONASS) की तरह व्यापारिक जहाज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिये IRNSS का उपयोग किया जा सकेगा।
- IRNSS को हिंद महासागर में जहाज़ों के नेविगेशन में सहायता हेतु सटीक स्थिति सूचना सेवाएँ प्रदान करने के लिये डिज़ाइन किया गया था।

राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 National Newborn Week 2020

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने 'राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020' (National Newborn Week 2020) के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसे 15-21 नवंबर, 2020 तक मनाया जा रहा है, ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में नवजात शिशु स्वास्थ्य के महत्त्व को सुदृढ़ किया जा सके।

थीम: 'राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020' की थीम ' 'प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र और प्रत्येक जगह, प्रत्येक नवजात शिशु के लिये गुणवत्ता, समानता, गरिमा'' (Quality, Equity, Dignity for every newborn at every health facility and everywhere) है।

प्रमुख बिंदु:

- वर्ष 2014 में भारत पहला देश था जिसने भारत नवजात कार्य योजना (India Newborn Action Plan- INAP) की शुरुआत की थी जो नवजातों की मृत्यु और जन्म के समय मृत पाए जाने की समस्या को खत्म करने को लेकर 'ग्लोबल एवरी न्यूबोर्न एक्शन प्लान' (Global Every Newborn Action Plan) के अनुरूप है।
- भारत सरकार ने नवजात शिशुओं के जीवित रहने और उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिये कई कार्यक्रम शुरू किये हैं जिनमें पोषण अभियान (Poshan Abhiyaan) की 'अंब्रेला स्कीम' के तहत आने वाले पोषण संबंधी पहलू भी शामिल हैं।

नोट :

- नवजात शिशुओं से संबंधित शिकायत के निवारण के लिये 'एनएनएम पोर्टल' (NNM Portal), सुमन (SUMAN) योजना आदि की शुरुआत की गई है।
- INAP लक्ष्यों एवं रोडमैप योजना पर एक विस्तृत प्रगति कार्ड जारी करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि भारत ने वर्ष 2017 के महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
  - वर्ष 2017 के लिये नवजात मृत्यु दर (Newborn Mortality Rate- NMR) का निर्धारित लक्ष्य 24 (प्रति 1000 पर) था।
  - वर्ष 2020 के लिये 'स्टिल बर्थ रेट' (Still Birth Rate- SBR) का निर्धारित लक्ष्य 19 (प्रति 1000 पर) है।
- नमूना पंजीकरण प्रणाली (Sample Registration System- SRS)-2018 के अनुसार, प्रति 1000 जीवित जन्म लिये शिशुओं में नवजात मृत्यु दर 23 है।
- इस अवसर पर नवजात शिशु स्वास्थ्य को लेकर व्यवहार परिवर्तन लाने एवं सूचना का प्रसार करने के लिये राष्ट्रीय नवजात सप्ताह आईईसी (National Newborn Week IEC) पोस्टर का भी अनावरण किया गया।
  - साथ ही नवजात शिशु देखभाल से जुड़े स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण के लिये नवजात स्थिरीकरण इकाई (Newborn Stabilization Unit) और न्यूबोर्न केयर कॉर्नर (Newborn Care Corner) पर दो विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किये गए प्रशिक्षण मॉड्यूल भी जारी किये गए।

होयसल मंदिर Hoysala Temple

हाल ही में कर्नाटक के हासन के पास डोड्डागाड्डावल्ली (Doddagaddavalli) में ऐतिहासिक होयसल मंदिर (Hoysala Temple) में देवी काली (Kali) की एक मूर्ति क्षतिग्रस्त पाई गई।

प्रमुख बिंदु:

- होयसल मंदिर जो भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India- ASI) का एक स्मारक है, को 12वीं शताब्दी में बनाया गया था।

होयसल वास्तुकला के बारे में

- होयसल वास्तुकला 11वीं एवं 14वीं शताब्दी के बीच होयसल साम्राज्य के अंतर्गत विकसित एक वास्तुकला शैली है जो ज़्यादातर दक्षिणी कर्नाटक क्षेत्र में केंद्रित है।
- होयसल मंदिर, हाइब्रिड या बेसर शैली के अंतर्गत आते हैं क्योंकि उनकी अनूठी शैली न तो पूरी तरह से द्रविड़ है और न ही नागर।
- होयसल मंदिरों में खंभे वाले हॉल के साथ एक साधारण आंतरिक कक्ष की बजाय एक केंद्रीय स्तंभ वाले हॉल के चारों ओर समूह में कई मंदिर शामिल होते हैं और यह संपूर्ण संरचना एक जटिल डिज़ाइन वाले तारे के आकार में होती है।
  - इन मंदिरों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये मंदिर एक वर्गाकार मंदिर के आधार पर प्रोजेक्शन कोणों के साथ बेहद जटिल संरचना का निर्माण करते हैं जिससे इन मंदिरों का विन्यास एक तारे जैसा दिखने लगता है और इस तरह यह संपूर्ण संरचना एक तारामय योजना (Stellate-Plan) के रूप में जानी जाती है।
- चूँकि ये मंदिर शैलखटी (Steatite) चट्टानों से निर्मित हैं जो अपेक्षाकृत एक नरम पत्थर होता है जिससे कलाकार मूर्तियों को जटिल रूप देने में सक्षम होते थे। इसे विशेष रूप से देवताओं के आभूषणों में देखा जा सकता है जो मंदिर की दीवारों को सुशोभित करते हैं।
- ये अपने तारे जैसी मूल आकृति एवं सजावटी नक्काशियों के कारण अन्य मध्यकालीन मंदिरों से भिन्न हैं।
- कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं:
  - होयसलेश्वर मंदिर (Hoysaleshvara Temple) जो कर्नाटक के हलेबिड में है, इसे 1150 ईस्वी में होयसल राजा द्वारा काले शिष्ट पत्थर (Dark Schist Stone) से बनवाया गया था।
  - कर्नाटक के सोमनाथपुरा में चेन्नेकेशवा मंदिर (Chennakeshava Temple) जिसे नरसिम्हा III की देखरेख में 1268 ईस्वी के आसपास बनाया गया था।
  - विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित कर्नाटक के हसन ज़िले के बेलूर में केशव मंदिर (Kesava Temple)।

नोट :

सिम्बेक्स-20 SIMBEX-20

भारतीय नौसेना, अंडमान सागर (Andaman Sea) में 23 से 25 नवंबर, 2020 तक 27वें भारत-सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स-20 (SIMBEX-20) की मेज़बानी करेगी।

प्रमुख बिंदु:

- भारतीय नौसेना और 'रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी' (Republic of Singapore Navy- RSN) के बीच वर्ष 1994 से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले अभ्यास 'सिम्बेक्स' शृंखला का उद्देश्य आपसी अंतर-संचालन को बढ़ाना और एक-दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना है।
- सिम्बेक्स-2020 में चेतक हेलीकॉप्टर के साथ विध्वंसक 'राणा' और स्वदेश निर्मित कोरवेट कामोर्टा (Kamorta) व करमुक (Karmuk) समेत भारतीय नौसेना के जहाज़ शामिल होंगे। इसके अलावा भारतीय नौसेना की पनडुब्बी सिंधुराज और समुद्री टोही विमान पी8आई भी इस अभ्यास में भाग लेंगे।
- 'फॉर्मीडेबल' (Formidable) श्रेणी के फ्रिगेट्स 'इंट्रेपीड' (Intrepid) व 'स्टेडफास्ट' (Steadfast), एस70बी हेलीकॉप्टर तथा 'एंड्योरेंस' (Endurance) श्रेणी के लैंडिंग शिप टैंक 'इनडेवर' (Endeavour) अभ्यास में 'रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी' (Republic of Singapore Navy- RSN) का प्रतिनिधित्त्व करेंगे।

अंडमान सागर (Andaman Sea):

- अंडमान सागर उत्तर-पूर्वी हिंद महासागर का एक सीमांत सागर है जो मर्तबान की खाड़ी के साथ-साथ म्याँमार एवं थाईलैंड के तट से घिरा हुआ है और यह मलय प्रायद्वीप के पश्चिम में है।
  - अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह द्वारा अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी से अलग होता है।
    - बंगाल की खाड़ी में 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को एक-दूसरे से अलग करता है।
- अंडमान सागर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में चार देशों (भारत, म्याँमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया) के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) स्थापित हैं।

अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone-EEZ):

- EEZ बेसलाइन से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक फैला होता है। इसमें तटीय देशों को सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन का संप्रभु अधिकार प्राप्त होता है।
- म्याँमार से बहते हुए इरावदी नदी, अंडमान सागर में जाकर मिलती है।

चांग'ई-5 प्रोब Chang'e-5 probe

पृथ्वी के उपग्रह 'चंद्रमा' से लूनार रॉक्स (Lunar Rocks) के नमूने लाने के लिये चीन नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्षयान 'चांग'ई-5 प्रोब' (Chang'e-5 Probe) भेजने की योजना बना रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- 'चांग'ई-5 प्रोब' जिसका नाम चंद्रमा की प्राचीन चीनी देवी के नाम पर रखा गया है, ऐसी सामग्री एकत्र करेगा जो वैज्ञानिकों को चंद्रमा की उत्पत्ति एवं निर्माण के बारे में समझने में अधिक मदद कर सके।
- यह मिशन जटिल मिशनों से आगे बढ़कर अंतरिक्ष से नमूने प्राप्त करने की चीन की क्षमता को भी दर्शाएगा।
  - यदि चीन का यह मिशन सफल होता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बाद चीन तीसरा ऐसा देश होगा जो चंद्रमा के नमूनों (Lunar Samples) को प्राप्त करेगा।
- चीन का 'चांग'ई-5 प्रोब' ओशियनस प्रोसेलरम (Oceanus Procellarum) या 'ओशियन ऑफ स्टॉर्म' (Ocean of Storms) के नाम से जाने जाने वाले एक विशाल लावा मैदान से 2 किलोग्राम नमूने एकत्र करने का प्रयास करेगा।
- उल्लेखनीय है कि चीन ने वर्ष 2030 तक मंगल से नमूने प्राप्त करने की भी योजना बनाई है।

नोट :

लूना-2 (Luna 2):

- गौरतलब है कि वर्ष 1959 में सोवियत संघ ने चंद्रमा पर लूना 2 को उतारा था जो अन्य खगोलीय पिंड तक पहुँचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु थी, इसके बाद जापान और भारत सहित कुछ अन्य देशों ने चंद्र मिशन शुरू किया।
- सोवियत संघ ने 1970 के दशक में तीन सफल 'रोबोटिक सैंपल रिटर्न मिशन' शुरू किये थे। अंतिम लूना 24 (Luna 24) ने वर्ष 1976 में 'मारे क्रिसियम' (Mare Crisium) या 'सी ऑफ क्राइसिस' (Sea of Crises) से 170.1 ग्राम नमूने प्राप्त किये थे।

अपोलो मिशन:

- अपोलो मिशन के तहत जिसमें मनुष्य को चंद्रमा पर भेजा गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1969 से वर्ष 1972 तक छह उड़ानों के माध्यम से 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारा था जो 382 किलोग्राम चट्टानें एवं मिट्टी वापस लाए थे।

प्लैटिपस Platypus

ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय (University of New South Wales) के नेतृत्त्व में किये गए शोध के अनुसार, केवल 30 वर्षों में प्लैटिपस (Platypus) के आवास स्थल में 22% ह्रास हुआ है।

प्रमुख बिंदु:

- शोध में पाया गया कि मरे-डार्लिंग बेसिन (Murray-Darling Basin) जैसे क्षेत्रों में इनकी संख्या में सबसे अधिक गिरावट देखी गई जहाँ प्राकृतिक नदी प्रणालियों को मनुष्यों द्वारा संशोधित कर दिया गया है।
- अंडे देने वाले इस स्तनपायी जीव के आवास स्थल में न्यू साउथ वेल्स (NSW) में 32%, क्वींसलैंड में 27% जबकि विक्टोरिया में 7% ह्रास हुआ है।
- शोध में कहा गया है कि यदि नदियों पर बाँधों के निर्माण से नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित किया गया और क्षेत्र में सूखे की समस्या से प्रभावी तरीके से निपटने के लिये कोई समाधान न निकाला गया तो कुछ नदियों से प्लैटिपस की आबादी पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी।

मर्रे-डार्लिंग बेसिन (Murray-Darling Basin):

- मर्रे-डार्लिंग बेसिन दक्षिण-पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भाग में एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें मर्रे नदी (ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी) और डार्लिंग नदी (मर्रे की एक दक्षिणी सहायक नदी तथा ऑस्ट्रेलिया की तीसरी सबसे लंबी नदी) की सहायक नदियों के बेसिन शामिल हैं।
- मर्रे-डार्लिंग बेसिन, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की सात सबसे लंबी नदियों में से छह शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया के सबसे महत्त्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों में से एक है।
- प्लैटिपस की संख्या घटने का कारण:
  - नदियों पर बाँधों का निर्माण
  - अति निष्कर्षण
  - भूमि समाशोधन
  - जल प्रदूषण
  - जंगली कुत्तों एवं लोमड़ियों द्वारा शिकार
- यह शोध ऑस्ट्रेलियाई संरक्षण फाउंडेशन (Australian Conservation Foundation- ACF) के सहयोग से ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के नेतृत्त्व में किया गया था।
- ACF, WWF-ऑस्ट्रेलिया और 'ह्यूमन सोसायटी इंटरनेशनल' ने अब संघीय (ऑस्ट्रेलिया) एवं NSW पर्यावरण कानूनों के तहत प्लैटिपस को आधिकारिक तौर पर संकटग्रस्त (Threatened) श्रेणी में नामित किया है।

प्लैटिपस (Platypus):

- प्लैटिपस पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाया जाता है। यह एक स्तनधारी जीव है जो बच्चे को जन्म देने के बजाय अंडे देता है।

नोट :

- प्लैटिपस, ओरनिथोरिनचिडे (Ornithorhynchidae) परिवार की एकमात्र जीवित प्रजाति है। हालाँकि जीवाश्म रिकॉर्ड में अन्य संबंधित प्रजातियों का जिक्र किया गया है।
- यह मोनोट्रेम (Monotreme) की पाँच विलुप्त प्रजातियों में से एक है। मोनोट्रेम जीवित स्तनधारियों के तीन मुख्य समूहों में से एक है इसके दो अन्य समूह हैं- प्लेसेंटल्स (यूथेरिया-Eutheria) और मार्सुपियल्स (मेटाथेरिया-Metatheria)।
- यह एक ज़हरीला स्तनधारी जीव है तथा इसमें इलेक्ट्रोलोकेशन की शक्ति होती है, अर्थात् ये किसी जीव का शिकार उसके पेशी संकुचन द्वारा उत्पन्न विद्युत तरंगों का पता लगाकर करते हैं।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त (Near Threatened) की श्रेणी में रखा गया है।

उमंग का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण UMANG's International Version

23 नवंबर, 2020 को उमंग (UMANG) के 3 वर्ष पूरे होने और दो हज़ार से अधिक सेवाएँ उपलब्ध कराने को लेकर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में एक ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- उमंग (UMANG) का पूर्ण रूप 'नए युग के शासन के लिये एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन' (Unified Mobile Application for New-age Governance) है जो कि भारत सरकार की एक पहल है।
- यह एकीकृत, सुरक्षित, बहुस्तरीय, बहुभाषी और विभिन्न सेवाओं का मोबाइल एप्लीकेशन है।
- यह केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों की महत्त्वपूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराता है।

उमंग का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण:

- इस अवसर पर विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय से केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने उमंग (UMANG) का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया, जो कुछ चुने हुए देशों अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूज़ीलैंड में अपनी सेवाएँ उपलब्ध कराएगा।
- यह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, अप्रवासी भारतीयों और भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों की मदद करेगा अर्थात् विशेष रूप से भारत सरकार की सेवाएँ किसी भी समय उपलब्ध रहेंगी।
- लाभ: इसके अलावा यह अंतर्राष्ट्रीय संस्करण उमंग पर मौजूद भारतीय संस्कृति संबंधी सेवाओं की मदद से विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाएगा।

उमंग की सेवाओं से संबंधित ई-बुक:

- उमंग पर उपलब्ध 2000 से अधिक सेवाओं के महत्त्व और इसके 3 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने एक ई-बुक का भी अनावरण किया, जो उमंग पर उपलब्ध विभिन्न श्रेणियों की प्रमुख सेवाओं पर आधारित है।

उमंग पुरस्कार (UMANG Award):

- हाल ही में उमंग के साझेदार के तौर पर केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभागों के लिये उमंग पर उपलब्ध सेवाओं के इस्तेमाल के आधार पर उमंग पुरस्कारों (UMANG Awards) का भी शुभारंभ किया गया।
  - केंद्र सरकार के विभाग की श्रेणी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को सर्वश्रेष्ठ 'प्लैटिनम पार्टनर' पुरस्कार प्रदान किया गया।
  - दूसरे स्थान पर रहा डिजीलॉकर को 'गोल्ड' पार्टनर पुरस्कार प्रदान किया गया।
  - कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) और भारत गैस सर्विस (Bharat Gas Services) को 'सिल्वर पार्टनर' पुरस्कार प्रदान किया गया।
  - 'ब्रोंज़ (Bronze) पार्टनर पुरस्कार' एचपी गैस, दूरदर्शन, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, सीबीएसई, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी, जीवन प्रमाण और जन औषधि सुगम को प्रदान किया गया।

नोट :

- राज्य सरकार की सेवाओं की श्रेणी में औसत मासिक इस्तेमाल के आधार पर तीन राज्य विजेता घोषित किये गए, जिसमें गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल हैं।

सेंटिनल-6 उपग्रह Sentinel-6 Satellite

महासागरों की निगरानी करने के लिये तैयार किये गए कॉपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रेइलिच उपग्रह (Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich Satellite) को 21 नवंबर, 2020 को स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट (SpaceX Falcon 9 Rocket) के माध्यम से कैलिफोर्निया के वांडेनबर्ग वायुसेना अड्डे (Vandenberg Air Force) से लॉन्च किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- यह वैश्विक समुद्र तल में परिवर्तनों को मापने के लिये समर्पित अगले मिशन का एक हिस्सा है।
- वैश्विक स्तर पर महासागरों में परिवर्तन पर नज़र रखने के लिये वर्ष 1992 से लॉन्च किये गए अन्य उपग्रहों में टोपेक्स (TOPEX)/ पोसाइडन (Poseidon), जैसन-1 (Jason-1) और ओएसटीएन (OSTN)/ जैसन-2 (Jason-2) शामिल हैं।
- 'सेंटिनल-6 माइकल फ्रेइलिच उपग्रह' का नाम डॉ. माइकल फ्रेइलिच के नाम पर रखा गया है, जो वर्ष 2006-2019 से नासा के पृथ्वी विज्ञान प्रभाग (Earth Science Division) के निदेशक थे और इस वर्ष अगस्त 2020 में उनका निधन हो गया।
- इसी तरह के एक अन्य उपग्रह जिसे 'सेंटिनल-6 बी' (Sentinel-6B) कहा जाता है, वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा।
- इसे फ्राँस के 'नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़' (CNES) के योगदान के साथ संयुक्त रूप से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA), नासा (NASA), मौसम संबंधी उपग्रहों के पूर्वेक्षण के लिये यूरोपीय संगठन (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites- Eumetsat), संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन (National Oceanic and Atmospheric Administration- NOAA) और यूरोपीय संघ (EU) द्वारा विकसित किया गया है।

जेसन- सीएस मिशन [Jason Continuity of Service (Jason-CS) Mission]:

- इस उपग्रह को जेसन-सीएस मिशन के तहत लॉन्च किया गया है।
- जेसन-सीएस मिशन (Jason-CS Mission) को समुद्र के बढ़ते स्तर को मापने के लिये डिज़ाइन किया गया है, जो यह समझने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि पृथ्वी की जलवायु कैसे बदल रही है।

'सेंटिनल-6 माइकल फ्रेइलिच उपग्रह' का कार्य:

- नासा (NASA) के अनुसार, यह उपग्रह चौथे दशक में समुद्र-स्तर के पर्यवेक्षण की निरंतरता सुनिश्चित करेगा और वैश्विक समुद्र-स्तर में हो रही वृद्धि की माप प्रदान करेगा।

मशरूम की नई प्रजाति New Specie of Mushroom

हाल ही में भारत एवं चीन के शोधकर्त्ताओं की एक टीम ने असम में मशरूम (Mushroom) की नई प्रजाति की खोज की है।

प्रमुख बिंदु:

- इन प्रजातियों में सबसे आकर्षक प्रजाति जिसे स्थानीय लोग 'इलेक्ट्रिक मशरूम' (Electric Mushrooms) के रूप में वर्णित करते हैं केवल निर्जीव बाँस पर उगता है।
  - इस प्रजाति को रोरीडोमायज़ फाइलोस्टैचायडिस (Roridomyces Phyllostachydis) नाम से नामांकित किया गया है जिसमें जैव-संदीप्ति (Bioluminescent) जैसा विशेष गुण पाया जाता है अर्थात् यह अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती है।
    - रोरीडोमायज़ (Roridomyces) जीनस से संबंधित प्रजातियाँ बहुत संवेदनशील होती हैं और वे आर्द्र एवं नम परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं।

नोट :

जैव-संदीप्ति (Bioluminescence):

- जैव-संदीप्ति जैसी घटना शुष्क भूमि की तुलना में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक दिखाई देती है।
- इसका उपयोग आम तौर पर शिकार को आकर्षित करने के लिये या किसी पौधे की ओर कीटों को आकर्षित करने के लिये या पौधे के पराग या बीजाणुओं को फैलाने के लिये किया जाता है।
- वर्णित 120000 कवक प्रजातियों में से लगभग 100 प्रजातियों में जैव-संदीप्ति का गुण पाया जाता है, इनमें से केवल कुछ ही भारत की मूल निवासी हैं। ये कवक आमतौर पर सड़ी हुई लकड़ी या निर्जीव लकड़ी पर उगते हैं।
- जैव-संदीप्ति के गुणों से युक्त कवक का सबसे बड़ा जीनस मायसेना (Mycena) अर्थात् बोनट मशरूम (Bonnet Mushroom) है और मायसेना के आनुवांशिक अध्ययनों से पता चलता है कि यह विशेषता लगभग 160 मिलियन वर्ष पहले विकसित हुई थी।
- फाइलोस्टैचायडिस (Phyllostachydis) जीनस से संबंधित बाँस पर उगी हुई इस प्रजाति को शोधकर्त्ताओं की टीम ने 'रोरीडोमायज़ फाइलोस्टैचायडिस' नाम दिया है।
- सामान्य तौर पर जैव-संदीप्ति (Bioluminescent) मशरूम कुछ विशिष्ट कीड़ों के साथ विकसित होते हैं क्योंकि ये मशरूम कीटों के माध्यम से अपने बीजाणुओं को फैलाते हैं।
- उल्लेखनीय है कि यह रोरीडोमायज़ (Roridomyces) जीनस की पहली प्रजाति है जिसे भारत में खोजा गया है। वर्तमान में 12 अन्य प्रजातियाँ इस जीनस से संबंधित हैं जिनमें से पाँच जैव-संदीप्ति जैसे विशेष गुणों से युक्त हैं।

हाल ही में 'रोरीडोमायज़ फाइलोस्टैचायडिस' से संबंधित शोध को 'फाइटोटैक्सा' (Phytotaxa) पत्रिका में प्रकाशित किया गया है।

कम्युनिटी कॉर्ड ब्लड बैंकिंग Community Cord Blood Banking

वर्ष 2017 में लाइफसेल (LifeCell) द्वारा शुरू की गई स्टेम सेल बैंकिंग पहल 'कम्युनिटी कॉर्ड ब्लड बैंकिंग' (Community Cord Blood Banking) ने महाराष्ट्र के नासिक की 7 वर्षीय लड़की की जान बचाने में मदद की, जो अप्लास्टिक एनीमिया (Aplastic Anaemia) नामक एक दुर्लभ एवं गंभीर रक्त विकार से पीड़ित थी।

कॉर्ड ब्लड (Cord Blood):

- कॉर्ड ब्लड (Cord Blood), नाभि रज्जु (Umbilical Cord) और गर्भनाल (Placenta) की रक्त वाहिकाओं में पाया जाता है और जन्म के बाद बच्चे की नाभि रज्जु काट कर एकत्र किया जाता है।
- इसमें रक्त बनाने वाली स्टेम कोशिकाएँ होती हैं जो कुछ रक्त और प्रतिरक्षा प्रणाली विकारों के इलाज में उपयोग की जाती हैं।
  - कॉर्ड ब्लड का उपयोग उसी तरह किया जाता है जैसे हेमटोपोइएटिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण (Hematopoietic Stem Cell Transplantation) का उपयोग विभिन्न रक्त कैंसर के लिये विकिरण उपचार के बाद अस्थिमज्जा को पुनर्गठित करने के लिये किया जाता है।
- कॉर्ड ब्लड, रक्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों से मिलकर बना होता है जिनमें लाल रक्त कोशिकाएँ, श्वेत रक्त कोशिकाएँ, प्लाज़्मा, प्लेटलेट्स शामिल होते हैं।
- कॉर्ड ब्लड का उपयोग उन लोगों में प्रत्यारोपण के लिये किया जा सकता है जिन्हें इन रक्त बनाने वाली कोशिकाओं के पुनर्जनन की आवश्यकता होती है।

'कम्युनिटी कॉर्ड ब्लड बैंकिंग' (Community Cord Blood Banking):

- 'कम्युनिटी कॉर्ड ब्लड बैंकिंग', स्टेम सेल बैंकिंग का एक नया साझाकरण अर्थव्यवस्था मॉडल है जिसे भारत में लाइफसेल (LifeCell) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- इस सामुदायिक बैंक में माता-पिता अपने बच्चे के 'कॉर्ड ब्लड' को संग्रहित करने का विकल्प चुनते हैं, जिससे भविष्य में बच्चे के इलाज के लिये माता-पिता की सामुदायिक बैंक की अन्य सभी कॉर्ड ब्लड इकाइयों तक पहुँच सुनिश्चित हो सकेगी।
- यह सामुदायिक बैंक एक 'सार्वजनिक कॉर्ड ब्लड बैंक' की तरह होता है किंतु इसमें केवल सदस्य परिवार ही लाभान्वित हो सकते हैं।

नोट :

अप्लास्टिक एनीमिया (Aplastic Anaemia):

- अप्लास्टिक एनीमिया एक बीमारी है जिसमें शरीर पर्याप्त संख्या में नई रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने में विफल रहता है।
- अस्थि-मज्जा (Bone Marrow) में रक्त कोशिकाओं का उत्पादन स्टेम कोशिकाओं द्वारा किया जाता है जो वहाँ मौजूद रहते हैं।
- अप्लास्टिक एनीमिया सभी रक्त कोशिका प्रकारों (लाल रक्त कोशिकाएँ, सफेद रक्त कोशिकाएँ एवं प्लेटलेट्स) की कमी के कारण होता है।

लाइफसेल (LifeCell):

- वर्ष 2004 में स्थापित लाइफसेल (LifeCell) भारत का पहला एवं सबसे बड़ा स्टेम सेल बैंक है जो भारत के 350000 से अधिक परिवारों को लाभान्वित कर रहा है जिन्होंने अपने बच्चों के गर्भनाल को स्टेम सेल कंपनी में जमा करने का विकल्प अपनाया है।

प्रगति बैठक PRAGATI Meeting

हाल ही में प्रधानमंत्री ने 33वीं प्रगति (PRAGATI) बैठक की अध्यक्षता की।

- प्रगति (PRAGATI) के माध्यम से बातचीत प्रत्येक महीने चौथे बुधवार को एक बार आयोजित की जाती है, जिसे 'प्रगति दिवस' (PRAGATI Day) के रूप में जाना जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- बैठक के प्रमुख बिंदु:
  - प्रधानमंत्री ने राज्यों को एक राज्य-विशिष्ट निर्यात रणनीति विकसित करने के लिये कहा और 10 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में विस्तृत 1.41 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की।
  - इस बैठक में COVID-19 और पीएम आवास योजना (ग्रामीण) से संबंधित शिकायतों के बारे में भी चर्चा की गई।
  - साथ ही पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi), कृषि सुधार, निर्यात हब के रूप में ज़िलों का विकास से संबंधित विषयों की भी समीक्षा की गई।

प्रगति (PRAGATI - Pro-Active Governance and Timely Implementation):

- वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया यह एक बहु उद्देश्यीय मंच है जो प्रधानमंत्री को विभिन्न मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के लिये केंद्र एवं राज्य के अधिकारियों के साथ चर्चा करने में सक्षम बनाता है।
  - इसे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की टीम ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Center- NIC) की मदद से तैयार किया है।
- इस त्रिस्तरीय प्रणाली में पीएमओ, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव शामिल हैं।
- उद्देश्य: इस मंच के तीन उद्देश्य हैं:
  - शिकायत निवारण
  - कार्यक्रम कार्यान्वयन
  - परियोजना की निगरानी
- यह मंच तीन प्रौद्योगिकियों (डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी) को एक साथ लाता है।

महत्त्व:

- यह भारत सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक मंच पर लाता है परिणामत: यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।
- यह मंच रियल टाइम उपस्थिति और प्रमुख हितधारकों के बीच विनिमय के साथ ई-पारदर्शिता एवं ई-जवाबदेही हेतु एक मज़बूत प्रणाली है।
- यह ई-शासन और सुशासन हेतु एक अभिनव परियोजना है।

चिंताएँ:

- राज्यों की राजनीतिक शासनात्मक सत्ता को शामिल किये बिना राज्य सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की सीधी बातचीत राज्य की राजनीतिक कार्यकारिणी को कमज़ोर कर रही है।
- यह भी कहा जाता है कि यह (प्रगति) पीएमओ के अतिरिक्त संवैधानिक कार्यालय में शक्ति के संकेंद्रण के लिये अग्रणी है।

नोट :

विविध

सड़क यातायात पीड़ितों की स्मृति के लिये विश्व दिवस

विश्व भर में प्रत्येक वर्ष नवंबर माह के तीसरे रविवार को 'सड़क यातायात पीड़ितों की स्मृति के लिये विश्व दिवस' (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य विश्व भर में सड़कों पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना के कारण मारे जाने वाले लोगों अथवा गंभीर रूप से घायल होने वाले लाखों लोगों को याद करना और पीड़ितों, पीड़ित परिवारों और समुदायों आदि की पीड़ा को स्वीकार करना है। साथ ही इस दिवस पर समर्पित कर्मचारियों, पुलिस और चिकित्सा पेशेवरों को सम्मान प्रकट किया जाता है, जो इस प्रकार की सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का अनवरत प्रयास कर रहे हैं। सड़क यातायात पीड़ितों की स्मृति के लिये विश्व दिवस मनाने की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 1993 में रोडपीस (RoadPeace) नामक एक ब्रिटिश संगठन द्वारा की गई थी। वर्ष 1995 से इस दिवस को 'यूरोपियन फेडरेशन ऑफ रोड ट्रैफिक विक्टिम' (FEVR) के द्वारा मनाया जाने लगा और जल्द ही अन्य देशों के गैर-सरकारी संगठनों द्वारा भी यह दिवस मनाया जाने लगा। तकरीबन 10 वर्ष बाद 26 अक्तूबर, 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी इस दिवस को मान्यता दी गई। इस वर्ष यह दिवस 15 नवंबर, 2020 को मनाया गया है।

नीतीश कुमार: बिहार के मुख्यमंत्री

नीतीश कुमार सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च, 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। नीतीश कुमार ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटना (अब NIT पटना) से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है और बिहार राज्य बिजली बोर्ड में शामिल होने से पहले ही वे बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए थे। इसके बाद नीतीश कुमार ने सर्वप्रथम वर्ष 1977 में जनता दल के सदस्य के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा। गौरतलब है कि नीतीश कुमार वर्ष 1974 से वर्ष 1977 के बीच जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में काफी सक्रिय रूप से शामिल थे। ज्ञात हो कि श्रीकृष्ण सिन्हा, जिन्हें 'श्रीबाबू' के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। भारत के प्रमुख राज्यों में से एक बिहार उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बिहार में कई सारी नदियाँ पाई जाती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख गंगा नदी है।

सूर सरोवर झील

हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आगरा की सूर सरोवर झील को रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त स्थलों की सूची में शामिल किये जाने की सूचना दी है। सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य के भीतर स्थित इस झील को कीठम झील (Keetham Lake) के नाम से भी जाना जाता है। सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य को वर्ष 1991 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। यह झील उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। यह पक्षी अभयारण्य लगभग 8 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 2.25 वर्ग किलोमीटर लंबी झील भी शामिल है। इस क्षेत्र में प्रवासी तथा स्थानीय पक्षियों की तकरीबन दो दर्जन प्रजातियाँ निवास करती हैं। रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त स्थलों की सूची में शामिल होने के कारण सूर सरोवर झील को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी।

सौमित्र चटर्जी

15 नवंबर, 2020 को प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता सौमित्र चटर्जी का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सौमित्र चटर्जी, जिन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, वे एक कुशल नाटककार, थिएटर अभिनेता और कवि भी थे। 19 जनवरी, 1935 को जन्मे सौमित्र चटर्जी ने प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार अहिंद्र चौधरी से अभिनय के गुण सीखे थे। सौमित्र चटर्जी ने फिल्मों में अपने कॅरियर की शुरुआत वर्ष 1959 में सत्यजीत रे की फिल्म 'अपुर संसार' के साथ की थी। सौमित्र चटर्जी को वर्ष 2012 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से और वर्ष 2018 में फ्राँस के सर्वोच्च पुरस्कार 'लीज़न ऑफ ऑनर' (Legion of Honour) प्रदान किया गया था।

बाल अधिकार सप्ताह

राजस्थान में 14 से 20 नवंबर, 2020 तक बाल अधिकार सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिये दो नई योजनाएँ [वात्सल्य (Vaatsalya) और समर्थ (Samarth)] शुरू कीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में बच्चों के लिये कौशल विकास और परामर्श केंद्र का भी उद्घाटन किया। यह परामर्श केंद्र ICICI बैंक

नोट :

के साथ मिलकर कार्य करेगा और बाल संरक्षण गृहों में रहने वाले बच्चों को प्रशिक्षण एवं परामर्श प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार अपने कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से सभी बच्चों तक पहुँचने का प्रयास कर रही है, साथ ही उन्होंने समाज के प्रत्येक व्यक्ति से बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये आगे आने का भी आग्रह किया।

अमेरिका में भारतीय छात्रों के नामांकन में गिरावट

अमेरिकी सरकार द्वारा वित्तपोषित एक अध्ययन के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या में वर्ष 2019-20 में सबसे बड़ी (4.4% की) गिरावट आई है। वर्ष 2019-20 में अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या 4.4 प्रतिशत गिरावट के साथ 1.93 लाख रह गई है। इससे पूर्व वर्ष 2005-06 में सबसे अधिक (5 प्रतिशत की) गिरावट देखी गई थी। कोरोना वायरस महामारी के कारण वर्ष 2020 में अमेरिका में नवीन अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन में 42% की गिरावट देखी गई है। अमेरिका में लगभग एक मिलियन अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं, जिसमें 18% भारत से और 35% छात्र चीन से (सर्वाधिक) आते हैं।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस

16 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन किया गया। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और भारतीय समाचार पत्रों एवं समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने तथा उनमें सुधार करने के लिये 16 नवंबर, 1966 को भारतीय प्रेस परिषद (PCI) की स्थापना की गई थी। वर्ष 1954 में गठित प्रथम प्रेस आयोग ने वर्ष 1956 में भारत में पत्रकारिता की नैतिकता और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये एक समिति के गठन की बात की थी। इसके तकरीबन 10 वर्ष बाद भारतीय प्रेस परिषद (PCI) का गठन किया गया। वर्तमान में जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद भारतीय प्रेस परिषद (PCI) के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। भारतीय प्रेस परिषद (PCI) एक सांविधिक निकाय है, जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है।

चंद्रावती

15 नवंबर, 2020 को पुदुचेरी की पूर्व उप-राज्यपाल और हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। हरियाणा के भिवानी के दलवास गाँव में जन्मी चंद्रावती हरियाणा की पहली महिला सांसद (वर्ष 1977), हरियाणा की पहली महिला मंत्री (वर्ष 1964-66) और हरियाणा की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष (वर्ष 1982-85) थीं। चंद्रावती सर्वप्रथम वर्ष 1954 में अविभाजित पंजाब के बधरा से विधायक बनी थीं। आपातकाल समाप्त होने के बाद वे जनता दल में शामिल हो गईं और वर्ष 1977 में उन्होंने भिवानी निर्वाचन क्षेत्र से राजनीतिक दिग्गज चौधरी बंसीलाल को हराकर इतिहास रच दिया तथा हरियाणा की पहली महिला सांसद बन गईं।

बंगलूरू टेक समिट-2020

19 नवंबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'बंगलूरू टेक समिट-2020' (Bengaluru Tech Summit-2020) का उद्घाटन करेंगे। बंगलूरू टेक समिट, भारत का प्रमुख टेक कार्यक्रम है और इस वर्ष इस कार्यक्रम के 23वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2020 के लिये इस सम्मेलन का मुख्य विषय 'नेक्स्ट इज़ नाउ' (Next is Now) रखा गया है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य तौर पर कोरोना वायरस महामारी के बाद विश्व में सूचना टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और स्विस कॉन्फेडरेशन के उपाध्यक्ष गाई पारमेलिन समेत कई अन्य प्रसिद्ध लोग हिस्सा लेंगे। तीन दिवसीय इस टेक समिट का आयोजन कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक नवप्रवर्तन और टेक्नोलॉजी सोसाइटी तथा कई अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर किया जा रहा है।

स्टैच्यू ऑफ पीस

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरिश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के पाली ज़िले में 'स्टैच्यू ऑफ पीस' का अनावरण किया। 151 इंच ऊँची यह प्रतिमा अष्टधातु से बनाई गई है, इन 8 धातुओं में तांबा प्रमुख घटक है। 'स्टैच्यू ऑफ पीस' का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 'स्टेचू ऑफ पीस', विश्व में शांति, अहिंसा और सेवा का एक प्रेरणास्रोत बनेगा। जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरिश्वर जी महाराज (वर्ष 1870-1954) ने अपने संपूर्ण जीवन में जैन संत के रूप में निष्ठापूर्वक और समर्पित रूप से भगवान महावीर के संदेश को फैलाने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया। श्री विजय वल्लभ सुरिश्वर जी महाराज ने जनता के कल्याण, शिक्षा के प्रसार, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिये भी अथक परिश्रम किया। उन्होंने प्रेरणादायक साहित्य (कविता, निबंध और भक्ति भजन) की भी रचना की और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तथा स्वदेशी को अपनाने का समर्थन किया।

नोट :

गऊ कैबिनेट

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राज्य सरकार राज्य में गायों के संरक्षण और संवर्द्धन को बढ़ावा देने के लिये 'गऊ कैबिनेट' (Cow Cabinet) के नाम से एक नई समिति का गठन करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक, 'गऊ कैबिनेट' की पहली बैठक 22 नवंबर को आयोजित की जाएगी। हालाँकि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक 'गऊ कैबिनेट' की शक्तियों और उत्तरदायित्वों को लेकर कोई विवरण जारी नहीं किया है। गौरतलब है कि इस वर्ष की शुरुआत में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य में गौ हत्या को रोकने के लिये एक अध्यादेश पारित किया था। इस अध्यादेश के तहत उत्तर प्रदेश में गाय की हत्या पर 10 वर्ष तक की सज़ा और 3 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

मालाबार अभ्यास

उत्तरी अरब सागर में मालाबार नौसैनिक अभ्यास के दूसरे चरण की शुरुआत की गई , इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है। मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण 17- 20 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा, जबकि इस अभ्यास का पहला चरण नवंबर माह के पहले सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। वर्ष 2020 का मालाबार अभ्यास इस लिहाज़ से काफी महत्त्वपूर्ण है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया भी इस अभ्यास में हिस्सा ले रहा है, जबकि असल में यह एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन वार्षिक रूप से भारत-जापान-अमेरिका की नौसेनाओं के बीच किया जाता है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 1992 में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में हुई थी। वर्ष 2015 में इस अभ्यास में जापान के शामिल होने के बाद से यह एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास बन गया।

रानी लक्ष्मीबाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई की 192वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रानी लक्ष्मी बाई का जन्म 19 नवंबर, 1828 को वाराणसी में हुआ था और उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे था। उन्होंने बचपन में ही घुड़सवारी, तलवारबाज़ी और निशानेबाज़ी जैसी कलाओं में निपुणता हासिल कर ली थी। वर्ष 1842 में 14 वर्ष की उम्र में इनका विवाह झाँसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ कर दिया गया, उसके बाद से इन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया। महाराजा की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने 'व्यपगत सिद्धांत' (Doctrine of Lapse) का हवाला देते हुए महाराजा के दत्तक पुत्र दामोदर राव को झाँसी के सिंहासन के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस सिद्धांत के मुताबिक, यदि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाली किसी रियासत के शासक के पास कानूनी तौर पर पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो कंपनी द्वारा इस रियासत का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई ने इस व्यवस्था का विरोध किया और जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में झाँसी में विद्रोह प्रारंभ हो गया। ज्ञात हो कि यह वही समय था जब मेरठ में कंपनी के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया था, तत्पश्चात् यह विद्रोह कानपुर, बरेली, झाँसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों तक फैल गया। 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई की काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। झाँसी की सुरक्षा करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुए युद्ध में 17 जून, 1858 रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई।

विजयनगर- कर्नाटक का 31वाँ ज़िला

हाल ही में कर्नाटक मंत्रिमंडल ने मौजूदा बेल्लारी ज़िले से विजयनगर को अलग करने और एक नया ज़िला बनाने की दशकों पुरानी मांग को मंज़ूरी दे दी है। अब विजयनगर कर्नाटक का 31वाँ ज़िला होगा। ध्यातव्य है कि कर्नाटक में बीते कई वर्षों से विजयनगर साम्राज्य के नाम पर एक नए ज़िले के निर्माण की मांग की जा रही थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना चौदहवीं शताब्दी (1336 ई.) में संगम वंश के दो राजकुमारों (हरिहर और बुक्का) द्वारा कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के बीच एक स्वतंत्र राज्य के रूप में की गई थी। भारतीय कला, संस्कृति और स्थापत्य के विकास की दृष्टि से विजयनगर साम्राज्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है। इस दौरान भारतीय कला तथा संस्कृति का बहुआयामी विकास हुआ। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्ण देव राय थे। विजयनगर का राजवंश उनके कार्यकाल में भव्यता के शिखर पर पहुँच गया और 1529 ई. में राजा कृष्ण देव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया।

विश्व दर्शन दिवस

दार्शनिक विश्लेषण, अनुसंधान और प्रमुख समकालीन मुद्दों पर अध्ययन को बढ़ावा देकर दर्शन के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता को मज़बूत करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को विश्व दर्शन दिवस (World Philosophy Day) मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य आम लोगों के बीच दर्शन के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2020 में यह विश्व दर्शन दिवस 19

नोट :

नवंबर को मनाया जा रहा है। विश्व दर्शन दिवस की शुरुआत वर्ष 2002 में यूनेस्को (UNESCO) द्वारा की गई थी और वर्ष 2002 में इस दिवस का आयोजन 21 नवंबर को किया गया था। सदियों से प्रत्येक संस्कृति में दर्शन (Philosophy) ने अवधारणाओं, विचारों और विश्लेषणों को जन्म दिया है और इसके माध्यम से महत्त्वपूर्ण, स्वतंत्र और रचनात्मक विचार के लिये आधार निर्धारित किया है।

इंदिरा गांधी

19 नवंबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किये। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु की पुत्री इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर, 1917 को प्रयागराज (इलाहाबाद) में हुआ था। 1950 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अनौपचारिक रूप से अपने पिता पंडित जवाहरलाल नेहरु के निजी सहायक के रूप में कार्य किया। वर्ष 1955 में वे कॉन्ग्रेस कार्यसमिति में शामिल हुईं और वर्ष 1959 में उन्हें कॉन्ग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। वर्ष 1964 में प्रधानमंत्री नेहरु की मृत्यु के बाद उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्त्व में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया, किंतु लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु के बाद वर्ष 1966 में वे देश की 5वीं प्रधानमंत्री बनीं। वर्ष 1975 में उनके कार्यकाल के दौरान भारत में आपातकाल लागू किया गया, जो कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक 'काला अध्याय' माना जाता है। 31 अक्तूबर, 1984 को दो सिख अंगरक्षकों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई।

रुपे कार्ड (RuPay Card)

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में रुपे कार्ड (RuPay Card) के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जिससे भूटान के कार्डधारक अब भारत में रुपे (RuPay) नेटवर्क का उपयोग कर सकेंगे। ध्यातव्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते वर्ष अगस्त माह में भूटान की राजकीय यात्रा के दौरान इस परियोजना के पहले चरण की शुरुआत की थी। रुपे कार्ड (RuPay Card) के पहले चरण के कार्यान्वयन के तहत भारत के नागरिक भूटान के ATM और प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) मशीन के माध्यम से लेनदेन में सक्षम हो गए थे। अब दूसरे चरण के कार्यान्वयन से भूटान के कार्ड धारक भी रुपे (RuPay) नेटवर्क का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। रुपे (RuPay) भारत में अपनी तरह का पहला घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान नेटवर्क है। रुपे (RuPay) नेटवर्क का विकास भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा किया गया है। इस नेटवर्क का उपयोग सिंगापुर, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन और सऊदी अरब जैसे देशों में लेन-देन के लिये किया जा सकता है। जनवरी 2020 तक 600 मिलियन से अधिक रुपे कार्ड धारक थे।

विश्व बाल दिवस

दुनिया भर में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस (World Children's Day) मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य विश्व में बच्चों के अधिकारों और उनके कल्याण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह सबसे पहले वर्ष 1954 में मनाया गया था। ज्ञात हो कि इसी दिन वर्ष 1959 में बाल अधिकारों की घोषणा (Declaration of the Rights of the Child) को अपनाया था। साथ ही इसी तिथि को वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर अभिसमय (Convention on the Rights of the Child) को भी अपनाया था। भारत ने वर्ष 1992 में इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किये थे और भारत में प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि भारत ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान और पोषण अभियान आदि प्रमुख है।

रोहिंग्या संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (UN) ने रोहिंग्या संकट के तत्काल समाधान के लिये एक प्रस्ताव पारित किया है। यह प्रस्ताव इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) और यूरोपीय संघ (EU) द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र में कुल 132 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ। वहीं 9 देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया, जबकि 31 देशों ने प्रस्ताव को लेकर हुए मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। इस प्रस्ताव में म्याँमार से कहा गया है कि वह रोहिंग्या संकट के मूल कारणों का समाधान करे, जिसमें अल्पसंख्यक रोहिंग्याओं को नागरिकता देना और सकारात्मक माहौल तैयार करके उनकी सकुशल तथा स्थाई घर वापसी को सुनिश्चित करना शामिल है। इस प्रस्ताव में विस्थापित रोहिंग्याओं को मानवीय आधार पर शरण देने के लिये बांग्लादेश सरकार की प्रशंसा भी की गई है। प्रस्ताव में बाकी देशों से अनुरोध किया गया है कि वे बांग्लादेश को उसके इस मानवीय प्रयास में सहायता दें। दरअसल म्याँमार की बहुसंख्यक आबादी बौद्ध है, जबकि रोहिंग्याओं को अवैध बांग्लादेशी प्रवासी माना जाता है। हालाँकि लंबे समय से वे म्याँमार के रखाइन प्रांत में रहते आ रहे हैं। इसी धार्मिक बुनावट के कारण प्राय: रोहिंग्याओं और बौद्धों के बीच संघर्ष होता रहता है, और यही इस संकट का मुख्य कारण भी है।

नोट :

विश्व मत्स्य दिवस

संपूर्ण विश्व में सभी मछुआरों, किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिये प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस (World Fisheries Day) मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 1997 में हुई थी, जब 18 देशों के प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में 'वर्ल्ड फोरम ऑफ फिश हार्वेस्टर्स एंड फिश वर्कर्स' (World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers) की बैठक में हिस्सा लिया और 'विश्व मत्स्य मंच' (World Fisheries Forum-WFF) का गठन किया गया था। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य समुद्री और अंतर्देशीय संसाधनों की स्थिरता से संबंधित गंभीर खतरों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। यह दिवस विश्व को स्वस्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिये मत्स्य पालन के तरीके को बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत, विश्व में जलीय कृषि के माध्यम से मछली उत्पादन करने वाला दूसरा प्रमुख उत्पादक देश है। भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र लगभग 28 मिलियन मछुआरों और मछली पालकों को प्रत्यक्ष रोज़गार प्रदान करता है। भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 7.7% योगदान देता है और मछली उत्पादों के वैश्विक निर्यात में चौथे स्थान पर है। सितंबर, 2020 में भारत सरकार ने पाँच वर्ष की अवधि के लिये 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (PMMSY) का शुभारंभ किया था। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) तक मछली उत्पादन के स्तर तक पहुँचना है और साथ ही लगभग 55 लाख लोगों के लिये अतिरिक्त रोज़गार के अवसर उत्पन्न करने हैं।

डाक अदालत

30 दिसंबर, 2020 को गोवा में 46वीं क्षेत्रीय डाक अदालत (Dak Adalat) का आयोजन किया जाएगा। ध्यातव्य है कि डाक सेवाएँ भारत के सामाजिक-आर्थिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं, और देश के लगभग सभी नागरिकों के जीवन को प्रभावित करती हैं। यद्यपि भारतीय डाक विभाग अपने ग्राहकों की पूरी संतुष्टि के लिये सर्वोत्तम प्रयास करता है किंतु संचार के अभाव और सेवाओं में दोष के कारण कभी-कभी ग्राहकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसी शिकायतों और असुविधाओं का प्रभावी तरीके से निवारण करने के लिये भारतीय डाक विभाग समय-समय पर क्षेत्रीय डाक अदालतों का आयोजन करता है जहाँ विभाग के पदाधिकारी पीड़ित ग्राहकों से मिलते हैं और उनकी शिकायतों का जल्द-से-जल्द निवारण करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की क्षेत्रीय अदालतों में मेल, पार्सल, पंजीकृत पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, बचत बैंक खाते, डाक जीवन बीमा और डाक विभाग से संबंधित अन्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतों और विवादों को निपटाने का प्रयास किया जाता है।

डगलस स्टुअर्ट

स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट (Douglas Stuart) ने अपने पहले उपन्यास 'शुग्गी बैन' (Shuggie Bain) के लिये वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार (Booker Prize) जीता है। डगलस स्टुअर्ट का यह उपन्यास एक ऐसे लड़के के जीवन पर आधारित है, जो कि 1980 के दशक में ग्लासगो (Glasgow) में पला-बढ़ा और जिसकी माँ नशे की समस्या से जूझ रही है। वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार के प्रतियोगियों में चुने गए लेखकों में भारतीय मूल की लेखिका अवनी दोशी भी शामिल थीं, जिन्हें उनके उपन्यास 'बर्नट शुगर' (Burnt Sugar) के लिये इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के प्रतियोगियों की सूची में शामिल किया गया था। बुकर पुरस्कार अंग्रेज़ी साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो कि सर्वोत्तम अंग्रेज़ी उपन्यास को दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1969 में अंग्रेज़ी में प्रकाशित उपन्यासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया था। बीते वर्ष 2019 के लिये कनाडा की मार्गरेट एटवुड (Margaret Atwood) और ब्रिटेन की बर्नाडिन एवरिस्टो (Bernardine Evaristo) को संयुक्त रूप से इस पुरस्कार के लिये चुना गया था।

मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना

भारत सरकार, मेघालय सरकार और विश्व बैंक ने हाल ही में मेघालय राज्य के परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण से संबंधित 120 मिलियन डॉलर की परियोजना के लिये एक समझौता किया। इससे मेघालय को अपनी बहुमूल्य कृषि तथा पर्यटन क्षेत्र में मौजूद विकास की संभावनाओं के दोहन में सहायता मिलेगी। मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना (MITP) से नवाचार, जलवायु के प्रति लचीले और प्रकृति-आधारित समाधानों के इस्तेमाल के द्वारा 300 किलोमीटर लंबी सड़कों और पुलों में सुधार किया जाएगा, जो कि राज्य और वहाँ के लोगों के आर्थिक विकास के लिये काफी अहम है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके आधारभूत ढाँचे से नजदीक से जुड़ा होता है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों और मुश्किल जलवायु परिस्थितियों के कारण मेघालय में परिवहन काफी चुनौतीपूर्ण है। वर्तमान में, राज्य की कुल 5,362 बस्तियों में से आधी परिवहन संपर्क की कमी से जूझ रही हैं।

नोट :

सौर ऊर्जा कपड़ा मिल

महाराष्ट्र के परभणी ज़िले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल शुरू की जाएगी। इस परियोजना के माध्यम से 'जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल' एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल बन जाएगी। इस परियोजना के चलते आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाली तमाम महिलाओं को रोज़गार के नए अवसर मिल सकेंगे। तीस एकड़ भूमि में फैली इस कपड़ा मिल में कपास से कपड़ा बनाने का कार्य किया जाएगा और इस कार्य के लिये स्वयं परभणी से ही उत्तम किस्म की कपास खरीदी जाएगी। ध्यातव्य है कि परभणी महाराष्ट्र का प्रमुख कपास उत्पादक ज़िला है। यहाँ कपास उत्पादन को एक लाभदायक निवेश के रूप में देखा जाता है, यही कारण है कि इस क्षेत्र के अधिकांश किसान कपास की खेती करते हैं। इस परियोजना की लागत तकरीबन 100 करोड़ रुपए है और मिल के परिचालन से निश्चित रूप से ज़िले में औद्योगिक क्षेत्र को गति मिलेगी। इस मिल में बहुत सारी गतिविधियाँ संपन्न की जाएंगी, जिसमें कपास की जिनिंग, प्रेसिंग, बुनाई और कताई आदि शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हेतु खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु

खिलाड़ियों की सुरक्षा में सुधार के लिये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने नया नियम जारी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने की न्यूनतम आयु निर्धारित कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा जारी नियमों के मुताबिक, 15 वर्ष से कम उम्र के किसी भी खिलाड़ी को किसी भी पुरुष या महिला या अंडर-19 (U-19) अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य युवा खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने कहा कि अपवाद की स्थिति में कोई भी देश परिषद के समक्ष अपील कर सकता है। ऐसे खिलाड़ियों को अनुमति देते समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके खेल के अनुभव और मानसिक विकास जैसे कारकों पर ध्यान दिया जाएगा, साथ ही यह भी देखा जाएगा कि खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दबाव को झेलने में सक्षम है अथवा नहीं। ध्यातव्य है कि अब तक ऐसे केवल 3 ही मामले सामने आए हैं, जहाँ 15 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है, इसमें हसन रज़ा (पाकिस्तान), एम. घेरसिम (रोमानिया) और मीत भावसार (कुवैत) शामिल हैं।

गिरीश चंद्र मुर्मू

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) गिरीश चंद्र मुर्मू को तीन वर्ष के कार्यकाल के लिये जिनेवा स्थित अंतर-संसदीय संघ (IPU) का बाह्य लेखापरीक्षक (External Auditor) चुना गया है। ध्यातव्य है कि भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) पूर्व में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) आदि के बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं। बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) संगठन के संचालन में अधिक पारदर्शिता, दक्षता एवं प्रभावशीलता लाने में सहायता करेगा। अंतर-संसदीय संघ (IPU) अलग-अलग देशों की संसदों (Parliaments) का एक वैश्विक संगठन है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1889 में एक छोटे समूह के रूप में हुई थी और वर्तमान में यह अलग-अलग देशों की संसदों के एक वैश्विक संगठन के रूप में विकसित हुआ है। वर्तमान में इस संगठन में कुल 179 सदस्य देश शामिल हैं।

तुंगभद्रा पुष्करालु

मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने तुंगभद्रा नदी के सम्मान में आयोजित 12 दिवसीय तुंगभद्रा पुष्करालु त्योहार की शुरुआत की है। इस त्योहार का आयोजन तब किया जाता है, जब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करता है। यह त्योहार इस दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है कि इसका आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष की अवधि में एक बार किया जाता है। ध्यातव्य है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई नदियाँ बहती हैं और उनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट महत्त्व है।

सर छोटूराम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर छोटूराम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि समाज के उत्थान के लिये उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। सर छोटूराम का जन्म 24 नवंबर, 1881 को पंजाब के रोहतक (अब हरियाणा) में हुआ था। छोटूराम का असली नाम राय रिछपाल था। सर छोटू राम दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के छात्र रहे और उन्हें वर्ष 1937 में नाइट की उपाधि दी गई। कई आलोचक सर छोटूराम को एक जातिवादी नेता के रूप में देखते हैं, किंतु उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में किसानों के उत्थान की बात की। वर्ष 1912 में वकील के तौर पर कार्य शुरू करने के पश्चात् वे वर्ष 1916 में कॉन्ग्रेस में शामिल हुए और वर्ष 1916 से 1920 तक रोहतक ज़िला कॉन्ग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। सर छोटूराम ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में भारतीय युवाओं की भर्ती करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा

नोट :

की थी। विभाजन के पूर्व पंजाब विधान परिषद के सदस्य के रूप में, उनकी पहली बड़ी उपलब्धि पंजाब भूमि राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1929 को पारित करना, जिसे अभी भी एक ऐतिहासिक सामाजिक कानून के रूप में देखा जाता है। एक जन प्रतिनिधि के रूप में सर छोटूराम ने न केवल कानूनों के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि उन कानूनों के कार्यान्वयन पर भी ज़ोर दिया। वह किसानों द्वारा खेती पर किये गए खर्च के लिये क्षतिपूर्ति देने की अवधारणा के भी जनक थे, यही अवधारणा आगे चलकर 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' के रूप में विकसित हुई है।

चक्रवाती तूफान 'निवार'

तमिलनाडु और पुडुचेरी ने चक्रवाती तूफान 'निवार' (Nivar) को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों में भारी बारिश और तेज़ हवाओं को लेकर आशंका जारी की है। चक्रवाती तूफान 'निवार' इस वर्ष उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र का चौथा चक्रवाती तूफान है, पहले के तीन चक्रवातों में शामिल हैं- चक्रवात 'गति', चक्रवात 'अम्फान' और चक्रवात निसर्ग। चक्रवाती तूफान 'निवार' वर्ष 2018 में चक्रवात 'गाजा' के बाद दो वर्ष में तमिलनाडु में आने वाला दूसरा चक्रवात होगा। इस चक्रवात के कारण 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएँ चलने का अनुमान है। चक्रवाती तूफान 'निवार' का नाम ईरान द्वारा सुझाया गया है, जबकि चक्रवात 'निसर्ग' का नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया था और चक्रवात 'गति' का नाम भारत द्वारा सुझाया गया था।

जल निकायों के संरक्षण के लिये NGT के निर्देश

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जल निकायों के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिये एक नोडल एजेंसी नामित करने का निर्देश दिया है। साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने राष्ट्रीय स्तर पर अनुपालन की निगरानी के लिये एक केंद्रीय निगरानी समिति (CMC) के गठन का भी निर्देश दिया है, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय के सचिव और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और अन्य महत्त्वपूर्ण निकायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा यह निर्देश गुरुग्राम में जल निकायों की पहचान, संरक्षण और पुनर्स्थापन से संबंधित एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिये गए हैं। इससे पूर्व जून माह में NGT ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने जल निकायों की सूची और उनकी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इस प्रक्रिया के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 4,13,911 जल निकायों की पहचान की गई है।

इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव

मेघालय में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले 'इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव' को कोरोना वायरस महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। भारत के एकमात्र चेरी ब्लॉसम महोत्सव को मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव में शामिल होने के लिये प्रतिवर्ष रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक शिलांग पहुँचते हैं। सर्दी का मौसम शुरू होते गुलाबी रंग के 'चेरी ब्लॉसम' के सुंदर फूलों को पूरे मेघालय में देखा जा सकता है। ये फूल नवंबर माह के अंत तक खिले रहेंगे। मेघालय में आयोजित होने वाला यह त्योहार इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरह प्राकृतिक संसाधनों और सतत् पर्यटन का उपयोग एक प्रभावी तरीके किया जा सकता है।

नोट :